रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/99 REGISTERED NO. DL—33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 29, 1999 (ज्येष्ठ 8, 1921)
No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 29, 1999 (JYAISTHA 8, 1921)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate page is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

केन्द्र 1, विश्व व्यापार केन्द्र

कफ परेड, कोलाबा

मुंबई-400005, दिनांक 20 अप्रैल 1999

सं० गैबैंपवि. 132/सीजी एन(वीएमएन एम)—99—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 आईए की उप धारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि किसी ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए जो 21 अप्रैल, 1999 को या उसके बाद गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय आरम्भ करती है, "निवल स्वाधिकृत निधि" दो सौ लाख रुपये हों ।

परन्तु शर्त यह है कि यह बढ़ी हुई "निवल स्वाधिकृत निधि" ऐसी कंपनी के लिए लागू नहीं होगी जिसका उक्त अधिनियम की धारा 45 आईए के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन 20 अप्रैल, 1999 को या उससे पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है ।

वी०एस०एम० मूर्ती,
मुख्य महाप्रबंधक

स्टेट बैंक आफ इन्दौर
प्रधान कार्यालय : इन्दौर
इन्दौर, दिनांक 19 मई 1999

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि स्टेट बैंक आफ इन्दौर के शेयरधारियों की 38 वीं वार्षिक सामान्य सभा निम्नलिखित कार्य हेतु रविन्द्र नाट्य गृह, रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, इन्दौर पर बुधवार दिनांक 30 जून, 1999 को प्रातः 11.30 बजे (भारतीय मानक समय) आयोजित की जाएगी ।

31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष (1-4-98 से 31-3-99) के लिए बैंक का तुलनपत्र व लाभ हानि खाता, इसी वर्ष के लिए बैंक के कार्यकाज पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र व खातों पर लेखा परिक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करना ।

निदेशक मण्डल के आदेश से
एस. श्रीनिवासन
प्रबन्धक निदेशक

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

(डिसेंट्रलाइज्ड ऑफिस)

पो० बॉक्स नं० 3314,

122, महात्मा गांधी रोड,

नुन्गम्बक्कम,

चेन्नई—600034, दिनांक 3 मई, 1999

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 3–एस०सी०ए० (8)/4/98–99.—रेगूलेशन 10 (1) की धारा (4) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के रेगूलेशन 1988 के अधिनियम 10 (2) (बी) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों का कार्य करने का प्रमाणपत्र 1 अक्तूबर, 1998 से रद्द समझे जाएंगे क्योंकि उन्होंने कार्य प्रमाणपत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं किया था।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता
1	2	3
1.	2402	श्री हुरीहुरम सिवारमैन चित्तूर, प्लोट नं० 1, कृष्णा भवन कोलोनी, एओसी सैन्टर रोड, वैस्ट मरेडपल्ली, सिकन्दराबाद—500026
2.	3545	श्री वैद्यनाथन के०, 164, बाबा नगर, 6 स्ट्रीट, विल्लिवक्कम, चैन्नई—600010।
3.	3909	श्री वाकोव जे०, वाको एण्ड क०, 10, वाटर वर्क्स एवेन्यू, किलपौक, चैन्नई—600010।
4.	4209	श्री वेंकटारामन के०, फ्लैट न० 11, सिवाकुमारानिलायाम, 46, कलाश्रेत्रा रोड, थिरूवानमियूर, चैन्नई—600041।
5.	4383	श्री पट्टाभिरामन वी० एस०, सेक्रेटरी, एडिसन एण्ड क० लि०, 158, माउन्ट रोड, चन्नई—600002।
6.	4644	श्री मुथुकुमार एन०, 4/1, राजागोपालन स्ट्रीट, वाल्मिकी नगर, थिरूवानमियूर, चैन्नई—600041।
7.	4998	श्री परमेश्वरन ए० एस०, आश्रामोम टी० सी० 26/538, नियर सैन्ट्रल स्टेडियम, थिरूवानन्थापुरम—695001।
8.	6733	श्री रामा राव के० एस०, पी० ओ० बाक्स 201656, गैबरोने, बोट्सवाना।
9.	6876	श्री शिवानन्दा न्यामती सेट्टा, अपार्टमेंट 301, ग्रीनहाल रेजीडेंसी, 50, कुन्निंघम रोड, बंगलोर—560052।
10.	8098	श्री मीनाट्टूर जोय जोसफ, 4–123 सी, शांति नगर, मरोत्तिचोडु, इडापल्ली, कोची—682024।
11.	11889	श्री जमारधनन सी०, 50, वैस्ट 4 स्ट्रीट, अपार्टमेंट # 10ए/ 10, न्यूयोर्क—10001, यू० एस० ए०।
12.	13388	श्री रामन आर०, 6/1, मराप्पा रोड, उलसूर, बंगलोर—560008।
13.	18010	श्री वेंकटेश वी० एस०, केपीएमजी पब्लिक एकाउन्टेन्ट्स, पी० ओ० बाक्स 30453, लिलोंग्वे, मलावी।
14.	18213	श्री जयपथी के०, 410 रश्मि किरन अपार्टमेंट्स, 18 क्रोस, माल्लेश्वरम, बंगलोर—560055।
15.	19072	श्री शेरमन नन्द कुमार, न० 61, पी० एण्ड टी० कोलोनी, आर० टी० नगर, बंगलोर—560032।
16.	19188	श्री सोहुरम ई० कदिना, डारेक्टर इंटरनल ओडिट, जीटीआई आईएनटीएल, 8350, एनडब्ल्यू 52 टेरेस # 102 मियामी फ्लोरिडा 33166 यू० एस० ए०।
17.	19799	श्री जोसफ कुरूविल्ला, केयर ओफ श्री के० ए० जोहन, प्लोट 3547, जे 41, 2 मेन रोड, अन्ना नगर, चेन्नई—600102।
18.	20354	श्री वेथीस्वरम आर०, 141, केवेरी रोड, माइलापोर, चेन्नई—600004।

1	2	3
19.	20454	श्री सम्पथ वी० एन०, 28/3, नाथन पुरम, मुत्रामनियापुरम, आर०एस०पुरम,पी०ओ० कोयम्बटोर–641002।
20.	20556	श्री विजयाराघवन वी० के०, फाइनेंस मनेजर, आलु व्हील डब्ल्यूएलएल, पी० ओ० बाक्स 5570, मनामा, बहैरेन ।
21.	20878	श्री रवि शंकर एम० एस०, "स्नेहा" 2 फ्लोर 271, मेन रोड, आर० ए० पुरम, चेन्नई–600028।
22.	21003	श्री बागरी श्री मोहन, नटवर टैकसटाइल्स, 32, गोडावन स्ट्रीट, चेन्नई–600001।
23.	21441	श्री बालाकृष्णा एन०, नं० 55, 1 फ्लोर, 6 क्रोस, स्विमिंग पूल एक्सटैंसन, माल्लेश्वरम, बगलोर–560003।
24.	21504	श्री दुर्गा प्रसाद जे० वी०, 12–11–1373, बौंसा नगर, सिकन्दराबाद–500361।
25.	21586	श्री विजयाराघवन पी० के०, एस–5, इस्पेशल दसारी, 5, यूनाइटेड इंडिया कोलोनी, 4, मैन रोड, कोदम्बक्कम, चेन्नई–600024।
26.	21624	श्री जैकब फिलिप, बी 1–2, 4 फ्लोर, माथर स्केवर टावन, रेलवे स्टेशन रोड, कोची–682018।
27.	21629	श्री उतुकुरी दिलिप कुमार, 1–2–234/13, दोमालगुडा, हैदराबाद–500029।
28.	21782	श्री काम्न एस०, पी० ओ० बोक्स नं० 3333, आबू धाबी, यू० ए० ई०।
29.	22047	श्री अनन्थाकृष्णन टी० जी०, स्वाथी विद्या नगर, 8/63–1, कोलेज रोड, पालाक्काड–678001।
30.	23664	श्री नारायनन जी० के०, सीई–11, धंवा मकरा, पुलिस क्लब रोड, कन्नूर–670002।
31.	23873	श्री सुब्रामनियम आर०, 13, आर वी लेआउट, कुमारा, पार्क वेस्ट एक्सटैंशन, बगलोर–560028।
32.	23968	श्री चन्द्राकान्थ किनी के०, 101, 1 फ्लोर, एच०बी०एस० कोर्ट, 21, कुन्निनघम रोड, बंगलोर–560052।
33.	24381	मिस विद्या कुमार, 24/1, श्री साबरी कॉम्पलैक्स, 2 फ्लोर, रेंजीडेंसी रोड, बगलोर–560025।
34.	24520	श्री वालसन एन०, फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स लि०, 14, इडेमोला स्ट्रीट, पी० ओ० बॉक्स नं० 53692, एस डब्ल्यू इकोयी लागोस, नाइजिरिया,
35.	25053	श्री गिरीधर वाई०, 416, लिंगापुरा हाऊस, ला बिल्डे कोम्पलैक्स, हिमायतनगर, हैदराबाद–500029।
36.	25575	श्री राजीव कृष्णा, तेरागोंग राया, ##10ए सिलैदक, जकार्ता 12430, इन्डोनेशिया।
37.	25689	श्री रमेश कुमार वी०, फ्लैट नं० 203, कालानजली टावर्स, नं० 115, हनुमंतजी कोलोनी, अपोजिट बोवमपल्ल सब रजिस्ट्रार ओफिस, सिकन्दराबाद–500009।
38.	25697	श्री श्रीनिवासन पी० वाई०, दनवन्ते, 128 चेरन स्ट्रीट, अलवर थिरू नगर, चेन्नई–600087।

1	2	3
39.	25734	श्री सैम्यूल ओगोस्तस निर्मल, 52, स्ट्रीट, बालाजी नगर, रोयापेट्टाह, चेन्नई–600014 ।
40.	26917	श्री कोप्पका वा टी वी श्रीनिवास, 4–2–157, श्रीनिवास नगर, खम्माम–507003 ।
41.	27086	श्री कृष्णा चन्द्रन के राजा ई एप्लीकेसन्स कंसलटैन्ट, मैसर्स गरफटक इंडिया (प्रा०) लि०, 2008 इंदिरा नगर,100 फिट रोड़, बंगलौर–560008 ।
42.	27408	मिस भारथी आनन्द 34 जलान एसएस 21/23 दामनसरा उतामा 47400 पेटालिंग जया मलेशिया
43.	27659	श्री प्रवीण कुमार के 21/1 नीलाकान्ता मेहता स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई–600017 ।
44.	27784	श्री सिवाराज एम 4/1 राजागोपालन स्ट्रीट, वालमिकीनगर, थिरूवान्मियूर, चेन्नई–600041 ।
45.	27909	श्री राकेश कुमार के "आशिवाद" 1 फलोर, 153 मिट स्ट्रीट, चेन्नई–600079 ।
46.	28176	श्री वेंकटेश्वरा राव एन डी नं० 143 फलोर, यूनिटी हाऊस, एबिड्स, हैदराबाद–500001 ।
47.	28231	श्री सुब्बाराया कामा शास्त्री के वी पोस्ट बोक्स नं० 70330, नैरोबी कीन्या ।
48.	28291	श्री नरसिम्हा मूर्थी 8/57 बैंक कोलोनी चिक्काकल्लासद्रा, सुब्रामन्यापुरम मैन रोड़, उत्तराहल्ली होबाली, बंगलौर–560061 ।
49.	28592	मिस श्रीलक्ष्मी एन 398 अपर पैलेस आर्चोर्डस 13 क्रोस सदाशिवनगर, बंगलौर–560061 ।
50.	28914	मिस जमूना सिवाकुमार नं० 37 कृष्णा नगर, 4 स्ट्रीट, विरूगम्बक्कम, चेन्नई–600092 ।
51.	28995	श्री कृष्णा कुमार जी बी 114/16 क्रोस, लोवर पैलेस, ओर्चाड्स, बंगलौर–560003 ।
52.	29095	श्री एलीसेट्टी अशोक कुमार केयर ओफ रंगा राव बी० एच० एच नं० 37–29 डिफैंस कोलोनी सैनिकपुरी पी० ओ० सिकन्दराबाद–500594 ।
53.	29443	श्री रमेश ई० एस० फलैट बी फलोर 14 लाई यिन कोर्ट 80–86 हाई स्ट्रीट, होंग कोंग ।
54.	29457	श्री जेयेन्द्रन एन० नं० 2 जी० टी० एन० रोड़, डिन्डीगुल–624005 ।
55.	29663	श्री सथिस कुमार पी० एम० 21 चेल्लप्पा गाउन्डर स्ट्रीट, कतूर, कोयम्बटोर–641009 ।
56.	29834	श्री नरायनन आर० 182 ईस्ट उथरा स्ट्रीट, श्रीरंगम, तिरूचिरापल्ली–620006 ।
57.	29912	श्री चन्द्रामौली एल 10 डन्डापानी स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई–600017 ।
58.	35191	श्री जमशीद एम० पान्डे 140, लुज चर्च रोड़, माइलापोर, चेन्नई–600004 ।
59.	53408	श्री प्रदीप कुमार श्रेष्ठा पोस्ट बोक्स नं० 12143, कालीमती खा 1–13 काठमान्डु, नेपाल ।
60.	80143	श्री रघुनाथन के० फलैट नं० 107, श्रीराम अपार्टमेंट्स, 3–4–531 नारायनागुडा, हैदराबाद–500027 ।
61.	81370	श्री नारायनास्वामी जी 116 जलवायु विहार, कुकाटपल्ली, हैदराबाद–500072 ।

1	2	3
62.	101418	मिस स्वामीनाथन कल्पना, केयर ओफ ए० वी० एम० एस० श्रीनिवासन, डी–502 जल वायु विहार, कामनाहल्ली मैन रोड़, कामानाहल्ली, बंगलोर–560084 ।
63.	200065	श्री कुमारा कृष्णन एस० किर्लस्के मोटर्स (के) लि०; कैम्पस टावर्स 5 फ्लोर, यूनिवर्सीटी वे पी० ओ० बोक्स 49044, नैरोबी कीन्या
64.	200081	मिस गीता रामानाथन 23/4 साउथ ब्रीच अपार्टमेंट्स 1 फ्लोर, 4 सीवार्ड रोड़ वालमिकी नगर, थिरुवानमियूर, चेन्नई–600041 ।
65.	200226	श्री रवि एम० 129 त्रिप्लीकेन हाई रोड़, 1 फ्लोर, त्रिप्लीकेन, चेन्नई–600005 ।
66.	200305	श्री विस्वानाथ पी० 28/2 आर० टी० प्रकासम नगर, बेगमपेट, हैदराबाद–500016 ।
67.	200532	श्री कासीरामन एस० फ्लैट नं० 1, विशाल फ्लैट्स, 11 मूर्थी स्ट्रीट वेस्ट मम्बालम, चेन्नई–600033 ।
68.	200672	श्री वीराराघवन के० एल० प्लौट नं० 29 3, मजेस्टिक कोलोनी वालासरावक्कम, चेन्नई–600087 ।
69.	200704	श्री सीथारामन के० आर० 99–बी० पी० एम० स्वामी कालोनी 2 स्ट्रीट, कोयम्बटोर–641002 ।
70.	200821	श्री सुदर्शन के० 20 2 स्ट्रीट, परमेश्वरी नगर, अड्यार चेन्नई–600020 ।
71.	201012	श्री राघवा राव पी० वी० एग्री फ्लोरा लि० पी० बैग सी० एच० 43, लुसाका 0 जाम्बिया
72.	201226	श्री विश्वानाथन गनेसन 6–1–063/बी/3106 ग्राउन्ड फ्लोर, शान्ति शिकरा अपार्टमेंट्स, राज भवन रोड़, सोमाजीगुडा, हैदराबाद–500082 ।
73.	201389	श्री गूरलीधर एच० 24–144–22–1, विमला देवी नगर कोलोनी, मालकाजगिरी, हैदराबाद–500047 ।
74.	201581	मिस दुरया एस० वाइफ ओफ शब्बीर यूसूफ, एनर्जी इंटरनेशनल पी वी नं० 3662, शारजाह, यू० ए० ई०
75.	202051	श्री वीजू टी० बी० एस० एल० आई०/1429, अरनगथ क्रोस रोड़, पुल्लेपडी, कोची–682018 ।
76.	202200	श्री सुदर्शन राज पान्डे 15/230 पकनाजोल जी० पी० ओ० बोक्स नं० 2343, काठमान्डु, नेपाल
77	202259	श्री वरधीन थराकन पी० नं० ए० एच० 244/आई, अन्ना नगर, चेन्नई–600040 ।
78.	202436	श्री श्रीनिवास गुराजदा अपोजिस्ट विश्वाशान्ति थियेटर, आर० आर० पेट, एलुरू–534002 ।
79.	202643	श्री धरमेन्दर वरादा बी–6 गीथालया अपार्टमेंट्स, 1 सीताकान्ता साउथ रोड़, टी नगर, चेन्नई–600017 ।
80.	202736	श्री जयाप्रकाश आर० मैक एण्ड एसोसिएट्स पी० ओ० बोक्स 29236, आबू धाबी, यू० ए० ई०
81.	202737	श्री कोंगारा सिवारामा कृष्णा एच० नं० 8–3–960/1/205 1 फ्लोर, स्नेहा एन्कलेव, श्रीनगर कोलोनी, एडजोइनिंग टू एस० बी० आई०, हैदराबाद–500873 ।
82.	202740	श्री दूसी वेंकटा गोपाल कृष्णा नं० 77/11 2 फ्लोर, 5 क्रोस, 2 मैन हनुमन्थनगर, बंगलोर–560019 ।

1	2	3
83.	202845	श्री राम कुमार चिलुकुरी 101 साकेथ अपार्टमेंट्स, बिसाइड्स शिवम अपोजिट आटी कैम्पस, विज्ञानगर, हैदराबाद–500044 ।
84.	202846	श्री वेंकटा रमना एस० बी० बी० एच० नं० 6–3–609/10/8 आनन्दा नगर, खैरताबाद, हैदराबाद–500004 ।
85.	202987	श्री चेल्लैया एस० जे० बी० 54/3 पोलवेल्स रोड, सैंट थामस माउंट, चेन्नई–600016 ।
86.	203248	श्री सुरेश कुमार एच० आर० नं० 360 12 मैन (न्यू 6 मैन) बी० एस० के० 1 स्टेज, बंगलौर–560050 ।
87.	203307	श्री कुप्पू स्वामी एन० आर० 231 नेनमेली पोस्ट, नाथम-वाया चेंगलपत्तू–603002 ।
88.	203589	श्री श्रीधरन आर० नं० 36 थिरूवानामलाई रोड, कृष्णागिरी–635001 ।
89.	203629	श्री बाला रेंगन एस० 5 पोन्डु रेगानाथ स्ट्रीट, पलायामकोट्टई, तिरूनेलवेली–627002 ।
90.	203798	मिस ऊषा वेंकटारमानी जैम्स अनुग्राहा 1 फ्लोर, 9 जम्बूलिंगम स्ट्रीट, नन्गम्बक्कम, चेन्नई–600034 ।
91.	203841	श्री श्रीधर एल० प्लोट नं० 168, एस–2 स्वर्ण अपार्टमेंट्स, कल्याण नगर, एस० आर० नगर पोस्ट, हैदराबाद–500038 ।
92.	203860	मिस मलारविज्ञी के० 23 सुन्दरस्वरर कोइल स्ट्रीट, सैदापेट, चेन्नई–600015 ।
93.	204306	श्री श्रीधर कुमार एम० ए० पी० 106 सेशागिरी अपार्टमेंट्स, 6–1–106 एण्ड 107 पदमाराव नगर, सिकन्दराबाद–500025 ।
94.	202480	श्री गोपाला कृष्णा कोन्डा केयर ओफ राजन यू० एस० एस० 2–2–1144/11/3/बी० न्यू नल्लाकुन्टा, हैदराबाद–500044 ।
95.	204534	श्री सुरेश एम० पीट मार्विक, के० पी० एम० जी० लेवल सिटी, टावर पो० ओ० बोक्स 3800, शैख जायेद रोड, दुबई
96.	204541	श्री रामजी एम० ओडिट एक्जीक्यूटिव, बहुवान एटोमोटिव सैन्टर, पी०ओ० बोक्स 3168, मस्कट, सल्तनत ओफ ओमान
97.	204627	श्री शिवाकुमार हेगडे आर० 6 2 फ्लोर "सी" टाइप क्वाटर्स ई० एस० आई० होस्पिटल, इंदिरानगर 2 स्टेज, बंगलौर–560008 ।
98.	204715	मिस हेमलथा जी 1, 1 स्ट्रीट, पेरम्बूर हाई रोड़, पेरम्बूर, चेन्नई–600012 ।
99.	204747	मिस सुभा चक्रवर्ती बी० 1620 नोरवुड एवेन्यू अपार्टमेंट 203, इटास्का, आई० एल० 60143, यू० एस० ए० ।
100.	204851	मिस मथंगी आर० 27 3 मैन रोड, नंनगनालुर, चेन्नई–600061 ।
101.	205013	श्री राजा शेखर एस० 2–2–1137/3/1 बी/1, न्यू नल्लाकुन्टा, हैदराबाद–500044 ।
102.	205077	मिस गुना थन्त्री के० ह्यूलेट पैकार्ड (आई) सोफ्टवेयर ओपरेशन लि०, 29 कन्निन्धम रोड, बंगलौर–560052 ।
103.	205092	श्री शशिधर टी० एच० नं० 8–5–18 अन्डर ब्रिज रोड, वारंगल–506002 ।

(1)	(2)	(3)
104.	205301	श्री पोथुरी मधु बाबू सन ओफ पी० श्रीमन्नारायना डी नं० 5–21–177, 2/8 ब्रोडिपेट, गुन्टूर–522002 ।
105.	205374	श्री सुधीरके एस० सीनियर एकाउन्टेन्ट, ओमान कैमीकल इंडस्ट्रीज कं० (सौग), पी० ओ० बोक्स 1086, अल दुमरिया पी० सी० 131 सल्तनत ओफ ओमान
106.	205401	श्री जेराल्ड पीटर एम० ए० नं० 55 स्टेशन रोड (3 फ्लोर), कोदम्बक्कम, चेन्नई-600024 ।
107.	205516	श्री प्रशान्त शिनोय टी० साउदी अरेबियन केन्ट कं० लि०, पी० ओ० बोक्स 3462, अलखोबर 31952, के० एस० ए०
108.	205626	मिस रचना राजेश मूथा 555 एम० के० एन० रोड, अलनदूर चेन्नई–600016 ।
109.	205679	मिस बिन्दू जोस एसिसटैन्ट मैनेजर, इंटरनल ओडिट, एसकोटेल मोबाइल कोम्युनिकेशन्स लि०, मर्सी इस्टेट, 4 फ्लोर, रविपुरम, कोची–682015 ।
110.	205730	मिस शान्थि एम० एस० 454 मैन रोड, जवाहर नगर, चेन्नई–600082 ।
111.	205790	श्री रत्ना रेड्डी कोथिरेड्डी 6–63/1, भवानी नगर कोलोनी, पोस्ट चम्पापेट, हैदराबाद–500060.
112.	205844	मिस गिरीजा पी० के० पो० ओ० बोक्स 55535, दुबई (यू० ए० ई०)
113.	205846	श्री अक्कानप्रगडा साई प्रसाद 313, महेश्वरी कोम्पलैक्स, मसाब टैंक सर्किल, हैदराबाद–500028.
114.	205898	श्री जराड किशोर आर० 132, सन्थोम हाई रोड, चेन्नई–600004.
115.	205969	श्री प्रकाश के० 4/12 पावर अपार्टमेंट्स, नेरकुन्द्रम रोड, 1 क्रास स्ट्रीट, वडापालानी, चेन्नई–600026.
116.	206332	मिस गोंगुन्तला गीथा, 6–3/609/14 आनन्द नगर, हैदराबाद ।
117.	206420	श्री दीपू मैथ्यू पनामपुन्ना, पनामपुन्ना हाउस, थेमकुमूडु, कुन्नुकुझी पो० ओ०, थिरुवाननथापुरम–695037 ।
118.	206467	श्री बिनास पी० पी० सूर्या सदन प्लोट नं० 287, चन्द्रागिरी कोलोनी (ईस्ट), रामाकृष्णापुरम पोस्ट, सिकन्दराबाद–500056 ।
119.	206487	श्री राधा कृष्णन टी० फाइनेन्स ओफिसर, ट्रांसमिशन डिविजन, आई० टी० आई० लि०, दूरवाणीनगर, बंगलोर–560016 ।
120.	206546	मिस कैलासम सुब्रामनियम एस०–3, शिवासुन्दरम अपार्टमेंट्स, नं० 4, पटालम्मा टैम्पल स्ट्रीट, बसावानागुडी, बंगलौर–560016 ।
121.	206708	मिस साजना एस० कुरुप्पालिल, अलवेय, केरला, इडाथल पी० ओ० 683561 ।
122.	206715	श्री राधकृष्णन पी० नवाक्कोडे, पालाक्कड डिस्ट० चिथोली पी० ओ० 678702 ।
123.	206750	श्री जोर्ज निनान मैनेजर . एकाउन्ट्स, प्रकाश लीजिंग लि०, 7 (49) 2 फ्लोर, कोडवा सोमाजा बिल्डिंग, 1 मैन रोड, वसंथ नगर, बंगलौर–560052 ।
124.	206848	श्री जोशी जोसफ पुथुप्पारा हाउस, इरनाकुलम डिस्ट० चौवारा–683571 ।

1	2	3
125.	206861	श्री राजा शेखर बी० एच० नं० 6-3-596/63/8/4, प्लोट नं० 623, इरामंजिल कोलोनी, हैदराबाद-500082 ।
126.	206898	श्री हरी नारायनन एम० के० रामको सिस्टम्स प्रोडक्ट एक्जीक्यूटिव 5 सरदार पटेल रोड़, तारामनी, चेन्नई-600113 ।
127.	207009	श्री थोमस अब्राहम ओडिटर, अर्नेस्ट एण्ड यंग, पी० ओ० बोक्स 2732, दुबई यू० ए० ई० ।
128.	207019	श्री प्रकाश के० नं० 17, कृष्णापुरम स्ट्रीट, चूलईमेडू, चेन्नई-600098 ।
129.	207122	श्री कृष्णामोहन एस० एच० आई० जी०; 15 विकास नगर, बालाचेरवू रोड़, गाजूवाका, विशाखापटनम-530026 ।
130.	207240	श्री बालाजी टी० एकाउन्ट्स मैनेजर, गल्फ इन्फोटैक (इंडिया) प्रा० लि०, बालगपल्ली कोम्पलैक्स, अमीर पेट क्रास रोड़, हैदराबाद ।
131.	207294	श्री जयाकृष्णन आर० वी० अकुमेन (पी० टी० वाई०) लि०, पी० ओ० बोक्स नं० 1157, एम्बेसी चैम्बर्स, दी माल, गैबरोने-बोट्सवाना ।
132.	207898	श्री प्रकाश कामथ पी० 96, 6-ए०, मैन रोड़, टाटा सिल्क फार्म, बसावानगुडी, बंगलौर-560001 ।

अशोक हल्दिया,
सचिव

चेन्नई-600034, दिनांक 3 मई 1999

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 3-एस० सी० ए० (8)/3/98-99—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 (1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये गये प्रैक्टिस प्रमाण पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं :—

क्रम सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	523	श्री राघवन नायर कुन्नाथ श्रीसैलम, कृष्णास्वामी क्रोस रोड़, कोची-682035.	1-4-1998
2.	2738	श्री कुरपाद गुन्डप्पा श्रीराम 244-ए, 33 क्रोस जयानगर, ब्लोक-6, बंगलौर-560082.	1-4-1998
3.	6965	श्री रामास्वामी अय्यर एम० ए०, 68 सी० पी० रामास्वामी रोड़, 4 फ्लोर, अभिरामापुरम, चेन्नई-600018.	20-8-1998

1	2	3	4
4.	7434	श्री चेरियन के० कल्लाकलिल टी० सी० 4/33, चितातल्लुर रोड़, थिरुवाननथीपुरम–695003.	1–4–1998
5.	18898	श्री गुरूनाथन एम० 9 केहार रोड़, नं० 94, मेन रोड, आर० ए० पुरम, चेन्नई–600028.	24–11–1998
6.	20164	श्री सोमासुन्दरम आर० पार्सन रेजीडेंसी, 47 राजाजी रोड़, रामनगर, कोयम्बटोर–641009.	17–6–1 998
7.	22383	श्री वेंकटेशन एस० आर०, 327, 1 फ्लोर, मिन्ट स्ट्रीट, चेन्नई–600003.	13–10–1998
8.	22546	श्री रगानाथन एस०, 6, संजय गांधी नगर, विरुगम्बक्कम, चेन्नई–600092.	14–10–1998
9.	22608	श्री जयन एन० पी०, लेम्स एण्ड फ्रेम्स, शनमुघम रोड़, इरनाकुलम–682031.	1–4–1998
10.	23475	श्री जैन प्रेम प्रकाश, पी० ओ० बाक्स–24577 शोरजाह, यू० ए० ई०	23–7–1998
11.	23566	श्री नन्दा कुमार एम०, फाइनेन्शियल कन्ट्रोलर, स्टर्लिंग कैटरिंग सर्विस, पी० बी० नं० 4746, दोहा,कतार ।	4–9–1998
12.	25712	श्री गोपाला कृष्णा एन०, 716, 6 मैन, 5 ब्लोक, एच० एम० टी० लेआउट, विद्यारानयापुरा, बंगलौर–560097	1–4–1998
13.	26358	श्री गिरीधरन एस०, फ्लैट नं० 7, 38 बाजार स्ट्रीट, वेस्ट के० के० नगर चेन्नई–600078	1–10–1998
14.	27264	श्री विनायका बी० एस० नं०39/59, 1 फ्लोर,1 "ई" क्रोस, रेमको लेआउट विजयानगर बंगलौर–560048	2–11–1998

1	2	3	4
15.	27790	श्री श्रीनिवासन जी०, 5 फ्लोर147 ग्रीम्स रोड, चेन्नई–600006.	19-9-1998
16.	29145	श्री सिवाकुमार ए०आर०, सी–28, वसन्थम अपार्टमेंट्स, नं० 6, एम० टी० एस० रोड, तिरुवान्मियूर, चेन्नई–600049.	14-8-1998
17.	29212	श्री बालासुब्रामनियन के०, ओफिसर–स्केल 2, इंडियन ओवरसीज बैंक, निट सिटी ब्रांच, अविनाश रोड़, तिरुपुर–641602.	30-10-1998
18.	38590	श्री पद्मानाभन आर०, 39/13, रामेश्वरम स्ट्रीट, टी० नगर, चेन्नई–600017.	20-8-1998
19.	57788	मिस कविता कुलश्रेष्ठा, एल० एफ० 1/9 बीडीए फ्लैट्स, बी०टी०एम० 2, स्टेज, बन्नेरघट्टा रोड़, बंगलौर–560076.	1-4-1998
20.	201173	मिस सोवम्या बी०, सध्या रागम 31, भारत हाऊसिंग को–आप० सोसायटी लेआउट, 1 मैन रोड़, बन्नेरघट्टा रोड़, बंगलौर–560076.	1-11-1998
21.	202295	श्री कार्थिक एन०, 71, वेंकटरथनम नगर, अद्यार, चेन्नई–600020.	1-6-1998
22.	203607	श्री गोपीनाथ पी०, 47, शास्त्री स्ट्रीट, नेहरु नगर सालीग्रामम, चेन्नई–600093.	1-9-1998
23.	204029	श्री रामा सुब्बा राव मिथिपत्ती, सुदर्शना, नारायनापेटा रोड़, अमालापुरम–533201.	30-10-1998
24.	204040	मिस सान्थी गनापथी, 11/21, फ्लोर रमनथन स्ट्रीट, टी० नगर, चेन्नई–600017.	1-11-1998
25.	204231	श्री सेलवाराज जी०, 30,राजेन्द्रा मन रोड़, करीमेदु, मदुराई–625016.	1-11-1998

1	2	3	4
26.	204371	श्री आनन्द एम०, 34, कोलेज रोड़, चेन्नई–600006.	27–11–1998
27.	204722	श्री श्रीनिवासन के०, 57 चेरियन कान्दथ कोलोनी, न्यू सिद्धापुदुर (जी० पी० थियेटर बेक साइड), कोयम्बटोर–641044.	16–11–1998
28.	204742	श्री किरन कुमार एन०, एस० आर० टी०–50, अमीरपेट कोलोनी, अमीरपेट, हैदराबाद–500016.	1–8–1998
29.	205882	श्री श्रीराम आर०, नं० 18/21 स्ट्रीट, थिल्लई गंगा नगर, चेन्नई–600061.	24–10–1998
30.	206294	श्री महुल रामाचन्द्रा धिरेन्द्रा राव, फाइनेन्स मैनेजर, केयर आफ टात्यासाहेब कोर वराना-सहकारी सरवर कारखाना लि०, बेलगाम–590003.	3–12–1998
31.	206553	श्री धरनी कुमारा के० केयर आफ एम० एन० श्रीधरा, नं० 1633, मरियाप्पमा पाल्या मैन रोड़, श्रीरामपुरा पोस्ट, बगलौर–560021.	26–6–1998
32.	206628	श्री श्रीनिवासन आर०, प्लोट नं० 69, कृष्णा नगर, उल्लागरम, चेन्नई–600091.	1–12–1998
33.	206982	श्री रामारथनम वी०, 18 गोकुल आरकेड, 1 फ्लोर, नं० 2, सरदार पटेल रोड़, अड्यार, चेन्नई–600020.	7–8–1998

अशोक हल्दिया, सचिव

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय

(शर्करा और खाद्य तेल विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक मार्च 1999

सं० 3–7/93–ए०डी० एफ०—केन्द्रीय सरकार, चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 4) की धारा 7 के अनुसरण में, एतद्द्वारा निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित करती है जिसमें वित्तीय वर्ष 1997–98 के दौरान उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वित्तीय गतिविधियों का लेखा दिया गया है।

2. उक्त अधिनियम में एक निधि स्थापित करने का उपबन्ध है जिसमें (क) चीनी उपकर अधिनियम 1982 (1982 का 3) के अधीन लगाये गये और वसूल किये गये उत्पाद शुल्क की राशि के समतुल्य रकमें, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अवधारित वसूली की लागत घटाई गई हो, और (ख) निधि में मुनाफे के निवेश से आय शामिल है। वित्तीय वर्ष के दौरान 198,59,39,057.00 रुपये (एक सौ अठानवे, करोड़ उनसठ लाख उनतालीस हजार सत्तावन रुपये केवल) जिसमें एक सौ पचास करोड़ रुपये चीनी पर उपकर के अन्दर द्वारा और केवल अड़तालीस

करोड़ उनसठ लाख उनतालीस हजार सत्तावन रुपये ऋण के मूलधन और उस पर ब्याज की किस्तों की अदायगी के लिए क्रेडिट के रूप में हैं, की धनराशि निधि में जमा की गई। इस जमा रकम से इस निधि में शेष धनराशि बढ़कर 1243,91,84,662.00 रुपये (बारह सौ तैंतालीस करोड़ इक्यानवे लाख चौरासी हजार छः सौ बासठ रुपये केवल) हो गई। इसमें से 278,52,38 932.00 रुपये) दो सौ अठहत्तर करोड़ बावन लाख अड़तीस हजार नौ सौ बत्तीस रुपये केवल) का कुल खर्च किया गया, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(आंकड़े पूर्णांक रुपये में)

मुख्य शीर्ष 2408

(क)	02-02-01 व 02-02-50 चीनी विकास निधि का प्रशासन	3,20,32,237
(ख)	01.00.33 चीनी का बफर स्टाक रखने के लिय सब्सिडि	177,48 99,503
(ग)	02.00.31 चीनी उद्योग के विकास के लिये सहायता अनुदान	
(घ)	राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान मऊ पर खर्च	4,19,05,492

मुख्य शीर्ष "6860"

(क)	02.01.55 चीनी मिलों के पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिये ऋण	78,84,13,000
(ख)	02-02-55 गन्ने का विकास करने के लिये चीनी मिलों को ऋण	14,79,88,700
	ओड़	278,52,38,932

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निधि के खाते में 965,39,45,730/— रुपये (नौ सौ पैंसठ करोड़ उनतालीस लाख पैंतालीस हजार सात सौ तीस रुपये केवल) शेष थे।

3. वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान 20 चीनी मिलों को गन्ने का विकास करने के लिए ऋण दिये गये। इसके अतिरिक्त 23 चीनी मिलों को उनको संयंत्र और मशीनरी का पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण करने के लिए प्रवर्तक के अंशदान में कमी को पूरा करने के लिए ऋण दिय गये।

4. 1997-98 के वित्तीय वर्ष के लिये लेखों का विवरण निम्नानुसार है :—

चीनी विकास निधि

(आंकड़े पूर्णांक रुपयों में)

क्रं०	विवरण	धनराशि	धनराशि
1	2	3	4
1.	1-4-1997 का अथ शेष		1045,32,45,605
2.	1997-98 के दौरान जमा की गई धनराशि		
	(क) चीनी पर उपकर से अंतरण	150,00,00,000	
	(ख) चीनी विकास निधि के ऋणों का ब्याज	16,00,26,441	
	(ग) गन्ने का विकास करने के लिये व चीनी मिलों के पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए मिलों को दिए गए ऋणों की किस्तों में वापसी ।	32,59,12,616	198,59,39,057
3.	जोड़		1243,91,84,662
4.	1997-98 के दौरान किया गया खर्च		
	(क) चीनी विकास निधि का प्रशासन	3,20,32,237	
	(ख) चीनी का बफर स्टाक रखने के लिए सब्सिडि	177,48,99,503	
	(ग) चीनी उद्योग का विकास करने के लिए सहायता अनुदान		
	(घ) चीनी मिलों का पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण करने के लिए ऋण	78,84,13,000	
	(ङ) गन्ने का विकास करने के लिए चीनी मिलों को ऋण	14,79,88,700	
	(च) राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ पर खर्च	4,19,05,492	278,52,38,932
5.	31-3-1998 को शेष		965,39,45,730

एस० बी० विश्वास
निदेशक (चीनी विकास नि०

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

क्षेत्रीय कार्यालय उड़ीसा

भुवनेश्वर–7 दिनांक 15 अप्रैल 1999

सं० 44–बी–34/12/4/82–हित:—भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस कार्यालय की अधिसूचना स० 44–बी० 34/12/4/82–हित दिनांक 19–04–96 में आंशिक संशोधन एवं सरकार के पत्र स० एस० एस०–III, 24/96/6328 एल ई० दिनांक 13–11–96 के माध्यम से अध्यक्ष क्षेत्रीय परिषद कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उड़ीसा द्वारा किये गए नामांकन के अनुसार एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिला सुन्दरगढ़ के राजगंगपुर क्षेत्र के लिये गठित कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के अधिनियम 10–क(1) (ग) हेतु स्थानीय समिति के सदस्य के रूप में अधीक्षक कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, राजगंगपुर के स्थान पर प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी, औषधालय–1, राजगंगपुर को प्रतिस्थापित किया गया है।

यह पुनर्गठन इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

यू० एच० राव,
क्षेत्रीय निदेशक,

भुवनेश्वर–751007, दिनांक 19 अप्रैल, 1999

विषय:—कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बरदोल क्षेत्र के लिये स्थानीय समिति का पुनर्गठन।

स० 44 बी–34/12/10/82–हि० /बी० डी० एल०:—एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 10–क के अन्तर्गत जिला बरगढ़, उड़ीसा में बरदोल क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

1. विनियम 10–क(1)(क) के अन्तर्गत
   उप जिलाधिकारी, बरगढ़ — अध्यक्ष
2. विनियम 10–क(1)(ख) के अन्तर्गत
   जिला श्रम अधिकारी बरगढ़ — सदस्य
3. विनियम 10–क(1)(ग) के अन्तर्गत
   प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी
   कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, बरदोल — सदस्य
4. विनियम 10–क(1)(घ) के अन्तर्गत
   I. श्री के० आर० पी० कोसला, उप महाप्रबन्धक (एफ०) इडकोल सीमेंट टेड, सीमेंट नगर, बरदोल जिला बरगढ़ — सदस्य
   II. श्री पीताम्बर नायक, वरिष्ठ उप प्रबन्धक (कार्मिक) इडकोल सीमेंट लिमिटेड, सीमेंट नगर, बरदोल, जिला बरगढ़। — सदस्य
   III. श्री विक्रमादित्य मिश्र, वरिष्ठ उप प्रबन्धक (विधि) इडकोल सीमेंट लिमिटेड, सीमेंट नगर, बरदोल जिला बरगढ़। — सदस्य
5. विनियम 10–क(1)(ङ) के अन्तर्गत
   i. श्री बलराम दास, कार्यकारी अध्यक्ष हीरा सीमेंट श्रमिक संघ, सीमेंट नगर, बरदोल जिला बरगढ़ — सदस्य
   ii. श्री लोकनाथ आचार्य (उप अध्यक्ष) हीरा सीमेंट श्रमिक संघ, सीमेंट नगर, बरदोल जिला बरगढ़। — सदस्य
   iii. श्री सत्यनारायण पाण्डा, महासचिव हीरा सीमेंट श्रमिक संघ, सीमेंट नगर बरदोल जिला बरगढ़। — सदस्य
6. विनियम 10–क(1)(च) के अन्तर्गत
   प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम बरगढ़। — सदस्य सचिव

(पदेन)

यू० एच० राव,
क्षेत्रीय निदेशक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

मुख्य कार्यालय

नई दिल्ली–110066, दिनांक 28 अप्रैल 1999

स० सम्मेलन–5(1)/96/आन्ध्र प्रदेश/1916/2/644 कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 और इसके बाद योजना के रूप में सदर्भित के पैराग्राफ 5 के साथ पठित पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ (1) के अनुसरण में और केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा जारी तथा भारत के राजपत्र भाग–III, खण्ड 4 दिनांक 9–10–1993 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या सम्मेलन–5 (1)/88 ए० पी०/2714 दिनांक 27–8–1993 का अधिक्रमण करते हुए अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने आंध्र प्रदेश राज्य हेतु क्षेत्रीय समिति (कर्मचारी भविष्य निधि) का गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सम्मिलित किया है :—

अध्यक्ष

1. राज्य सरकार के प्रमुख सचिव, श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कारखाना विभाग, सचिवालय, हैदराबाद — अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त [योजना के पैरा 4 (1) (अ)]

सरकारी अधिकारी

2.	श्रमायुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद	राज्य सरकार के परामर्श पर केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त दो अधिकारी [योजना के पैरा 4(1) (ब)]
3.	राज्य सरकार के उपसचिव, वित्त एवं योजना (वित्तीय स्कंध) विभाग, सचिवालय, हैदराबाद ।	

नियोक्ता प्रतिनिधि

4.	श्री श्याम जूमानी, एम०डी०, मैसर्स डेरी आईसक्रीम तथा फ़ोजन फूड प्रा० लि०, 5-9-38/1, बसीर बाग, हैदराबाद	राज्य के नियोक्ता संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नियोक्ताओं के दो प्रतिनिधियों की नियुक्ति [योजना के पैरा 4(1) (स)]
5.	श्री एस० एल० एन० मूर्ति, जनरल मैनेजर (पर्स) हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सनाथ नगर, हैदराबाद-18	—वही—
6.	श्री सीता रामयीया, ब्राह्मा एंड कंपनी, 920, तिलक रोड, हैदराबाद-1	अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा नियोक्ताओं के दो प्रतिनिधि नियुक्त [योजना का पैरा 4(1) का परन्तुक]
7.	मुख्य कार्मिक प्रबंधक, आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मुशीराबाद, हैदराबाद-500020	—वही—

कर्मचारी प्रतिनिधि

8.	श्री के० भास्कर शर्मा, राज्य के महासचिव, भारतीय मजदूर संघ, एक्स रोड, हैदराबाद	राज्य में कर्मचारी संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा कर्मचारियों के दो प्रतिनिधियों की नियुक्ति [योजना के पैरा 4 (1) (द)]
9.	श्री पी० जे० चन्द्रशेखर राव, सचिव, आंध्र प्रदेश परिषद् (एटक), मकान नं० 8-35, राजू कालोनी, पो० आ० -एच०ए० एल० हैदराबाद	
10.	श्री एम० जगदीशवर राव, राज्य मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, आंध्र प्रदेश, ए-20/5, शिपयार्ड न्यू कालोनी, विशाखापत्तनम-530005	अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा कर्मचारी पक्ष का एक प्रतिनिधि की नियुक्ति [योजना का पैरा 4 (1) का परन्तुक)]
11.	श्री जी० संजीवा रेड्डी, अध्यक्ष, इन्टक, 6-बी/लीव, बरकतपुरा, हैदराबाद	केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि का एक गैर-सरकारी सदस्य जो सामान्यतः आंध्र प्रदेश में रहता है। [योजना का पैरा 4(1) (ई)]

आंध्र प्रदेश क्षेत्र के प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय समिति के सचिव होंगे ।

क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य की पदावधि तीन वर्ष के लिए होगा जोकि सरकारी राजपत्र में अधिसूचित उनकी नियुक्ति की तिथि से प्रारम्भ होगी । फिर भी, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने तक जारी रहेगा ।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी ।

राधे श्याम कौशिक,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई, 1999

सं० सम्मेलन-5 (3)/98/बिहार/1916/645—कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 और इसके बाद योजना के रूप में संदर्भित के पैराग्राफ 5 के साथ पठित पैराग्राफ 4 के उप-पैराग्राफ (11) के अनुसरण में और केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सख्या सम्मेलन 5 (3)/95/बिहार-2897 दिनांक 24-11-95 का अधिक्रमण करते हुए अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि निम्नलिखित व्यक्तियों के साथ बिहार राज्य की क्षेत्रीय समिति का गठन करते हैं :—

अध्यक्ष

1.	सचिव, बिहार सरकार, श्रम, योजना एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार, पटना	केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त [योजना के पैरा 4(1) (अ)]

सदस्य

2. विशेष सचिव बिहार सरकार, श्रम, योजना एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार, पटना
3. श्रम आयुक्त, बिहार सरकार, पटना

} राज्य सरकार के परामर्श पर केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त दो पदाधिकारी योजना के पैरा 4(1) (ब]

नियोक्ता प्रतिनिधि

4. श्री डी०पी० लोहिया, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर आफ कामर्स, अदालतगंज, पटना
5. श्री के० पी० झुनझुनवाला, अध्यक्ष,
दि बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसियशन, सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना,

} राज्य के नियोक्ता संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नियोक्ताओं के दो प्रतिनिधियों की नियुक्ति [योजना के पैरा 4(1) (स]

कर्मचारी प्रतिनिधि

6. श्रीचन्द्र प्रकाश सिंह,
महामंत्री राष्ट्रीय मजदूर संघ; बिहार शाखा; 5, छज्जू बाग, पटना
7. श्री सुरेश प्रसाद सिन्हा, आयोजक, सचिव, बी० एम० एस०
बी–18, विद्युत बोर्ड कालोनी, न्यू पुनाइचक, पटना–23
बिहार क्षेत्र के प्रभारी भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय समिति के सचिव होंगे।

} राज्य में कर्मचारी संगठनों के परामर्श से अध्यक्ष केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि [योजना के पैरा 4 (1) (द]

क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य की पदावधि तीन वर्ष के लिए होगी जोकि सरकारी राजपत्र में अधिसूचित उनकी नियुक्ति की तिथि से प्रारम्भ होगी। फिर भी, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने तक जारी रहेगी।

राधे श्याम कौशिक
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई, 1999

सं० सम्मेलन-5(4)/95/दिल्ली/1916/1/646—कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 और इसके बाद योजना के रूप में संदर्भित के पैराग्राफ 5 के साथ पठित पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ (1) के अनुसरण में और केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा जारी तथा भारत के राजपत्र भाग–III खण्ड 4, दिनांक 18–04–1992 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या सम्मेलन-5(4)/87/डी० एल०/135 दिनांक 31–03–1992 का अधिक्रमण करते हुए अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने दिल्ली राज्य हेतु क्षेत्रीय समिति (कर्मचारी भविष्य निधि) का गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सम्मिलित किया है:—

अध्यक्ष

1. सचिव, (श्रम) दिल्ली सरकार, 15, राजपुर रोड, दिल्ली।

अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त [योजना के पैरा 4(1)(अ]

सदस्य

2. संयुक्त श्रम आयुक्त, दिल्ली सरकार, 15 राजपुर रोड दिल्ली
3. बाद में अधिसूचित किया जाएगा

} राज्य सरकार के परामर्श पर केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त दो अधिकारी [योजना के पैरा 4(1)(ब]

नियोक्ता प्रतिनिधि

4. श्री मदनलाल वर्मा, बी–84, जीटी करनाल रोड, औद्योगिक क्षेत्र, (अध्यक्ष दि मैन्यूफेक्चर्स एसोसिएशन), बी–ब्लाक जी० टी० करनाल रोड, दिल्ली–110033

राज्य में नियोक्ता संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नियोक्ताओं के दो प्रतिनिधि [योजना के पैरा 4(1)(स]

	श्री ओ० प मैसर्स युनाइटेड इन्जीनियरिंग वर्क्स बी–20, जी टी करनाल रोड, दिल्ली–110033	राज्य में नियोक्ता संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा [नियोक्ताओं के दो प्रतिनिधि [योजना के पैरा 4 (1)](स)]
6.	श्री आर० कृष्णास्वामी वित्तीय सलाहकार, भारतीय खाद्य निगम 16–20, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001	केन्द्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि के गैर-सरकारी तीन सदस्य जो सामान्यत: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में रहते हैं
7.	श्री एम० ए० हकीम, महासचिव, स्कोप, स्कोप काम्पलैक्स 7, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003	
8.	श्री बी० पी० पन्त उपसचिव अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन फैडरेशन हाऊस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली–110001	

कर्मचारी प्रतिनिधि

9.	श्री बालकिशन जग्गी, सचिव भारतीय मजदूर संघ, 5239, अजमेरी गेट दिल्ली-110006	राज्य में कर्मचारी संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा कार्मचारियों के दो प्रतिनिधियों की नियुक्ति [योजना के पैरा 4(1)(द)]
10.	श्री जे० एस० द्वारा, अध्यक्ष इण्टक इनक्वारी आफिस फ्लैट, सुजानसिंह पार्क, नई दिल्ली-110003	
11.	श्री सुखबीर सिंह सैनी भारतीय मजदूर संघ, 5239 अजमेरी गेट दिल्ली-110006	अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा कर्मचारियों के प्रतिनिधि नियुक्त [योजना के पैरा 4(1) का परन्तुक]
12.	बाद में अधिसूचित किया जायेगा	
13.	बाद में अधिसूचित किया जायेगा	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त क्षेत्रीय समिति के सचिव होंगे।

क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य की पदावधि तीन वर्ष के लिए होगी जोकि सरकारी राजपत्र में अधिसूचित उनकी नियुक्ति की तिथि से प्रारम्भ होगी। फिर भी प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने तक जारी रहेगी।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी।

राधे श्याम कौशिक,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 1999

सं० सम्मेलन 5(17)95/प० बंगाल/1916/4/647—कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 और इसके बाद योजना के रूप में संदर्भित के पैराग्राफ 5 के साथ पठित पैराग्राफ 4 के उप-पैराग्राफ (1) के अनुसरण में और केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सम्मेलन 5(17)/87/प० बंगाल/2384 दिनांक 3137.92 भारत के राजपत्र भाग-III खण्ड 4 दिनांक 22–8–92 को प्रकाशित अधिसूचना का अतिक्रमण करते हुए अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने पश्चिम बंगाल राज्य हेतु क्षेत्रीय समिति (कर्मचारी भविष्य निधि) का गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सम्मिलित किया है :—

अध्यक्ष

1.	सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, श्रम विभाग, राइटर्स बिल्डिंग, कलकत्ता-700001	अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त [योजना के पैरा 4(1)(अ)]

सदस्य

2.	आयुक्त, पश्चिम बंगाल सचिवालय सैक्रेटेरियट बिल्डिंग, कलकत्ता–700001 ।	राज्य सरकार के परामर्श पर केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त दो अधिकारी [योजना के पैरा 4(1)(ब)]
3.	आयुक्त सचिव, श्रम विभाग राइटर्स बिल्डिंग, कलकत्ता–700001 ।	

नियोक्ता प्रतिनिधि

4.	श्री सौराजीत पाल चौधरी द्वारा मैसर्स वामाबारिक टी कम्पनी प्रा० लि०, यो-17, गनेश चौ० एवन्यू, कलकत्ता–13, [बंगाल नेशनल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, 23, आर० एन० मुखर्जी रोड़, कलकत्ता–1 ।	राज्य के नियोक्ता संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नियोक्ताओं के दो प्रतिनिधियों की नियुक्ति [योजना के पैरा 4(1)(स)]
5.	श्री आर० के० महेश्वरी, अवैतनिक सचिव, इंडियन टी प्लान्टर्स एसो०, जलपाईगुरी पो० बा० नं० 74, जलपाईगुरी ।	
6.	श्री जे०पी० चौधरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मैसर्स टीटागढ़ स्टील लि०, 113, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता–16 ।	केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के एक गैर-सरकारी सदस्य जो सामान्यतः पश्चिम बंगाल राज्य में रहते हैं । [योजना के पैरा–4(1)(ई)]
7.	श्री प्रबीर चक्रवर्ती, भारत चेम्बर आफ कामर्स श्री अन्नपूर्ण काटन मिल्स एण्ड इंडस्ट्रियल लि०, पी–10, न्यू हावड़ा ब्रिज एप्रोच रोड़, कलकत्ता–700001 ।	अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नियोक्ताओं का एक प्रतिनिधि नियुक्त [योजना के पैरा-4(1) का परन्तुक]

कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधि

8.	श्री सुभाष घोष, महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, किरन शंकर राय रोड, पश्चिम बंगाल ।	राज्य में कर्मचारी संगठनों के परामर्श से अध्यक्ष केन्द्रीय बोर्ड द्वारा कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि [योजना के पैरा 4(1)(द)]
9.	बाद में अधिसूचित किया जायेगा । सेन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन/(सीटू) की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी का प्रतिनिधि ।	
10.	श्री समर चक्रवर्ती, संयुक्त महासचिव, इन्टक बंगाल शाखा, 8, विजय बोस रोड, कलकत्ता–25 ।	केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के दो गैर-सरकारी सदस्य जो सामान्यतः पश्चिम बंगाल राज्य में रहते हैं । [योजना के पैरा 4(1)(ई)]
11.	श्री शंकर साहा, सचिव अखिल भारतीय समिति, यू०टी०यू०सी, 77/2/1, लेनिन सरणी, (प्रथम तल), कलकत्ता–13 ।	

पश्चिम बंगाल क्षेत्र के प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय समिति के सचिव होंगे ।

क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य की पदावधि तीन वर्ष के लिए होगी जोकि सरकारी राजपत्र में अधिसूचित उनकी नियुक्ति की तिथि से प्रारम्भ होगी । फिर भी, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति सरकारी राजपत्र में अधिसूचित होने तक जारी रहेगी ।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी ।

राधे श्याम कौशिक
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्य कार्यालय

नई दिल्ली-110066 दिनांक 24 अप्रैल, 1999

सं० सम्मेलन 5(4)/95/राजस्थान/1916/5/648:—कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैराग्राफ 5 के साथ पठित पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ (1) अनुसरण में अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि भारत के भाग III खण्ड 4 में दिनांक 3-5-97 में प्रकाशित केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली की अधिसूचना सं० सम्मेलन 5(14)95/राज०/1602, दिनांक 30-10-96 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

उक्त अधिसूचना में क्रमांक 2 के सामने शब्द "श्रम आयुक्त एवम् वरिष्ठ प्रशासन सचिव राजस्थान, जयपुर" के स्थान पर शब्द "आयुक्त, श्रम, एवम् रोजगार राजस्थान, जयपुर" प्रतिस्थापित किया जायगा।

राधेश्याम कौशिक
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली-66, दिनांक 4 मई 1999

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-2/637—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है।

अनुसूची—1

क्र०सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट की समाप्ति तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के०भ०नि०आ० की फाईल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० दि निजाम शुगर फैक्टरी लि०, फतेह मैदान मार्ग, हैदराबाद तथा शाखाए ।	ऐ०पी०/158	2/1959/डी०एल० आई०/एक्जम/89/पीटी दिनांक 7-3-97	29-2-96	1-3-96 से 28-2-99 1-3-99 से 28-2-2002	2/3903/90/ डी०एल०आई०
2.	मै० दि हैदराबाद पब्लिक स्कूल रामन्थापुरे, हैदराबाद—500013 ।	ए०पी०/ 10745	13-8-97	28-2-95	1-3-95 से 28-2-98 1-3-98 से 28-2-2001	2/28/96
3.	मै० आन्ध्रा प्रदेश टैनरिज लि०, पी०बो०न० 127, विजयनगरम-531202 (आं०प्र०)	ए०पी०/ 5498	13-5-91	8-6-93	9-6-93 से 8-6-96 9-6-96 से 8-6-99	2/1042/84

1	2	3	4	5	6	7
4.	मै० ओरचम इन्डस्ट्रीज मगा बिल्डिंग 40/11, सरोजनी देवी रोड़, सिकन्दराबाद–500003 ।	ए०पी०/ 17200	27–5–97	28–2–99	1–3–99 से 28–2–2002	2/4398/
5.	मे० श्री राजा राजेश्वरी पेपर मिल्स, लि० 3–बी–152/2, मोथे सूर्यप्रकाश राय की बिल्डिंग पो० बा० नं० 18, ईलूरू वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक आ० प्र०–534001 ।	ए०पी०/ 13654	6–1–94	30–9–95	1–10–95 से 30–9–98 1–10–98 से 30–9–2001	2/4455/

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना को कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करे प्रीमीयम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत प्राप्त राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा

के. ए. द्विवेदी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई, 1999

सं० 26(3)/99-आय्० :—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से स्नातक आयुर्विज्ञात शिक्षा, 1997 के विनियमो का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ:—

(i) ये विनियम स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा (संशोधन) विनियम, 1999 कहे जायेंगे।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा विनियम, 1997 में :—

(क) विनियम 4 के खण्ड (1) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए; अर्थात् :—

(1) एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश के वर्ष में वह 31 दिसम्बर को या उससे पहले 17 वर्ष की आयु पूरी कर चुका/चुकी हो।

(ख) विनियम 5 में खण्ड (5) के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

(5) एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के चयन की पद्धति निम्नलिखित होगी :—

(i) योग्यता आधार पर खण्ड (1) के अधीन अर्हक परीक्षा के आधार पर प्रवेश के मामल में अभ्यर्थी को एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान तथा अंग्रेजी विषयों में प्रत्येक में उत्तीर्ण होना होगा और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान में अर्हक परीक्षा में कुल मिलाकर 50% अंक अवश्य प्राप्त करने होंगे जैसा कि विनियम (4) के खण्ड (2) में उल्लिखित है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में अर्हक परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीवविज्ञान में प्राप्तांक 50% के स्थान पर 40% होंगे।

(ii) इस विनियम के खण्ड (2) से (4) के अन्तर्गत प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश की स्थिति में, अभ्यर्थी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अंग्रेजी में प्रत्येक में उत्तीर्ण होना चाहिये और विनियम 4 खण्ड (2) में ऊपर उल्लिखित अनुसार अर्हक परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीवविज्ञान में मिलाकर 50% अंक प्राप्त करने होंगे और इसके अतिरिक्त इस प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के फलस्वरूप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीवविज्ञान को मिलाकर और प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा योग्यता सूची में आना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों या अन्य पिछड़ा वर्गों के मामले में ऊपर उल्लिखित के अनुसार भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीवविज्ञान में अर्हक परीक्षा और प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में अंक 50% के स्थान पर 40% होंगे।

इसके अतिरिक्त जो अभ्यर्थी अर्हक परीक्षा में बैठ चुका हो जिसका परिणाम घोषित नहीं किया गया है उसे अनंतिम रूप से प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयन के मामले में उसे उस पाठ्यक्रम में विनियम 4 के अन्तर्गत पात्रता मानदण्ड पूरे करने तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

डा० एम० सचदेवा
सचिव
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

पाद टिप्पणी : मूल विनियम, अर्थात् स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा 17 मई, 1997 को भारत के राजपत्र के भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशित किए गए थे।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
मुंबई

यूटी/डीबीडीएम/आर- /एसपीडी -74जी/98-99 7/4/1999

भारतीय यूनिट ट्रस्ट, अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) के अंतर्गत बनाए गए मास्टर इक्विटी प्लान 1999 का पेशकश वस्तावेज,जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत बनाई गई इक्विटी सम्बद्ध बचत योजना 1991 से संबंधित है,जिसे 25-11-1998 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है ।

ए जी जोशी
मुख्य महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
मास्टर इक्विटी प्लान 1999
पेशकश (ऑफर) दस्तावेज

पेशकश 01 जनवरी, 1999 से 31 मार्च, 1999 तक खुली है

मास्टर इक्विटी प्लान 1999 भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1)(8) (सी) के अंतर्गत, जो उपरोक्त अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत बनाए गए यूनिट योजना इक्विटी संबद्ध बचत योजना 1999 के संबंध में है, यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा बनाया गया है। यह पेशकश दस्तावेज योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करता है जो भावी निवेशक निवेश करने से पहले जानना चाहते हैं। पेशकश दस्तावेज भविष्य के संदर्भ हेतु रखे जाने चाहिए।

प्लान के विवरण ईएलएसएस योजनाओं पर भारत सरकार की अधिसूचना और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम,1996 के अनुसार तैयार किए गए हैं यथा तिथि तक संशोधित एवं सेबी के पास पंजीकृत हैं और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अननुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है।

प्लान का उद्देश्य

इक्विटी सम्बद्ध बचत योजना पर सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए गए इस प्लान का उद्देश्य निवेश की गई राशि पर कर छूट उपलब्ध कराना तथा कुछ अवधि के बाद कथित राशि में उचित वृद्धि प्रदान कर यूनिटधारकों को दोहरा लाभ देना है।

विशिष्टताएं

- एक दस वर्षीय नियतकालिक प्लान।
- निवासी वयस्क व्यक्तियों/नाबालिगों/हिंदू अविभक्त परिवारों/व्यक्तियों के संगठनों या व्यक्तियों का निकायों के लिए खुला। दोनों ही स्थितियों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में लागू सामुदायिक सांपत्तिक प्रणाली के अधीन केवल पति एवं पत्नी के लिए।
- यूनिट का अंकित मूल्य रु. 10/- है और यूनिटें सममूल्य पर बेची जाएंगी।
- प्लान में किया गया निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के अंतर्गत रु. 10,000/- तक के निवेश के लिए रु. 60,000 की सीमा के अधीन 20% की दर से आयकर में छूट का पात्र होगा ।
- आबंटन की तिथि से 3 वर्षों की आरंभिक अवरुद्ध अवधि के बाद पुनर्खरीद की अनुमति है।
- निवेशकों को जनवरी 1999,फरवरी 1999 एवं मार्च 1999 में किए गए निवेशों के लिए क्रमशः 3.5%, 2.5%, और 1.5% मुआवजा अदा किया जाएगा।
- पूंजी वृद्धि पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 तथा 112 के अंतर्गत कर लाभ।
- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54ईए तथा 54ईबी के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के लिए पुनर्खरीद/अंतरण/गिरवी रखना स्वीकृति तिथि से क्रमशः 3/7 वर्ष के बाद पात्र होगा। तथापि धारा 54ईए/54ईबी के अंतर्गत आयकर छूट का लाभ प्राप्त कर रहे निवेशक, आयकर अधिनियम 1961की धारा 88 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली कर की छूट के लिए पात्र नहीं होंगे ।

II. परिभाषाएं

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है;

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) से है;

(ग) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में शामिल होने के लिए पात्र होगा, जो नाबालिग नहीं हो और योजना के खण्ड IV के अंतर्गत आवेदन करता हो।

(घ) "अवरुद्ध अवधि" के आबंटन की तिथि से 3 वर्षों की होगी, जिस दौरान आवेदकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे यूनिटों को अपने पास रखें एवं पुनर्खरीद के लिए न भेजें।

(ङ.) "जारी समझे जानेवाले यूनिटों की संख्या" का अर्थ बेचे गए और बकाया यूनिटों की कुल संख्या है।

(च) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी सेवाएं ट्रस्ट द्वारा योजना के अंतर्गत समय-समय पर रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए ली जा सकें।

(छ) "विनियमावली" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली, 1964 है।

(ज) "सेबी" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाया गया भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड।

(झ) "यूनिट" का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपये के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर है।

(ञ) "यूनिट पूंजी" का तात्पर्य फिलहाल यूनिट योजना के अंतर्गत निर्गत और शेष यूनिटों के अंकित मूल्य के योग से है।

(ट) "यूनिट ट्रस्ट" या "ट्रस्ट" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है।

(ठ) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम/विनियमावली में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम/विनियमावली में दिये गये हैं।

(ड) एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन शामिल है और सभी पुल्लिंग संदर्भों में स्त्रीलिंग तथा एक में दूसरे के विपर्यय शामिल है।

III. जोखिम के तत्व

- म्यूचुअल फंड एवं प्रतिभूतियों में निवेशों पर बाजार का जोखिम होता है तथा प्लान के अंतर्गत जारी किए गए यूनिटों की एनएवी का उपर या नीचे जाना पूंजी बाजार को प्रभावित करने वाले तत्वों और घटकों पर निर्भर करता है।

- पिछली योजनाओं का निष्पादन अनिवार्यत: भावी परिणामों का द्योतक नहीं है। इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि प्लान के उद्देश्य हासिल कर ही लिए जाएंगे।

- मास्टर इक्विटी प्लान-99 केवल प्लान का नाम है और किसी भी रूप में प्लान की गुणवत्ता को सूचित नहीं करता है।

- नियतकालिक योजनाओं के समान इसमें विरल सौदे को जोखिम एवं यूनिटों के बाजार मूल्य के एनएवी पर बट्टा काटे जाने की संभावना होती है।

- **व्युत्पन्न :** प्रतिभूतियों जैसे भविष्य के लिए विकल्पों एवं भावी सौदों का कारोबार एक अत्यधिक विशिष्ट कार्य है और इसमें साधारण निवेश की तुलना में कहीं अधिक जोखिम होता है। यदि फंड केवल पोर्टफोलियो की सुरक्षा के ख्याल से व्युत्पन्नों का कारोबार करना चाहे तो भी उस खंड का पूरा बाजार के अन्य प्रतिभागियों की सक्रियता के कारण सटोरियों के चंगुल में जा सकता है। व्युत्पन्नों में कारोबार की सफलता बाजार की भावी गतिविधियों की पूर्वसूचना प्रकट करने की निधि प्रबंधक की क्षमताओं पर निर्भर करता है और यदि निधि प्रबंधक की यह पूर्व सूचना गलत हो तो निधि में निवेश प्रणाली इस्तेमाल किए जाने की स्थिति में प्राप्त निष्पादन की तुलना में कमी आ सकती है।

- **विदेशी बाजारों में निवेश :** विदेशी बाजारों में निवेश की सफलता निधि प्रबंधक की योग्यता जो बाजार की उन परिस्थितियों एवं जानकारियों के विश्लेषण, जो भारतीय बाजारों से भिन्न हो सकती है, को समझने पर निर्भर करती है। जैसा कि इसमें विदेशी बाजारों में परिचालन शामिल है, बाजार के जोखिमों के अलावा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के जोखिम भी हो सकते हैं।

- **स्टॉक उधार देना :** यह न्यून जोखिम के साथ निधि को अतिरिक्त आय जुटाने का साधन है। स्क्रिप उधार दिए जाने की अवधि के दौरान बिक्री हेतु सुलभ स्टॉक की अनुपलब्धता के रूप में जोखिम हो सकता है।

IV. यूनिटें एवं पेशकश

1. इस योजना को इक्विटी संबद्ध बचत योजना 1999 (ईएलएसएस '99) और इस योजना के अंतर्गत बनाए गए प्लान को मास्टर इक्विटी प्लान 1999 कहा जाएगा।

2. योजना एवं उसके अंतर्गत बनाया गया प्लान 10 वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2009 तक के लिए होगा। यूनिटें 31 मार्च, 1999 को आबंटित की जाएंगी।

3. यूनिटों की बिक्री 1 जनवरी 1999 से 31 मार्च 1999 तक तीन माह के लिए होगी। बशर्ते, यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति/अध्यक्ष किसी भी समय ऐसी परिस्थितियों में जैसे युद्ध होने, स्टॉक एक्सचेंजों में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक-आर्थिक कारणों से अखबारों में 7 दिनों का नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति से जैसा ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाए, योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं।

4. इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपए होगा।

5. यह प्लान इक्विटी संबद्ध बचत योजना, 1992 एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के अंतर्गत उल्लिखित केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत तैयार किया गया है।

6. यूनिटों के लिए आवेदन :

यूनिटों के लिए आवेदन केवल निवासियों द्वारा किये जा सकते हैं, जैसे

(i) निवासी वयस्क व्यक्ति, एकल रूप से अथवा दूसरे व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से या उत्तरजीवी के आधार पर।

(ii) नाबालिग निवासी की ओर से माता-पिता, सौतेले माता-पिता या अन्य विधिक अभिभावक। बालिग और नाबालिग संयुक्त रूप से आवेदन नहीं कर सकते हैं।

(iii) हिन्दू अविभक्त परिवार (एचयूएफ)।

(iv) व्यक्तियों के संगठन या व्यक्तियों को निकाय द्वारा, दोनो ही स्थितियों में गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में लागू सामुदायिक सांपत्तिक प्रणाली के अधीन केवल पति एवं पत्नी के लिए।

7. न्यूनतम निवेश राशि

आवेदन न्यूनतम 50 यूनिटों, जिनका अंकित मूल्य रु. 500/- होगा, के लिए और उसके बाद रु.500/- के गुणकों में किया जाएगा। रु. 50,000/- और उससे अधिक निवेश के मामले में, निवेशक को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर पीएएन/जीआईआर संख्या है तो वह उसका तथा संबंधित आयकर सर्किल के पते का उल्लेख करे।

8. निवेशकों को मुआवज़ा :

प्लान में शामिल होने की तिथि पर निर्भर करते हुए निवेशकों को निवेश की राशि पर निम्नानुसार मुआवज़ा अदा किया जाएगा :

से	तक	%
01-01-99	31-01-99	3.5
01-02-99	28-02-99	2.5
01-03-99	31-03-99	1.5

मुआवज़े की राशि का भुगतान चेक के जरिए किया जाएगा, जिसे यूनिट प्रमाणपत्र के साथ भेजा जाएगा। जल्दी निवेश करने के लिए दिया जानेवाला मुआवज़ा यूटीआई द्वारा निवेशकों को दिया जानेवाला कोई विशेष लाभ नहीं है। मुआवज़े की यह राशि "आरंभिक निर्गम व्यय" तथा निधि द्वारा उत्पन्न आय में से भी अदा की जाएगी।

9. यूनिट प्रमाणपत्र

यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री-संविदा, स्वीकृति तिथि अर्थात् चेक की वसूली की तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी। यूनिट ट्रस्ट उसके बाद निवेश की गई राशि के लिए यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा। यूनिट प्रमाणपत्र अंतरणीय है तथा निवेशक के प्लान में शामिल होने का वैध साक्ष्य है। प्रेषित यूनिट प्रमाणपत्र के खो-जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने या गलत डिलिवरी या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा।

यूनिट ट्रस्ट यूनिट प्रमाणपत्र को यथाशीघ्र लेकिन योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री की समाप्ति तिथि से छः सप्ताहों के भीतर भेजने का प्रयत्न करेगा।

10. यूनिटों का अंतरण/गिरवी रखा जाना/समनुदेशन :

योजना के अंतर्गत यूनिटों के अंतरण/गिरवी रखे जाने और समनुदेशन की अनुमति यूनिटों के आबंटन की तिथि से तीन वर्षों की अवरुद्ध अवधि के बाद होगी। अवरुद्ध अवधि के दौरान या उसके बाद लेकिन योजना की समाप्ति से पूर्व हिंदू अविभक्त परिवार, व्यक्तियों के संगठन, व्यक्तियों के निकाय से संबंधित यूनिटधारिता का विभाजन और/या विघटन होने की स्थिति में उपर्युक्त अंतर्विष्ट कोई भी बात उक्त विभाजन या अंतरण के संबंध में संबद्ध विधि की प्रयोजनीयता पर रोक नहीं होगी सिवाय अन्यथा विशेष रूप से सहमति हो या घोषणा की गई हो जो कि उक्त विधि के प्रतिकूल नहीं होगी, यदि कोई हो। हिंदू अविभक्त परिवारों, व्यक्तियों के संगठन, व्यक्तियों के निकाय के यूनिटधारकों के बीच उनकी आय का वितरण और यूनिटों का विभाजन हमेशा समय-समय पर लागू संबद्ध विधि से यदि कोई हो, से विनियमित होगा।

योजना के अंतर्गत जारी किए गए और बकाया सभी यूनिट आबंटन की तिथि से 3 वर्षों के बाद (अर्थात् 1 अप्रैल, 2002 से) से निर्बाध रूप से अंतरणीय होंगे।

(i) इस योजना के प्रावधानों के अनुसार जारी यूनिट प्रमाणपत्र परक्राम्य है और जैसा कि मद 6 "यूनिट एवं पेशकश" में उल्लेख किया गया है इसे व्यक्तिगत, व्यक्त या अन्य श्रेणियों को अंतरित किया जा सकता है।

(ii) यूनिटधारण करने की क्षमता रखनेवाले अंतरणकर्ता और अंतरिती के द्वारा और बीच अंतरण प्रभावकारी होगा। किसी अन्य अंतरण को मान्यता देने के लिए ट्रस्ट बाध्य नहीं होगा।

(iii) संबंधित यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ अंतरण दस्तावेज तथा ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क सहित इस कार्य हेतु नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

(iv) ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत या कार्यालय द्वारा स्वीकृत अंतरण संलेख संबंधित रजिस्ट्रार के कार्यालय में अग्रेषित किए जाएंगे।

(v) प्रत्येक अंतरण लिखत पर अंतरणकर्ता तथा अंतरिती के हस्ताक्षर होंगे और रजिस्ट्रार द्वारा अंतरिती का नाम धारकों के रजिस्टर में दाखिल करने तक अंतरणकर्ता को ही यूनिट का धारक समझा जाएगा।

(vi) अंतरणकर्ता के स्वत्वाधिकार या उसके यूनिटों का अंतरण करने के अधिकार के समर्थन में रजिस्ट्रार ऐसा कोई सबूत मांग सकते हैं जो उन्हें आवश्यक लगे।

(vii) यदि यूनिट प्रमाणपत्र खो गया हो, चुरा लिया गया हो, नष्ट हो गया हो तो कुछ अपेक्षाओं, जिन्हें रजिस्ट्रार जरुरी समझे, को पूरा करने के बाद मूल यूनिट प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के संबंध में रजिस्ट्रार छूट देंगे।

(viii) यूनिटों के अंतरण का पंजीकरण होने पर अंतरण के सभी लिखत और यूनिट प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार के पास रहेंगे।

(ix) अंतरण को मान्यता देने वाले तथा पंजीकृत करनेवाले रजिस्ट्रार, उक्त अंतरण एवं प्रमाणपत्रों तथा वारंटों को जारी करने के संबंध में देय प्रभारों की अदायगी तथा वसूली के बाद, मूल या नया यूनिट प्रमाणपत्र और आय वितरण वारंट, यदि कोई हों अंतरिती को जारी करेंगे।

(x) यदि कोई अंतरिती अधिकारिक क्षमता के कारण विधि के परिचालन से या गिरवी लागू होने पर अनुसूचित बैंक यूनिटों का धारक बन जाता है तो इच्छुक अंतरिती यूनिटों के धारण के लिए अन्यथा पात्र होने पर रजिस्ट्रार ऐसे साक्ष्य जिसे पर्याप्त समझें, के प्रस्तुतीकरण के अधीन अंतरण प्रभावी करेंगे।

(xi) इसमें ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट अंतरण को पंजीकृत करेगा और अंतरण संबंधी सभी लिखतों के साथ यूनिट प्रमाणपत्र दाखिल करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अंतरिती को आय वारंट, यदि कोई हो, सहित यूनिट प्रमाणपत्र वापस करेगा।

11. **योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति :**

(i) योजना को 31मार्च, 2009 को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा, यूनिटधारकों के बकाया यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी और यूनिटधारकों को उनके यूनिटों के मूल्य की अदायगी उक्त अवधि के दौरान अंतिम पुनर्खरीद के लिए निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य पर की जाएगी। निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य की प्राप्ति के अलावा बाद की किसी अवधि के लिए पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि या आय के रूप में किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ उपचित नहीं होगा।

(ii) 10 वर्षों की अवधि से पूर्व ही यदि प्लान के अंतर्गत 90% या अधिक यूनिटों की पुनर्खरीद हो जाती है तो ट्रस्ट दस वर्षों की अनुबद्ध अवधि से पहले भी प्लान को समाप्त कर सकता है और बकाया यूनिटों को इसके द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अंतिम पुनर्खरीद मूल्य पर मोचित कर सकता है।

जहां उपर्युक्त खण्ड (ii) के अधीन योजना की समाप्ति की जाती है, तो ट्रस्ट को योजना समाप्त करने की परिस्थितियों की सूचना सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होनेवाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और मुंबई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में समापन प्रभावी होने के एक सप्ताह पहले देनी होगी।

(iii) योजना की समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से ट्रस्ट -

(क) इस योजना से संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करेगा।

(ख) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को उत्पन्न और रद्द करना बंद करेगा।

(ग) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिदान भी बंद करेगा।

(iv) न्यासी मंडल यूनिट धारकों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित यूनिट धारकों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और मतदान द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

परन्तु यदि योजना परिपक्वता अवधि के पूरा होने पर समाप्त की जाती है तो बैठक आवश्यक नहीं होगी।

(v) (क) न्यासी मंडल या योजना के खंड (XV) के अन्तर्गत प्राधिकृत व्यक्ति योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के यूनिट धारकों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा।

(ख) ऊपर दिए गए खण्ड (V)(क) के अनुसार की गई बिक्री की राशि को पहले दृष्टान्त में, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय लेने वाली तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

(vi) समाप्ति पूरी होने पर, ट्रस्ट सेबी और यूनिट धारकों को समाप्ति के बारे में एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितियां, जिनके कारण योजना समाप्त हुई, समाप्ति से पूर्व आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, समाप्ति के लिए की गई योजना का व्यय, यूनिट धारकों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियों के विवरण और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाणपत्र भेजेगा।

(vii) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, जब तक योजना समाप्त न हो जाए या समापन की कार्यवाही पूरी न हो जाए, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए लागू रहेंगे।

(viii) उपरोक्त खण्ड (vi) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट हो जाती है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है तो योजना समाप्त हो जाएगी।

(ix) ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र के साथ सदस्यता सूचना/विधिवत् रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर यथाशीघ्र पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा। सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र पुनर्खरीद के लिए प्राप्त अनुरोध पत्र और अन्य फार्म, यदि कोई हों, ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए रख लिए जाएंगे।

V. व्यय

क. पेशकश की अवधि के दौरान यूनिटें सम-मूल्य पर बेची जाएंगी।

ख) (i) निर्गम पूर्व व्यय प्लान के अंतर्गत एकत्र निधि के 6% से अधिक नहीं होगा। प्लान के निर्गम पूर्व व्ययों का अनुमान निम्नानुसार है :

व्यय	%
मुद्रण और डाक	1.50
प्रचार और मार्केटिंग	1.75
एजेंटों को कमीशन	1.50
रजिस्ट्रारों का प्रभार	0.50
बैंक प्रभार	0.25
स्टाम्प शुल्क	0.50
योग	6.00

इस प्रकार किसी निवेशक द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपये में से कम से कम 94 पैसे का इस योजना में निवेश किया जाएगा।

(ii) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारंभ की गई योजनाओं का प्रारंभिक निर्गम व्यय इस प्रकार है :

योजना	व्यय (एकत्रित निधि का %)
आईआईएसएफयूएस 97	0.10
आईईएफ 97	5.75
एमआईपी-97(II)	2.45
एमआईपी-97(III)	3.44
एमआईपी-97(IV)	1.87
एमआईपी-97(V)	2.60
एमआईपी-98	1.33
आईआईएसएफयूएस 97(II)	0.09
एमईपी-98	6.00
आईआईएसएफयूएस -98	0.05
एनआरआई फंड	2.90

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारंभ की गई योजनाओं के संबंध में ट्रस्ट द्वारा वहन किए गए व्यय (डीआरएफ द्वारा प्रभारित) इस प्रकार हैं :

योजना	व्यय (एकत्रित निधि का %)
एमएमएमएफ	0.50
एमईपी 98	7.22

ग) आरंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त, निम्नलिखित व्यय आवर्ती आधार पर योजना पर प्रभारित किए जाएंगे। अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार हैं :

व्यय	%
प्रशासनिक व्यय	0.90
अभिरक्षण शुल्क	0.50
विकास प्रारक्षित निधि	0.25
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.10
रजिस्ट्रारों के लिए शुल्क	0.50
योग	2.25

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों के साथ परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं। फिर भी, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के अनुसार कुल आरंभिक निर्गम व्ययों के रूप में कुल व्यय एकत्र निधि की 6% की सीमा के भीतर होंगे।

योजना का कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, आरंभिक निर्गम व्ययों एवं प्रतिदान व्ययों को छोड़कर परंतु प्रशासनिक व्ययों, विकास प्रारक्षित निधि और कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित सीमा के अधीन होगा :

(i) प्रथम 100 करोड़ रुपये की औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों पर - 2.50%
(ii) अगले 300 करोड़ रुपये की औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों पर - 2.25%
(iii) अगले 300 करोड़ रुपये की औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों पर - 2.00%
(iv) आस्तियों के शेष पर - 1.75%

प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान एवं कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान, सेबी (एमएफ) विनियम, 1996 के विनियम 52 के खण्ड 2 के अंतर्गत उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं होंगे। नामत:-

i) योजना के लिए प्रत्येक लेखा वर्ष में बकाया मासिक औसत शुद्ध आस्तियों का 1.25%, जब तक कि शुद्ध आस्तियां 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो जातीं, और

ii) 100 करोड़ से ऊपर की अतिरिक्त राशि का एक प्रतिशत, जहां इस प्रकार परिगणित शुद्ध आस्तियाँ 100 करोड़ से अधिक हों।

सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के अनुसार, यूटीआई निवेश प्रबंधन एवं परामर्श शुल्क पर कोई प्रभार नहीं लेता है। तथापि, यूटीआई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्गम पूर्व व्यय एवं वार्षिक आवर्ती व्यय सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के विनियम 52 के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा के भीतर ही होंगे।

घ) विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.25% प्र.व. ट्रस्ट के डीआरएफ में अंशदान के रूप में रखा जाएगा। डीआरएफ अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा।

ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983-84 में की थी ताकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अवधारणा के स्तर पर प्रवर्तन करने तथा उत्पादन एवं विकास से संबंधित ऐसे बहुत से अन्य कार्यों जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा संबंधित न हों, पर होने वाले व्ययों को पूरा कर सके। इस निधि का उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग और कार्पोरेट के छवि निर्माण संबंधी ऐसे प्रयासों जो किसी विशेष योजना से जुड़े हुए न हों तथा मानव संसाधन विकास संबंधी प्रयासों जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भविष्य के कार्यकलापों से संबंधित हों, तथा ट्रस्ट की किन्हीं भी योजनाओं में दिए गए आश्वासित प्रतिफल की दर में कमी होने पर, उनकी पूर्ति करने के लिए भी किया जा सकता है।

यथा 30.06.98 को निम्नलिखित योजनाओं में कमी रही : एमआईपी 97 [रु. 119.70 करोड़]; एमआईपी 97(II) [रु. 125.96 करोड़] एवं एमआईपी 97 (III)[रु. 54.75 करोड़]; एमआईपी 97 (IV) [रु. 39.53 करोड़]; एमआईपी 97 (V) [रु. 15.02 करोड़]; आईआईएसएफयूएस 97 [रु. 34.89 करोड़]; आईआईएसएफयूएस 97(II) [रु. 17.58 करोड़]; एमआईपी 98 [रु. 36.68 करोड़] जो मुख्यत: स्टॉक बाजार में मंदी की परिस्थितियों के कारण है जिसके परिणामस्वरूप इन योजनाओं की इक्विटी पोर्टफोलियो में सांकेतिक ह्रास हुआ।

प्रबंधन दृष्टिकोण : उपरोक्त योजनाएं वर्ष 1999 से 2003 में परिपक्व होंगी। ऐसी संभावना है कि बाजार की परिस्थितियों में सुधार होने के साथ अंतरनिहित स्क्रिप सांकेतिक ह्रास को उलटते हुए अपने उचित मूल्य को प्राप्त कर लेंगे। इसके अतिरिक्त, योजना के प्रतिदान हेतु देय होने से पहले ऋण एवं इक्विटी में सक्रिय लेन-देन से मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है।

ङ) कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% प्र.व. कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान के रूप में अलग से रखा जाएगा। ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं।

VI. यूनिटों की बिक्री

1. पेशकश की अवधि के दौरान यूनिटों की बिक्री सममूल्य पर होगी। ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री-संविदा स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी। बिक्री-संविदा पूर्ण होने पर ट्रस्ट यथाशीघ्र आवेदक को योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में शामिल होने के साक्ष्य स्वरूप यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा। इस प्रकार प्रेषित यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डिलिवरी या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा।

ट्रस्ट प्लान के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री की समाप्ति तिथि से 6 हफ्तों के भीतर यूनिट प्रमाणपत्र भेजने का प्रयास करेगा।

2. भुगतान विधि

(i) किसी आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन पत्र के साथ नकद, चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। यदि आवेदन यूटीआई के शाखा कार्यालयों में जमा किए जाएं, तो चेक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित किए जाएं, जिस शहर में स्थित यूटीआई शाखा कार्यालय में आवेदन जमा किया जाता है।

लेकिन, जहां आवेदक ट्रस्ट के शाखा कार्यालय/संग्रहण केंद्र/विशेष अधिकृत कार्यालय वाले स्थान से भिन्न स्थान से आवेदन करना चाहे तो आवेदित यूनिटों के लिये आवेदन पत्र के साथ देय बैंक ड्राफ्ट के लिये देय बैंक प्रभार घटाकर भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देश के अनुसार बैंक ड्राफ्ट ट्रस्ट को भेजते हुए ऐसा कर सकता है। संग्रहण केन्द्रों/विशेष बिक्री कार्यालयों को, स्थानीय देय चेक अथवा उन स्थानों में जहां तक योजना विकेन्द्रीकृत है, देय मांग पत्र के साथ, जिसमें आवेदक, भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रभार कम कर सकता हो, आवेदन स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि आवेदन राशि रु. 10,000/- है तथा बैंक ड्राफ्ट प्रभार इस राशि के लिए रु. 20/- है । इस तरह, ड्राफ्ट रु. 9,980/- (अर्थात् रु. 10,000/- में से रु. 20/- घटाकर) के लिए बनवाया जा सकता है। ड्राफ्ट कमीशन प्रभार प्लान के आरंभिक निर्गम व्ययों का एक अंश होगा।

किंतु, जहां ट्रस्ट का कार्यालय/संग्रहण केंद्र/विशेष बिक्री कार्यालय है और आवेदन स्थानीय बैंक ड्राफ्ट के साथ मिला है तो बैंक ड्राफ्ट कमीशन निवेशक को ही वहन करना होगा।

(ii) यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि, ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा चेक प्राप्ति की तिथि होगी, बशर्ते ऐसे चेक की वसूली हो।

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि, ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी, बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो, बशर्ते आवेदन ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र में ड्राफ्ट जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाए। यदि इस प्लान के अंतर्गत आवेदन राशि न्यूनतम निवेश से कम है, तो सम्पूर्ण राशि ट्रस्ट द्वारा यथोचित रीति से आवेदक को उसके खर्चे पर वापस लौटा दी जाएगी।

3. यूनिट जारी होने से पहले आवेदक को योजना और उसके अंतर्गत प्लान से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिटों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी। जैसे व्यक्तियों के संगठन/हिंदू अविभक्त परिवारों के मामले में शपथपत्र देना होगा।

कोई भी वयस्क, जो किसी नाबालिग का माता-पिता हो, सौतेला माता-पिता हो या विधिक अभिभावक हो, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2ए) के अनुसार और उपबंधित सीमा तक यूनिट रख सकता है और क्रय-विक्रय कर सकता है। अपेक्षानुसार ऐसा वयस्क ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नाबालिग की उम्र और नाबालिग की ओर से यूनिट रखने तथा क्रय-विक्रय करने की क्षमता का प्रमाणपत्र ट्रस्ट के समक्ष पेश करेगा। आवेदन में ऐसे वयस्क द्वारा किए गए कथन के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण के ट्रस्ट को कार्य करने का अधिकार होगा।

गलत घोषणा करके यूनिट रखने वाला व्यक्ति अपनी यूनिटधारिता के निरस्तीकरण का भागी होगा और उसका नाम यूनिटधारकों की पंजी से काट दिया जाएगा।

ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में 25% दण्ड के तौर पर घटाने के बाद सममूल्य पर या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद करे और गलती से भुगतान किये गये आय वितरण की वसूली पुनर्खरीद राशि से करे और शेष वापस करे।

पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उसके लिये राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

4. आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का ट्रस्ट का अधिकार :

ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक के अनुसार योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिट जारी करने के लिए आवेदन स्वीकृत और/या अस्वीकृत कर सके। ट्रस्ट निम्नलिखित परिस्थितियों में यूनिटें जारी करने हेतु आवेदन अस्वीकृत कर सकता है :

(i) यदि आवेदन यथास्थिति रु. 500/- या उसके बाद रु. 500 के गुणकों में की गई न्यूनतम निवेश राशि से कम के लिए प्राप्त हुआ हो,

(ii) यदि आवेदन पहले आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित न हो और

(iii) यदि आवेदक, योजना में निवेश करने के लिए पात्र न हो। योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में आवेदन करने के संबंध में किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के बारे में ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन अपूर्ण पाये जाने पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा और बिना किसी ब्याज या अन्य राशि के, चाहे जो भी हो, आवेदन राशि ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी । अपेक्षित परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राशि वापस की जाएगी।

5. यूनिटधारकों द्वारा नामांकन :

(i) नामांकन सुविधा केवल अपनी ओर से अर्थात् एकल या संयुक्त रूप से आवेदन करने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। आवेदक एक व्यक्ति को नामित कर सकते हैं । अवयस्क तथा अनिवासी भारतीय भी नामित किए जा सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गये दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवासी भारतीय नामित किए जा सकते हैं। प्लान के चालू रहने के दौरान आवेदक किसी भी समय नामांकन में परिवर्तन कर सकता है।

(ii) सदस्यों को, जो नाबालिग की ओर से माता-पिता हों या विधिक अभिभावक हों, हिंदू अविभक्त परिवार/व्यक्तियों के संगठन तथा व्यक्तियों के निकाय को नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा। अन्य प्रावधान विनियमों में उपबंधित सीमा तक होंगे।

(iii) नामांकन की वैधानिक वैधता : भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 39ए के अंतर्गत सदस्य को सांविधिक नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। तदनुसार, जहां यूटीआई विनियम, 1964 के अनुसार किसी यूनिट के सदर्भ में नामांकन किया गया है, सदस्य की मृत्यु के उपरांत सदस्य को देय राशि पर अधिकार उसी का होगा तथा किसी अधिकार,टाइटल, दावा तथा अन्य व्यक्ति के हित की शर्तों के अधीन या उपरोक्त यूनिटों के संदर्भ में ऐसे विनियमों में उल्लिखित एवं उपरोक्त यूनिटों के संदर्भ में किसी प्रभार या किसी बाधा की शर्त के अधीन नामिती को देय होगा।

उपरोक्त के अनुसार ट्रस्ट द्वारा किया गया भुगतान उपरोक्त यूनिटों के संदर्भ में ट्रस्ट को सभी देयताओं से पूर्ण रूपेण मुक्त रखेगा।

VII. आय एवं वितरण

यह एक वृद्धि योजना है। इसके उद्देश्य के अनुरूप सामान्यत: इसके अंतर्गत कोई आय वितरण नहीं होगा। तथापि, ट्रस्ट को आय वितरण/बोनस घोषित करने का अधिकार है।

निवेशकों के लिए बैंक विवरण :

खोने/गलत जगह पर पर पहुच जाने की वजह से आय वितरण वारंटों के संभावित कपटपूर्ण नकदीकरण से सावधानी के तौर पर आवेदकों से अपने बैंक खाता का विवरण (अर्थात् खाते की प्रकृति, खाता संख्या और बैंक का नाम) आवेदन पत्र के साथ-साथ रिकार्ड हेतु पावती रसीद पर उपर्युक्त स्थान पर देने का अनुरोध किया जाता है। तब शीघ्र निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में निवेशकों का मुआवजा उनके द्वारा निर्दिष्ट खाते में जमा करके उन्हें देने के लिए बैंक के पक्ष में किया जाएगा। बैंक का पूर्ण विवरण नहीं दिए जाने की स्थिति में, प्रोत्साहन चेक यूनिट धारकों के नाम में जारी किए जाएंगे।

आय वितरण वारंटों/परिपक्वता चेकों के कपटपूर्ण नकदीकरण से बचने के लिए, निवेशकों से स्वयं के हित में आवेदन पत्र में उपर्युक्त स्थान पर बैंक का विवरण देने का अनुरोध किया जाता है।

VIII. यूनिटों की पुनर्खरीद

1) यूनिटों की पुनर्खरीद :

(1) ट्रस्ट यूनिटों की आबंटन की तिथि (अर्थात् 1 अप्रैल 2000) से एक वर्ष की समाप्ति के बाद और इसके बाद साप्ताहिक आधार पर पुनर्खरीद मूल्य घोषित करेगा।

(2) यूनिटों के आबंटन की तिथि से 3 वर्ष की अवरुद्ध अवधि के बाद अर्थात् 1 अप्रैल, 2002 से, जब यूनिटों की पुनर्खरीद आरंभ होगी ट्रस्ट प्रत्येक सप्ताह या जल्द से जल्द जैसा कि इसके द्वारा निश्चित किया जाए, पुनर्खरीद मूल्य घोषित करेगा।

(3) पुनर्खरीद पूरा वर्ष खुली रहेगी सिवाय बही बंदी के दौरान जिसकी अवधि वर्ष में अधिकतम 45 दिन होगी।

(4) पुनर्खरीद मूल्य जिस पर यूनिटें खरीदी जायेंगी उसे समय-समय पर घोषित एनएवी के आधार पर परिकलित किया जाएगा। पुनर्खरीद मूल्य परिकलित करते समय ट्रस्ट, प्रशासनिक लागत और अन्य प्रभार जो औसत एनएवी के 3% प्रतिवर्ष से ज्यादा नहीं होगा, काटने के लिए स्वतंत्र होगा।

(5) यूनिट प्रमाणपत्र के विधिवत् विमोचन के प्राप्त होने पर पुनर्खरीद की जाएगी।

(6) पुनर्खरीद के लिए संविदा स्वीकृति तिथि को पूर्ण समझी जाएगी।

(7) यूनिटधारक के लिए अपनी यूनिटों को उपरोक्त उप खंड (1) के अनुसार पुनर्खरीद के लिए पेश करना आवश्यक नहीं होगा तथा योजना के चालू रहने के दौरान वह जब तक चाहे, उन्हें अपने पास रखने के लिए स्वतंत्र होगा।

(8) पुनर्खरीद की गई यूनिटों को पुन: जारी नहीं किया जाएगा।

(9) यूनिटधारक की मृत्यु के मामले में, नामिती या विधिक उत्तराधिकारी जैसा भी मामला हो, यूनिटधारक को यूनिटों के आबंटन की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद या उसके बाद किसी भी समय अर्थात् 1 अप्रैल, 2000 के बाद ही निवेश को आहरित करने में सक्षम होगा।

(10) पुनर्खरीद किए गए यूनिटों के लिए अदायगी ट्रस्ट द्वारा स्वीकृति तिथि के बाद 10 कार्य दिवस के भीतर की जाएगी। आवेदक को देय राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा और ट्रस्ट द्वारा भेजे गएं चैक या ड्राफ्ट की वसूली और प्रेषण (डाक सहित) की लागत आवेदक द्वारा वहन की जाएगी और वार्षिक आवर्ती व्यय का ही भाग समझा जाएगा।

2) यूनिटों की पुनर्खरीद पर प्रतिबंध :

प्लान के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा :

(i) ऐसे दिन, जो कार्य दिवस नहीं हों; और
(ii) ऐसी अवधि के दौरान (ट्रस्ट द्वारा अधिसूचित) जब यूनिटधारकों की पंजी किसी भी कारण हेतु बंद रहेगी जैसा कि ट्रस्ट द्वारा अधिसूचित किया जाए।

स्पष्टीकरण :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ शब्द "कार्य दिवस" का अर्थ वह दिन है, जो न तो

(i) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, जहां ट्रस्ट के कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत अधिसूचित हो, या

(ii) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि ट्रस्ट का कार्यालय बंद रहेगा।

IX. निवेश उद्देश्य, नीतियां एवं स्टॉक उधार

1. निवेश उद्देश्य और नीतियां :

(क) योजना के अंतर्गत संग्रहीत निधियों का कंपनियों के इक्विटी, संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयरों और पूर्णत: परिवर्तनीय डिबेंचरों और बांडों और वारंटों में निवेश किया जाएगा। अंशत: परिवर्तनीय निर्गमों के डिबेचरों और बांडों, जिसमें राईट्स के आधार पर जारी बाण्डों और डिबेंचरों का भी समावेश होगा, में इस शर्त के अधीन निवेश किये जा सकते हैं कि यथासंभव इस रूप में अर्जित या अभिदत्त डिबेंचरों का अपरिवर्तनीय अंश बारह माह की अवधि के अंदर वापस ले लिया जाएगा।

(i) **सहवर्तियों में लेन-देन :** सेबी तथा भारत सरकार से प्राधिकृत हो जाने के अधीन यूटीआई, उचित परिस्थितियों में निवेश नीति, जोखिम को रोकने या कम से कम करने के उद्देश्य के लिए, ऐसी तकनीकों और लिखतों जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शन्स और सहवर्तियों का, जब भारतीय बाजार में उनके प्रयोग की अनुमति मिल जाएगी, लागू विनियमों और प्रति-पक्षी जोखिम मूल्यांकन के अधीन, प्रयोग करेगा। इसके अतिरिक्त, लागू विनियमों तथा प्रति-पक्षी जोखिम मूल्यांकन के अधीन योजना स्टाक उधार ले सकती है अथवा उधार दे सकती है ।

(ii) **स्टाक उधार देना :** योजना, समय-समय पर, सेबी की प्रतिभूतियां उधार देनेवाली योजना के अनुसार अस्थायी अवधि हेतु उन प्रतिभूतियों पर, जिन में निवेश किया गया है, उधार दे सकती है ।

(iii) **विदेशी निवेश :** योजना, समुद्रपारीय/विदेशी कंपनियों द्वारा जारी की गई तथा विदेश में सूचीबद्ध की गई प्रतिभूतियों में अथवा भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी/समुद्रपारीय निवेशकों को जारी की गई तथा ऐसे निर्गमों में सीधे अभिदान करके अथवा सेबी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार विदेशी स्टाक एक्सचेंजों में खरीद करके सीधे स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध की गई प्रतिभूतियों में निवेश कर सकती है ।

ट्रस्ट सुरक्षात्मक दृष्टि से लघु अवधि के आस्ति आबंटन में परिवर्तन करने का विकल्प अपने पास रखता है ।

ऊपर कथित निवेश उद्देश्य के अनुसरण में, योजना की निधियों का प्रतिभूतियों में नियोजन होने तक ट्रस्ट योजना की निधियों का निवेश मुद्रा बाजार लिखतों में कर सकता है ।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना की निधियों का कम से कम 80% खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा। यूनिट ट्रस्ट यूनिटों की बिक्री की समाप्ति की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर उपरोक्त वर्णित प्रकार से निधियों में निवेश करने का प्रयास करेगा। विशेष परिस्थितियों में, यूनिट धारकों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से ट्रस्ट द्वारा यह अपेक्षा छोड़ दी जा सकती है।

(ग) उपरोक्त अपेक्षित प्रकार से निधियों के निवेश किए जाने तक ट्रस्ट निधियों का निवेश अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखतों या अन्य नकदी लिखतों में या दोनों में कर सकता है।

(घ) यूनिटों के आबंटन की तिथि से 3 वर्षों के बाद, ट्रस्ट योजना की शुद्ध आस्तियों का 20% तक अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखतों तथा अन्य नकदी लिखतों में धारित कर सकता है ताकि वह उन यूनिटधारकों के यूनिटों की पुनर्खरीद कर सके जो यूनिटों को पुनर्खरीद के लिए प्रस्तुत करने इच्छुक होंगे।

2. निवेश नीतियां

(i) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिये जाएंगे।

(ii) ट्रस्ट प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय सुपुर्दगियों के आधार पर करेगा और खरीद के सभी मामलों में संबंधित प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लेगा और बिक्री के सभी मामलों में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी करेगा और किन्हीं भी मामलों में खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालेगा जिससे इसे मंदड़िया बिक्री करनी पड़े या सौदे का वायद (कैरी फारवर्ड) करना पड़े या बदला वित्त में लिप्त होना पड़े ।

(iii) ट्रस्ट प्रतिभूतियों की खरीद या अंतरण ट्रस्ट के नाम से करवाएगा।

(iv) योजना सेबी की स्टॉक उधार देने की योजना के अनुसार प्रतिभूतियों को उधार दे सकती है।

(v) योजना इनमें से किसी में निवेश नहीं करेगी ;

क) ट्रस्ट की समूह या सहायक कंपनी की कोई असूचीबद्ध प्रतिभूति ; या

ख) ट्रस्ट की समूह या सहायक कंपनी द्वारा निजी नियोजन के माध्यम से जारी की गई कोई प्रतिभूति; या

ग) ट्रस्ट की समूह कंपनी की सूचीबद्ध प्रतिभूतियां जो ट्रस्ट की सभी योजनाओं की शुद्ध आस्तियों के 25% से अधिक है।

(vi) प्लान की प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए शेयर-दलाली फर्म और यूटीआई की सहायक संस्था यूटीआई सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज लिमिटेड (यूटीआई-एसईएल) की सेवाएं ली जा सकती हैं जो नीतियों के अनुसार हों और ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा तय की गई सीमाओं के अधीन हों। यूटीआई एसईएल 1994 में स्थापित की गई थी। यह निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित, पारदर्शी और कुशल सेवाएं प्रदान करने वाली उच्च तकनीकी कंपनी है। इसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है।

3. (i) 30/06/98 के अनुसार उन योजनाओं की सूची जिन में कंपनियों ने योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य के 5% से अधिक निवेश किया है।

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना-आस्तियों के 5% से अधिक धारिता वाली कंपनी का नाम
1.	यूएस 95	बैंक ऑफ मैसूर
2.	आईआईएसएफयूएस 97	हिंदुस्तान लीवर लि. एचडीएफसी
3.	यूटीआई-एमएमएफ	एसएचसीआईएल बीओआई एमएफ यूटीआई-बैंक लि. बैनेट कोलमन कं. लि
4.	यूटीआई-आईईएफ	आईडीबीआई आईसीआईसीआई आईसीआरए
5.	एमआईपी 97 (IV)	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स एचपी स्टेट को.ऑप. बैंक लि.

6.	आईआईएसएफयूएस 97 (II)	भारतीय स्टेट बैंक
7.	आईआईएसएफयूएस 98	यूनियन बैंक भारतीय स्टेट बैंक पियरलेस जनरल वित्त एवं निवेशक कं. लि.
8.	यूटीआई बॉण्ड फंड	महाराष्ट्र रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. एचडीएफसी बैनेट कोलमन कं. लि
9.	मास्टर वैल्यू यूनिट प्लान	बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैदराबाद स्टेट बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा भारतीय स्टेट बैंक आईडीबीआई
10.	मास्टर इंडेक्स फंड	भारतीय बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स भारतीय स्टेट बैंक आईडीबीआई

ii) 30/06/98 के अनुसार उस योजना द्वारा या यूटीआई की किसी अन्य योजना द्वारा उस कंपनी या उसके आनुषंगिक द्वारा सकल आधार पर किया गया निवेश ।

(रु. करोड़ में)

कंपनी का नाम	इक्विटी (लागत)	ऋण (लागत)	मीयादी ऋण	जमा	कुल
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बैनेट कोलमन कं. लि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बैंक ऑफ बड़ौदा	22.31	0.00	0.00	0.00	22.31
बैंक ऑफ इंडिया	11.62	0.00	0.00	0.00	11.62
बीओआई एमएफ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एचडीएफसी	276.27	150.00	0.00	60.00	486.27
हिंदुस्तान लीवर लि.	961.35	5.73	0.88	0.00	967.96
एचपी स्टेट को.ऑप-बैंक लि.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आईसीआईसीआई	249.89	1711.43	885.00	0.00	2846.32
आईसीआईसीआई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लि. (आईसीआईसीआई अनुषंगी)	15.57	0.00	0.00	0.00	15.57
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एण्ड फाइनेंस कंपनी लि. (आईसीआईसीआई अनुषंगी)	0.00	34.70	0.00	67.00	101.70
आईसीआरए	2.92	0.00	0.00	0.00	2.92
आईडीबीआई	361.02	1599.15	0.00	0.00	1960.17
औद्योगिक विकास बैंक	0.00	99.05	0.00	0.00	99.05
जे एण्ड के बैंक	2.63	0.00	0.00	0.00	2.63
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	28.78	0.00	0.00	0.00	28.78
एसएचसीआईएल	7.52	0.00	2.50	0.00	10.02
सिडबी (आईडीबीआई अनुषंगी)	0.00	74.99	0.00	0.00	74.99
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	783.38	52.09	0.00	0.00	835.47
एसबीआई गिल्टस् (एसबीआई अनुषंगी) $	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	0.62	10.17	0.00	0.00	10.79
पियरलेस जनरल वित्त एवं निवेश कं. लि.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
यूटीआई बैंक लि.	111.40	0.00	0.00	0.00	111.40
कुल	2835.46	3737.31	888.38	227.00	7688.15

$ मांग जमा में निवेश

4. तथापि, ऊपर खण्ड VIII और XI के संबंध में किसी भी बात के होते हुए, आस्तियों का मूल्यांकन, शुद्ध आस्ति मूल्य का अभिकलन, पुनर्खरीद मूल्य और उनके प्रकटीकरण का अंतराल सेबी द्वारा समय-समय पर जारी सेबी (एमएफ) विनियमों के प्रावधानों/दिशा निर्देशों/निदेशों के अनुसरण में होगा ।

3. मूल विशेषताएं

"मूल विशेषताओं" का अर्थ निम्नलिखित हैं।

क) योजना का प्रकार : मास्टर इक्विटी प्लान 1999 एक नियतकालिक आय फंड है।
ख) निवेश उद्देश्य : जैसा कि इस पेशकश दस्तावेज के खंड IX के अंतर्गत बताया गया है।
ग) निर्गम की शर्तें : यूनिटों की पुनर्खरीद/प्रतिदान, व्यय के संबंध में इस पेशकश दस्तावेज में प्रावधान है।

योजना की मूल विशेषताओं में कोई भी परिवर्तन कम से कम तीन चौथाई सदस्यों की सहमति से किया जाएगा। आगे मूल विशेषताओं में कोई परिवर्तन होने पर जो अपनी सहमति न दें उन्हें योजना से अपनी यूनिटधारिताओं का मोचन करने की अनुमति होगी।

बोर्ड समय-समय पर योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान से परिवर्धन या अन्यथा उसमें संशोधन कर सकता है तथा ऐसा कोई संशोधन/परिवर्धन सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। किसी संशोधन के मामले में सेबी का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा।

ऐसा कोई संशोधन जो मूल विशेषताओं में संशोधन नही है और जो यूनिटधारकों के हितों को प्रभावित नहीं करता हो, सेबी के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा।

X. अंतर योजना अंतरण

इस योजना से ट्रस्ट की दूसरी योजना/प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब -

क) उद्धृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण स्पॉट आधार पर किए गए हों।
स्पष्टीकरण : "स्पॉट आधार" का अर्थ वही होगा जो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा स्पॉट सौदों के लिए निर्दिष्ट है।

ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनमें ऐसे अंतरण किए जाते हैं।

ग) प्लान से/में असूचीबद्ध या अनोद्धृत निवेश का ट्रस्ट की अन्य योजना/प्लान में से अंतरण ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

XI. संयुक्त सौदे एवं उधार

1. योजना ट्रस्ट या किसी दूसरे म्यूचुअल फंड की किसी अन्य योजना/प्लान में कोई शुल्क प्रभारित किए बिना निवेश कर सकती है, बशर्ते ट्रस्ट की सभी योजनाओं द्वारा किया गया कुल अन्तरयोजना निवेश या किसी दूसरी आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा प्रबंधित योजनाओं में किया गया निवेश ट्रस्ट के शुद्ध आस्ति मूल्य के 5% से अधिक न हो।

2. योजना यूनिटों की पुनर्खरीद, प्रतिदान या ब्याज की अदायगी या यूनिटधारकों को आय अदा करने के लिए नकदी की अस्थाई जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने के सिवा उधार नहीं लेगी।
परन्तु उधार योजना की शुद्ध आस्ति के 20% से अधिक नहीं लिया जाएगा और इस तरह के उधार की अवधि छ: माह से अधिक नहीं होगी।

3. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 20 के अनुसार ट्रस्ट को निम्नलिखित उधार लेने की शक्तियां प्राप्त हैं :

(i) ट्रस्ट, भारत या भारत से बाहर के किसी प्राधिकरण या व्यक्ति जो सरकार या रिज़र्व बैंक म हो, ऐसी प्रतिभूति के प्रति एवं ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर जिस पर वे आपस में सहमत हो, उधार ले सकता है।

(ii) ट्रस्ट रिज़र्व बैंक से निम्नलिखित स्थितियों में उधार ले सकता है :

(क) भारत में इस समय लागू किसी कानून द्वारा जिससे न्यासी ट्रस्ट का धन निवेश करने हेतु प्राधिकृत है, स्टॉक, निधियों एवं प्रतिभूतियों के प्रति (अचल संपत्तियों के अतिरिक्त) मांग पर या नियत अवधि की समाप्ति पर प्रतिदेय जो इस प्रकार ली गई राशि की तिथि से नब्बे दिन से अधिक न हो।

(ख) केंद्र सरकार के अनुमोदन से बांडों की प्रतिभूति के प्रति, जिसे ट्रस्ट जारी कर सकता है, मांग या जिस तिथि से ऐसी राशि उधार ली गई है, उस तिथि से अठारह महीनों की अवधि के भीतर प्रतिदेय हो।

(ग) प्रथम यूनिट योजना के अतिरिक्त किसी अन्य योजना के प्रयोजन हेतु जिसे इस संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है ट्रस्ट को ऐसी अन्य संपत्तियों की प्रतिभूति के प्रति या ऐसी शर्तों एवं नियमों पर :

बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत उधार ली गई कोई राशि एवं किसी समय बकाया इससे ज्यादा न हो -

(क) ऐसी प्रत्येक योजना के संबंध में पांच करोड़ रुपए से ज्यादा न हो, एवं

(ख) समग्र रूप से ऐसी समस्त योजनाओं के संबंध में दस करोड़ रुपए।

(iii) ट्रस्ट द्वारा उप धारा (ii) के अंतर्गत जारी बांड के मूल राशि की चुकौती की गारंटी केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाएगी एवं ब्याज का भुगतान बांड जारी करते समय केंद्रीय सरकार द्वारा निश्चित दर पर किया जाएगा।

XII. एनएवी निर्धारण एवं आस्तियों का मूल्यांकन

1. शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का परिकलन और प्रकटीकरण :

योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के उपचयों और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा। प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग दे कर किया जाएगा। योजना के आरंभ होने के छ: माह के बाद अर्थात् 1 अक्तूबर, 1999 को और उसके बाद साप्ताहिक आधार पर शुद्ध आस्ति मूल्य (पूर्ववर्ती आधार पर) समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा।

2. **इस योजना की आस्तियों का मूल्यांकन :**

(क) अवरुद्ध अवधि के अधीन सहित उद्धृत निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को बाजार के अंतिम मूल्य पर या उसकी अनुपस्थिति में मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि के भीतर नवीनतम उपलब्ध भाव पर किया जाता है। यदि मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि हेतु, कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोद्धृत निवेश माना जाता है। उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तिथि को अंतिम एवं एनएसई बाज़ार दरों पर किया जाता है और उसकी अनुपस्थिति में मूल्यांकन की तिथि से सात दिनों पूर्व की अवधि के भीतर उपलब्ध नवीनतम भाव पर ही मूल्यांकन हेतु विचार किया जाता है। यदि मूल्यांकन की तारीख से सात दिन पूर्व की अवधि हेतु, कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोद्धृत सरकारी प्रतिभूतियां समझा जाता है।

(ख) उद्धृत डिबेंचरों और बॉण्डों के मामले में, बाजार दर जो ब्याज सहित है, उसे ब्याज तत्त्व यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया जाता है।

(ग) शेयरों के अधिकार पात्रता का मूल्यांकन, लाभांश तत्त्व हेतु बट्टा काटकर, जहां लागू हो बाजार दर पर किया जाता है।

(घ) अनोद्धृत अधिमान शेयर लागत पर लिए जाते हैं।

(ङ) अनोद्धृत इक्विटी शेयर जैसे न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित किया जाए, उचित मूल्यांकन आधार पर किया जाता है।

(च) अनोद्धृत डिबेंचर, बॉण्ड, सावधि ऋण एवं अंतरणीय नोट परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित हो, मूल्यांकित किए जाते हैं।

(छ) अनोद्धृत वारंट, मूलाधार शेयरों की बाजार दर पर, आय तत्त्व, यदि कोई हो, के लिए बट्टा काटकर तथा देय लागू मूल्य से कम करके, लिए जाते हैं। जिन मामलों में इस तरह लिए गए मूल्य से लागू देय मूल्य ज्यादा हो, वहां वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है।

(ज) परिवर्तनीय डिबेंचर एवं बॉण्ड, जहां मिश्र बाजार भाव उपलब्ध न हो, वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन, संबंधित इक्विटी शेयरों, जिनमें आय तत्त्व, यदि कोई हो, के लिए बट्टा काट कर बाजार दर पर किया जाता है। ऐसे डिबेंचरों एवं बॉण्डों का अपरिवर्तनीय भाग, यदि कोई हो, का मूल्यांकन, ऊपर (च) में दिए गए अनुसार किया जाएगा। जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हों, वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है।

(झ) मुद्रा बाजार लिखतों एवं अन्य अस्तियां बही मूल्य पर ली जाती हैं।

(ञ) अनोद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन प्रचलित बाजार दर पर परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर किया जाता है।

(त) **मुद्रा बाजार निधि के अंतर्गत निवेशों के लिए मूल्यांकन नीति :-**

(i) अंतर बैंक कॉल बाजार में निवेशित राशि लागत पर ली जाती है।

(ii) बट्टा /ब्याज उपार्जन लिखत में निवेशित राशि का मूल्यांकन, उस प्रतिफल पर किया जाता है जिसमें लिखत का सौदा अंतिम बार किया गया था। इस उद्देश्य हेतु भाव,जो दो कार्य दिवस पुराना हो वैध माना जाता है। जब पिछले दो कार्य दिवस में का कोई भाव उपलब्ध न हो, तो लिखत को लागत एवं अंकित मूल्य के मध्य अंतर को लिखत के परिपक्व होने के बाकी बचे दिनों पर एक समान रूप से लागू करके मूल्यांकित किया जाता है।

(iii) अनोद्धृत प्रतिभूतियों सहित अन्य मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन लागत और लिखत के परिपक्व होने के बाकी बचे दिनों पर एक समान रूप से लागू अंकित मूल्य एवं लागत के मध्य अंतर पर किया जाता है।

XIII. लेखा नीतियां

1. आय की मान्यता

(क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय भूतपूर्व लाभांश तिथि पर प्रोद्भूत की जाती है। असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों एवं अधिमान शेयरों पर लाभांश आय का हिसाब प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

(ख) निवेशों पर ब्याज एवं प्रतिबद्धता प्रभार का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

(ग) निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि की पहचान भारित औसत लागत के आधार पर सौदे की तिथियों पर की जाती है। डिबेंचर / बॉण्डों के प्रतिदान पर लाभ या हानि और प्रीमियम की पहचान देय तिथि को की जाती है।

(घ) जब कोई विकास नहीं हो तो हामीदारी कमीशन को नकदी आधार पर राजस्व माना जाता है। विकास के मामले में, पूर्ण हामीदारी कमीशन ऐसे निवेशों की लागत में से कम किया जाता है।

(ङ) शेयरों एवं डिबेंचरों में किए गए निवेशें पर प्रारंभिक शुल्क को ऐसे निवेशों की लागत में से कम कर दिया जाता है। ऋणों पर प्रारंभिक शुल्क की पहचान, वितरण के प्रथम वर्ष में आय के रूप में की जाती है।

(च) अन्य आय की गणना प्राप्ति आधार पर की जाती है।

(छ) 'प्रावधान एवं ह्रास' पर कृपया उप-खंड 5 का संदर्भ लें।

2. व्यय

क. व्यय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

ख. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25(4) के प्रावधानों के अनुसार यूनिट योजना 1964 के अंतर्गत किए गए कुछ खास सामान्य खर्चों का विनिधान अन्य योजनाओं पर किया जाता है।

ग. नियत आस्तियों वाली यूनिट योजना, 1964 कथित आस्तियों के उपयोग के लिए अन्य योजनाओं से अनुमोदन आधार पर पट्टा किराया वसूल करती है।

3. आस्थगित राजस्व व्यय

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25(3) के प्रावधानों के अनुसार, कुछ खास व्ययों को आस्थगित किया गया है, जो निम्नानुसार हैं -

नियत कालिक योजनाएं :

(i) नियत कालिक योजनाओं द्वारा की गई आरंभिक/अधिकार निर्गम व्यय एवं एजेंटों को कमीशन संबद्ध योजनाओं की समयावधि पर समान रूप से अपलिखित किए जाते हैं।

(ii) नियत कालिक इक्विटी उन्मुख योजनाओं के प्रारंभ के वर्ष में आबंटित सामान्य व्यय, योजना की समयावधि पर समान रूप से अपलिखित किए जाते हैं।

(iii) जब यूनिटों की पुनर्खरीद की जाती है/पुन: क्रय किया जाता है, उस वर्ष प्रभारित एवं अन्य असमाप्त अवधि के लिए आस्थगित राजस्व व्यय को उचित रूप से समायोजित किया जाता है।

4. **निवेश**

क. निवेशों का विवरण लागत पर या अवलिखित लागत पर दिया जाता है।

ख. द्वितीयक बाजार कारोबार के मामले में निवेश को व्यापार तिथियों पर किया गया माना जाता है।

ग. आबंटन पर प्राथमिक बाजार निर्गमों में अभिदान को निवेश माना जाता है।

घ. बोनस/अधिकार पात्रताओं को पूर्ववर्ती-बोनस/पूर्ववर्ती अधिकार तिथियों पर माना जाता है।

ङ. प्रतिदान / देय तिथि को निवेश अर्थात् डिबेंचर/बॉण्डों एवं जमा राशियों, चालू आस्तियों में स्थानांतरित किए जाते हैं।

च निवेश की लागत में दलाली एवं सेवा - कर शामिल हैं लेकिन स्टाम्प शुल्क शामिल नहीं है, जिसे राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

5. **प्रावधान एवं मूल्यह्रास :**

(क) संदिग्ध समझी गई आय के प्रति प्रावधान :

पिछली दो तिमाही या उससे अधिक के लिए देय बाकी ब्याज आय के संबंध में प्रावधान किया जाता है।यदि लाभांश,पिछले लाभांश की तिथि से एक वर्ष से अधिक के लिए बाकी है तब तुरंत अगले वर्ष प्रावधान किया जाता है।

(ख) निवेश के मूल्य में ह्रास

(i) उपरोक्त खंड XII(2) के अनुसरण में गणना किए गए निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है एवं परिणामत: ह्रास यदि हो, सामान्य प्रारक्षित निधि / यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि को प्रभारित किए जाते हैं।

(ii) जहां, न्यासी मंडल की राय में, अनोधृत इक्विटी या अधिमान शेयरों के मूल्य में महत्त्वपूर्ण कमी होती हो, वहां ऐसे शेयरों की लागत, मामले के अनुरूप, यूनिट प्रीमियम/सामान्य प्रारक्षित निधि/राजस्व लेखे के बट्टे खाते में डाल दी जाती है।

ऐसे मामले, जहां न्यासी मंडल की राय में, पिछले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए निवेश की गुणवत्ता में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ हो, इसे फिर से मूल बही मूल्य में प्रतिलेखित कर दिया जाता है।

(iii) अन्य निवेशों, जैसे डिबेंचरों एवं बॉण्डों, रक्षित/अ-रक्षित अंतरण योग्य नोटों, सावधिक ऋणों एवं जमाओं के मामले में यदि पिछले 180 दिन या उससे अधिक दिनों से ब्याज की अदायगी नहीं की गई हो, तो उन्हें अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और राजस्व लेखे को प्रभारित कर प्रावधान किए जाते हैं। ये प्रावधान प्रत्येक अनुपयोज्य आस्ति के लिए अलग-अलग बनाया जाता है न कि उसी कंपनी की अन्य उपयोगी आस्तियों के लिए।

(iv) अनुपयोज्य आस्तियों का प्रावधान आस्तियों के अनुपयोज्य रहने की अवधि के आधार पर निम्नलिखित रूप में किया जाता है :

आस्ति के अनुपयोज्य रहने की अवधि	प्रावधान का प्रतिशत	
	रक्षित आस्ति	अ-रक्षित आस्ति
दो वर्षों तक	10%	10%
दो वर्षों से अधिक परंतु तीन वर्षों तक	20%	100%
तीन वर्षों से अधिक परंतु पांच वर्षों तक	30%	100%
पांच वर्षों से अधिक	50%	100%

(v) जहां मूल पुनर्भुगतान (i)3वर्षों तक की अवधि वाली ऋण लिखतों के संबंध में पिछली देय अवधि के बाद 180 दिनों हेतु और (ii) 3 वर्षों से अधिक अवधि वाले ऋण लिखतों के संबंध में पिछली देय अवधि के बाद 365 दिनों हेतु,बकाया रहने के कारण ऐसी बकाया किस्तों हेतु प्रावधान बनाया जाता है।ऐसी आस्तियों के लिए समग्र प्रावधान,उपरोक्त तालिका में उल्लिखित प्रतिशत (जमानती आस्तियों हेतु 50% तथा गैर जमानती आस्तियों हेतु 100%) या चूक वाली राशि जो भी अधिक हो,तक सीमित है।

ऐसे मामले जिनमें मूल चूक जारी रहती है,किसी भी किस्त के लिए प्रावधान संबंधित देय तिथियों के 30 दिनों के बाद किया जाता है।

(vi) बकाया देय ब्याज के पूंजीकरण के द्वारा ब्याज के निधियन के मामले में, उसके चूक की अवधि के बावजूद पूर्ण रूप से प्रावधान किया जाता है।

(vii) गैर निष्पादी आस्तियों के लिए प्रावधान यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि/सामान्य प्रारक्षित निधि/राजस्व लेखा, जैसा भी मामला हो, में प्रभारित किए जाते हैं।

(viii) अनुच्छेद 5(क)और 5(ख)(vi) के अंतर्गत बनाए गए प्रावधान प्राप्ति के आधार पर पुनरांकित किए जाते हैं। 5(ख)(v) के अंतर्गत प्रावधान किस्तों की प्राप्ति तक पुनरांकित किए जाते हैं।

6. **यूनिटों का पुन:क्रय :**

शेयर बाजार में सूचीबद्ध एवं खुले बाजार के क्रियाकलाप के जरिए प्रतिदान के लिए पुन:क्रय की गई योजनाओं की यूनिटें सौदे की तिथियों पर हिसाब में ली जाती हैं। अभिग्रहण लागत एवं अंकित मूल्य के बीच के अंतर को राजस्व विनियोजन लेखा से प्रभारित किया जाता है।

7. **आय वितरण :**

आय वितरण हेतु प्रावधान अनुमोदित दर पर किए जाते हैं।

वे योजनाएं, जिनके अंतर्गत यूनिटें प्रीमियम पर या अंकित मूल्य पर बट्टा देकर बेची जाती हैं, को छोड़कर सभी योजनाओं के अंतर्गत पूंजीकरण के लंबित रहने पर आवेदन राशि पर आय वितरण के लिए प्रावधान किया जाता है। इन योजनाओं पर आय वितरण पूंजीकरण के वर्ष में राजस्व विनियोजन लेखे में प्रभारित किया जाता है।

1 जनवरी, 1997 के बाद प्रारंभ हुई मासिक आय प्लानों के संबंध में, जहां आय वितरण आश्वासित है, उसकी निकासी के संबंध में देयता के लिए प्रावधान लेखा बहियों में प्रत्येक वर्ष अप्रैल से मार्च तक की अवधि हेतु किए जाते हैं।

8 **वित्तीय परिणाम का प्रकाशन :**

यथा 31 दिसंबर को अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम 2 माह के भीतर एवं यथा 30 जून को लेखा परीक्षित वार्षिक परिणाम लेखा को अंतिम रूप देने के 6 माह के भीतर एक अंग्रेजी दैनिक एवं एक मराठी दैनिक में प्रकाशित किया जाएगा।

XIV. निवेशों का कर - निरूपण

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के अंतर्गत, एमईपी '99 की यूनिटों में किया गया निवेश, निवेशित राशि का 20% (बशर्ते अधिकतम रु. 10,000/-) कर-छूट के योग्य होगा। अन्य शब्दों में, निवेशक द्वारा निवेशित राशि के 20% को (बशर्ते अधिकतम रु. 10,000/-) देय कर, यदि कोई हो में से घटा दिया जाएगा। तथापि, किसी निवेशक के मामले में जो लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतज्ञ, अभिनेता या खिलाड़ी (एथलीट सहित) के रूप में उसके व्यवसाय से प्राप्त आय, कुल आय का 25% या उससे अधिक है, तो निवेशित राशि का 25% जो रु.10,000/- से अधिक न हो (अर्थात् रु. 2500 तक) निवेशक के कर-देयता से छूट के योग्य होगा।

प्रचलित कर कानूनों के अनुसार अन्य कोई आय या यूनिटों से पूंजीगत अभिलाभ कर के योग्य होंगी। वर्तमान में, एमईपी '99 सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं के अंतर्गत यूनिटों से आय, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 एल के अंतर्गत रु. 15,000/- की समग्र सीमा तक आय से कटौती की लाभ उठाएगा और प्लान में से प्राप्त होने वाला दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 एवं 112 के अंतर्गत बताए गए निरूपण के अधीन होगा।

योजना में निवेश का मूल्य धन कर से पूर्णतया मुक्त है।

स्रोत पर कर की कटौती यदि हो, प्रचलित कर कानूनों के अनुसार होगी।

धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजी अभिलाभ कर छूट

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाली संपूर्ण या आंशिक शुद्ध राशि का एमईपी '99 में किया गया निवेश, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर से छूट के लिए पात्र होगा बशर्ते पुनर्खरीद/अंतरण/गिरवी, आवेदन की स्वीकृति के तीन वर्षों बाद ही की/किया/रखा जाए।

धारा 54 ईबी के अंतर्गत पूंजी अभिलाभ कर छूट

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाली संपूर्ण या आंशिक शुद्ध राशि का एमईपी '99 में किया गया निवेश, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईबी के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर से छूट के लिए पात्र होगा बशर्ते पुनर्खरीद/अंतरण/गिरवी, आवेदन की स्वीकृति पर सात वर्षों बाद ही की/किया/रखा जाए।

हालांकि धारा 54ईए/54ईबी के तहत कर में छूट का लाभ ले रहे निवेशक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के अन्तर्गत कर में छूट के पात्र नहीं होंगे।

उपहार कर :

उपहार कर अधिनियम, 1958 ने 1 अक्तूबर, 1998 को अथवा उसके पश्चात् दिए गए उपहारों के मामले में उपहार कर की उगाही को समाप्त कर दिया है। अत: यूटीआई की यूनिटों का उपहार बिना किसी ऊपरी सीमा के उपहार कर की उगाही से पूर्णत: माफ है। इसी तरह, इस प्लान के अंतर्गत यूनिटों के उपहारों का मूल्य तीन वर्षों की अवरुद्ध अवधि के पश्चात उपहार कर से मुक्त होगा।

XV. निवेशकों के अधिकार एवं सेवाएं

1 प्लान के अधीन यूनिटधारकों को प्लान की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा प्लान के आय में समानुपातिक अधिकार प्राप्त है।

2. यूनिटधारकों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हो तथा यूनिटधारकों को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे।

3. यूनिटधारकों को यूनिटों की बिक्री बंद होने की तिथि से 6 सप्ताहों के भीतर यूनिट प्रमाणपत्र जारी किए जाने का अधिकार है।

4 यूनिटधारकों को अधिकार है कि जिस कार्यालय में पुनर्खरीद आग्रह संसाधित किए जाते हैं वहां आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर (बशर्ते कि आवेदन सही हो) पुनर्खरीद/प्रतिदान प्राप्तियां उन्हें भेजी जाए।

5. आय की घोषणा के मामले में यूनिटधारकों को अधिकार है कि आय की घोषणा की तिथि से 42 दिनों के भीतर आय वारंट प्रेषित किए जाएं।

6. संबद्ध लेखा वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर मास्टर इक्विटी प्लान 1999 के संदर्भ में संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति सभी यूनिटधारकों को भेजी जाएगी एवं पूरी वार्षिक रिपोर्ट निरीक्षण के लिए केंद्रीय निवेशक संपर्क कक्ष में उपलब्ध कराई जाएगी एवं इसकी प्रति यूनिटधारकों को न्यूनतम शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

7. यूनिटधारकों को केंद्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट द्वार नं. 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुंबई-400 020 में रखे निम्नलिखित दस्तावेजों के निरीक्षण का अधिकार है :

- यूटीआई अधिनियम
- सामान्य विनियम
- अभिरक्षक, रजिस्ट्रार और संग्रहणकर्ता बैंकों के साथ किए गए करार
- पेशकश दस्तावेज मास्टर इक्विटी प्लान 99 की प्रति

8. निर्दिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत सदस्यों का अनुमोदन डाक मतदान के जरिए मांगा जाएगा।

XVI. भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना एवं प्रबंधन

यूटीआई की स्थापना

यूटीआई अधिनियम, 1963 के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होने वाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी। इसने 1जुलाई, 1964 से कार्य करना आरंभ किया।

यूटीआई का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है, जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पर्णकालिक अध्यक्ष है।

मंडल के अलावा, एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी हैं। यह समिति मंडल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर कार्य करने के लिए अधिकृत है।

न्यासी मंडल *

1.	श्री पी.एस. सुब्रमनीयम	अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
2.	डॉ पी.जे. नायक	कार्यपालक न्यासी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
3.	श्री एस गुरुमूर्ति	कार्यपालक निदेशक, आरबीआई
4.	श्री जी पी गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
5.	श्री एन.एस. सेखसरिया	प्रबंध निदेशक, गुजरात अंबुजा सिमेन्ट्स लि.
6.	श्री पी.आर. खन्ना	सनदी लेखाकार
7.	श्री जी. कृष्णमूर्ति	अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
8.	श्री एन. वाघुल	अध्यक्ष, आईसीआईसीआई लि.
9.	श्री रशीद जिलानी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक

* **वर्तमान में न्यासियों की अन्य निदेशिकाएं इस प्रकार हैं :**

1. **श्री पी.एस. सुब्रमनीयम-** (i) अध्यक्ष-इंडिया फंड, (ii) अध्यक्ष-इंडिया ग्रोथ फंड,(iii) अध्यक्ष -यूटीआई इन्वेस्टर सर्विसेस लि. (iv) शासी परिषद के अध्यक्ष - भारतीय यूनिट ट्रस्ट - इन्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट (v) अध्यक्ष - यूटीआई सिक्यूरिटीज़ एक्सचेंज लि.,(vi) अध्यक्ष एवं निदेशक ओवर द काएंटर (ओटीसी) एक्सचेंज ऑफ इंडिया,(vii) निदेशक - यूटीआई बैंक लि.

2. **डॉ पी.जे. नायक -** (i) शासी परिषद के सदस्य - यूटीआई इन्स्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट,(ii) निदेशक - भारतीय यूनिट ट्रस्ट आईएसएल, यूटीआई आईएएस लि., भारतीय म्यूचुअल फंड संघ एवं नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉजीटरी लि.

3. **श्री जी.पी.गुप्ता -** (i) अध्यक्ष-भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (ii) निदेशक -इंडिया फंड,(iii) निदेशक - इंडिया ग्रोथ फंड,(iv) निदेशक-भारतीय मितिकाता एवं वित्त गृह लि.,(v) निदेशक-भारतीय आयात-निर्यात बैंक,(vi) निदेशक-भारतीय प्रतिभूति व्यापार एवं निगम लि.,(vii) निदेशक-इन्फ्रास्ट्रकचर डेवलेपमेंट फायनेंस कं. लि.,(viii)सदस्य-भारतीय जीवन बीमा निगम लि.,(ix) सदस्य-भारतीय सामान्य बीमा निगम लि.,(x) न्यासी- भारतीय यूनिट ट्रस्ट,(xi) निदेशक-दक्षिण एशिया क्षेत्रीय निधि,(xii) अध्यक्ष-दक्षिण एशिया डेवलेपमेंट फंड,(xiii)समिति सदस्य-भारतीय बैंक संघ,(xiv) सदस्य-बैंकर प्रशिक्षण कॉलेज (आरबीआई), (xv)सदस्य-एशिया एवं प्रशांत क्षेत्रों में विकासशील वित्तीय संस्थाओं का संघ,(xvi)सदस्य-बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्था,(xvii)सदस्य-भारतीय कंपनी सचिव संस्था।

4. **श्री एन.एस. सेखसरिया -** निदेशक - श्री अरबुदा मिल्स लि., गुजरात वेंचर फाइनेंस लि., राधा माधव इन्वेस्टमेंट लि. एवं गृह फाइनेंस लि.।

5. **श्री पी.आर. खन्ना** - निदेशक - एसबीआई कैपिटल मार्केट लि., मोदी रबर लि., इलिमैकेनिक एवं कंट्रोल (इंडिया) लि., डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लि., गॉडफ्रे फिलिप इंडिया लि., इंडैग रबर लि., टोयो मिरर प्राइ. लि., मार्केटिंग रिसर्च ग्रुप प्राइ. लि. एवं सीता हॉलिडे रिसोर्ट लि.।

6. **श्री जी. कृष्णमूर्ति** - (i) अध्यक्ष - एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) ईसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. एवं जीवन बीमा सहयोग आस्ति प्रबंधन कंपनी (ii) निदेशक - भारतीय साधारण बीमा निगम, केनिन्डिया एन्श्यूरेंस कं. लि., भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह, भारतीय रेल वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम एवं राष्ट्रीय आवास बैंक।

7. **श्री एन वाघुल** - (i) अध्यक्ष - भारतीय तकनीकी विकास सूचना कंपनी लि. बंगलोर, भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लि., भारतीय विदेश प्रशिक्षण संस्थान, कंसबहल एवं 20 सेंचुरी वेंचर कैपिटल कार्पोरेशन, (ii) निदेशक - भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक कलकत्ता, आवास विकास वित्त निगम एवं भारतीय मितीकाटा एवं वित्त गृह लि.।

8. **श्री रशीद जिलानी** - (i) निदेशक - भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि., निक्षेप बीमा एवं पत गारंटी निगम, भारतीय आयात निर्यात बैंक. भारतीय कृषि वित्त निगम लि., पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., ओरिएंटल इन्श्यूरेंस कं. लि., भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्थान, नई दिल्ली, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्था, पुणे, भारतीय बैंक संस्थान एवं भारतीय निवेश केंद्र, नई दिल्ली, (ii) अध्यक्ष - भारतीय बैंक संघ, (iii) अध्यक्ष - स्विफ्ट यूजर ग्रुप - इंडिया, (iv) सदस्य - स्विफ्ट-एशिया पैसेफिक एडवायज़री फंड काउंसिल।

निधि का प्रबंधन - श्री बी. जी. डागा, कार्यपालक निदेशक, निधि प्रबंधक होंगे।

योग्यता - (i) एम.कॉम.,(ii) महाराष्ट्र सरकार का सरकारी वाणिज्यिक डिप्लोमा,(iii) सर्टिफाइड कार्पोरेट सेक्रेटरी, कार्पोरेशन ऑफ सेक्रेटरीज, लंदन,(iv) एसोसिएट इंटरनेशनल एकाउंटैंट, असोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एकाउंटैंट्स, लंदन, (v) डिप्लोमा इन को-ऑपरेशन, भारतीय बैंकर संस्थान, मुंबई तथा (vi) सीएआईआईबी

अनुभव एवं पृष्ठभूमि - पिछले 10 वर्ष :-मुख्य महाप्रबंधक (निधि प्रबंधन विभाग की इक्विटी और उनका बाजार परिचालन, अंतरराष्ट्रीय वित्त विभाग तथा इक्विटी रिसर्च कक्ष)। प्राथमिक उत्तरदायित्व - इक्विटी / वृद्धि-उन्मुख निधियों देशी एवं विदेशी दोनों का प्रबंधन। इक्विटी रिसर्च तथा विदेशी निधि का विन्यास, अन्य उत्तरदायित्व रहे हैं।

पदनाम/विभाग/अवधि	**उत्तरदायित्व**
मुख्य महाप्रबंधक/ बाजार परिचालन विभाग/ अप्रैल '95-अक्तूबर '97	देशी वृद्धि-उन्मुख योजनाओं का प्रबंधन
मुख्य महाप्रबंधक/ नीति आयोजना विभाग/	स्टेट स्ट्रीट बैंक एण्ड ट्रस्ट कं., बोस्टन के साथ संयुक्त उद्यम तथा मिस्र (इजिप्ट) में एक आस्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना

संयुक्त महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक/ अंतरराष्ट्रीय वित्त विभाग/ फरवरी '91-सितंबर '94	इंडिया फंड तथा इंडिया ग्रोथ फंड का निधि प्रबंधन एवं अन्य संबंधित कार्यकलाप अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को सेवा प्रदान करना नये विदेशी उत्पादों/संयुक्त उद्यमों का सौदा एवं उनका विन्यास श्रीलंका में एक आस्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना तथा उसके निधि प्रबंधन और परिचालन प्रणालियों आदि का मार्गदर्शन करना
उप महाप्रबंधक/ वित्त एवं निवेश/ अक्तूबर '87-जनवरी '91	प्राथमिक बाजार में निवेश
विदेशी मुद्रा के सहायक नियंत्रक/ सहायक प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक/ 21-06-62 से 30-06-87	भारत में विदेशी निवेश के विशेष संदर्भ में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के सभी पहलुओं का प्रबंधन। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में विदेशी इक्विटी कम करने के प्रभाव पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार किया। नये निर्गमों के लिए प्रीमियम निर्धारित करने के लिए तथा विदेशी निवेशकों द्वारा इक्विटी विनिवेश हेतु मूल्य के निर्धारण के लिए शेयरों के मूल्यांकन पर गठित अनौपचारिक समिति के विचार-विमर्शों में भाग लिया।

XVII. योजना के लिए अन्य सेवाएं देने वाले

1. अभिरक्षक

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी विंग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई -400 021 में स्थित है।

अभिरक्षकों से यह अपेक्षा है कि वे ट्रस्ट की योजनाओं/फ़ंडों/प्लानों की सभी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लें और उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखें। अभिरक्षक प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करेंगे। जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, खरीद, अंतरण एवं अन्य लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिए सभी गैर विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक ब्यौरों के लिए सामान्यतया प्राधिकृत होगा।

अभिरक्षक सभी सूचनाएं रिपोर्टें अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/फ़ंडों/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेंगे।

भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि (एसएचसीआईएल)ने रजिस्ट्रेशन नंबर हेतु आवेदन किया है।

सुरक्षा प्रभार इस प्रकार है :

बाजार परिचालन रु. 100/- प्रति सौदे की दर से (बिक्री, खरीद एवं प्राथमिक बाजार)

सुरक्षा शुल्क की दर इस प्रकार है :

धारित आस्तियों का मूल्य	प्वाइंट आधार
रु. 2000 करोड़ तक	12
रु. 2000 करोड़ से रु. 3000 करोड़ के बीच	11
रु. 3000 करोड़ से रु. 4000 करोड़ के बीच	10
रु. 4000 करोड़ से रु. 5000 करोड़ के बीच	9
रु. 5000 करोड़ से अधिक	8

चूंकि यूटीआई की धारिता रु. 5000 करोड़ से अधिक है, इसलिए यूटीआई के लिए प्रभावी दर 8 आधार प्वाइंट प्रति वर्ष है। अभिरक्षा एवं सौदों के कारण देय कुल सेवा प्रभार रु. 35 करोड़ की उच्चतम सीमा के अधीन है।

2. **लेखा परीक्षक**

मेसर्स एस के कपूर एण्ड कं.16/98, एलआईसी बिल्डिंग, द माल, कानपुर-208001 और मेसर्स चतुर्वेदी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, 60 बेंटिक स्ट्रीट, कलकत्ता 700 069। योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आईडीबीआई द्वारा की जाती है, और वे प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन हैं।

3. **रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट**

मेसर्स एमसीएस लि. - सेबी रजिस्ट्रेशन सं. आईएनआर 000000056 - को रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है ।

यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्रों, अंतरण फार्मों एवं पुनर्खरीद आग्रहों की प्रोसेसिंग करने, सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्रों एवं लाभांश वारंटों को निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने और निवेशक की शिकायतों को दूर करने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की पर्याप्त क्षमता है।

आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात् सेवाएं रजिस्ट्रार की निम्नलिखित कार्यालयों द्वारा प्रदान की जाएंगी :

पश्चिमी अंचल : (1) श्री पद्मावती भवन, प्लॉट नं. 93, रोड नं.16, एमआईडीसी परिसर, अन्धेरी (पू) मुंबई 400 093 टेलि.नं.820 1785, 820 1783.

(2) 101, शतदल काम्पलेक्स, 1ली मंज़िल, आश्रम रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009. टेलि. नं. 658 2878/658 4027

पूर्वी अंचल : श्री वेंकटेश मंगलम, 24/26 हेमंत बासु सरानी, कलकत्ता 700 001. टेलि.नं.210 2805/06.

दक्षिणी अंचल : श्री वेंकटेश भवन, 35, अर्मेनियन स्ट्रीट, चेन्नई 600 001. टेलि.नं.524 0121/5223306.
उत्तरी अंचल : श्री वेंकटेश भवन,212ए, शाहपुर जाट, नई दिल्ली 110 049. टेलि.नं.649 4830/6494152.

4. भुगतानकर्ता बैंक

अखिल भारतीय आधार पर भारतीय स्टेट बैंक भुगतानकर्ता बैंक के रूप में कार्य करेगा। यूटीआई बैंक भी भुगतानकर्ता बैंक के रूप में कार्य करेगा जहां पर बैंक की शाखा होगी। आवेदन यूटीआई शाखा कार्यालयों, सीआर संग्रहण केंद्रों एवं विशेष बिक्री कार्यालयों द्वारा भी स्वीकार किए जाएंगे।यूटीआई शाखा कार्यालयों के पते अंतिम पृष्ठ पर दिए गए हैं।सीआर संग्रहण केन्द्रों एवं विशेष बिक्री कार्यालयों के पते आवेदन फार्मों में दिए गए हैं।

बैंकों के मुख्य व्यापार के पते :

भुगतानकर्ता बैंक	भुगतानकर्ता बैंकों के पते
1. भारतीय स्टेट बैंक	स्थानीय मुख्य कार्यालय, भद्रा मुख्य शाखा, अहमदाबाद-380 001
2. भारतीय स्टेट बैंक	कलकत्ता मुख्य शाखा, 1, स्ट्रैंड रोड, कलकत्ता 700 001
3. भारतीय स्टेट बैंक	चेन्नई मुख्य शाखा, 22, राजाजी सालै, चेन्नई - 600 001
4. भारतीय स्टेट बैंक	मुंबई मुख्य शाखा, हॉर्निमन सर्कल, मुंबई समाचार मार्ग, मुंबई 400 001
5. भारतीय स्टेट बैंक	नई दिल्ली मुख्य शाखा, 11, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001
6. यूटीआई बैंक लि.	'साकार'तल मंज़िल, गांधी ग्राम रेलवे स्टेशन के सामने, आश्रम रोड के बाजू में, अहमदाबाद-380 009
7. यूटीआई बैंक लि.	"लॉर्ड्स", तल मंज़िल, 7/1, लॉर्ड सिन्हा रोड, कलकत्ता 700 071
8. यूटीआई बैंक लि.	नं.82, डॉ. राधाकृष्णन सालै, चेन्नई - 600 004
9. यूटीआई बैंक लि.	यूनिवर्सल बिल्डिंग, पी एम रोड, मुंबई - 400 001
10. यूटीआई बैंक लि.	कंचनजंगा बिल्डिंग, ऊपरी तल मंज़िल, 18, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली 110 001

XVIII निवेशकों की शिकायतों का निवारण

1. सभी निवेशक अपनी शिकायतें निवेश संबंधी पूर्ण विवरण देते हुए सम्बंधित निवेशक संपर्क कक्ष को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :

पश्चिमी अंचल :

सुश्री तन्वी उपाध्ये :
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष, कामर्स सेंटर 1,
28वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र, जी डी सोमानी मार्ग, कफ परेड, मुंबई-400 005
टेली : 218 0172/215 3846

दक्षिणी अंचल :

सुश्री शिरिन रामप्रसाद/सुश्री हरी प्रिया एस.
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
यूटीआई हाऊस, 29, राजाजी सालै,
चेन्नई-600 001
टेली : 526 0146

पूर्वी अंचल :

श्री एस एल चक्रवर्ती
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
4, फेयरली प्लेस,
कलकत्ता-700 001
टेली : 2203045

उत्तरी अंचल :

श्री बी चक्रवर्त्ती
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
हेरॉल्ड हाऊस, 2री मंजिल,
5ए, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली 110 002
टेली : 3315574/3329860

2. निवेशकों की शिकायतों, जिनका निवारण किया गया, का रिकॉर्ड

पिछले तीन वर्षों की दौरान प्राप्त शिकायतें, जिनका निवारण किया गया और जो निवारणाधीन हैं,इस प्रकार हैं:

अवधि में प्राप्त	शिकायतें की संख्या	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
01-07-95 से 30-04-96	685997	651813	34184	4.98%
01-04-96 से 31-03-97	470169	447495	22675	4.82%
01-04-97 से 31-03-98	551929	539318	12611	2.28%

01-12-97 से 30-11-98 तक की अवधि के लिए प्राप्त शिकायतों की संख्या, जिनका निवारण किया गया और जो निवारणाधीन हैं, उन्हें नीचे दिया गया है :

अवधि	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	
सीसीसीएफ	887	843	44	4.96%
सीजीजीएफ	5762	4307	1455	25.25%
सीजीएस-83	129	100	29	22.48%
सीजीयूएस-91	1947	1914	33	1.69%
सीआरटीएस	190	184	6	3.16%
डीआईपी-91	1707	1667	40	2.34%
डीआईयूपी-93	1122	687	435	38.77%
डीआईयूपी-95	750	742	8	1.07%
डीआईयूएस-90	549	534	15	2.73%
डीआईयूएस-91	502	473	29	5.78%

अवधि	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	
डीआईयूएस-92	888	849	39	4.39%
ईओएफ	140	135	5	3.57%
जीसीजीआई	562	541	21	3.74%
जीएमआईएस-91	1681	1622	59	3.51%
जीएमआईएस-92	1834	1720	114	6.22%
जीएमआईएस-92 (II)	1183	1013	170	14.37%
जीएमआईएस-बी-92	1755	1606	149	8.49%
जीएमआईएस-बी-92(II)	1276	1185	91	7.13%
ग्रैंडमास्टर-93	935	914	21	2.25%
गृहलक्ष्मी यूनिट प्लान	1951	1882	69	3.54%
आवास यूनिट योजना	244	205	39	15.98%
आईईएफ-97	182	180	2	1.10%
आईआईएसएफयूएस 95,96,97	10	8	2	20.00%
मास्टर इंडेक्स फंड	31	30	1	3.23%
मास्टरगेन-92	41983	41687	296	0.71%
मास्टरग्रोथ-93	2705	2607	98	3.62%
मास्टरप्लस-91	12544	11440	1104	8.80%
मास्टरशेयर-86	19118	17567	1551	8.11%
एमईपी-91	2132	2063	69	3.24%
एमईपी-92	12722	12338	384	3.02%
एमईपी-93	14644	14429	215	1.47%
एमईपी-94	15974	15789	185	1.16%
एमईपी-95	8833	8541	292	3.31%
एमईपी-96	718	708	10	1.39%
एमईपी-97	397	384	13	3.27%
एमईपी-98	408	408	0	0.00%
एमआईपी-93	1646	1343	303	18.41%
एमआईपी-94(I)	1903	1842	61	3.21%
एमआईपी-94(II)	1909	1777	132	6.91%
एमआईपी-94(III)	2691	2667	24	0.89%
एमआईपी-95	1062	1028	34	3.20%
एमआईपी-95(II)	1595	1561	34	2.13%
एमआईपी-95(III)	927	916	11	1.19%
एमआईपी-96	850	835	15	1.76%
एमआईपी-96(II)	793	763	30	3.78%
एमआईपी-96(III)	1766	1746	20	1.13%
एमआईपी-96(IV)	8317	8110	207	2.49%

अवधि	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	
एमआईपी-97	3839	3766	73	1.90%
एमआईपी-97(II)	5628	5482	146	2.59%
एमआईपी -97(III)	2183	2097	86	3.94%
एमआईपी -97(IV)	1949	1918	31	1.59%
एमआईपी -97(V)	947	939	8	0.84%
एमआईपी 98	1732	1599	133	7.68%
एमआईपी -98(II)	1348	1238	110	8.16%
एमआईपी -98(III)	324	244	80	24.69%
एमआईएस-बी-93	2958	2849	109	3.68%
एमआईएसजी-90(I)	2826	2583	243	8.60%
एमआईएसजी-90(II)	5598	5136	462	8.25%
एमआईएसजी-91	4072	3249	823	20.21%
यूटीआई-एनआरआई फंड	125	111	14	11.20%
ओमनी-प्लान	66	62	4	6.06%
प्राइमरी इक्विटी फंड	1449	1406	43	2.97%
राजलक्ष्मी यूनिट प्लान	3469	3407	62	1.79%
सेवानिवृत्ति लाभ प्लान	1505	1402	103	6.84%
वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान	1269	1226	43	3.39%
यूजीएस-10000	431	417	14	3.25%
यूजीएस-2000	5860	5675	185	3.16%
यूजीएस-5000	2957	2840	117	3.96%
यूलिप	12997	12079	918	7.06%
यूएस -64	62909	57366	5543	8.81%
यूएस -92	3630	3530	100	2.75%
यूटीआई बॉण्ड फंड	74	71	3	4.05%
कुल	**311999**	**294582**	**17417**	**5.58%**

शिकायतों के कारण :

(i) संग्रहणकर्ता बैंकों से आवेदन पत्र/निधियों का प्राप्त न होना।
(ii) आवेदन पत्र में निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण।
(iii) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना।
(iv) मार्ग में ही खो जाना।
(v) डाक सेवा में विलंब।
(vi) अंतरण/मृत्यु दावों/पुनर्खरीद के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना।
(vii) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा।
(viii) कमीशन प्राप्त न होना/विलंब से प्राप्त होना।
(ix) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना।

XIX. जुर्माना, लंबित मुकदमा, निरीक्षणों/जांच-पड़तालों के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

1. भारतीय यूनिट ट्रस्ट/न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी में से कोई (विशिष्टत: निधि प्रबंधक) के प्रति सेबी अधिनियम या उसकी कोई विनियमों या किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत सेबी द्वारा जुर्माना लगाए जाने की कोई मामला नहीं है।

2. न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी सहित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मुकदमे की कार्यवाही लंबित नहीं है।

3. भारतीय यूनिट ट्रस्ट, न्यासी मंडल/न्यासी या मुख्य कर्मी के प्रति सेबी अधिनियम और उसके अंतर्गत बने विनियमों के अधीन कोई पूछताछ/अधिनिर्णय की कार्यवाही नहीं है।

XX संक्षिप्त वित्तीय जानकारी

(i) 30 जून, 1998 को यूनिट योजना 1964 की बकाया यूनिट पूंजी 15629.70 करोड़ रुपए है। उसी तारीख को योजना की कुल निवेश योग्य निधि रु. 21371.96 करोड़ है। वर्ष 1997-98 के दौरान योजना ने रु 3340.51 करोड़ का सकल लाभ एवं रु. 3221.59 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया। वर्ष के दौरान अर्जित शुद्ध लाभ में से 20% जो रु. 3125.94 करोड़ होता है, का आय वितरण किया गया। 30 जून, 98 को पोर्टफोलियो ह्रास के प्रति रु. 3566.04 करोड़ का प्रावधान करने के बाद, यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि/सामान्य प्रारक्षित निधि रु. 1098.49 करोड़ का विकलन शेष दिखाता है।

प्रबंधन दृष्टिकोण : प्रारक्षित निधि खाते में धारित किए गए निवेशों के मूल्य में हुए तीव्र एवं आकस्मिक सांकेतिक ह्रास के कारण 30 जून, 1998 को यूएस-64 का प्रारक्षित निधि खाता सांकेतिक ऋणात्मक शेष दिखाता है। इक्विटी के मूल्य में गिरावट, शेयर बाजार की मंदी की स्थितियों एवं संयुक्त राज्य के प्रतिबंधों सहित अन्य प्रतिकूल बाह्य घटनाओं के कारण है। ट्रस्ट यह मानता है कि आकस्मिक एवं तीव्र गिरावट बाजार की अस्थिर स्थिति के कारण है एवं विभिन्न शेयरों का वर्तमान बाजार मूल्य उनके दीर्घावधि मूल्य से काफी कम है। जैसे ही यथासमय बाजार में सुधार आएगा, प्रारक्षित निधि खाते की स्थिति सुधरेगी।

(ii) यथा 30.06.1998 को निम्नलिखित योजनाओं में कमी रही : सीजीजीएफ [रु. 116.22 करोड़]; आरयूएस [रु. 198.30 करोड़]; एवं आरयूपी (ii) [रु. 58.40 करोड़] जो मुख्यत: स्टॉक बाजार की मंदी की परिस्थितियों के कारण है जिसके परिणामस्वरूप इन योजनाओं की इक्विटी पोर्टफोलियो में सांकेतिक ह्रास हुआ है।

प्रबंधन दृष्टिकोण : बाजार की परिस्थितियों में सुधार होने के साथ अंतर्निहित स्क्रिप सांकेतिक ह्रास को उलटते हुए अपने उचित मूल्य को प्राप्त कर लेंगे, ऐसी संभावना है। इसके अतिरिक्त, योजना प्रतिदान होने से पहले ऋण एवं इक्विटी में सक्रिय लेन-देन से मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है।

(iii) पूर्ववर्ती प्रति यूनिट आंकड़े

योजना (आबंटन की तिथि)	आरयूपी (II)(01.07.94) @@				जीयूपी (06.08.94) @@				एमआईपी-94 (III) (01.01.95)			
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	9.86	11.10	12.35	10.00	10.16	10.70	10.05	10.00	9.47	9.61	9.69
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	-0.14	1.04	0.84	1.07	0.16	0.99	0.47	1.33	0.10	1.17	1.17	1.10
3. लाभांश : (%) प्र.व.	--	--	--	--	--	14.00	10.00	12.00	* 12.00	* 13.00	13.00	* 12.50
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	--	--	--	2.24	--	--	--	0.20	-0.53	0.13	0.09	0.04
5. वर्ष के अंत में एनएवी	9.86	11.10	12.35	11.87	10.16	10.70	10.05	9.67	9.47	9.61	9.69	*13.97 ~ 8.51
6. वार्षिकीकृत आय (%)	-1.35	5.52	7.82	4.68	1.74	11.03	8.44	8.37	1.46	5.75	8.97	*11.36% ~ 9.33%
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	104.07	220.09	307.50	406.26	100.08	135.45	132.38	115.73	697.94	693.10	682.38	655.78
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.036	0.022	0.011	0.012	0.034	0.037	0.005	0.005	0.007	0.007	0.120	0.008

* 31.12.95 तक 12%; 13% 01.01.96 - 31.03.98 * संचयी विकल्प ~ अ-संचयी विकल्प @@ आरंभ तिथि

योजना (आबंटन की तिथि)	आरजीयूपी (26.12.94) @@				एमईपी - 95 (31.03.95)				यूएस-95 (02.01.95) @@			
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	9.71	11.63	13.90	10.00	9.61	11.57	11.34	100.00	99.96	102.75	98.70
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	-0.03	1.17	1.42	1.86	-0.39	0.68	0.14	0.29	2.62	15.94	9.36	15.15
3. लाभांश : (%) प्र.व.	--	--	--	--	--	--	--	--	12.00	13.50	12.50	13.50
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	--	--	--	3.80	--	--	--	0.71	--	--	--	1.68
5. वर्ष के अंत में एनएवी	9.71	11.63	13.90	14.32	9.61	11.57	11.34	8.98	99.66	102.75	98.70	96.11
6. वार्षिकीकृत आय (%)	-5.62	10.78	15.52	12.31	-15.64	12.51	5.97	-3.15	11.54	14.90	12.31	10.19
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	24.42	72.73	122.43	152.55	1114.09	1339.13	1312.78	883.63	173.42	209.19	119.70	96.11
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.034	0.009	0.007	0.010	0.003	0.005	0.004	0.013	0.005	0.002	0.002	0.0017

@@ आरंभ तिथि

योजना (आबंटन की तिथि)	पीईएफ-95 (01.08.95) @@				एमआईपी-95 (01.07.95)			
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	9.95	12.28	12.45	10.00	10.05	10.35	10.74
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	-0.14	0.67	0.35	0.15	0.05	1.33	1.12	1.11
3. लाभांश : (%) प्र.व.	–	–	–	–	–	13.00	14.00	* 12.50
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	–	–	–	1.42	0.05	0.24	0.11	0.18
5. वर्ष के अंत में एनएवी	9.95	12.28	12.45	9.40	10.05	10.35	10.74	*13.80 ~ 8.98
6. वार्षिकीकृत आय (%)	–	24.87	12.79	-2.06	–	16.54	17.18	*12.67 ~ 11.18
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	174.23	223.40	227.61	117.49	539.45	577.74	574.73	539.53
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.028	0.012	0.004	0.017	0.001	0.007	0.008	0.008

* 31-03-98 तक 14.00% * संचयी विकल्प ~ अ-संचयी विकल्प @@ आरंभ तिथि

योजना (आबंटन की तिथि)	एमआईपी-95 (II) (01.09.95)			आईआईएसएफयूएस 95(01.10.95)			डीआईपी-95 (01.10.95)			एमईपी-96 (31.03.96)		
	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	10.89	11.42	10.00	11.00	10.59	10.00	12.06	13.70	10.00	12.00	12.59
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	1.22	1.30	1.45	1.42	1.58	1.20	1.24	1.43	1.25	0.13	0.14	0.02
3. लाभांश : (%) प्र.व.	* 13.50	* 14.00	* 12.50	15.00	15.00	15.00	–	–	26.00	–	–	–
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	0.35	0.31	0.48	–	–	0.07	1.24	1.43	0.51	–	–	0.31
5. वर्ष के अंत में एनएवी	10.89	11.42	* 14.42 ~ 9.71	11.00	10.59	10.77	12.06	13.70	$ 11.12 * 14.64	12.00	12.59	10.94
6. वार्षिकीकृत आय (%)	24.27	21.53	* 15.62 ~ 13.79	28.40	18.38	17.81	27.48	21.16	$ 13.54 * 16.89	80.20	20.70	4.20
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	365.24	366.14	346.75	195.45	182.60	188.93	120.82	134.87	130.07	235.94	247.35	214.70
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.008	0.011	0.011	0.005	0.006	0.005	0.009	0.008	0.010	0.006	0.007	0.009

* 31.08.96 तक 13.50% ; 01.09.96 से 31.03.98 तक 14.00% * संचयी विकल्प ~ अ-संचयी विकल्प $ आस्थगित आय विकल्प

योजना (आबंटन की तिथि)	एमआईपी-95 (III) (01.01.96)			एमआईपी-96 (01.05.96)			एमआईपी-96 (II)(01.07.96)			ईओएफ (01.07.96)		
	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	10.98	11.80	10.00	10.29	11.05	10.00	9.96	11.23	10.00	9.98	10.66
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.79	1.44	1.60	0.24	1.35	1.17	0.02	1.24	1.56	-0.02	0.46	0.28
3. लाभांश : (%) प्र.व.	14.00	14.00	* 12.50	14.50	14.50	@ 13.00	15.00	15.00	@@ 13.00	--	--	--
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	0.16	0.43	0.63	-0.14	0.28	0.12	-0.11	0.13	0.50	--	--	0.89
5. वर्ष के अंत में एनएवी	10.98	11.80	* 14.88 ~ 10.04	10.29	11.05	* 14.09 ~ 9.77	9.96	11.23	* 13.94 ~ 10.19	9.98	10.66	8.64
6. वार्षिकीकृत आय (%)	33.81	26.09	* 19.55 ~ 15.29	32.37	23.49	* 18.90 ~ 14.78	--	27.34	* 19.73 ~ 17.35	--	6.62	-6.83
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	443.59	458.39	442.31	238.24	250.67	235.46	385.61	417.80	415.79	23.34	26.10	19.38
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.006	0.010	0.010	0.004	0.011	0.011	0.003	0.010	0.010	0.003	0.016	0.002

* संचयी विकल्प ~ अ-संचयी विकल्प * 31.03.98 तक 14% @31.03.98 तक 14.50% @@ 31.03.98 तक 15%

योजना (आबंटन की तिथि)	एमएमएमएफ (23.04.97)		एमआईपी-96 (III) (01.10.96)		डीआईपी-91 (15.10.96)		आईआईएसएफ-यूएस-96 (01.01.97)		एमआईपी-96 (IV) (01.01.97)		एमआईपी-97 (31.03.97)	
	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	10.17	10.00	11.04	10.00	11.52	10.00	11.09	10.00	10.71	10.00	12.09
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.14	0.74	0.90	1.44	1.18	1.41	1.01	1.42	0.67	1.31	0.11	0.71
3. लाभांश : (%) प्र.व.	--	--	15.00	* 13.00	15.00	15.00	16.00	16.00	15.00	# 13.00	--	--
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	--	0.79	-0.08	0.37	0.75	1.17	0.05	- 0.16	0.02	0.27	--	0.82
5. वर्ष के अंत में एनएवी	10.17	11.2316	11.04	* 13.30 ~ 10.13	11.52	@ 9.23 $ 12.65 & 13.17	11.09	10.60	10.71	* 12.01 ~ 13.46	12.09	9.70
6. वार्षिकीकृत आय (%)	9.17	10.41	29.06	* 18.91 ~ 17.36	36.57	@12.12 $ 15.53 & 18.57	38.25	19.42	29.61	* 9.45 ~ 13.23	83.99	- 2.37
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	37.99	105.39	416.50	413.56	241.41	254.44	206.50	174.06	891.29	841.61	88.69	71.14
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.001	0.002	0.008	0.010	0.007	0.009	0.003	0.003	0.007	0.011	0.006	0.011

* संचयी विकल्प ~ अ-संचयी विकल्प $ आयमित विकल्प @ लाभांश विकल्प एवं पूंजी वृद्धि विकल्प * 31.03.98 तक 15% # 31.03.98 तक 15%

योजना (आबंटन की तिथि)	एमआईपी-97 (01.05.97)		एमआईपी-97(II) (01.07.97)		आईआईएसएफयूएस-97 (01.07.97)		आईईएफ (01.08.97)		एमआईपी-97(III) (01.09.97)	एमआईपी-97(IV) (01.11.97)
	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98	1997-98	1997-98
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	10.32	10.00	10.09	10.00	10.14	10.00	10.00		
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.25	1.02	0.11	1.08	0.12	1.07	0.00	0.10	0.84	0.81
3. लाभांश : (%) प्र.व.	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00	—	—	13.00	12.50
4. प्राप्तियों में अंतरण (यदि कोई हो)	-0.06	- 0.29	0.03	- 0.08	—	- 0.49	—	0.10	- 0.26	0.01
5. वर्ष के अंत में एनएवी	10.32	*9.31 ~ 9.06	10.09	*9.50 ~ 9.25	10.14	9.48	10.00	9.33	*9.70 ~ 9.38	* 9.99 ~ 9.53
6. वार्षिकीकृत आय (%)	33.44	* 5.09 ~ 8.96	—	* 5.52 ~ 10.03	—	9.83	—	- 07.30	* 5.54 ~ 9.52	* 7.74 ~ 10.24
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	1195.73	1118.75	1462.16	1478.46	685.15	640.48	31.28	30.91	829.79	924.40
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.006	0.012	0.001	0.011	0.000	0.005	0.001	0.017	0.011	0.007

*संचयी विकल्प　~ अ-संचयी विकल्प

योजना (आबंटन की तिथि)	एमआईपी-97 (V) (01.01.98)	एमईपी-98 (31.03.98)	आईआईएसएफयूएस-97(II) (01.02.98)	एमआईपी-98 (01.04.98)	एमआईपी-98 (II) (01.06.98)	एनआरआई फंड (01.06.98)	आईआईएसएफयूएस-98 (01.06.98)	यूजीएस 10000 (01.06.98)	यूबीएफ (01.07.98)
	1997-98	1997-98	1997-98	1997-98	1997-98	1997-98	1997-98	1997-98	1997-98
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी									
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.70	0.23	0.60	0.31	0.03	0.04	0.08	- 0.41	- 0.07
3. लाभांश : (%) प्र.व.	11.75	—	12.75	12.50	12.50	13.50	13.50	—	—
4. प्राप्तियों में अंतरण (यदि कोई हो)	0.27	0.23	- 0.07	- 0.02	- 0.07	- 0.06	- 0.18	- 0.41	- 0.07
5. वर्ष के अंत में एनएवी	* 9.98 $$10.27 ~ 9.71	8.35	9.74	* 9.95 $$ 9.89 ~ 9.30	9.75	9.97	9.64	9.57	9.93
6. वार्षिकीकृत आय (%)	* 5.56 $$ 5.47 ~ 11.96	- 66.95	5.14	* - 2.03 $$ - 4.46 ~ - 3.04	—	—	—	—	—
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	475.12	18.06	656.31	928.05	770.12	63.45	944.49	67.40	136.39
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.008	0.012	0.004	0.01	0.00	0.01	0.00	0.05	0.01

* संचयी विकल्प　~ अ-संचयी विकल्प　$$ वार्षिक विकल्प　　@@ सतत खुली योजनाओं के लिए शुभारंभ की तिथि दी गई है।

iv) ट्रस्ट की योजनाओं द्वारा उधार लेने की कोई घटना नहीं है।

पूर्ववर्ती आंकड़े प्रति यूनिट जारी ..

योजना	30.11.98 को एनएवी	वार्षिकीकृत आय (%)
जीयूपी *	9.93	8.20
आरयूपी (II)	11.95	4.41
एमआईपी-94(III)	* 14.28	* 10.93
	~ 8.15	~ 7.94
आरबीयूपी *	14.73	12.07
एमईपी-95 *	8.25	- 5.12
यूएस-95 *	100.59	10.28
पीईएफ-95 *	8.62	- 3.98
एमआईपी-95	* 14.36	* 12.75
	~ 8.80	~ 9.89
एमआईपी-95(II)	* 14.81	* 14.80
	~ 9.43	~ 11.79
आईआईएसएफयूएस-95 *	11.32	. 17.27
डीआईपी-95	$ 11.21	$ 13.92
	* 14.81	* 15.19
एमईपी-96 *	10.19	0.71
एमआईपी-95(III)	* 14.92	* 16.88
	~ 9.85	~ 13.15
एमआईपी-96	* 14.03	* 15.60
	~ 9.49	~ 12.14
एमआईपी-96(II)	* 14.15	* 17.17
	~ 9.76	~ 13.46
ईओएफ *	7.75	- 10.07
एमएमएमएफ &&	11.4437	11.12
एमआईपी-96(III)	* 13.02	* 13.95
	~ 9.34	~ 11.35
डीआईपी-91	@ 9.68	@ 13.84
	$ 12.67	$ 15.30
	& 13.21	& 15.10
आईआईएसएफयूएस-96 *	11.03	17.54
एमआईपी-96(IV)	* 12.26	* 11.82
	~ 9.08	~ 9.53
एमईपी-97 *	8.68	- 8.20
एमआईपी-97	* 9.47	* 4.76
	~ 8.60	~ 5.16
एमआईपी-97(II)	* 9.71	* 5.37
	~ 8.85	~ 5.88
आईआईएसएफयूएस-97 *	9.72	8.70
आईईएफ *	10.30	2.13
एमआईपी-97(III)	* 10.17	* 7.44
	~ 9.28	~ 7.26
एमआईपी-97(IV)	* 10.32	* 7.79
	~ 9.30	~ 6.06
आईआईएसएफयूएस-97(II) *	10.09	6.88
एमआईपी-97(V)	* 10.15	* 4.87
	= 10.44	= 4.82
	** 9.39	** 5.12
एमईपी-98 *	7.92	- 29.96
एमआईपी 98	* 10.31	* 4.66
	= 10.25	= 3.76
	** 9.43	** 3.95

* 25.11.98 को एनएवी , && 2.12.98 को एनएवी , * संचयी विकल्प, ~ अ-संचयी विकल्प ,
@ लाभांश विकल्प, $ आस्थगित विकल्प, & पूंजी वृद्धि विकल्प, = वार्षिक विकल्प, ** मासिक विकल्प

XXI. नियत तत्परता

एमईपी 99 हेतु सेबी को प्रस्तुत किया गया नियत तत्परता प्रमाणपत्र

इस बात की पुष्टि की जाती है कि :

I. पेशकश दस्तावेज का ड्राफ्ट भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) अधिनियम, 1996 एवं समय-समय पर सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं निर्देशों के अनुसार हैं ;

II. इस योजना के प्रारंभ किए जाने से संबंधित सभी विधिक आवश्यकताएं एवं साथ ही इस संबंध में सरकार या अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश, निर्देश आदि का विधिवत् अनुपालन किया गया है।

III. पेशकश दस्तावेज में किए गए प्रकटीकरण सत्य, उचित एवं प्रस्तावित योजना में निवेश के लिए निवेशकों को सोच समझकर निर्णय लेने में सहायता देने के लिए पर्याप्त है ;

IV. पेशकश दस्तावेज में उल्लिखित सभी बिचौलिए सेबी के साथ पंजीकृत हैं और आज की तिथि के अनुसार ऐसा पंजीकरण वैध है।

दिनांक : 30-11-1998

नाम : **बी एस पंडित**

स्थान : मुंबई

ह/-

हस्ताक्षर

अनुपालन अधिकारी

मुहर के साथ

कृते न्यासी मंडल, भारतीय यूनिट ट्रस्ट

ह/-

(अ.ना. पालवणकर)

कार्यपालक निदेशक

व्यवसाय विकास एवं विपणन

1.12.1998

कार्पोरेट कार्यालय

13, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुंबई-400020, ☎ 2068468

आंचलिक कार्यालय

पश्चिमी अंचल : वाणिज्य केंद्र-1, 28 वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400005, ☎ 2181600. **पूर्वी अंचल :** 4 फेयरली प्लेस, दूसरी मंज़िल, कलकत्ता-700001 ☎ 220 3045/46. **दक्षिणी अंचल :** यूटीआई हाऊस, 29, राजाजी सालै, चेन्नई-600001, ☎ 517101. **उत्तरी अंचल :** जीवन भारती, 13 वीं मंज़िल, टावर II, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001, ☎ 3329860.

पश्चिमी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

अहमदाबाद : बी जे हाऊस, 2री, 3री और 4थी मंजिल, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद-380009, ☎6583043. **बड़ौदा :** मेघधनुष, चौथी और पांचवीं मंजिल, ट्रान्स्पेक सर्कल, रेस कोर्स रोड, बड़ौदा-390015, ☎ 336962. **भोपाल :** पहली मंजिल, गंगाजमुना कमर्शियल काम्प्लैक्स, प्लाट नं. 202, महाराणा प्रताप नगर, अंचल-1, स्कीम 13, हबीब गंज, भोपाल-462001, ☎558308. **इन्दौर :** सिटी सेंटर, दूसरी मंजिल, 570, एम जी रोड, इन्दौर-452001, ☎535607, **मुंबई : (1)** यूनिट सं. 2, ब्लाक 'बी' गुलमोहर क्रॉस रोड नं. 9, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - 400049, ☎ 6201995. **मुंबई : (2)** पर्सेपोलिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, आंध्र बैंक के ऊपर,सेक्टर 17, वाशी, नवी मुंबई - 400703, ☎ 7672607. **मुंबई : (3)** लोटस कोर्ट बिल्डिंग, 196, जमशेदजी टाटा रोड, बैकबे रिक्लमेशन, मुंबई-400020, ☎ 2850821. **मुंबई : (4)** श्रद्धा शॉपिंग आर्केड, पहली मंजिल, एस वी रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई-400092, ☎8980521. **मुंबई : (5)** सागर बोनांज़ा, पहली मंजिल, खोत लेन, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई- 400086, ☎ 5162256. **कोल्हापुर :** अयोध्या टावर्स, सी एस नं. 511, केएच-1/2,'ई' वार्ड, वाबोलकर कार्नर, स्टेशन रोड, कोल्हापुर-416001, ☎ 657315, **नागपुर :** श्री मोहिनी काम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, नागपुर-440001, ☎ 536893. **नासिक :** सारदा संकुल, दूसरी मंजिल, एम.जी. रोड, नासिक-422001, ☎ 572166. **पणजी :** ई.डी.सी. हाऊस, भूतल, डॉ. ए बी मार्ग, पणजी, गोवा-403001, ☎ 222472. **पुणे :** सदाशिव विलास, तीसरी मंजिल, 1183 फर्ग्युसन कालेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे - 411005, ☎ 325954. **राजकोट :** लल्लूभाई सेन्टर, तीसरी मंजिल, लखाजी राज रोड, राजकोट-360001, ☎ 235112. **सूरत:** सैफी बिल्डिंग, डच रोड, ननपुरा, सूरत-395001, ☎ 474550. **ठाणे:** यूटीआई हाउस, स्टेशन रोड, ठाणे (प.) -400601. ☎ 5400905.

पूर्वी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

भुवनेश्वर : ओसीएचसी बिल्डिंग, 1ली एवं 2री मंज़िल, 24, जनपथ खारवेला नगर, राम मंदिर के समीप, भुवनेश्वर - 751001, ☎ 410995. **कलकत्ता :** 4, फेयरली प्लेस, कलकत्ता 700001, ☎2203045/46. **दुर्गापुर :** तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दूसरी मंज़िल, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, सिटी सेन्टर, दुर्गापुर 713216, ☎ 546831. **गुवाहाटी :** हिंदुस्तान बिल्डिंग, 1ली मंज़िल, एम एल नेहरू रोड, पानबाजार, गुवाहाटी 781001, ☎ 543131. **जमशेदपुर :** 1-ए, राम मंदिर परिसर, भूतल और दूसरी मंज़िल, बिस्टूपुर, जमशेदपुर 831001, ☎ 425508. **पटना :** जीवन दीप बिल्डिंग, भूतल और पांचवीं मंज़िल, एक्ज़िबिशन रोड, पटना 800001, ☎ 235001. **सिलीगुड़ी :** जीवन दीप, भूतल, गुरु नानक सारनी, सिलीगुड़ी - 734401, ☎ 424671.

दक्षिणी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

बंगलोर : रहेजा टॉवर्स, 26-27, 12वीं मंज़िल, पश्चिमी स्कंध, एम जी मार्ग, बंगलोर 560001, ☎5595691. **कोचीन :** जीवन प्रकाश, पांचवीं मंजिल, एम जी रोड, एर्नाकुलम - 682011, ☎ 362354. **कोयम्बतूर :** चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25, आर्टस् कालेज रोड, कोयम्बतूर 641018, ☎ 214973. **हुबली :** कालबर्गी मेंशन, 4 थीं मंजिल, लेमिंगटन रोड, हुबली 580020, ☎ 363963. **हैदराबाद :** पहली मंजिल, सुरभि आर्केड, 5-1-664, 665, 669, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद 500195, ☎ 461 1095. **चेन्नई :** यू.टी.आई. हाउस, 29, राजाजी सालै, चेन्नई 600001, ☎ 517101. **मदुरई :** तमिलनाडु सर्वोदय संघ बिल्डिंग, 108, तिरुप्परनकुन्द्रम रोड, मदुरई 625001, ☎ 738186. **मंगलोर :** सिद्धार्थ बिल्डिंग, पहली मंजिल, बाल-मत्ता रोड, मंगलोर-575001, ☎ 426258. **तिरुअनंतपुरम :** स्वस्तिक सेन्टर, तीसरी मंजिल, एम. जी. रोड तिरुअनंतपुरम 695001, ☎ 331415. **त्रिची :** 104, सलाई रोड, वोरेयूर, तिरुचिरापल्ली 620003, ☎ 760060. **त्रिचूर :** 28/700, वेस्ट पल्लिथामाम बिल्डिंग, करुणाकरण नंबियार रोड,राउंड नॉर्थ, त्रिचूर 680020, ☎ 331259. **विजयवाड़ा :** 27-37-156, बन्दर रोड, मनोरमा होटल के आगे, विजयवाड़ा 520002, ☎ 571134. **विशाखापट्टनम् :** रत्ना आर्केड, तीसरी मंजिल, 47/15/6, स्टेशन रोड, द्वारका नगर, विशाखापट्टनम 530016, ☎ 548121.

उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

आगरा : भूतल, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी रोड, आगरा - 282002 ☎ 54408. **इलाहाबाद :** यूनाइटेड टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लीडर रोड, इलाहाबाद 211003 ☎ 400521. **अमृतसर :** श्री द्वारकाधीश काम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, क्विन्स रोड, अमृतसर-143001, ☎ 64388. **चंडीगढ़ :** जीवन प्रकाश, एलआईसी बिल्डिंग, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017 ☎ 703683. **देहरादून :** दूसरी मंजिल, 59/3, राजपुर रोड, देहरादून 248001, ☎ 746720. **फरीदाबाद :** बी-614-617, नेहरु ग्राउंड, एनआईटी, फरीदाबाद -121001, ☎ 219156. **गजियाबाद :** 41, नवयुग मार्केट, सिंघानी गेट के समीप, गजियाबाद - 201001, ☎ 790366. **जयपुर :** आनंद भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर 302001, ☎ 365212. **कानपुर:** 16/79इ, सिविल लाईन्स, कानपुर 208001, ☎317278. **लखनऊ :** रिजेन्सी प्लाजा बिल्डिंग, 5, पार्क रोड, लखनऊ 226001, ☎ 238502. **लुधियाना :** सूर्यकिरण फेस-2, 92, द माल, लुधियाना 141001, ☎ 441264. **नई दिल्ली :** डेली तेज, तीसरी मंजिल, 8 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002, ☎ 3318638. **शिमला :** फ्लैट नं. 401,402,403,405 मुकेश अपार्टमेन्ट्स, फिंगास्क एस्टेट, होटल शील के समीप, शिमला - 171 002, ☎257803. **वाराणसी :** पहली मंजिल, डी-58/2ए-1, भवानी मार्केट रथयात्रा, वाराणसी 221001, ☎358606.

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
मुंबई

यूटी/डीबीडीएम/आर-[illegible] /एसपीडी -[illegible]/98-99 **31 मार्च, 1999**

भारतीय यूनिट ट्रस्ट,अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) के अंतर्गत बनाए गए संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 98-II[आईआईएसएफयूएस-98 II] का पेशकश दस्तावेज,जिसे 24-07-1998 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है ।

ए जी जोशी
मुख्य महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 (II) [आईआईएसएफयूएस '98(II)]

पेशकश दस्तावेज

पेशकश 2 नवंबर, 1998 से 12 दिसंबर, 1998 तक खुली रहेगी

यह यूनिट योजना यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अनुसरण में बनायी गयी है। यह पेशकश दस्तावेज में योजना की उन सूचनाओं को सामने रखता है, जिसे एक भावी निवेशक निवेश करने से पूर्व जानना चाहेगा। पेशकश दस्तावेज को भविष्य में संदर्भ प्राप्त करने के लिए रखा जाए।

प्लान के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूच्युअल फंड) विनियम 1996 के अनुसार तैयार किए गए हैं यथा तिथि तक संशोधित एवं सेबी के पास पंजीकृत है और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अननुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है।

योजना का उद्देश्य

यह एक पांच वर्षीय नियत कालीक आयोन्मुख योजना है, जिसमें तीन वर्षों के बाद एनएवी आधारित मूल्य पर योजना से निर्गम किया जा सकता है। यह योजना संस्थागत निवेशकों के लिए है जो किसी विशिष्ट योजना में प्रचुर धन का निवेश करना चाहते हैं।

विशिष्टताएं

* न्यूनतम निवेश दस लाख रुपये और अधिकतम कोई सीमा नहीं। यूनिटों का अंकित मूल्य 10/- रुपये है ।

* यह धर्मार्थ और धार्मिक न्यासों सहित पात्र न्यासों, समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत समितियों, अन्य किन्हीं निकाय जो धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए राज्य या केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या नियंत्रित हों, सेना/वायुसेना/नौसेना/अर्ध सैनिक फंड और अन्य किसी संस्था/निगमित निकाय (कंपनियों को शामिल करते हुए)/सरकारी उपक्रमो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और अन्य वाणिज्यिक बैंकों/साझीदारी फर्मों के लिए खुली है ।

* यह योजना दो विकल्प पेश करता है 1) वार्षिक आय विकल्प 2) संचयी विकल्प

* वार्षिक आय विकल्प के अंतर्गत ट्रस्ट योजना के सभी 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 14% प्र.व. की दर से वार्षिक रूप से देय आश्वासित आय प्रदान करेगा। आश्वासित आय प्रदान करने में किसी तरह कीकमी होने पर, उसकी पूर्ति विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) से की जाएगी।

* संचयी विकल्प के अंतर्गत आय का संचय 14% प्र.व. की दर से किया जाएगा। हालांकि परिपक्वता राशि संचित आय में प्रति वर्ष जुड़ने वाली राशि एवं घोषित आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार स्रोत पर किए जाने वाले कर की कटौती (जहां कहीं लागू हो) पर निर्भर करेगा।

* योजना की यूनिटें अभिदान बंद होने की तिथि से छः महीनों के भीतर एनएसई के थोक ऋण खंड पर सूचीबद्ध की जाएंगी ।

* योजना तीन वर्षों के बाद 1 जनवरी, 2002 से एनएवी आधारित मूल्य पर पुनर्खरीद की अनुमति होगी।

* **यह गारंटी दी जाती है कि योजना में निवेशित पूंजी परिपक्वता पर सुरक्षित रहेगी अर्थात् यूनिटों का विमोचन सममूल्य से नीचे नहीं होगा। ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) इस पूंजी सुरक्षा की गगारंटी देगी। समयपूर्व पुनर्खरीद की कोई गारंटी नहीं है (अर्थात् योजना की परिपक्वता से पहले) और ऐसे मामलों में पुनर्खरीद मूल्य प्रचलित एनएवी पर आधारित होगा । निवेश का एक भाग इक्विटी में होने के कारण पूंजी वृद्धि की संभाषना है।**

  आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर से छूट।

II. परिभाषाएं

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है; यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री संविदा, स्वीकृति तिथि अर्थात् चेक की वसूली की तिथि को समाप्त हुई समझी जाएगी।

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) से है;

(ग) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में शामिल होने के लिए पात्र होगा, जो योजना के खण्ड III के अंतर्गत आवेदन करता हो।

(घ) "पात्र संस्था" का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली, 1964 में यथापरिभाषित कोई पात्र ट्रस्ट है।

(ड.) "फर्म", "भागीदार" और "भागीदारी" के अर्थ भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में दिए गए अर्थ हैं, परंतु अभिव्यक्ति भागीदार में कोई भी व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है, जो नाबालिग हो और जिसे भागीदारी के लाभ प्राप्त करने के लिए शामिल किया गया हो।

(च) "सूचीबद्धता" का अर्थ एनएसई के थोक ऋण खंड पर व्यवसाय करने के प्रयोजन से यूनिटों का सूचीबद्ध किया जाना है।

(छ) "जारी समझे जानेवाले यूनिटों की संख्या" का अर्थ बेचे गए और बकाया यूनिटों की कुल संख्या है।

(ज) "व्यक्ति" में ऊपर यथापरिभाषित पात्र संस्था शामिल है।

(झ) "विनियमावली" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली, 1964 है।

(ञ) "सेबी" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाया गया भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड।

(ट) "समिति" का अर्थ समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत स्थापित समिति या फिलहाल प्रवृत्त राज्य या केन्द्रीय विधि के अन्तर्गत स्थापित अन्य कोई समिति है।

(ठ) "ट्रेडींग" का तात्पर्य यूनिटों के पहले आबंटन के बाद राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) के थोक ऋण खंड के जरिए यूनिटों के खरीद अथवा बिक्री में व्यवहार से है।

(ड) "यूनिट" का अर्थ इस योजना से संबंधित यूनिट पूंजी में दस रुपये के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर है।

(ढ) "यूनिट पूंजी" का तात्पर्य फिलहाल योजना के अंतर्गत निर्गत और शेष यूनिटों के अंकित मूल्य के योग से है।

(ण) "यूनिट ट्रस्ट" या "ट्रस्ट" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है।

(त) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम/विनियमावली में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम/विनियमावली में दिये गये हैं।

III. जोखिम के तत्व

- म्यूचुअल फंड एवं प्रतिभूतियों में निवेशों पर बाजार का जोखिम होता है। पूंजी की सुरक्षा की गारंटी उन निवेशकों को उपलब्ध नहीं होगी जो योजना की परिपक्वता से पहले पुनर्खरीद करते हैं तथा ऐसे मामलों में पुनर्खरीद मूल्य शुद्ध आस्ति मूल्य पर निर्भर होगा ।

- जैसे प्रतिभूतियों में किए जाने वाले किसी भी निवेश में होता है, योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों का एनएवी पूंजी बाजार को प्रभावित करनेवाली शक्तियों एवं कारकों पर निर्भर करते हुए ऊपर या नीचे जा सकता है।

- पूर्व योजनाओं का कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है।

  संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 (II) केवल योजना का नाम है और यह किसी भी प्रकार से योजना की गुणवत्ता का संकेत नहीं देता है।

- नियतकालिक योजनाओं के समान इसमें विरल सौदे को जोखिम एवं यूनिटों के बाजार मूल्य के एनएवी पर बट्टा काटे जाने की संभावना होती है।

- व्युत्पन्न प्रतिभूतियों जैसे भविष्य के लिए विकल्पों एवं भावी सौदों का कारोबार एक अत्यधिक विशिष्ट कार्य है और इसमें साधारण निवेश की तुलना में कहीं अधिक जोखिम होता है। यदि फंड केवल पोर्टफोलियो की सुरक्षा के ख्याल से व्युत्पन्नों का कारोबार करना चाहे तो भी उस खंड का पूरा बाजार के अन्य प्रतिभागियों की सक्रियता के कारण सटोरियों के चंगुल में जा सकता है। व्युत्पन्नों में कारोबार की सफलता बाजार की भावी गतिविधियों की पूर्वसूचना प्रकट करने की निधि प्रबंधक की क्षमताओं पर निर्भर करता है और यदि निधि प्रबंधक की यह पूर्व सूचना गलत हो तो निधि में निवेश प्रणाली इस्तेमाल किए जाने की स्थिति में प्राप्त निष्पादन की तुलना में कमी आ सकती है।

- विदेशी बाजारों में निवेश : विदेशी बाजारों में निवेश की सफलता निधि प्रबंधक की योग्यता जो बाजार की उन परिस्थितियों एवं जानकारियों का विश्लेषण जो भारतीय बाजारों से भिन्न हो सकती है, को समझने पर निर्भर करता है। जैसा कि इसमें विदेशी बाजारों में परिचालन शामिल है, बाजार के जोखिमों के अलावा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के जोखिम भी हो सकते हैं।

- स्टॉक उधार देना : यह न्यून जोखिम के साथ निधि को अतिरिक्त आय जुटाने का साधन है। स्क्रिप उधार दिए जाने की अवधि के दौरान बिक्री हेतु सुलभ स्टॉक की अनुपलब्धता के रूप में जोखिम हो सकती है।

- ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) द्वारा गारंटी प्रदान करने के आधार पर इस योजना के अंतर्गत आय का आश्वासन दिया गया है। डीआरएफ की गारंटी के साथ आश्वासित आय वाली 12 योजनाओं के अंतर्गत रु.9237.72 करोड़ की निवेश योग्य निधियों के प्रति 30.06.98 को डीआरएफ की मात्रा रु. 649.42 करोड़ है। डीआरएफ की आस्तियों का करीब 64% इक्विटियों में है जबकि 9% आस्तियां मुद्रा बाजार लिखतों में एवं शेष ऋण लिखतों में हैं।

IV. यूनिटें एवं पेशकश

1. यह योजना संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 (II) [आईआईएसएफयूएस '98 (II)] कही जाएगी।

2. यह योजना पांच वर्षों के लिए अर्थात् 1जनवरी 1999 से 31 दिसंबर 2003 तक के लिए होगी।

3. यूनिटों की बिक्री 2 नवंबर 1998 से 12 दिसंबर 1998 तक 41 दिनों के लिए होगी। बशर्ते, यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति/अध्यक्ष किसी भी समय युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, स्टाक एक्सचेंजों में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक-आर्थिक कारणों से अखबारों में 7 दिनों की नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति से जैसा ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाए, योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं।

4 इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपए होगा।

5. यूनिटों के लिए आवेदन :

(क) (i) धर्मार्थ और धार्मिक न्यासों सहित सभी पात्र न्यास

(ii) समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत समितियाँ।

(iii) अन्य कोई निकाय जो राज्य या केंद्रीय अधिनियम द्वारा नियंत्रित या स्थापित या उसके अधीन हो।

(iv) सेना/वायुसेना/नौसेना/अर्ध सैनिक फंड।

(v) अन्य कोई संस्था/निगमित निकाय (कंपनियों सहित)

(vi) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

(vii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं शहरी सहकारी बैंक

(viii) अन्य वाणिज्यिक बैंक

(ix) भागीदारी फर्में

(ख) साझीदारी फर्मों के आवेदन 2 से अनधिक सदस्यों द्वारा दिया जाएगा एवं ट्रस्ट सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए पहले नामित व्यक्ति को ही सदस्य के रूप में मान्यता देगा।

(ग) पात्र संस्थाएं, निगमित निकाय, भागीदारी फर्म या समितियाँ यथाअपेक्षा ट्रस्ट को वे सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगी जिनसे आवेदक की यूनिटों में निवेश करने की सक्षमता का पता चलता हो, जैसे संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम, भागीदारी फर्मों की ओर से आवेदन करने पर भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति, उपनियम आदि, यूनिटों में निवेश का अधिकार देने व प्रबंध निकाय के संकल्प की प्राधिकृत प्रति आदि और समुचित मुख्तारनामे की प्रति।

6. न्यूनतम निवेश राशि

योजना के अंतर्गत निवेश न्यूनतम दस लाख रुपए के लिए किया जाना चाहिए। कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। रु. 10/- के गुणकों में नहीं रहने वाले निवेश के लिए यूनिटों का आबंटन भिन्नांक में दशमलव के बाद तीन अंकों तक किया जाएगा।

निवेशक को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर पीएएन/जीआईआर संख्या है तो वह उसे तथा सबाधत आयकर सर्किल के पते का उल्लेख करे।

7. एकत्र की जानेवाली न्यूनतम लक्ष्य राशि

योजना के अंतर्गत एकत्र की जानेवाली लक्ष्य राशि रु. 200 करोड़ होगी। एकत्रित की जानेवाली अधिकतम राशि रु. 1000 करोड़ है। रु. 1000 करोड़ से अधिक का अत्यभिदान, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के विनियम 35 की शर्तों के अनुसार लौटा दिया जाएगा। यदि 200 करोड़ रुपये की लक्ष्य राशि का अभिदान न हो, तो योजना के अंतर्गत एकत्र की गई सम्पूर्ण राशि को यूनिटों की बिक्री बंद होने की तिथि से छः सप्ताह के भीतर ट्रस्ट द्वारा खाते में देय चेक/प्रत्यर्पण आदेश द्वारा धन वापस किया जाएगा।

उक्त अनुबद्ध अवधि के भीतर राशि वापस न करने की स्थिति में योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री बंद होने की तिथि से छः सप्ताहों की समाप्ति पर ट्रस्ट आवेदक को 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का जिम्मेदार होगा।

8. सूचीबद्धता

अभिदान बंद होने की तारीख से छः माह के भीतर इस योजना के अंतर्गत जारी यूनिट एनएसई के थोक ऋण खंड पर सूचीबद्ध किए जाएंगे। सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के विनियम 32 के अनुसार सेबी से योजना का अनुमोदन प्राप्त होने के तुरंत बाद राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) को सूचीबद्धता के लिए आवेदन किया जाएगा।

9. यूनिटों का अंतरण/गिरवी रखना/समनुदेशन :

निम्नलिखित शर्तों के अधीन यूनिटों के अंतरण/गिरवी रखने/समनुदेशन के लिए अनुमति दी जाएगी :

(i) प्रत्येक यूनिटधारक को उसके द्वारा धारित यूनिटों अथवा कुछ यूनिटों का अंतरण करने का हक होगा और वह ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित फार्म पर लिखित रूप में लिखत द्वारा किया जाएगा। परंतु यदि ऐसे पंजीकरण से अंतरणकर्ता या अंतरिती ऐसे यूनिटों के धारक बनते है जहां योजना में निवेश दस लाख रुपये (अंकित मूल्य) से कम है तो अंतरण पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

परंतु यह केवल खण्ड IV में उल्लिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को छोड़कर, किसी अन्य को अंतरण नहीं किया जाएगा।

(ii) अंतरण की प्रत्येक लिखत अंतरणकर्ता और अंतरिती द्वारा हस्ताक्षरित होगी और अंतरणकर्ता उस समय तक अंतरित यूनिटों का धारक होगा जब तक कि रजिस्टर में अंतरिती के नाम की प्रविष्टि नहीं हो जाती।

(iii) अंतरण केवल उन्ही अंतरणकर्ता एवं अंतरिती के बीच प्रभावी होगा जो यूनिट धारण करने में समर्थ हैं। किसी अन्य अंतरण को मान्यता देने के लिए ट्रस्ट बाध्य नहीं होगा।

(iv) अंतरण की प्रत्येक लिखत संबंधित यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ यूनिट ट्रस्ट की किसी भी शाखा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

(v) अंतरण का प्रत्येक लिखत विधिवत रूप से स्टाम्प की जाएगी (यदि विधि के अंतर्गत स्टाम्प करना आवश्यक हो) और उसे ट्रस्ट को पंजीकरण के लिए संबंधित यूनिट प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्रों के साथ दिया जाएगा और अंतरणकर्ता के हक के संबंध में अथवा यूनिटों का अंतरण करने के उसके अधिकार या प्रमाणपत्रों के संबंध में ट्रस्ट जैसा साक्ष्य चाहेगा, उसे भी प्रस्तुत करना होगा। ट्रस्ट ऐसे यूनिट प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में छूट दे सकता है जो खो गए हों, चुरा लिए गए हों अथवा नष्ट हो गए हों। इसके लिए अंतरणकर्ता को उन अपेक्षाओं को पूरा करना होगा जो उनके स्थान पर जारी करने हेतु उसके द्वारा किए गए आवेदन पर उत्पन्न हुई होंगी।

(vi) यदि अंतरिती विधि के परिचालन से या आधिकारिक क्षमता के कारण यूनिटों का धारक बन जाता है तो इच्छुक अंतरिती यूनिटों के धारण के लिए अन्यथा पात्र होने पर ऐसे साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण, जिसे ट्रस्ट पर्याप्त समझे, के अधीन ट्रस्ट अंतरण को लागू करेगा।

(vii) जब यूनिट आधिकारिक नाम से जारी किए जाते हैं तो वे कार्यालय के प्रत्येक धारक से कार्यालय में इसके उत्तराधिकारी धारक के नाम बिना किसी अंतरण लिखत के अंतरित माने जाएंगे, और यह अंतरण उस तिथि को या उस तिथि से होगा जब दूसरा धारक कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करता है।

(viii) जब कार्यालय का धारक इस प्रकार से धारित यूनिटों का अंतरण ऐसे व्यक्ति के नाम करता है जो कार्यालय में उसका उत्तराधिकारी न हो, तो अंतरण लिखत द्वारा अंतरण किया जाएगा, जो कार्यालय के धारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर कार्यालय का नाम होगा।

(ix) अंतरण के सभी लिखत, जो पंजीकृत हो सकते हैं, ट्रस्ट द्वारा प्रक्रिया संबंधी और परिचालनगत आवश्यकताओं के पूरी करने तक रखे जाएंगे।

(x) ट्रस्ट अंतरिती संबंधी ब्यौरों को यूनिट प्रमाणपत्र के पीछे इस प्रयोजन के लिए दी गयी जगह पर पृष्ठांकन करेगा।

(xi) इसमें ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर अंतरण का पंजीकरण करेगा और अंतरिती को प्रमाणपत्र और अंतरण संबंधी लिखत वापस करेगा।

10. **समेकन/उप विभाजन :** दो या दो से अधिक यूनिट प्रमाणपत्र को एक यूनिट प्रमाणपत्र में समाकन किया जा सकता है। इसके अलावा, यूनिटधारक जिसके पास एक प्रमाणपत्र है उसे विभाजित कर सकता है, बशर्ते न्यूनतम एक लाख यूनिट प्रति प्रमाणपत्र हो। इसके लिए निवेशक द्वारा आवश्यक परिचालन कार्य विधियों का अनुपालन किया जाएगा।

11. **योजना की समाप्ति :**

(i) योजना पूर्ण रूप से 31 दिसंबर, 2003 को समाप्त हो जाएगी। यूनिटधारकों के बकाया यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी और यूनिटधारक को उनके यूनिटों के मूल्य की अदायगी उक्त अवधि के दौरान अंतिम पुनर्खरीद के लिए निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य पर की जाएगी।

निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य की प्राप्ति के बाद की किसी अवधि के लिए पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि या उसके बाद की किसी अवधि के लाभांश के रूप में किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ उपचित नहीं होगा। फिर भी, ट्रस्ट लिखित रूप से सेबी की पूर्व अनुमति से इस योजना को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी स्थिति में यूनिटधारकों को विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे यूनिटों को वापस ट्रस्ट को बेच दें अथवा इस योजना में बने रहें। ट्रस्ट द्वारा निवेशक को यह विकल्प भी दिया जा सकता है कि वह पुनर्खरीद की राशि को आरंभ की गई अथवा उस समय परिचालन में रहने वाली किसी भी योजना में परिवर्तित कर सके।

योजना की अवधि में 5 वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी विनियम 33 के उप-विनियम 4 के अनुसार होगी। उप-विनियम के प्रावधान इस प्रकार हैं :

नियत कालिक अवधि वाली योजना परिपक्वता अवधि की समाप्ति पर पूर्णत: उन्मोचित होगी।

बशर्ते नियत-कालिक योजना को रोल ओवर हेतु अनुमति दी जाएगी यदि रोल ओवर हेतु प्रयोजन, अवधि एवं अन्य शर्तें और रोल-ओवर से तुरंत पहले आस्तियों के संभावित संयोजन सहित योजना के अन्य महत्त्वपूर्ण ब्यौरे, योजना की शुद्ध आस्तियों एवं शुद्ध आस्ति मूल्य से यूनिटधारकों को सूचित किया जाएगा और इसकी एक प्रति सेबी को भेजी जाएगी।

बशर्ते इसके आगे, ऐसे रोल ओवर की अनुमति केवल ऐसे यूनिटधारकों के मामले में दी जाएगी जिन्होंने अपनी सहमति लिखित में दी हो एवं ऐसे यूनिटधारक जिन्होंने रोल ओवर का विकल्प नहीं दिया है या लिखित सहमति नहीं दी है, उन्हें शुद्ध आस्ति मूल्य आधारित मूल्य पर अपनी पूर्ण धारिताओं का मोचन करने की अनुमति दी जाएगी।

(ii) ट्रस्ट योजना को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है :

(क) योजना के पांच वर्ष पूरे होने पर अर्थात् 31 दिसंबर, 2003 को अथवा आगे ऐसी तारीख की समाप्ति पर जो ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित हो।

(ख) कोई ऐसी घटना घटित होने पर और जिससे ट्रस्ट की राय में योजना की समाप्ति आवश्यक हो, या

(ग) योजना के 75% यूनिटधारक द्वारा योजना को समाप्त करने का संकल्प पारित करने पर, या

(घ) यूनिटधारकों के हित में सेबी ऐसा करने के लिए निर्देश दे।

(iii) जहां उपर्युक्त उप खण्ड (ii) के अधीन योजना की समाप्ति की जाती है, तो ट्रस्ट, योजना समाप्त करने की परिस्थितियों की सूचना सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होनेवाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और मुम्बई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में समापन प्रभावी होने के एक सप्ताह पहले देनी होगी।

(iv) योजना की समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से ट्रस्ट -

(क) इस योजना से संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करेगा।

(ख) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को उत्पन्न और रद्द करना बंद करेगा।

(ग) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिदान भी बंद करेगा।

(v) न्यासी मंडल सदस्यों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और मतदान द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

(vi) (क) न्यासी मंडल या योजना के अन्तर्गत प्राधिकृत व्यक्ति योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के यूनिट धारक के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा।

(ख) ऊपर दिए गए उप खण्ड (vi)(क) के अनुसार की गई बिक्री की राशि को पहले दृष्टान्त में, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय लेने वाली तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

(vii) समाप्ति पूरी होने पर, ट्रस्ट सेबी और सदस्यों को समाप्ति के बारे में एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितियां, जिनके कारण योजना समाप्त हुई, समाप्ति से पूर्व आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, समाप्ति के लिए की गई योजना का व्यय, सदस्यों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियों के विवरण और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाणपत्र भेजेगा।

(viii) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम 1996 के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए तब तक लागू रहेंगे जब तक कि समाप्ति पूरी नहीं हो जाती या योजना बंद नहीं हो जाती।

(ix) उपरोक्त खण्ड (vii) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट हो जाती है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है तो योजना समाप्त हो जाएगी।

(x) ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र विधिवत् रूप से भरे हुए पुनर्खरीद फार्म के साथ यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा। पुनर्खरीद के लिए प्राप्त यूनिट प्रमाणपत्र और अन्य फार्म, यदि कोई हों, ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए रख लिए जाएंगे।

V. व्यय

क. पेशकश की अवधि के दौरान यूनिटें सम-मूल्य पर बेची जाएंगी।

पुनर्खरीद के लिए एनएवी पर भार 5% से अधिक नहीं होगा।

ख) योजना के अंतर्गत एकत्र निधि का निर्गम पूर्व व्यय 3.5% से अधिक नहीं होगा। योजना के प्रारंभिक निर्गम खर्चों का अनुमान निम्नानुसार है :

व्यय	%
मुद्रण और डाक	0.75
प्रचार	0.75
विपणन व्यय	1.00
स्टाम्प शुल्क	0.50
संसाधन प्रभार	0.50
योग	3.50

इस प्रकार किसी निवेशक द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपये का कम से कम 96.5 पैसा इस योजना में निवेश किया जाएगा।

(ii) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारंभ की गई योजनाओं का प्रारंभिक निर्गम व्यय इस प्रकार है :

योजना	व्यय (एकत्रित निधि का %)
आईआईएसएफयूएस' 97	0.10
आईईएफ' 97	5.75
एमआईपी-97(II)	2.45
एमआईपी-97(III)	3.44
एमआईपी-97(IV)	1.87
एमआईपी-97(V)	2.60
एमआईपी-98	1.33
आईआईएसएफयूएस' 97(II)	0.09
एमईपी-98	6.00
आईआईएसएफयूएस -98	0.05
एनआरआई फंड	2.90

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारंभ की गई योजनाओं के संबंध में ट्रस्ट द्वारा वहन किए गए व्यय (डीआरएफ द्वारा प्रभारित) इस प्रकार है :

योजना	व्यय (एकत्रित निधि का %)
एमएमएमएफ	0.50
एमईपी-98	7.22

ग) आरंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त, आवर्ती आधार पर योजना पर निम्नलिखित व्यय प्रभारित किए जाएंगे जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 2% से अधिक नहीं होगा। अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार हैं :

व्यय	%
प्रशासनिक व्यय	0.90
अभिरक्षण शुल्क	0.50
विकास प्रारक्षित निधि	0.25
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.10
लेखा परीक्षा शुल्क, न्यासियों के शुल्क एवं व्यय, दलाली एवं लेनदेन की लागत आदि	0.25
योग	2.00

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों में परस्पर परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं। फिर भी, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अनुसार कुल आरंभिक निर्गम व्ययों के रूप में कुल व्यय एकत्र निधि की 3.5% की सीमा के भीतर तथा आवर्ती व्यय किसी भी लेखा वर्ष के दौरान साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 2% की सीमा के भीतर ही होगा।

योजना का कुल आवर्ती व्यय, आरंभिक निर्गम व्ययों एवं प्रतिदान व्ययों को छोड़कर परंतु प्रशासनिक व्ययों, विकास प्रारक्षित निधि और स्टाफ कल्याण न्यास में अंशदान को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित सीमाओं के अधीन होगा :

(i) प्रथम 100 करोड़ रुपये की औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों पर - 2.25%
(ii) अगले 300 करोड़ रुपये की औसत सेाप्ताहिक शुद्ध आस्तियों पर - 2.00%
(iii) अगले 300 करोड़ रुपये की औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों पर - 1.75%
(iv) आस्तियों के शेष पर - 1.50%

प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान एवं कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान, सेबी (एमएफ) विनियम, 1996 के विनियम 52 के खण्ड 2 के अंतर्गत उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं होंगे, नामत:

(i) जब तक शुद्ध आस्तियां 100 करोड़ रुपए को पार नहीं करती हैं, योजना के प्रत्येक लेखा वर्ष में बाकी सप्ताहिक औसत शुद्ध आस्तियों के एक एवं एक चतुर्थांश प्रतिशत, और

(ii) 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का एक प्रतिशत, जहां ऐसी परिकलित शुद्ध आस्तियां 100 करोड़ रुपए से अधिक हों।

सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 में बताए अनुसार, यूटीआई कोई निवेश प्रबंध एवं सलाहकार शुल्क नहीं लगाता है। हालांकि, यूटीआई सुनिश्चित करेगा कि आरंभिक निर्गम व्यय और वार्षिक आवर्ती व्यय सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के विनियम 52 के अंतर्गत बताई गई सीमाओं के भीतर रहे।

घ) विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.25% ट्रस्ट के डीआरएफ में अंशदान के रूप में रखा जाएगा। डीआरएफ अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा।

आश्वासित प्रतिफल वाली योजनाओं सहित जारी की गई योजनाओं की निवेश योग्य निधियों के 9237.72 करोड़ रुपए की तुलना में 30 जून 1998 को विकास प्रारक्षित निधि (डीआरफ) की मात्रा 649.42 करोड़ रुपए है। आईआईएसएफयूएस-98 (II) एवं अन्य ऐसी आश्वासित प्रतिफल वाली योजनाओं में हुई कमी को पूरा करने हेतु डीआरएफ की मात्रा पर्याप्त है। अश्वासित प्रतिफल वाली योजनाओं का ब्यौरा पृष्ठ 42 पर दिया गया है।

निम्नलिखित योजनाओं की प्रारक्षित निधि 30-6-98 को ऋणात्मक रही : एमआईपी 94(III) [रु. 37.2 करोड़], आईआईएसएफयूएस '97 [रु. 34.9 करोड़], एमआईपी '97 [रु. 101.7 करोड़], एमआईपी '97 (II) [रु. 98.0 करोड़], एमआईपी '97 (III)[रु. 45.9 करोड़] जो मुख्यत: स्टॉक बाजार की मंदी की परिस्थितियों के कारण है जिसके परिणामस्वरूप इन योजनाओं की इक्विटी पोर्टफोलियो में सांकेतिक ह्रास हुआ है।

प्रबंधन दृष्टिकोण : उपरोक्त योजनाएं वर्ष 1999 से 2002 में परिपक्व होंगी। बाजार की परिस्थितियों में सुधार होने के साथ अंतरनिहित स्क्रिप सांकेतिक ह्रास को उलटते हुए अपने उचित मूल्य को प्राप्त कर लेंगे ऐसी संभावना है। इसके अतिरिक्त, योजना के प्रतिदान हेतु देय होने से पहले डेट एवं इक्विटी में सक्रिय लेन-देन से मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है।

ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983-84 में की थी ताकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अवधारणा के स्तर पर प्रवर्तन करने तथा उत्पादन एवं विकास से संबंधित ऐसे बहुत से अन्य कार्यों जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा संबंधित न हों, पर होने वाले व्ययों को पूरा कर सके। इस निधि का उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग और कार्पोरेट के छवि निर्माण संबंधी ऐसे प्रयासों जो किसी विशेष योजना से जुड़े हुए न हों तथा मानव संसाधन विकास संबंधी प्रयासों जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भविष्य के कार्यकलापों से संबंधित हों, तथा ट्रस्ट की किसी भी योजनाओं में आश्वासित प्रतिलाभ की दर में कमी होने की दशा में भुगतान करने के लिए भी किया जा सकता है।

(ङ) कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा।

ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं।

VI. यूनिटों की बिक्री

1. यूनिट प्रमाणपत्र

यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री-संविदा, स्वीकृति तिथि अर्थात् चेक के वसूली की तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी। यूनिट ट्रस्ट उसके बाद निवेश की गई राशि के लिए यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा। प्रेषित यूनिट प्रमाणपत्र के खो-जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने या गलत डिलिवरी या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा।

यूनिट ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट/समिति/निगमित निकाय को जारी यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट/समिति/निगमित निकाय के नाम पर ही होगा।

यूनिट ट्रस्ट यूनिट प्रमाणपत्र को यथाशीघ्र लेकिन योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री की समाप्ति तिथि से छः सप्ताहों के भीतर भेजने का प्रयत्न करेगा।

2. भुगतान विधि

(i) आवेदक द्वारा सभी भुगतान आवेदन पत्र के साथ चेक या ड्राफ्ट द्वारा (बैंक ड्राफ्ट कमीशन निवेशक द्वारा ही वहन किया जाएगा)किए जाएंगे, चेक या ड्राफ्ट वसूल करने की लागत भी इसमें शामिल होगी। चेक या ड्राफ्ट उसी शहर के बैंकों की शाखाओं पर आहरित होने चाहिए जहां ट्रस्ट का शाखा कार्यालय हो और उस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो।

(ii) यदि भुगतान चेक द्वारा किया गया हो तो स्वीकृति तिथि ट्रस्ट द्वारा चेक की राशि वसूल किए जाने की तिथि होगी। यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो, तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट जारी करने की तारीख होगी, बशर्ते ऐसे ड्राफ्ट की राशि की वसूली हो जाए, परंतु ट्रस्ट को आवेदन पत्र ड्राफ्ट जारी करने के 7 दिन के भीतर प्राप्त हो जाए। अदा की गयी राशि योजना के अंतर्गत न्यूनतम देय राशि और अन्य देय प्रभार को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो संपूर्ण राशि ट्रस्ट द्वारा ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, आवेदक को उसके खर्च पर वापस की जाएगी।

3. आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का ट्रस्ट का अधिकार :

योजना के अंतर्गत यूनिट जारी करने के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करने और/या अस्वीकार करने का एक मात्र स्वविवेकाधिकार ट्रस्ट का होगा। निम्नलिखित परिस्थितियों में ट्रस्ट, यूनिटें जारी करने का आवेदन अस्वीकृत कर सकता है :

i. दस लाख की न्यूनतम रकम से कम निवेश के साथ आवेदन प्राप्त हों
ii. प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा आवेदन हस्ताक्षरित न हुए हों, और
iii. आवेदक की योजना में निवेश करने की पात्रता न हो।

योजना के अंतर्गत आवेदन करने की किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के संबंध में ट्रस्ट का निर्णय अंन्तिम होगा।

यदि आवेदन पत्र अपूर्ण पाया जाए तो उसे रद्द किया जा सकेगा और ट्रस्ट यथाशीघ्र बिना किसी देयता के चाहे वह ब्याज के लिए हो या अन्य कोई राशि हो, आवेदन राशि वापस कर देगा। आवश्यक परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताओं का अनुपालन किये जाने के बाद राशि वापस की जाएगी।

आवेदक के बैंक के विवरण के बिना कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. यूनिट जारी होने से पहले आवेदक को योजना के अन्तर्गत अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा :

योजना के अन्तर्गत यूनिटों के लिए आवेदन करनेवाली संस्थाओं को, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और निवेशक वर्ग के अनुसार ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी जैसे ट्रस्ट द्वारा आवेदन करने पर न्यास विलेख, यूनिट खरीदने के लिए प्रबंध निकाय का संकल्प, समितियों द्वारा आवेदन करने पर उप-नियम और प्रबंध समिति का संकल्प आदि एवं भागीदारी फर्म द्वारा आवेदन करने पर भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति कंपनियों के मामले में संस्था के बहिर्नियम, अंतर्नियम एवं ज्ञापन आदि ट्रस्ट की संतुष्टि के अनुरूप ऐसी अपेक्षाओं का पालन करना या न करना ट्रस्ट के पूर्ण स्वविवेक पर निर्भर होगा।

कोई संस्था गलत घोषणा कर यूनिट रखेगी तो वह सदस्यता निरस्त किए जाने की भागी होगी और उसका नाम यूनिट धारकों की पंजी से काट दिया जाएगा।

ऐसी स्थिति में ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह 25% जुर्माने के तौर पर घटाकर यूनिटों की पुनर्खरीद सममूल्य पर या ऐसे मूल्य पर कर लें जो ट्रस्ट द्वारा तय किया जाए और गलती से किए गए आय वितरण के भुगतान की वसूली पुनर्खरीद राशि से कर लें और शेष राशि वापस कर दें।

इस राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, चाहे ट्रस्ट को पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि प्रेषित करने में जितना भी समय लगे।

VII. यूनिटों की पुनर्खरीद

(1) (i) योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 31 दिसंबर, 2001 तक यूनिटों की कोई पुनर्खरीद नहीं की जाएगी। पुनर्खरीद मूल्य पूर्ववर्ती साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य पर बट्टे पर होगा। बट्टा 5% से अधिक नहीं होगा। पुनर्खरीद मूल्य की घोषणा 1जनवरी, 2002 से प्रत्येक सप्ताह में एक बार की जाएगी। यह गारंटी दी जाती है कि योजना में निवेशिक पूंजी परिपक्वता पर सुरक्षित रहेगी अर्थात् यूनिटों का मोचन सममूल्य से नीचे नहीं होगा। समय पूर्व पुनर्खरीद के लिए ऐसी कोई गारंटी नहीं है और ऐसे मामलों में पुनर्खरीद मूल्य प्रचलित एनएवी पर आधारित होगा।

आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति दी जाएगी बशर्ते यूनिटधारक यूनतम शेष के रूप में दस लाख रुपये (अंकित मूल्य) कायम रखे।

(ii) यूनिटधारक को यूनिटों को पुनर्खरीद के लिए पेश करने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी जैसा कि ऊपर उप-खण्ड 1(i) में बताया गया है और वह योजना चालू रहने के दौरान अपनी इच्छानुसार उसका धारण कर सकते हैं।

इस संबंध में कृपया खंड (4) भी पढ़े।

(2) पुनर्खरीद के लिए संविदा स्वीकृति तिथि को समाप्त मानी जाएगी।

(3) पुनर्खरीद, यथोचित भरे हुए पुनर्खरीद फार्म के साथ यूनिट प्रमाणपत्र के प्राप्त होने के बाद प्रभावी होगी। पुनर्खरीद राशि का प्रेषण, ट्रस्ट के मुंबई मुख्य शाखा कार्यालय में, जहां पुनर्खरीद अनुरोध संसाधित होते हैं, आवेदन पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर (बशर्ते आवेदन उचित हो) इस प्रकार किया जाएगा जैसा आवेदक ने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट किया हो। किसी भी स्थिति में, आवेदक को देय राशि पर, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और विप्रेषण लागत (डाक खर्च सहित) अथवा यूनिट ट्रस्ट द्वारा भेजे गए चेक अथवा ड्राफ्ट की वसूली का खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।

(4) यूनिटों की बिक्री और पुनर्खरीद पर प्रतिबंध :

योजना के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिटों की खरीद या पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा -

(i) ऐसे दिन, जो कार्य-दिवस नहीं हों; और

(ii) ऐसी अवधि में जब ट्रस्ट द्वारा अधिसूचित किसी कारणवश (यूनिट ट्रस्ट द्वारा यथाधिसूचित) यूनिट धारकों की पंजी बन्द हो।

स्पष्टीकरण : इस योजना के प्रयोजनार्थ शब्द "कार्य दिवस" का अर्थ वह दिन है, जो न तो (i) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, जहां ट्रस्ट के कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत अधिसूचित हो या (ii) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि ट्रस्ट का कार्यालय बन्द रहेगा।

बिक्री या पुनर्खरीद स्वीकृति तिथि को होगी :

यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की प्रत्येक बिक्री और पुनर्खरीद स्वीकृति तिथि के अनुसार उस दिन की प्रचलित मूल्य पर होगी।

VIII. आय वितरण

1. आय वितरण की दर :

ट्रस्ट सभी पांच वर्षों के लिए 14% प्र. व. की दर पर आश्वासित आय भुगतान करने का प्रस्ताव रखता है। आश्वासित आय के भुगतान के मामले में कमी होने पर उसकी प्रतिपूर्ति विकास प्रारक्षित निधि से की जाएगी। पहले वर्ष के लिए आय की गणना स्वीकृत तिथि पर निर्भर करते हुए दैनिक आधार पर की जाएगी जैसे खंड VI(2)(ii) में बताया गया है और उसे जुलाई 1999 में अदा किया जाएगा। उसके बाद के वर्षों के लिए आय वितरण प्रति वर्ष जुलाई में अदा किया जाएगा और 1 जुलाई 2003 से 31 दिसंबर, 2003 तक की शेष अवधि का आय वितरण दिसंबर 2003 में अदा किया जाएगा।

2. यूनिटधारकों को भुगतान :

क। वार्षिक आय विकल्प :

(1) ट्रस्ट योजना के सभी पांच वर्षों के लिए 14% प्र.व. की दर पर आय अदा करेगा। पहले वर्ष के लिए (30 जून, 1999 को समाप्त वर्ष) आय जुलाई 1999 में समानुपातिक आधार पर देय होगी। उसके बाद के वर्षों के लिए आय प्रति वर्ष जुलाई में अदा की जाएगी और जुलाई 2003 से दिसंबर, 2003 तक की शेष अवधि के लिए आय दिसंबर, 2003 में अदा की जाएगी। आय वितरण वारंटों को, जिस वर्ष में आय देय हो, उसके समाप्त होने के 42 दिनों के भीतर प्रेषित किया जाएगा।

कम मार्केटिंग तथा सेवा प्रभार और योजना के निवेश उद्देश्य और प्रचलित नीतियों तथा लिखतों से अनुमानित लाभ, जिनमें प्लान की निधियों का निवेश किया जाएगा, के आधार पर योजना सभी पांच वर्षों के लिए 14% की दर से आश्वासित प्रतिलाभ अदा करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न कर सकेगी।

(2) यूनिटों के संबंध में जिसका वह धारक है ट्रस्ट द्वारा घोषित कोई आय प्राप्त कर धारण करना यूनिट धारक के लिए वैध होगा, भले ही उसके द्वारा किसी प्रतिफल हेतु यूनिट अंतरित कर दिए गए हों तथापि जब तक अंतरिती जो अंतरणकर्ता से आय का दावा करता है, आय के देय होने के 15 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र और अंतरण से संबंधित अन्य सभी दस्तावेज, जो प्रावधानों के अंतर्गत या अन्य रूप से उसके नाम में पंजीकृत करने के लिए ट्रस्ट द्वारा मांगे जाए, उन्हें प्रस्तुत नहीं कर देगा।

स्पष्टीकरण : इस उप-खण्ड में निर्दिष्ट अवधि निम्नलिखित मामलों में विस्तारित की जाएगी -

i) अंतरण विलेख के चोरी होने या अंतरकर्ता के नियंत्रण के बाहर की परिस्थिति में या अन्य किसी कारण से खो जाने की स्थिति में उसके स्थान पर दूसरा प्राप्त करने में व्यतीत हुई वास्तविक अवधि के लिए और

ii) कोई प्रमाणपत्र दाखिल करने में हुए विलम्ब और अंतरण के संबंध में अन्य दस्तावेजों को डाक द्वारा देरी से पहुंचने के संबंध में हुए विलम्ब की वास्तविक अवधि के लिए।

(3) इसमें ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के होने के बावजूद ऐसी यूनिटों के संबंध में, जिसका वह धारक है, यूनिटधारक को देय किसी भी आय का भुगतान करने का ट्रस्ट का अधिकार प्रभावित नहीं होगा।

(4) यूनिटधारकों में वितरित की जानेवाली ऐसी आय पर ट्रस्ट द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। तथापि, ट्रस्ट योजना के अंतर्गत स्थापित प्रारक्षित निधि पर निर्भर करते हुए और उचित परिस्थितियों के होने पर यूनिटधारक द्वारा आय के किसी विलम्ब पर किए दावे पर जैसा कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा उस रूप में और रीति से यूनिटधारक को मुआवज़ा देगा।

(5) यूनिटधारकों मे वितरित की जाने वाली आय चेक या यूनिट ट्रस्ट के बैंकरों के नाम आहरित वारंट या यूनिटधारक के विकल्प पर, बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा की जाएगी। उक्त बैंक ड्राफ्ट के प्रभार यूनिटधारक द्वारा वहन किए जाएंगे।

आय वितरण वारंटों के खो जाने/गलत स्थान पर पहुँचने के कारण उनके संभावित कपटपूर्ण नकदीकरण के विरुद्ध सावधानी के तौर पर आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे रिकार्ड के लिए आवेदन फार्म में उपयुक्त स्थान पर तथा पावती रसीद वाले भाग पर अपने बैंक खाते का पूरा विवरण (अर्थात् खाते का प्रकार एवं खाता संख्या, बैंक का नाम) दें। तब आय वितरण वारंट इस प्रकार से निर्दिष्ट किए गए उनके खाते में जमा करने के लिए बैंक के पक्ष में तैयार कर उन्हें भेजे जाएंगे। यूनिटधारक कथित बैंक में अपने खाते मे जमा करने हेतु उस आय वितरण वारंट को प्रस्तुत कर सकते हैं।

आय वितरण वारंट/पुनर्खरीद चेक/परिपक्वता चेक के कपटपूर्ण नकदीकरण को रोकने के लिए सेबी ने निवेशकों के हित के लिए अनिवार्य कर दिया कि वे आवेदन पत्र में उपयुक्त स्थान पर बैंक का विवरण दें।

बैंक विवरण के बिना कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ख) संचयी विकल्प

(i) इस विकल्प के अन्तर्गत कोई आय वितरित नहीं की जाएगी। प्रतिलाभ 14% प्र.व की दर से संचयित किया जाएगा ताकि रु. 10,00,000/-, पाँच वर्षों के बाद प्रतिदान के समय कम से कम रु. 19,25,415/- हो जाएं।

तथापि प्रतिवर्ष संचयित राशि पर घोषित एवं संचित आय के संबंध में परिपक्वता राशि स्रोत पर कर की कटौती जहां लागू हो, पर निर्भर होगी, जैसे कि आयकर अधिनियम 1961 में उल्लेख किया गया है।

(ii) संचयी विकल्प के अंतर्गत प्रोद्भूत आय प्रत्येक जून में जोड़ी जाएगी। अवधि के लिए पहले ऐसे आय विवरण की गणना निवेश की तिथि पर निर्भर करते हुए 30 जून, 1999 के अनुसार की जाएगी और इसे जूलाई/अगस्त 1999 में भेजा जाएगा।

किसी वर्ष 30 जून को जारी किया गया विवरण अगले वर्ष के 30 जून तक वैध रहेगा।

आईआईएसएफयूएस '98(II) के अंतर्गत 14% प्र.व. की दर पर प्रतिलाभ का औचित्य

मान लीजिए योजना में 100 करोड़ रुपये एकत्रित होते हैं। आरंभिक व्यय 0.5% हैं और वे 3 वर्ष की अवधि के दौरान अपलिखित किए जाते हैं (क्योंकि पुनर्खरीद 3 वर्ष पश्चात् शुरू होती है)। पहले वर्ष में उपलब्ध निवेश योग्य निधि 99.5 करोड़ रुपए होगी।

फंड ऋण और मुद्रा बाजार लिखतों में 90% एवं इक्विटी में 10% निवेश करेगी। योजना ऐसे डिबेंचर/बाण्ड में निवेश करेगी जिसका जोखिम तत्व न्यून से मध्यम हो। इन लिखतों के वाईटीएम 14.25% से 16.50% की सीमा में हैं। इसका अर्थ है कि ऋण लिखतों की औसत भारित आय 15.36% होगी।

लाभांश प्रतिफल, वृद्धि/ह्रास एवं अर्जित मुनाफा के जरिए इक्विटी पर वार्षिक प्राप्ति लगभग 12% होगी।

लिखतें	पोर्टफोलियो का प्रतिशत	निवेश योग्य निधि	प्रतिफल %
डिबेंचर	90	89.55	15.36
इक्विटी	10	9.95	12.00

$$\text{पोर्टफोलियो पर औसत भारित आय} = \frac{89.55 * 15.36 + 9.95 * 12}{100.00} = 14.95\%$$

वार्षिक व्यय एवं प्रावधान को 0.75% लेते हुए, वितरण के लिए प्राप्त आय 14.20% होगी। वार्षिक देय के अनुसार यह 14.00% प्र.व. की दर से लाभांश के भुगतान के लिए पर्याप्त होगी।

उपर्युक्त उदाहरणस्वरूप है तथा प्लान के प्रारंभ होने के समय बाजार की परिस्थितियों पर आधारित है और निम्नलिखित अनुमान है :

i) जुटाई गई संपूर्ण निधि को कम से कम समय में जैसे । माह में अभिनियोजन करने के पर्याप्त अवसर है।

ii) इक्विटी पोर्टफोलियो को लाभ दर्ज करने के लिए सक्रिय रूप से संचालित किया जाएगा।

IX. निवेश उद्देश्य, नीतियां एवं स्टॉक उधार

1. निवेश उद्देश्य :

योजना का निवेश उद्देश्य मुख्यत: ग्राहक को नियमित आय उपलब्ध कराना तथा योजना की परिपक्वता पर ग्राहक की पूंजी में वृद्धि के लिए प्रयत्न करना भी है।

योजना के अंतर्गत संग्रहीत निधियों का सभी प्रारंभिक परिचालन पूर्व और परिचालनगत खर्चों का प्रावधान करने के बाद सामान्यत: निम्न रूप में निवेश किया जाएगा :

(i) निधियों का कम से कम 70% ऋण लिखतों में निवेश किया जाएगा। निवेश का जोखिम तत्व न्यून से मध्यम होगा।

(ii) निधियों का 30% से अनधिक इक्विटी और इक्विटी संबंधी लिखतों में निवेश किया जाएगा। जोखिम तत्व इक्विटी निवेश में उच्च हो सकता है।

न्यूनतम एवं अधिकतम आस्ति निर्धारण :

ऋण - न्यूनतम 70% अधिकतम 100%

इक्विटी - अधिकतम 30%

मुद्रा बाजार लिखतों के लिए सामान्यत: कोई नियत नियोजन नहीं किया जाएगा।

मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश न्यूनतम रखा जाएगा ताकि प्लान की तरलता की आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

(iii) **सहवर्तियों में लेन-देन :** सेबी तथा भारत सरकार से प्राधिकृत हो जाने के अधीन यूटीआई, उचित परिस्थितियों में निवेश नीति, जोखिम को रोकने या कम से कम करने के उद्देश्य के लिए, ऐसी तकनीकों और लिखतों जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शन्स और सहवर्तियों का, जब भारतीय बाजार में उनके प्रयोग की अनुमति मिल जाएगी, लागू विनियमों और प्रति-पक्षी जोखिम मूल्यांकन के अधीन, प्रयोग करेगा। इसके अतिरिक्त, लागू विनियमों तथा प्रति-पक्षी जोखिम मूल्यांकन के अधीन योजना स्टाक उधार ले सकती है अथवा उधार दे सकती है ।

(iv) स्टाक उधार देना : योजना, समय-समय पर, सेबी की प्रतिभूतियां उधार देनेवाली योजना के अनुसार अस्थायी अवधि हेतु उन प्रतिभूतियों पर, जिन में निवेश किया गया है, उधार दे सकती है ।

(V) विदेशी निवेश : योजना, समुद्रपारीय/विदेशी कंपनियों द्वारा जारी की गई तथा विदेश में सूचीबद्ध की गई प्रतिभूतियों में अथवा भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी/समुद्रपारीय निवेशकों को जारी की गई तथा ऐसे निर्गमों में सीधे अभिदान करके अथवा सेबी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार विदेशी स्टोक एक्सचेंजों में खरीद करके सीधे स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध की गई प्रतिभूतियों में निवेश कर सकती है ।

ट्रस्ट सुरक्षात्मक दृष्टि से लघु अवधि के आस्ति आबंटन में परिवर्तन करने का विकल्प अपने पास रखता है ।

ऊपर कथित निवेश उद्देश्य के अनुसरण में, योजना की निधियों का प्रतिभूतियों में नियोजन होने तक ट्रस्ट योजना की निधियों का निवेश मुद्रा बाजार लिखतों में कर सकता है ।

2. मूल विशेषताएं

"मूल विशेषताओं" का अर्थ निम्नलिखित है।

क)	योजना का प्रकार	:	संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 (II) एक नियतकालिक आय निधि है।
ख)	निवेश उद्देश्य	:	जैसा कि इस पेशकश दस्तावेज के खंड IX के अंतर्गत बताया गया है।
ग)	निर्गम की शर्तें	:	सूचीबद्धता, यूनिटों की पुनर्खरीद/प्रतिदान, व्यय एवं दी गई गारंटी के संबंध में प्रावधान इस पेशकश दस्तावेज में हैं।

योजना की मूल विशेषताओं में कोई भी परिवर्तन कम से कम तीन चौथाई यूनिटधारकों की सहमति से किया जाएगा। इसके अलावा मूल विशेषताओं में कोई परिवर्तन होने पर जो अपनी सहमति न दें उन्हें योजना से अपनी यूनिटधारिताओं का मोचन करने की अनुमति होगी।

बोर्ड समय-समय पर योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन या अन्यथा उसमें संशोधन कर सकता है तथा ऐसा कोई संशोधन/परिवर्धन सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। किसी संशोधन के मामले में सेबी का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा।

ऐसा कोई संशोधन जो मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं है और जो यूनिटधारकों के हितों को प्रभावित नहीं करता हो, सेबी के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा।

3. निवेश नीतियां

(i) सभी ऋण लिखतें जिनमें योजना द्वारा निवेश किया जाता है, उनके निवेश दर्जे का निर्धारण समय-समय पर मान्यता प्राप्त किसी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा किया जाएगा जिसे समय-समय पर मान्यता दी जाएगी:

बशर्ते यदि ऋण लिखत का निर्धारण नहीं किया गया हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल से विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा।

(ii) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिये जाएंगे।

(iii) ट्रस्ट प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय सुपुर्दगियों के आधार पर करेगा और खरीद के सभी मामलों में संबंधित प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लेगा और बिक्री के सभी मामलों में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी करेगा और किन्हीं भी मामलों में खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालेगा जिससे इसे मंदड़िया बिक्री करनी पड़े या सौदे का वायदा (कैरी फारवर्ड) करना पड़े या बदला वित्त में लिप्त होना पड़े ।

(iv) ट्रस्ट प्रतिभूतियों की खरीद या अंतरण ट्रस्ट के नाम से करवाएगा।

(v) योजना सेबी की स्टॉक उधार देने की योजना के अनुसार प्रतिभूतियों को उधार दे सकती है।

(vi) योजना इनमें से किसी में निवेश नहीं करेगी ;

क) ट्रस्ट की समूह या सहायक कंपनी की कोई असूचीबद्ध प्रतिभूति ; या

ख) ट्रस्ट की समूह या सहायक कंपनी द्वारा निजी नियोजन के माध्यम से जारी की गई कोई प्रतिभूति; या

ग) ट्रस्ट की समूह कंपनी की सूचीबद्ध प्रतिभूतियां जो ट्रस्ट की सभी योजनाओं के शुद्ध आस्तियों के 25% से अधिक है।

(vii) प्लान की प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए शेयर-दलाली फर्म और यूटीआई की सहायक संस्था यूटीआई सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज लिमिटेड (यूटीआई-एसईएल) की सेवाएं ली जा सकती हैं जो नीतियों के अनुसार हों और ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा तय की गई सीमाओं के अधीन हों। यूटीआई एसईएल 1994 में स्थापित की गई थी। यह निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित, पारदर्शी और कुशल सेवाएं प्रदान करने वाली उच्च तकनीकी कंपनी है। इसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है।

(viii) जनता को पेश न किए गए ऋण लिखतों में निवेश, उपलब्ध आय पर निर्भर करते हुए योजना जनता को पेश न की गई प्रतिभूतियों में निवेश कर सकती है।

भारतीय ऋण बाजार का फैलाव पूरी तरह से विकसित नहीं माना जाएगा। यूटीआई बहुत सी ऋण उन्मुख/संतुलित योजनाओं का संचालन कर रहा है। यह योजनाएं, परिपक्वता के विभिन्न चरणों पर हैं। इनमें से कुछ सतत खुली व कुछ नियतकालिक हैं। एक योजना से दूसरे योजना के मध्य ऋणों पर लेन-देन के बहुत से अवसर है जो संसाधनों के उगाही व अभिनियोजन की उनकी आवश्यकताओं पर आधारित है। उधृत/सूचीबद्ध ऋण उपलब्ध बाजार दरों पर अंतरित किए जाते हैं जबकि अनोधृत ऋण जैसे कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल निर्धारित करें, परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर प्रचलित मूल्य पर अंतरित किए जाते हैं। इस प्रकार जनता को पेश न किए गए निवेश का प्रभाव, निधि के कार्यक्षमता/तरलता पर विशेष नहीं पड़ता है।

(ix) योजना पर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सीमा का कोई बंधन नहीं है। तरलता की आवश्यकता के आधार पर, योजना भारत सरकार/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश कर सकती है।

(I) 31/12/97 के अनुसार तालिका I में उन योजनाओं की सूची है जिसमें कंपनियों ने योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य के 5% से अधिक निवेश किया है और तालिका II में उन योजनाओं द्वारा या यूटीआई की अन्य कोई योजना द्वारा उस कंपनी में या उसकी अनुषंगी कंपनी द्वारा सकल आधार पर निवेश किया ...

तालिका I

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना-आस्तियों के 5% से अधिक धारिता वाली कंपनी का नाम
1.	पीईएफ '95	बैंक ऑफ बड़ौदा
2.	ग्रैंड मास्टर	बैंक ऑफ बड़ौदा
3.	आईआईएसएफयूएस '96	दी सूरत पीपल्स को.ऑप. बैंक लि. सूरत
4.	आईआईएसएफयूएस '97	एचडीएफसी
		हिंदुस्तान लीवर लि.
5.	यूटीआई-एमएमएफ	एसएचसीआईएल
		यूटीआई-बैंक लि.
		बीओआई म्यूचुअल फंड
		अरविंद मिल्स
		ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़
6.	यूटीआई-आईईएफ	आईडीबीआई
		आईसीआईसीआई
		आईसीआरए
7.	एमआईपी 97 (IV)	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स
		एचपी स्टेट को.ऑप. बैंक लि.

(ii) 31/12/97 के अनुसार उस योजना द्वारा या यूटीआई की किसी अन्य योजना द्वारा उस कंपनी या उसके आनुषंगिक द्वारा सकल आधार पर किया गया निवेश।

(रु. करोड़ में)

कंपनी का नाम	इक्विटी (लागत)	ऋण (लागत)	मीयादी ऋण	जमा	कुल
अरविंद मिल्स	100.05	8.27	0.1	0.00%	108.42
बैंक ऑफ बड़ौदा	20.12	0	0	0.00%	20.12
बीओआई म्यूचुअल फंड	0	0	0	0.00%	0
ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज	32.09	0	0	0.00%	32.09
एचडीएफसी	299.72	0	0	14500.00%	444.72
एचडीएफसी बैंक लि.	0.83	0	0	0.00%	0.83
हिंदुस्तान लीवर लि.	648.47	5.85	0		654.32
एचपी स्टेट को.ऑप-बैंक लि.	0	0	0	0.00%	0
आईसीआईसीआई	307.5	1193.18	885	4500.00%	2430.6
आईसीआईसीआई बैंकिंग कार्पोरेशन लि.	7.05	0	0	0.00%	7.05
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एण्ड फाइनेंस कंपनी लि.	0	33	0		33
आईसीआरए	2.92	0	0	0.00%	2.92
आईडीबीआई	374.5	1097.56	0	0.00%	1472.06
एमआईडीबीआई (आईडीबीआई अनुषंगी)	0	17.86	0	0.00%	17.86
एसएचसीआईएल	4.96	0	6.25	0.00%	11.21
ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स	10.67	0	0	0.00%	10.67
दी सूरत पीपल्स को-ऑप. बैंक लि. सूरत	0	0	0	0.00%	0
यूटीआई-बैंक लि.	111.4	0	0	0.00%	111.4

तथापि, ऊपर खण्ड IX (3), XII (1) और XII (2) के संबंध में किसी भी बात के होते हुए, आस्तियों का मूल्यांकन, शुद्ध आस्ति मूल्य का अभिकलन, पुनर्खरीद मूल्य और उनके प्रकटीकरण का अंतराल सेबी द्वारा समय-समय पर जारी सेबी (एमएफ) विनियमों के प्रावधानों/दिशा निर्देशों/निवेशों के अनुसरण में होगा।

X. अंतर योजना अंतरण

इस योजना से ट्रस्ट की दूसरी योजना/प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब -

क) उधृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण स्पॉट आधार पर किए गए हों।

स्पष्टीकरण : "स्पॉट आधार" का अर्थ वही होगा जो स्टॉक एक्सचेंज द्वारा स्पॉट सौदों के लिए निर्दिष्ट है।

ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनमें ऐसे अंतरण किए जाते हैं।

ग) प्लान से/में असूचीबद्ध या अनोधृत निवेश का ट्रस्ट की अन्य योजना/प्लान में से अंतरण ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

XI. संयुक्त सौदे एवं उधार

1. योजना ट्रस्ट या किसी पूरोर म्यूचुअल फंड की किसी अन्य योजना/प्लान में कोई शुल्क प्रभारित किए बिना निवेश कर सकती है, बशर्ते ट्रस्ट की सभी योजनाओं द्वारा किया गया कुल अन्तरयोजना निवेश या किसी दूसरी आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा प्रबंधित योजनाओं में किया गया निवेश ट्रस्ट के शुद्ध आस्ति मूल्य के 5% से अधिक न हो।

2. योजना यूनिटों की पुनर्खरीद, प्रतिदान या ब्याज की अदायगी या सदस्यों को आय अदा करने के लिए नकदी की अस्थाई जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने के सिवा उधार नहीं लेगी। परन्तु उधार योजना की शुद्ध आस्ति के 20% से अधिक नहीं लिया जाएगा और इस तरह के उधार की अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी।

3. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 20 के अनुसार ट्रस्ट को निम्नलिखित उधार लेने की शक्तियां प्राप्त हैं :

(i) ट्रस्ट, भारत या भारत से बाहर के किसी प्राधिकरण या व्यक्ति जो सरकार या रिज़र्व बैंक न हो, ऐसी प्रतिभूति के प्रति एवं ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर जिस पर वे आपस में सहमत हो, उधार ले सकता है।

(ii) ट्रस्ट रिज़र्व बैंक से निम्नलिखित स्थितियों में उधार ले सकता है :

(क) भारत में इस समय लागू किसी कानून द्वारा जिससे न्यासी ट्रस्ट का धन निवेश करने हेतु प्राधिकृत है, स्टॉक, निधियों एवं प्रतिभूतियों के प्रति (अचल संपत्तियों के अतिरिक्त) मांग पर या नियत अवधि की समाप्ति पर प्रतिदेय जो इस प्रकार ली गई राशि की तिथि से नब्बे दिन से अधिक न हो।

(ख) केंद्र सरकार के अनुमोदन से बांडों की प्रतिभूति के प्रति, जिसे ट्रस्ट जारी कर सकता है, मांग या जिस तिथि से ऐसी राशि उधार ली गई है, उस तिथि से अठारह महीनों की अवधि के भीतर प्रतिदेय हो।

(ग) प्रथम यूनिट योजना के अतिरिक्त किसी अन्य योजना के प्रयोजन हेतु जिसे इस संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है ट्रस्ट को ऐसी अन्य संपत्तियों की प्रतिभूति के प्रति या ऐसी शर्तों एवं नियमों पर :

बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत उधार ली गई कोई राशि एवं किसी समय बकाया इससे ज्यादा न हो -

(क) ऐसी प्रत्येक योजना के संबंध में पांच करोड़ रुपए से ज्यादा न हो, एवं

(ख) समग्र रूप से ऐसी समस्त योजनाओं के संबंध में दस करोड़ रुपए।

(iii) ट्रस्ट द्वारा उप धारा (ii) के अंतर्गत जारी बांड के मूल राशि की चुकौती की गारंटी केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाएगी एवं ब्याज का भुगतान बांड जारी करते समय केंद्रीय सरकार द्वारा निश्चित दर पर किया जाएगा।

XII. एनएवी निर्धारण एवं आस्तियों का मूल्यांकन

1. शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का परिकलन और प्रकटीकरण :

योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के उपचयों और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा। प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग दे कर किया जाएगा। योजना का एनएवी, वार्षिक आय विकल्प और संचयी विकल्प के लिए अलग-अलग निर्धारित किया जाएगा। प्लान के आरंभ होने के छः माह के बाद और उसके बाद साप्ताहिक आधार पर शुद्ध आस्ति मूल्य (पूर्ववर्ती आधार पर) समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा।

2. इस योजना की आस्तियों का मूल्यांकन :

(i) अवरुद्ध अवधि के अधीन वाले निवेशों सहित उधृत निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को बाजार में बंद मूल्य पर या मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि में बिल्कुल हाल ही की उपलब्ध दर पर किया जाता है। यदि मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि हेतु, कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोधृत निवेश माना जाता है।

(ii) उधृत निवेशों और बांडों के मामले में, बाजार दर, जो ब्याज सहित है उसे ब्याज तत्त्व यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया जाता है।

(iii) अनोधृत/निष्क्रय इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्तियों के पूंजीकरण और बही मूल्य (विश्लेषित मूल्य) के औसत में से 10% घटाकर किया जाता है।

(iv) अनोधृत डिबेंचर, बॉण्ड एवं अंतरणीय नोट परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर जैसा कि ट्रस्ट क न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित हो, मूल्यांकित किए जाते हैं।

(v) अनोधृत वारंट, मूलाधार शेंयरों की बाजार दर पर, आय तत्त्व, यदि कोई हो, के लिए बट्टा काटकर तथा देय लागू मूल्य से कम करके, लिए जाते हैं। जिन मामलों में इस तरह लिए गए मूल्य से लागू देय मूल्य ज्यादा हो, वहां वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है।

(vi) परिवर्तनीय डिबेंचर एवं बॉण्ड, जहां मिश्र बाजार भाव उपलब्ध न हो, वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन, संबंधित इक्विटी शेयरों, जिनमें आय तत्त्व, यदि कोई हो, के लिए बट्टा काट कर किया जाता है। ऐसे डिबेंचरों एवं बॉण्डों का अपरिवर्तनीय भाग, यदि कोई हो, का मूल्यांकन, परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर, जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित हो, किया जाता है। जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हों, वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है।

(vii) मांग मुद्रा में निवेश, बट्टा योजना के अंतर्गत खरीदे गए बिलों एवं बैंक की अल्प अवधि जमाओं का मूल्यांकन लागत और प्रोद्भवन पर किया जाएगा। अन्य मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन उस मूल्य पर किया जाएगा जिस पर इनका इन दिनों कारोबार किया जाता है। इसी उद्देश्य से गैर व्यापारिक लिखतों अर्थात् वैसी लिखतें, जिनका सात दिनों तक व्यापार नहीं किया जाता है, का मूल्यांकन लागत और दिन के आरंभ तक उपचित ब्याज तथा प्रतिदान मूल्य एवं लिखतों की शेष परिपक्वता अवधि पर एक समान विभाजित लागत के बीच के अंतर के आधार पर किया जाता है।

(viii) सरकारी प्रतिभूतियों के अंतर-योजना अंतरण/मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित नीति स्वीकृत की जाती है :

(क) एनएसई पर उधृत सरकारी प्रतिभूतियां मूल्यांकन तिथि के बंद-मूल्य पर मूल्यांकित की जाती हैं। यदि प्रतिभूति उस दिन उधृत नहीं की जाती है तो मूल्यांकन तिथि से 7 दिन पहले तक के उद्धरणों पर विचार किया जाता है। यदि प्रतिभूति 7 दिनों की अवधि तक उधृत नहीं की जाती है, तो उसे अनोधृत मान लिया जाता है।

(ख) अनोधृत सरकारी प्रतिभूतियां प्रतिफल वक्र के आधार पर निर्धारित परिपक्वता पर प्रतिफल (वायटीएम) के आधार पर की जाती है।

(ix) उपरोक्त (1) से (8) तक के अनुसार परिकलित निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को राजस्व लेखे से प्रभारित किया जाता है।

XIII. लेखा नीतियां

आय की मान्यता

(i) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों पर लाभांश आय भूतपूर्व लाभांश तिथि पर प्रोद्भूत की जाती है। असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों एवं अधिमान शेयरों पर लाभांश आय का हिसाब प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

(ii) निवेशों पर ब्याज का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

(iii) निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि की पहचान भारित औसत लागत के आधार पर व्यापार तिथियों पर की जाती है।

(iv) प्रतिबद्धता प्रभार का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

(v) जब कोई विकास नहीं हो तो हामीदारी कमीशन को नकदी आधार पर राजस्व माना जाता है। विकास के मामले में, पूर्ण हामीदारी कमीशन ऐसे निवेशों की लागत में से कम किया जाता है।

(vi) शेयरों एवं डिबेंचरों में किए गए निवेशों से प्राप्त ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क ऐसे निवेशों की लागत में से कम कर दिया जाता है। वितरण के प्रथम वर्ष में ऋण से प्राप्त ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क की पहचान आय के रूप में की जाती है।

(vii) डिबेंचरों/बॉण्डों के प्रतिदान पर प्रीमियम/मुनाफा एवं अन्य विविध आय का हिसाब प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

(viii) पिछली दो या अधिक तिमाहियों से बकाया ब्याज आय के संदर्भ में प्रावधान किया जाता है। एक से अधिक लेखा वर्षों से बकाया लाभांश पूर्ण रूप से प्रदान किया जाता है।

2. **व्यय**

(i) व्यय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

(ii) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25(4) के प्रावधानों द्वारा दी गई शक्तियों के अनुसार न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित आधार पर यूनिट योजना 1964 के अंतर्गत किए गए खास सामान्य खर्चों का विनिधान अन्य योजनाओं पर किया जाता है।

(iii) नियत आस्तियों वाली यूनिट योजना, 1964 कथित आस्तियों के उपयोग के लिए न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित पट्टा किराया अन्य योजनाओं से वसूल करती है।

3. **आस्थगित राजस्व व्यय**

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 25(3) के प्रावधानों के अंतर्गत दी गई शक्तियों के अनुसार, न्यासी मंडल द्वारा कुछ खास व्ययों को आस्थगित किया गया है, जो निम्नानुसार हैं -

नियत कालिक योजनाएं :

(i) नियत कालिक योजनाओं द्वारा की गई आरंभिक/अधिकार निर्गम व्यय एवं एजेंटों को कमीशन संबद्ध योजनाओं की समयावधि पर समान रूप से बट्टे खाते में डाल दी जाती है।

(ii) जब यूनिटों की पुनर्खरीद की जाती है/पुन: क्रय किया जाता है, उस वर्ष प्रभारित एवं अन्य असमाप्त अवधि के लिए आस्थगित राजस्व व्यय को उचित रूप से समायोजित किया जाता है।

4. **निवेश**

(i) निवेशों का विवरण लागत पर या अपरिशोधित लागत पर दिया जाता है।

(ii) द्वितीयक बाजार कारोबार के मामले में निवेश को व्यापार तिथियों पर किया गया माना जाता है।

(iii) आबंटन पर प्राथमिक बाजार निर्गमों में अभिदान को निवेश माना जाता है।

(iv) बोनस/अधिकार पात्रताओं को पूर्ववर्ती-बोनस/पूर्ववर्ती अधिकार तिथियों पर माना जाता है।

(v) निवेश की लागत में दलाली एवं सेवा - कर शामिल हैं लेकिन स्टाम्प कर शामिल नहीं है, जिसे राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

5. **निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास**

(i) जहां, न्यासी मंडल की राय में, अनोधृत इक्विटी या अधिमान शेयरों के मूल्य में महत्त्वपूर्ण कमी होती हो, वहां ऐसे शेयरों की लागत, मामले के अनुरूप, यूनिट प्रीमियम/सामान्य प्रारक्षित निधि/राजस्व लेखा के बट्टे खाते में डाल दी जाती है।

ऐसे मामले, जहां न्यासी मंडल की राय में, पिछले वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए निवेश की गुणवत्ता मे महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ हो, इसे फिर से मूल बही मूल्य में प्रतिलेखित कर दिया जाता है।

(ii) अन्य सभी निवेशों, जैसे डिबेंचरों एवं बॉण्डों, रक्षित/अ-रक्षित अंतरण योग्य नोटों, सावधिक ऋणों एवं जमाओं जिन्हें अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, के मामले में यदि पिछले 180 दिन या उससे अधिक से ब्याज की अदायगी नहीं की गई हो, तो राजस्व लेखा से प्रावधान किए जाएंगे। ये प्रावधान प्रत्येक अनुपयोज्य आस्ति के लिए अलग-अलग बनाया जाता है न कि उसी कंपनी की अन्य उपयोगी आस्तियों के लिए।

(iii) अनुपयोज्य आस्तियों का प्रावधान आस्तियों के अनुपयोज्य रहने की अवधि के आधार पर निम्नलिखित रूप में किया जाता है :

आस्ति के अनुपयोज्य रहने की अवधि	प्रावधान का प्रतिशत	
	रक्षित आस्ति	अ-रक्षित आस्ति
दो वर्षों तक	10%	10%
दो वर्षों से अधिक परंतु तीन वर्षों तक	20%	100%
तीन वर्षों से अधिक परंतु पांच वर्षों तक	30%	100%
पांच वर्षों से अधिक	50%	100%

(iv) जहां मूलधन का पुनर्भुगतान निम्नलिखित के बारे में देय बाकी हो :

(1) ऐसे ऋण पोर्टफोलियो के बारे में जहां निवेश अथवा लिखत की अवधि 3 वर्ष से कम है, तो व्यतिक्रम में किसी भी किस्त के प्रति प्रावधान किया जा सकता है, यदि ऐसी किस्त, पूर्व दायित्व अवधि के पार, 180 दिनों के लिए बकाया है ।

(2) ऐसे ऋण पोर्टफोलियो के बारे में जहां निवेश अथवा लिखत की अवधि 3 वर्षों से अधिक है, तो व्यतिक्रम में किसी भी किस्त के प्रति प्रावधान किया जा सकता है, यदि ऐसी किस्त, पूर्व दायित्व अवधि के पार, 365 दिनों के लिए बकाया है ।

प्रावधान रक्षित निवेश के बारे में 50% की समग्र सीमा के अधीन होगा तथा अ-रक्षित निवेश के बारे में 100% तक होगा । इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में यदि कोई उत्तरवर्ती किस्त हो, जहां मूल व्यतिक्रम जारी रहता है, तो संबंधित नियत तिथियों से 30 दिन की अवधि दी जाएगी ।

(v) बकाया ब्याज के पूंजीकरण के जरिए, ब्याज के निधीयन के मामले में, निधिक ब्याज बाकीदारी की अवधि से असंबद्ध रूप से पूरी तरह अदा कर दी जाती है।

(vi) उपरोक्त (iii), (iv) एवं (v) के संदर्भ में अनुपयोज्य आस्तियों का प्रावधान, मामले के अनुसार, यूनिट प्रीमियम/सामान्य प्रारक्षित निधि/राजस्व लेखा में प्रभारित करके किया जाता है।

6. नियत आस्तियां :

(i) नियत आस्तियों का विवरण पूर्ववर्ती लागत में से संचित मूल्य ह्रास घटाकर दिया जाता है।

(ii) लेखा वर्ष में छः माह से कम अवधि से धारित आस्तियों, जहां मूल्य ह्रास निम्नलिखित दरों के आधे पर किया जाता है, के अतिरिक्त मूल्यह्रास मूल्य ह्रासित विधि से निम्नलिखित दरों पर प्रदान किया जाता है -

(क)	भवन एवं परिसर	5%
(ख)	फर्नीचर एवं फिक्सचर	10%
(ग)	कार्यालय उपकरण, भवन विकास, कम्प्यूटर एवं मोटर सवारी	33.33%

(घ) पट्टाधृति भूमि पट्टे की अवधि पर समान रूप से परिशोधित किया जाता है।

(ङ) 8 वर्षों से अनधिक अवधि के लिए पट्टे पर लिए गए परिसर में भवन - विकास को असमाप्त अवधि पर समान रूप से परिशोधित किया जाता है और अन्य मामलों में 33.33% की दर से मूल्य ह्रास किया जाता है।

नियत आस्तियां, जिन्हें इंस्टाल किया जाता है और जिनका उपयोग किया जाता है, का विवरण देयताओं के अंतिम निपटारे के लंबित रहने पर, अनुमानित आधार पर दिया जाता है। अंतिम निपटारे पर, आस्ति के प्रयोग की तिथि से ह्रास समायोजित किया जाता है।

7. यूनिटों का पुनः क्रय :

शेयर बाजार में सूचीबद्ध एवं खुले बाजार के क्रियाकलाप के जरिए प्रतिदान के लिए पुनः क्रय की गई योजनाओं की यूनिटें व्यापार-तिथियों पर हिसाब में ली जाती हैं। अभिग्रहण लागत एवं अंकित मूल्य के बीच के अंतर को राजस्व विनियोजन लेखा से प्रभारित किया जाता है। रजिस्ट्रारों से सूचना की प्राप्ति पर शोधित यूनिटों का अंकित मूल्य यूनिट पूंजी में से घटा दिया जाता है।

8. आय वितरण :

न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित विधि से आय वितरण का प्रावधान किया जाता है।

वे योजनाएं, जिनके अंतर्गत यूनिटें प्रीमियम पर या अंकित मूल्य पर बट्टा देकर बेची जाती हैं, को छोड़कर सभी योजनाओं के अंतर्गत पूंजीकरण के लंबित रहने पर आवेदन राशि पर आय वितरण के लिए प्रावधान किया जाता है। इन योजनाओं पर आय वितरण पूंजीकरण के वर्ष में राजस्व विनियोजन लेखे में प्रभारित किया जाता है।

9. वित्तीय परिणाम का प्रकाशन :

31 दिसंबर के अनुसार अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम 2 माह के भीतर एवं 30 जून के अनुसार लेखा-परीक्षित वार्षिक परिणाम लेखा को अंतिम रूप देने के 6 माह के भीतर एक अंग्रेजी दैनिक एवं एक मराठी दैनिक में प्रकाशित किया जाएगा।

XIV. निवेशों का कर - निरूपण

कर मार्गदर्शक :

कर छूट

प्रचलित आयकर अधिनियम के अंतर्गत उन मामलों में जहां पर निवेश करनेवाली संस्थाएं निम्नलिखित हैं :

(i) धर्मार्थ और धर्मादा न्यास :

धर्मार्थ और धर्मादा न्यास की आय किसी भी वर्ष में आयकर से पूरी तरह मुक्त होगी यदि जिस वर्ष आय अर्जित की गई हो उसी वर्ष उसका 75% ट्रस्ट के किसी भी उद्देश्य के लिए खर्च किया गया हो (आय कर अधिनियम की धारा 11)। इस प्रकार धर्मार्थ और धर्मादा न्यास वर्ष की आय का 25% को भविष्य के वर्षों मे धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों पर खर्च करने के लिए अलग रख सकते है और आय कर से बच सकते हैं। यदि इस प्रकार अलग रखी गई आय उस वर्ष की आय के 25% से अधिक हो तो उस पर आय कर लगेगा। ऐसी अधिक आय, आय कर से मुक्त होगी, यदि उसका आयकर अधिनियम की धारा 11 (2) (ख) में उल्लिखित "स्वीकृत प्रतिभूतियों" में निवेश किया गया हो। यूटीआई के यूनिट स्वीकृत प्रतिभूतियों में से एक है। कोई धर्मार्थ और धर्मादा न्यास जो कि अपनी अतिरिक्त निधियों का यूनिटों में निवेश करता है, आयकर से छूट के योग्य होगा।

आयकर अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कर में छूट के लिए योग्य एक शर्त यह है कि ट्रस्ट के धन और अन्य निधि का स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहिए। यूटीआई की यूनिटें स्वीकृत प्रतिभूतियों में से एक है।

(ii) धारा 23एए में दर्शायी गयी कोई भी संगठित निधि/अन्य संस्थाए : ये प्रचलित कर विधि के अनुसरण में होगी।

स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं होगी

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 अथवा 12 अथवा 10(22) अथवा 10(22ए) अथवा 10(23) अथवा 10 (23एए) या 10(23सी) के अंतर्गत आनेवाली संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए प्रारूप में घोषणा किए जाने के आधार पर उनसे स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी।

उपर्युक्त को छोड़कर अन्य संस्थाओं के मामले में आय में से स्रोत पर कर कटौती प्रचलित कर विधि के अनुसार होगी।

धन कर वित्तीय आस्तियां जैसे शेयर और भारतीय यूनिट ट्रस्ट और अन्य म्यूचुअल फंडों के यूनिट धन कर देयता से मुक्त हैं।

टिप्पणी : सांविधिक निगमों जैसे आईडीबीआई और ऐसी ही अन्य संस्थाओं के संबंध में आयकर अधिनियम और धन कर अधिनियम के अंतर्गत कर लाभ/छूट, अन्य बातों के साथ साथ उन्हें संचालित करने वाले विशेष अधिनियमों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसरण में, संचालित होगी।

इस योजना के अंतर्गत निवेश में से होनेवाले कोई भी दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 और 112 में दिए गए निर्देशों के अधीन होगा।

धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजी अभिलाभ कर छूट

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाली संपूर्ण या आंशिक शुद्ध राशि का आईआईएसएफयूएस '98 (II) में किया गया निवेश, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर से छूट के लिए पात्र होगा बशर्ते पुनर्खरीद/अंतरण/गिरवी, आवेदन की स्वीकृति पर तीन वर्षों बाद ही की/किया/रखा जाए।

आयकर/धनकर/पूंजीगत अभिलाभ कर, से संबंधित प्रकटीकरण प्रचलित आयकर अधिनियम के अनुरूप होगा

XV. निवेशकों के अधिकार एवं सेवाएं

1. प्लान के अधीन यूनिटधारकों को प्लान की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा प्लान द्वारा घोषित आय में समानुपातिक अधिकार प्राप्त है।

2. यूनिटधारकों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता हो तथा यूनिटधारकों को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे।

3. यूनिटधारकों को यूनिटों की बिक्री बंद होने की तिथि से 6 सप्ताहों के भीतर यूनिट प्रमाणपत्र जारी किए जाने का अधिकार है।

4. यूनिटधारकों को अधिकार है कि जिस कार्यालय में पुनर्खरीद आग्रह संसाधित किए जाते हैं वहां आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर (बशर्ते कि आवेदन सही हो) पुनर्खरीद/प्रतिदान प्राप्तियां भेजी जाए।

5. संबद्ध लेखा वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 (II) के संदर्भ में संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति सभी यूनिटधारकों को भेजी जाएगी एवं वार्षिक रिपोर्ट निरीक्षण के लिए केंद्रीय निवेशक कक्ष में उपलब्ध कराई जाएगी एवं इसकी प्रति यूनिटधारकों को सांकेतिक शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

6. निर्दिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत सदस्यों का अनुमोदन डाक मतदान के जरिए मांगा जाएगा।

7. यूनिटधारकों को केंद्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट द्वार नं. 1, सर विटठलदास ठाकरसी मार्ग, मुंबई-400 020 में रखे निम्नलिखित दस्तावेजों के निरीक्षण का अधिकार है :

- यूटीआई अधिनियम
- सामान्य विनियम
- अभिरक्षक, रजिस्ट्रार और संग्रहणकर्ता बैंकों के साथ किए गए करार
- पेशकश दस्तावेज संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1998 (II) की प्रति

XVI. भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना एवं प्रबंधन

यूटीआई की स्थापना

यूटीआई अधिनियम, 1963 के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होनेवाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी। इसने 1जुलाई, 1964 से कार्य करना आरंभ किया।

यूटीआई का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है, जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है।

मंडल के अलावा, एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी होते हैं। यह समिति मंडल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर कार्य करने के लिए अधिकृत है।

न्यासी मंडल *

1.	**श्री पी.एस. सुब्रमनीयम**	*अध्यक्ष,* भारतीय यूनिट ट्रस्ट
2.	**डॉ पी.जे. नायक**	*कार्यपालक न्यासी,* भारतीय यूनिट ट्रस्ट
3.	**श्री एस गुरुमूर्ति**	*कार्यपालक निदेशक,* आरबीआई
4.	श्री एन.एस. सेखसरिया	*प्रबंध निदेशक,* गुजरात अंबुजा सिमेन्ट्स लि.
5.	श्री पी.आर. खन्ना	*सनदी लेखाकार*
6.	श्री जी. कृष्णमूर्ति	*अध्यक्ष,* भारतीय जीवन बीमा निगम
7.	श्री एम. एस. वर्मा	*अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,* भारतीय स्टेट बैंक
8.	श्री एन. वाघुल	*अध्यक्ष,* आईसीआईसीआई लि.
9.	श्री रशीद जिलानी	*अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,* पंजाब नेशनल बैंक

* **वर्तमान में न्यासियों की अन्य निदेशिकाएं इस प्रकार हैं :**

1. **डॉ पी.जे. नायक** - (i) शासी परिषद के सदस्य - यूटीआई-इन्स्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट, (ii) निदेशक - भारतीय यूनिट ट्रस्ट आईएसएल, यूटीआई आईएएस लि., भारतीय म्यूचुअल फंड संघ एवं नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरी लि.

2. **श्री एन.एस. सेखसरिया** - निदेशक - श्री अरबुदा मिल्स लि., गुजरात वेंचर फाइनेंस लि., राधा माधव इन्वेस्टमेंट लि. एवं गृह फाइनेंस लि.।

3. **श्री पी.आर. खन्ना** - निदेशक - एसबीआई कैपिटल मार्केट लि., मोदी रब्बर लि., टेलिमैकनिक एवं कंट्रोल (इंडिया) लि., डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लि., गॉडफ्रे फिलिप इंडिया लि., इंडैग रब्बर लि., टोयो मिरर्स प्राइ. लि., मार्केटिंग रिसर्च ग्रुप प्राइ. लि. एवं सीता हॉलिडे रिसोर्ट लि.।

4. **श्री जी. कृष्णामूर्ति** - (i) अध्यक्ष - एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) ईसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. एवं जीवन बीमा सहयोग आस्ति प्रबंधन कंपनी (ii) अध्यक्ष - भारतीय साधारण बीमा निगम, केनिन्डिया एन्श्यूरेंस कं. लि., भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह, भारतीय रेल वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम एवं राष्ट्रीय आवास बैंक।

5. **श्री एम.एस. वर्मा** - (i) अध्यक्ष - एसबीआई कैपीटल मार्केट लि., एसबीआई फंड मैनेज़मेंट (प्रा.) लि., एसबीआई गिल्ट्स लि., एसबीआई सिक्यूरिटीज़ लि., एसबीआई यूरोपियन बैंक लि., एसबीआई फैक्टर्स एवं कमर्शियल सर्विसेज़ प्रा. लि. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफार्निया) एंवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा) (ii) उपाध्यक्ष - भारतीय बैंकर संस्थान (शासी परिषद), (iii) निदेशक - राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक एवं साधारण बीमा निगम, (iv) सदस्य - राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (शासी परिषद के सदस्य एवं कैंपस समिति एवं वित्त समिति के अध्यक्ष), बैंकिंग कर्मचारी चयन समिति (शासी परिषद के सदस्य, वित्त समिति के अध्यक्ष) एवं भारतीय बैंक संघ (प्रबंधन समिति के सदस्य)।

6. **श्री एन वाघुल** - (i) अध्यक्ष - भारतीय तकनीकी विकास सूचना कंपनी लि. बंगलोर,भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लि., भारतीय विदेश प्रशिक्षण संस्थान, कंसबहल एवं 20 वीं सदी वेंचर कैपिटल कार्पोरेशन, (ii) निदेशक - भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, कलकत्ता, आवास विकास वित्त निगम एवं भारतीय मितीकाटा एवं वित्त गृह लि.।

7. **श्री रशीद जिलानी** - (i) निदेशक - भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि., निक्षेप बीमा एवं क्रेडिट गारंटी निगम, भारतीय आयात निर्यात बैंक. भारतीय कृषि वित्त निगम लि., पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., ओरिएंटल इन्श्यूरेंस कं. लि., भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्था, पुणे, भारतीय बैंक संस्थान एवं भारतीय निवेश केंद्र, नई दिल्ली, (ii) अध्यक्ष - भारतीय बैंक संघ, (iii) अध्यक्ष - स्विफ्ट यूजर ग्रुप - इंडिया, (iv) सदस्य - स्विफ्ट-एशिया पॅसेफिक एडवायज़री फंड काउंसिल।

निधि का प्रबंधन

श्री मनीष भाटिया, सहायक महाप्रबंधक, निधि प्रबंधक होंगे।

योग्यता : बीई, पीजीडीएम

अनुभव एवं पृष्ठभूमि - वर्तमान में निधि प्रबंधन विभाग में कार्यरत हैं, देशी आय वाली योजनाओं का निधि प्रबंधन कर रहे है ।

पदनाम/विभाग/अवधि	दायित्व
प्रबंधक/इक्विटी अनुसंधान कक्ष/मार्च '96 से सितं '97	इक्विटी विश्लेषक
प्रबंधक/अंतर्राष्ट्रीय वित्त विभाग/अगस्त '94 से मार्च'96	ट्रस्ट की विदेशी निधियों को इक्विटी अनुसंधान सहायता प्रदान करना।

XVII. योजना के लिए अन्य सेवाएं देने वाले

1. अभिरक्षक

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी विंग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई -400 021 में स्थित है।

अभिरक्षकों से यह अपेक्षा है कि वे ट्रस्ट की योजनाओं/फ़ंडों/प्लानों की सभी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लें और उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखें। अभिरक्षक प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करेंगे। जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, खरीद, अंतरण एवं अन्य लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिए सभी गैर विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक ब्यौरों के लिए सामान्यतया प्राधिकृत होगा।

अभिरक्षक सभी सूचनाएं रिपोर्टें अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/फंडों/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेंगे।

भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि. (एसएचसीआईएल)ने रजिस्ट्रेशन नंबर हेतु आवेदन किया है।

अभिरक्षा प्रभार इस प्रकार है :

बाजार परिचालन रु. 100/- प्रति सौदे की दर से (बिक्री, खरीद एवं प्राथमिक बाजार)

सुरक्षा शुल्क की दर इस प्रकार है :

धारित आस्तियों का मूल्य	प्वाइंट आधार
रु. 2000 करोड़ तक	12
रु. 2000 करोड़ से रु. 3000 करोड़ के बीच	11
रु. 3000 करोड़ से रु. 4000 करोड़ के बीच	10
रु. 4000 करोड़ से रु. 5000 करोड़ के बीच	9
रु. 5000 करोड़ से अधिक	8

चूंकि यूटीआई की धारिता रु. 5000 करोड़ से अधिक है, इसलिए यूटीआई के लिए प्रभावी दर 8 आधार प्वाइंट प्रति वर्ष है। अभिरक्षा एवं सौदों के कारण देय कुल सेवा प्रभार रु. 35 करोड़ की उच्चतम सीमा के अधीन है।

2. लेखा परीक्षक

मेसर्स एस के कपूर एण्ड कं.16/98, एलआईसी बिल्डिंग, दी माल, कानपुर-208001 और मेसर्स चतुर्वेदी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, 60 बेंटिक स्ट्रीट, कलकत्ता 700 069। योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आईडीबीआई द्वारा की जाती है, और वे प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन हैं।

3. रजिस्ट्रार

आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात् सेवाएं ट्रस्ट के मुंबई मुख्य शाखा कार्यालय द्वारा कामर्स सेन्टर - 1, 29वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400 005 पर प्रदान की जाएगी। ट्रस्ट के पास आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग करने, प्रमाणपत्रों को प्रेषित करने, बिक्री पश्चात् सेवाओं को निर्धारित समय के भीतर निपटाने और निवेशकों की शिकायतों का दूर करने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।

XVIII निवेशकों की शिकायतों का निवारण

1. सभी निवेशक अपनी शिकायतें निवेश संबंधी पूर्ण विवरण देते हुए सम्बंधित निवेशक संपर्क कक्ष को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :

पश्चिमी अंचल :

सुश्री तन्वी उपाध्ये /
श्री मृदुल मुखोपाध्याय
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष, कामर्स सेंटर 1,
28वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र, जी डी सोमानी
मार्ग, कफ परेड, **मुंबई-400 005**
टेली : 218 0172/215 3846

पूर्वी अंचल :

श्री एस एल चक्रवर्ती
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
2, फेयरली प्लेस, 2री मंजिल,
कलकत्ता-700 001
टेली : 243 4575/82

दक्षिणी अंचल :

सुश्री शिरिन रामप्रसाद/सुश्री हरी प्रिया एस.
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
यूटीआई हाऊस, 29, राजाजी सालै,
चेन्नई-600 001
टेली : 526 0146

उत्तरी अंचल :

श्री बी चक्रवर्त्ती
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
हेरॉल्ड हाऊस, 2री मंजिल,
5ए, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली 110 002
टेली : 332 9860/331 1225

2. निवेशकों की शिकायतों, जिनका निवारण किया गया, का रिकॉर्ड

पिछले तीन वर्षों की दौरान प्राप्त शिकायतें, जिनका निवारण किया गया और जो निवारणाधीन हैं, इस प्रकार हैं:

अवधि	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
01-07-95 से 30-04-96	685997	651813	34184	4.98%
01-04-96 से 31-03-97	47016900	447495	22675	4.82%
01-04-97 से 31-03-98	55192900	539318	12611	2.28%

01-10-97 से 30-09-98 तक की अवधि के लिए प्राप्त शिकायतों की संख्या, जिनका निवारण किया गया और जो निवारणाधीन हैं, उन्हें नीचे दिया गया है :

योजना का नाम	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	
सीसीसीएफ	910	947	24	2.64%
सीजीजीएफ	5917	6134	143	2.42%
सीजीएस-83	179	234	23	12.85%
सीजीयूएस-91	2126	2102	47	2.21%
सीआरटीएस	196	199	6	3.06%
डीआईपी-91	2024	2027	50	2.47%
डीआईयूपी-93	318	302	26	8.18%
डीआईयूपी-95	1028	1053	5	0.49%
डीआईयूएस-90	985	999	14	1.42%
डीआईयूएस-91	683	691	35	5.12%
डीआईयूएस-92	1309	1308	46	3.51%
ईओएफ	199	199	7	3.52%
जीसीजीआई	2692	3979	26	0.97%
जीएमआईएस-91	2081	2293	85	4.08%
जीएमआईएस-92 (I)	3012	4231	117	3.88%
जीएमआईएस-92 (II)	1216	1193	173	14.23%
जीएमआईएस-बी-92	1723	1626	120	6.96%
जीएमआईएस-बी-92(II)	1430	1397	80	5.59%
ग्रैंडमास्टर-93	914	908	11	1.20%
गृहलक्ष्मी यूनिट प्लान	2090	2120	41	1.96%
आवास यूनिट योजना	317	308	31	9.78%
आईईएफ-97	168	168	0	0.00%

योजना का नाम	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	
आईआईएसएफयूएस 95,96,97	13	10	3	23.08%
मास्टरगेन-92	50437	52039	407	0.81%
मास्टरग्रोथ-93	2899	2868	57	1.97%
मास्टरप्लस-91	10971	11134	415	3.78%
मास्टरशेयर-86	21282	22518	419	1.97%
एमईपी-91	2365	2489	65	2.75%
एमईपी-92	13972	14301	545	3.90%
एमईपी-93	21345	21850	200	0.94%
एमईपी-94	21721	22909	127	0.58%
एमईपी-95	7476	7245	249	3.33%
एमईपी-96	865	874	14	1.62%
एमईपी-97	747	773	15	2.01%
एमईपी-98	280	251	29	10.36%
एमआईपी-93	1302	1268	38	2.92%
एमआईपी-94(I)	1953	1922	88	4.51%
एमआईपी-94(II)	1700	1550	214	12.59%
एमआईपी-94(III)	2960	2981	23	0.78%
एमआईपी-95	1395	1450	41	2.94%
एमआईपी-95(II)	1828	1891	30	1.64%
एमआईपी-95(III)	1438	1543	11	0.76%
एमआईपी-96	1173	1264	22	1.88%
एमआईपी-96(II)	1253	1336	27	2.15%
एमआईपी-96(III)	2075	2194	24	1.16%
एमआईपी-96(IV)	9979	10524	214	2.14%
एमआईपी-97	5785	6722	81	1.40%
एमआईपी-97(II)	8013	8474	183	2.28%
एमआईपी -97(III)	4312	4292	51	1.18%
एमआईपी -97(IV)	1767	1729	38	2.15%
एमआईपी -97(V)	882	871	11	1.25%
एमआईपी 98	1492	1358	134	8.98%
एमआईपी -98(II)	870	155	715	82.18%
एमआईपी -98(III)	12	8	4	33.33%
एमआईएस-बी-93	3103	2994	166	5.35%
एमआईएसजी-90(I)	3628	4639	247	6.81%
एमआईएसजी-90(II)	5361	5083	368	6.86%
एमआईएसजी-91	3324	2540	805	24.22%
ओमनी-प्लान	73	77	4	5.48%
प्राइमरी इक्विटी फंड	2012	2035	54	2.68%
राजलक्ष्मी यूनिट प्लान	3624	3682	79	2.18%

योजना का नाम	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	
सेवानिवृत्ति लाभ प्लान	1948	2046	78	4.00%
वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान	1487	1563	39	2.62%
यूजीएस-10000	334	325	9	2.69%
यूजीएस-2000	7424	7699	186	2.51%
यूजीएस-5000	3444	3545	111	3.22%
यूलिप	14187	14282	890	6.27%
यूएस -64	69801	72050	2950	4.23%
यूएस -92	4715	4690	158	3.35%
यूटीआई बॉण्ड फंड	25	24	1	4.00%
कुल	**360569**	**372485**	**11749**	**3.26%**

शिकायतें लंबित रहने के कारण :

(i) संग्रहणकर्ता बैंकों से आवेदन पत्र/निधियों का प्राप्त न होना।

(ii) आवेदन पत्र में निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण।

(iii) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना।

(iv) मार्ग में ही खो जाना।

(v) डाक सेवा में विलंब।

(vi) अंतरण/मृत्यु दावों/पुनर्खरीद के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना।

(vii) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा।

(viii) कमीशन प्राप्त न होना/विलंब से प्राप्त होना।

(ix) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना।

XIX. जुर्माना, लंबित मुकदमा, निरीक्षणों/जांच-पड़तालों के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

1. भारतीय यूनिट ट्रस्ट/न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी में से कोई (विशिष्टत: निधि प्रबंधक) के प्रति सेबी अधिनियम या उसकी कोई विनियमों या किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत सेबी द्वारा जुर्माना लगाए जाने की कोई मामला नहीं है।

2. न्यासी मंडल या न्यासियों या मुख्य कर्मी सहित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मुकदमे की कार्यवाही लंबित नहीं है।

3. भारतीय यूनिट ट्रस्ट, न्यासी मंडल/न्यासी या मुख्य कर्मी के प्रति सेबी अधिनियम और उसके अंतर्गत बने विनियमों के अधीन कोई पूछताछ/अधिनिर्णय की कार्यवाही नहीं है।

XX संक्षिप्त वित्तीय जानकारी

30 जून, 1998 को यूनिट योजना 1964 की बकाया यूनिट पूंजी 15629.70 करोड़ रुपए है। उसी तारीख को योजना की कुल निवेश योग्य निधि रु. 21371.96 करोड़ है। वर्ष 1997-98 के दौरान योजना ने रु. 3340.51 करोड़ का सकल लाभ एवं रु. 3221.59 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया। वर्ष के दौरान उपार्जित शुद्ध लाभ में से 20% जो रु. 3125.94 करोड़ होता है, का आय वितरण किया गया। 30 जून, 98 को पोर्टफोलियो ह्रास के प्रति रु. 3566.04 करोड़ का प्रावधान करने के बाद, यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि/सामान्य प्रारक्षित निधि रु. 1098.49 करोड़ का विकलन शेष दिखाता है।

(ii) पूर्ववर्ती प्रति यूनिट आंकड़े

योजना (आबंटन की तिथि)	आरयूपी (II)(01.07.94) @@				जीयूपी (06.08.94) @@				एमआईपी-94 (III) (01.01.95)			
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98**	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98**	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98**
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	9.86	11.10	12.35	10.00	10.16	10.70	10.05	10.00	9.47	9.61	9.69
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	-0.14	1.04	0.84	1.25	0.16	0.99	0.47	0.19	0.10	1.17	1.17	1.15
3. लाभांश : (%) प्र.व.	--	--	--	--	--	14.00	10.00	12.00	# 12.00	# 13.00	13.00	#12.50
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	--	--	--	--	--	--	--	--	-0.53	0.13	0.09	--
5. वर्ष के अंत में एनएवी	9.86	11.10	12.35	13.07	10.16	10.70	10.05	10.80	9.47	9.61	9.69	*14.01 ^8.53
6. वार्षिकीकृत आय (%)	-1.35	5.52	7.82	7.91%	1.74	11.03	8.44	8.04	1.46	5.75	8.97	*11.54% ^8.52%
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	104.07	220.09	307.50	339.84	100.08	135.45	132.38	128.60	697.94	693.10	682.38	657.31
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.036	0.022	0.011	0.013	0.034	0.037	0.005	0.004	0.007	0.007	0.120	0.073

31.12.95 तक 12%; 01.01.96 - 31.03.98 13% * संचयी विकल्प ^ अ-संचयी विकल्प ** वर्ष 1997-98 हेतु अनतिम अ-लेखा परीक्षित आंकड़े @@ आरंभ तिथि

योजना (आबंटन की तिथि)	आरबीयूपी (26.12.94) @@				एमईपी - 95 (31.03.95)				यूएस-95 (02.01.95) @@			
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98**	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98**	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98**
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	9.71	11.63	13.90	10.00	9.61	11.57	11.10	10.00	99.96	102.75	98.70
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	-0.03	1.17	1.42	0.48	-0.39	0.68	0.14	0.28	2.62	15.94	9.36	4.88
3. लाभांश : (%) प्र.व.	--	--	--	--	--	--	--	--	12.00	13.50	12.50	13.50
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5. वर्ष के अंत में एनएवी	9.71	11.63	13.90	14.50	9.61	11.57	11.34	8.61	99.66	102.75	98.70	112.28
6. वार्षिकीकृत आय (%)	-5.62	10.78	15.52	12.89	-15.64	12.51	5.97	-4.52	11.54	14.90	12.31	14.48
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	24.42	72.73	122.43	151.42	1114.09	1339.13	1312.78	882.04	173.42	209.19	119.70	100.54
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.034	0.009	0.007	0.009	0.003	0.005	0.004	0.010	0.005	0.002	0.002	0.001

** वर्ष 1997-98 हेतु अनतिम अ-लेखा परीक्षित आंकड़े @@ आरंभ तिथि

योजना (आवंटन की तिथि)	[illegible]-95 (01.08.95) @@				एमआईपी-95 (01.07.95)			
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98**	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98**
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	9.95	12.28	12.02	10.00	10.05	10.35	10.74
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	-0.14	0.67	0.35	0.65	0.05	1.33	1.12	1.08
3. लाभांश : (%) [illegible]	—	—	—	—	—	13.00	14.00	# 12.50
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	—	—	—	—	0.05	0.24	0.11	—
5. वर्ष के अंत में एनएवी	9.95	12.28	12.45	9.17	10.05	10.35	10.74	*13.82 ^9.01
6. वार्षिकीकृत आय (%)	—	24.67	12.79	-3.64	—	16.54	17.18	*12.83 ^10.31
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	174.23	223.40	227.61	115.28	539.45	577.74	574.73	542.07
8. शुद्ध आस्तियों में [illegible]	0.028	0.012	0.004	0.023	0.001	0.007	0.008	0.007

31-03-98 तक 14 [illegible] * संचयी विकल्प ^ अ-संचयी विकल्प ** वर्ष 1997-98 हेतु अनंतिम अ-लेखा परीक्षित आंकड़े @@ आरंभ तिथि

योजना (आवंटन की तिथि)	एमआईपी-95 (II) (01.09.95)			आईआईएसएफयूएस 95 (01.10.95)			डीआईपी-95 (01.10.95)			एमईपी - 96 (31.03.96)		
	1995-96	1996-97	1997-98**	1995-96	1996-97	1997-98**	1995-96	1996-97	1997-98**	1995-96	1996-97	1997-98**
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	10.89	11.42	10.00	11.00	10.59	10.00	12.06	13.70	10.00	12.00	12.07
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	1.22	1.30	1.44	1.42	1.58	-0.28	1.24	1.43	1.37	0.13	0.14	-0.03
3. लाभांश : (%) [illegible]	# 13.50	# 14.00	#12.50	15.00	15.00	15.00	—	—	26.00	—	—	—
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	0.35	0.31	—	—	—	—	1.24	1.43	—	—	—	—
5. वर्ष के अंत में एनएवी	10.89	11.42	*14.36 ^9.67	11.00	10.59	11.52	12.06	13.70	$14.45 *11.59	12.00	12.59	10.40
6. वार्षिकीकृत आय (%)	24.27	21.53	*15.53 ^15.03	28.40	18.38	17.96	27.48	21.16	$16.32 *10.97	80.20	30.70	1.77
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	365.24	366.14	345.81	195.45	182.60	196.42	120.82	134.87	129.37	235.94	247.35	204.10
8. शुद्ध आस्तियों में [illegible]	0.006	0.011	0.011	0.005	0.006	0.002	0.009	0.008	0.009	0.006	0.007	0.010

#31.08.96 तक 13.50%, 01.09.96 से 31.03.98 तक 14.00%, 31.03.98 तक 14.00% * संचयी विकल्प ^ अ-संचयी विकल्प $ आस्थगित आय विकल्प ** वर्ष 1997-98 हेतु अनंतिम अ-लेखा परीक्षित आंकड़े

योजना (आवंटन की तिथि)	एमआईपी-95 (III) (01.01.96)			एमआईपी-96 (01.05.96)			एमआईपी-96 (II)(01.07.96)			ईओएफ (01.07.96)		
	1995-96	1996-97	1997-98**	1995-96	1996-97	1997-98**	1995-96	1996-97	1997-98**	1995-96	1996-97	1997-98**
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	10.98	11.80	10.00	10.29	11.05	10.00	9.96	11.23	10.00	9.98	10.35
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.79	1.44	1.73	0.24	1.35	1.39	0.02	1.24	1.69	-0.02	0.46	0.25
3. लाभांश : (%) प्र.व.	14.00	14.00	# 12.50	14.50	14.50	## 13.00	15.00	15.00	### 13.00	—	—	—
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	0.16	0.43	—	-0.14	0.28	—	-0.11	0.13	—	—	—	—
5. वर्ष के अंत में एनएवी	10.98	11.80	* 14.53 ^ 10.12	10.29	11.05	* 13.63 ^ 9.79	9.96	11.23	* 13.78 ^ 10.07	9.98	10.66	7.85
6. वार्षिकीकृत आय (%)	33.81	26.09	* 18.31 ^ 14.11	32.37	23.49	* 16.94 ^ 13.02	—	27.34	19.14 ^ 14.78	—	6.62	-11.50
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	443.59	458.39	432.36	238.24	250.67	239.25	385.61	417.80	411.35	23.34	26.10	17.71
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.006	0.010	0.010	0.004	0.011	0.010	0.003	0.010	0.009	0.003	0.016	0.023

* संचयी विकल्प ^ अ-संचयी विकल्प ** वर्ष 1997-98 हेतु अनंतिम अ-लेखा परीक्षित आंकड़े # 31.03.98 तक 14% ## 31.03.98 तक 14.50% ### 31.03.98 तक 15%

योजना (आवंटन की तिथि) @@	एमएसएमएफ (23.04.97) @@		एमआईपी-96 (III) (01.10.96)		डीआईपी-91 (15.10.96)		आईआईएसएफयूएस-96 (01.01.97)		एमआईपी-96 (IV) (01.01.97)		एमईएफ-97 (31.03.97)	
	1996-97	1997-98**	1996-97	1997-98**	1996-97	1997-98**	1996-97	1997-98**	1996-97	1997-98**	1996-97	1997-98**
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	10.17	10.00	11.04	10.00	11.52	10.00	11.09	10.00	10.71	10.00	11.71
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.14	उपलब्ध नहीं	0.90	1.43	1.18	1.66	1.01	-0.02	0.67	1.30	0.11	0.65
3. लाभांश : (%) प्र.व.	--	--	15.00	# 13.00	15.00	15.00	16.00	16.00	15.00	## 13.00	—	—
4. प्रारक्षितों में अंतरण (यदि कोई हो)	--	6.93	-0.08	—	0.75	—	0.05	--	0.02	—	—	—
5. वर्ष के अंत में एनएवी	10.17	11.2316	11.04	* 12.83 ^ 9.79	11.52	@ 8.94 $ 12.41 & 12.36	11.09	11.04	10.71	* 11.85 ^ 9.42	12.09	9.25
6. वार्षिकीकृत आय (%)	9.17	10.99	29.06	* 16.42 ^ 13.11	36.57	@ 6.32 $ 14.30 & 14.01	38.25	17.94	29.61	* 12.57 ^ 10.33	53.99	-6.13
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	37.99	105.39	416.50	399.31	241.41	240.42	206.50	166.38	891.29	868.38	88.69	67.83
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.001	0.324	0.008	0.010	0.007	0.009	0.003	0.003	0.007	0.005	0.006	0.012

* संचयी विकल्प ^ अ-संचयी विकल्प $ आस्थगित विकल्प @ लाभांश विकल्प एवं पूंजी वृद्धि विकल्प

** वर्ष 1997-98 हेतु अनंतिम अ-लेखा परीक्षित आंकड़े # 31.03.98 तक 15% ## 31.03.98 तक 15% @@ आरंभ तिथि

योजना (आवंटन की तिथि)	एमआईपी-97 (01.05.97)		एमआईपी-97(II) (01.07.97)		आईआईएमएफयूएस-97 (01.07.97		आईईएफ (01.08.97)		एमआईपी-97(III) (01.09.97)	एमआईपी-97(IV) (01.11.97)
	1996-97	1997-98**	1996-97	1997-98**	1996-97	1997-98**	1996-97	1997-98**	1997-98**	1997-98**
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	10.32	10.00	10.09	10.00	10.14	10.00	लागू नहीं	10.00	10.00
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.25	1.06	0.11	1.09	0.12	0.22	0.00	-0.54	0.81	0.91
3. लाभांश : (%) प्र.व.	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00	--	--	13.00	12.50
4. प्राप्तियों में अंतराल (यदि कोई हो)	-0.06	--	0.03	--	--	--	--	--	--	--
5. वर्ष के अंत में एनएवी	10.32	*9.51 ^9.26	10.09	*9.56 ^9.11	10.14	10.87	10.00	8.07	*9.47 ^9.03	*9.76 ^9.66
6. वार्षिकीकृत आय (%)	33.44	*7.79 ^5.60	--	*7.48 ^5.23	--	7.62	--	-19.64	*2.86 ^1.37	*(-2.93) ^0.05
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	1195.73	1142.48	1462.16	1473.39	685.15	622.83	31.28	26.66	800.74	800.05
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.006	0.011	0.001	0.011	0.000	0.005	0.001	0.021	0.013	0.008

*संचयी विकल्प ^अ-संचयी विकल्प

** वर्ष 1997-98 हेतु अनंतिम अ-लेखा परीक्षित आंकड़े

योजना (आवंटन की तिथि)	एमआईपी-97 (V) (01.01.98)	एमईपी-98 (31.03.98)	आईआईएसएफयूएस-97(II) (01.02.98)
	1997-98**	1997-98**	1997-98**
1. वर्ष के आरंभ में एनएवी	10.00	लागू नहीं	10.00
2. शुद्ध आय प्रति यूनिट	0.70	0.19	0.06
3. लाभांश : (%) प्र.व.	11.75	..	12.75
4. प्राप्तियों में अंतराल (यदि कोई हो)	..	..	..
5. वर्ष के अंत में एनएवी	*9.95 $$10.23 ^9.63	8.53	9.90
6. वार्षिकीकृत आय (%)	*4.97 $$4.66 ^4.46	..	17.09
7. अवधि के अंत में शुद्ध आस्तियां (रु. करोड़ में)	444.55	22.66	638.68
8. शुद्ध आस्तियों में आवर्ती व्यय का अनुपात	0.004	0.005	0.004

* संचयी विकल्प ^अ-संचयी विकल्प $$ वार्षिक विकल्प

** वर्ष 1997-98 हेतु अनंतिम अ-लेखा परीक्षित आंकड़े

iii) ट्रस्ट की योजनाओं द्वारा उधार लेने की कोई घटना नहीं है ।

पूर्ववर्ती आंकड़े प्रति यूनिट (जारी) ......

योजना का नाम	30.09.98 को एनएवी	वार्षिकीकृत आय (%)
आरयूपी (II)	11.92	4.62
जीयूपी	10.00	8.47
एमआईपी-94(III)	*14.24	*11.31
	^8.35	^8.27
आरबीयूपी	15.15	13.68
एमईपी-95	8.67	-3.99
यूएस-95	97.08	9.77
पीईएफ-95	9.22	-2.29
एमआईपी-95	*13.86	*11.87
	^8.72	^9.52
एमआईपी-95(II)	*14.44	*14.41
	^9.40	^11.65
आईआईएसएफयूएस-95	11.30	18.08
डीआईपी-95	$11.12	$12.40
	*14.64	*15.47
एमईपी-96	10.46	1.81
एमआईपी-95(III)	*14.88	*17.76
	^10.04	^13.88
एमआईपी-96	*14.09	*16.93
	^9.77	^13.24
एमआईपी-96(II)	*14.21	*18.72
	^10.04	^14.74
ईओएफ	7.88	-10.05
एमएमएमएफ &&	11.5776	11.24

योजना का नाम	30.09.98 को एनएवी	वार्षिकीकृत आय (%)
एमआईपी-96(III)	*13.06	*15.32
	^9.62	^12.62
डीआईपी-91	@9.23	@10.56
	$12.65	$13.53
	&13.17	&16.18
आईआईएसएफयूएस-96	11.03	19.08
एमआईपी-96(IV)	*11.99	*11.40
	^9.20	^9.88
एमईपी-97	9.02	-6.64
एमआईपी-97	*9.73	*7.15
	^9.11	^7.72
एमआईपी-97(II)	*9.80	*6.80
	^8.97	^5.76
आईआईएसएफयूएस-97	9.71	9.69
आईईएफ	10.30	2.39
एमआईपी-97(III)	*9.95	*6.56
	^9.15	^5.17
एमआईपी-97(IV)	*10.28	*8.78
	^9.60	*8.18
आईआईएसएफयूएस-97(II)	9.95	6.36
एमआईपी-97(V)	*10.09	*5.15
	^^10.37	^^4.97
	**9.51	**5.23
एमआईपी 98	*9.95	*(-)1.00
	^^9.89	^^(-)2.21
	**9.30	**(-)1.50

&& 12.10.98 को एनएवी , * संचयी विकल्प, ^ अ-संचयी विकल्प , @ लाभांश विकल्प, $ आस्थगित विकल्प, & पूंजी वृद्धि विकल्प, ^^ वार्षिक विकल्प, ** मासिक विकल्प

XXI. नियत तत्परता

आईआईएसएफयूएस '98(II) हेतु सेबी को प्रस्तुत किया गया नियत तत्परता प्रमाणपत्र

इस बात की पुष्टि की जाती है कि :

I. पेशकश दस्तावेज का ड्राफ्ट भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) अधिनियम, 1996 एवं समय-समय पर सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं निर्देशों के अनुसार है ;

II. इस योजना के प्रारंभ किए जाने से संबंधित सभी विधिक आवश्यकताएं एवं साथ ही इस संबंध में सरकार या अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश, निर्देश आदि का विधिवत् अनुपालन किया गया है।

III. पेशकश दस्तावेज में किए गए प्रकटीकरण सत्य, उचित एवं प्रस्तावित योजना में निवेश के लिए निवेशकों को सोच समझकर निर्णय लेने में सहायता देने के लिए पर्याप्त है ;

IV. पेशकश दस्तावेज में उल्लिखित सभी बिचौलिए सेबी के साथ पंजीकृत हैं और आज की तिथि के अनुसार ऐसा पंजीकरण वैध है।

दिनांक : 11.8.98
स्थान : मुंबई

हस्ताक्षर

ह/-

बी एस पंडित
अनुपालन अधिकारी

मुहर के साथ

XXII उन योजनाओं का विवरण जिनके प्रतिलाभ की गारंटी डीआरएफ द्वारा दी गई है

	अवधि		शुद्ध आय	@ आय वितरण	30.06.98 को निवेशयोग्य निधि	आश्वासित प्रतिलाभ
	से	तक	रु. करोड़ में	रु. करोड़ में	रु. करोड़ में	(प्र.व.)
एमआईपी-97	1/7/96	30/06/97	28.95	35.37		14.00%
	1/7/97	30/06/98	124.48	153.57	1192.51	
एमआईपी-97(II)	1/7/96	30/06/97	15.29	19.54		14.00%
	1/7/97	30/06/98	170.34	184.34	1468.65	
एमआईपी-97(III)	1/7/96	30/06/97	0.0029	0.21		13.00%
	1/7/97	30/06/98	73.40	96.86	887.64	
एमआईपी-97(IV)	1/7/97	30/06/98	76.69	75.57	964.25	12.50%
एमआईपी-97(V)	1/7/97	30/06/98	33.33	20.53	499.23	11.75%
आईआईएसएफयूएस-97	1/7/96	30/06/97	7.91	14.77		15.00%
	1/7/97	30/06/98	72.57	98.89	771.94	
आईआईएसएफयूएस-97(II)	1/7/97	30/06/98	40.69	45.58	682.43	12.75%
आईईएफ-97	1/7/96	30/06/97	-0.0046	0.00		आश्वासित पूंजी
	1/7/97	30/06/98	0.33	0.00	31.39	
एमआईपी - 98	1/7/97	30/06/98	30.02	31.59	1042.92	12.50%
आईआईएसएफयूएस-98	1/7/97	30/06/98	8.16	25.85	969.57	13.50%
एमआईपी-98(II)	1/7/97	30/06/98	2.42	8.19	655.84	12.50%
एनआरआई निधि (यूएनएफ)	1/7/97	30/06/98	0.25	0.65	71.36	13.50%
कुल					9237.72	

@ मासिक आय चुनने वालों के लिए आय वितरण आश्वासित दर पर तय किया जाता है।

कृते न्यासी मंडल, भारतीय यूनिट ट्रस्ट

ह/-
(अ.ना. पालवणकर)
कार्यपालक निदेशक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

स्थान : मुंबई
तिथि : 02.09.1998

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

कार्पोरेट कार्यालय

13, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुंबई-400020, दूरध्वनि : 2068468

आंचलिक कार्यालय

- **पश्चिमी अंचल :** वाणिज्य केंद्र-1, 28 वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400005, दूरध्वनि : 2181600
- **पूर्वी अंचल :** 2 फेयरली प्लेस, दूसरी मंज़िल, कलकत्ता-700001 दूरध्वनि :2209391
- **दक्षिणी अंचल :** यूटीआई हाऊस, 29, राजाजी सालै, चेन्नई-600001, दूरध्वनि : 517101
- **उत्तरी अंचल :** जीवन भारती, 13 वीं मंज़िल, टावर II, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001, दूरध्वनि : 3329860.

पश्चिमी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

- **अहमदाबाद :** बी जे हाऊस, 2री, 3री और 4थी मंजिल, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद-380009, दूरध्वनि : 6423043
- **बड़ौदा :** मेघधनुष, चौथी और पांचवीं मंजिल, ट्रान्स्पेक सर्कल, रेस कोर्स रोड, बड़ौदा-390015, दूरध्वनि : 332481
- **भोपाल :** पहली मंजिल, गंगाजमुना कमर्शियल काम्प्लैक्स, प्लाट नं. 202, महाराणा प्रताप नगर, अंचल 1, स्कीम 13, हबीब गंज, भोपाल-462001, दूरध्वनि : 558308
- **इन्दौर :** सिटी सेंटर, दूसरी मंजिल, 570, एम जी रोड, इन्दौर-452001, दूरध्वनि : 22796,
- **मुंबई :** (1) यूनिट सं. 2, ब्लाक 'बी' गुलमोहर क्रॉस रोड नं. 9, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - 400049, दूरध्वनि : 6201995
- **मुंबई :** (2) पर्सेपोलिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, आंध्र बैंक के ऊपर,सेक्टर 17, वाशी, नवी मुंबइ - 400703, दूरध्वनि : 7672607
- **मुंबई :** (3) लोटस कोर्ट बिल्डिंग, 196, जमशेदजी टाटा रोड, बैकबे रिक्लमेशन, मुंबई-400020, दूरध्वनि : 2850821,
- **मुंबई :** (4) श्रद्धा शॉपिंग आर्केड, पहली मंजिल, एस वी रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई-400092, दूरध्वनि 8020521
- **मुंबई :** (5) सागर बोनांज़ा, पहली मंजिल, खोत लेन, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई- 400086, दूरध्वनि : 5162256,
- **कोल्हापुर :** अयोध्या टावर्स, सी एस नं. 511, केएच-1/2,'ई' वार्ड, दाबोलकर कार्नर, स्टेशन रोड, कोल्हापुर-416001, दूरध्वनि : 657315,
- **नागपुर :** श्री मोहिनी काम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, नागपुर-440001, दूरध्वनि: 536893
- **नासिक :** सारवा संकुल, दूसरी मंजिल, एम.जी. रोड, नासिक-422001, दूरध्वनि: 572166
- **पणजी :** ई.डी.सी. हाऊस, भूतल, डॉ. ए बी मार्ग, पणजी, गोवा-403001, दूरध्वनि: 222472
- **पुणे :** सदाशिव विलास, तीसरी मंजिल, 1183 फर्ग्युसन कालेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे - 411005, दूरध्वनि : 325954
- **राजकोट :** लल्लूभाई सेन्टर, चौथी मंजिल, लखाजी राज रोड, राजकोट-360001, दूरध्वनि : 35112
- **सूरत:** सैफी बिल्डिंग, डच रोड, ननपुरा, सूरत-395001, दूरध्वनि : 434550.
- **ठाणे:** यूटीआई हाउस, स्टेशन रोड, ठाणे (प.) -400601. दूरध्वनि : 5400905.

पूर्वी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

- **भुवनेश्वर :** ओसीएचसी बिल्डिंग, 1ली एवं 2री मंज़िल, 24, जनपथ खारवेला नगर, राम मंदिर के समीप, भुवनेश्वर - 751001, दूरध्वनि: 410995.
- **कलकत्ता :** 2, फेयरली प्लेस, कलकत्ता 700001, दूरध्वनि : 2209391.
- **दुर्गापुर :** तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दूसरी मंज़िल, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, सिटी सेन्टर, दुर्गापुर 713216, दूरध्वनि : 546136
- **गुवाहाटी :** हिंदुस्तान बिल्डिंग, 1ली मंज़िल, एम एल नेहरू रोड, पानबाजार, गुवाहाटी 781001, दूरध्वनि : 543131
- **जमशेदपुर :** 1-ए, राम मंदिर परिसर, भूतल और दूसरी मंज़िल, बिस्टूपुर, जमशेदपुर 831001, दूरध्वनि: 425508
- **पटना :** जीवन दीप बिल्डिंग, भूतल और पांचवीं मंज़िल, एक्ज़िबिशन रोड, पटना 800001, दूरध्वनि : 235001
- **सिलीगुड़ी :** जीवन दीप, भूतल, गुरु नानक सारनी, सिलीगुड़ी - 734401, दूरध्वनि : 424671.

दक्षिणी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

- **बंगलोर** : रहेजा टॉवर्स, 26-27, 12वीं मंज़िल, पश्चिमी स्कंध, एम जी मार्ग, बंगलोर 560001, दूरध्वनि :5595691
- **कोचीन** : जीवन प्रकाश, पांचवीं मंज़िल, एम जी रोड, एर्नाकुलम - 682011, दूरध्वनि : 362354,
- **कोयम्बतूर** : चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25, आर्टस् कालेज रोड, कोयम्बतूर 641018, दूरध्वनि : 214973,
- **हुबली** : कालबर्गी मेंशन, 4 थीं मंजिल, लेमिंगटन रोड, हुबली 580020, दूरध्वनि : 363963,
- **हैदराबाद** : पहली मंजिल, सुरभि आर्केड, 5-1-664, 665, 669, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद 500195, दूरध्वनि : 511095
- **चेन्नई** : यू.टी.आई. हाउस, 29, राजाजी सलाई, चेन्नई 600001, दूरध्वनि : 517101.
- **मदुरई** : तमिलनाडु सर्वोदय संघ बिल्डिंग, 108, तिरुप्परनकुन्द्रम रोड, मदुरई 625001, दूरध्वनि : 38186,
- **मंगलोर** : सिद्धार्थ बिल्डिंग, पहली मंजिल, बाल-मत्ता रोड, मंगलोर-575001, दूरध्वनि : 426258,
- **तिरुअनंतपुरम** : स्वस्तिक सेन्टर, तीसरी मंजिल, एम. जी. रोड तिरुअनंतपुरम 695001, दूरध्वनि : 331415
- **त्रिची** : 104, सलाई रोड, वोरेयूर, तिरुचिरापल्ली 620003, दूरध्वनि : 760060,
- **त्रिचूर** : 28/700, वेस्ट पल्लिथामाम बिल्डिंग, करुणाकरण नंबियार रोड, राउंड नॉर्थ, त्रिचूर 680020, दूरध्वनि: 331259
- **विजयवाड़ा** : 27-37-156, बन्दर रोड, मनोरमा होटल के आगे, विजयवाड़ा 520002, दूरध्वनि: 74434
- **विशाखापट्टनम्** : रत्ना आर्केड, तीसरी मंजिल, 47/15/6, स्टेशन रोड, द्वारका नगर, विशाखापट्टनम 530016, दूरध्वनि : 548121

उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

- **आगरा** : भूतल, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी रोड, आगरा - 282002 दूरध्वनि : 54408
- **इलाहाबाद** : यूनाइटेड टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लीडर रोड, इलाहाबाद 211003 दूरध्वनि: 400521,
- **अमृतसर** : श्री द्वारकाधीश काम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, क्विन्स रोड, अमृतसर-143001, दूरध्वनि: 210367.
- **चंडीगढ़** : जीवन प्रकाश, एलआईसी बिल्डिंग, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017 दूरध्वनि: 703683,
- **देहरादून** : दूसरी मंजिल, 59/3, रायपुर रोड, देहरादून 248001, दूरध्वनि: 746720,
- **फरीदाबाद** : बी-614-617, नेहरु ग्राउंड, एनआईटी, फरीदाबाद -121001, दूरध्वनि : 219156.
- **गजियाबाद** : 41, नवयुग मार्केट, सिंघानी गेट के समीप, गजियाबाद - 201001, दूरध्वनि : 790366.
- **जयपुर** : आनंद भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर 302001, दूरध्वनि: 365212,
- **कानपुर**: 16/79इ, सिविल लाईन्स, कानपुर 208001, दूरध्वनि: 317278,
- **लखनऊ** : रिजेन्सी प्लाजा बिल्डिंग, 5, पार्क रोड, लखनऊ 226001, दूरध्वनि : 238591,
- **लुधियाना** : सूर्यकिरण फेस-2, 92, दि माल, लुधियाना 141001, दूरध्वनि: 441264,
- **नई दिल्ली** : गुलाब भवन, दूसरी मंजिल, 6, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002, दूरध्वनि: 3318638,
- **शिमला** : फ्लैट नं. 401,402,403,405 मुकेश अपार्टमेन्ट्स, फिंगास्क एस्टेट, होटल शील के समीप, शिमल - 171 002, दूरध्वनी : 257803,
- **वाराणसी** : पहली मंजिल, डी/58/2ए-1, भवानी मार्केट रथयात्रा, वाराणसी 221001, दूरध्वनि: 358606.

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुंबई

यूटी/डीबीडीएम/आर-135/एसपीडी 59ए/98-99 09 APRIL, 1999

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) के अंतर्गत बनाया गया राजलक्ष्मी यूनिट प्लान (II) [आरयूपी (II)] जो उपरोक्त अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत बनाई गई राजलक्ष्मी यूनिट योजना (II) के संबंध में है, के प्रावधानों में किए गए संशोधन जिसे 24 दिसंबर, 1998 को संपन्न कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया और जिसे 8 फरवरी, 1999 से लागू किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किए जाते हैं ।

ए जी जोशी
मुख्य महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

अनुबंध

राजलक्ष्मी यूनिट योजना (II)[आरयूएस(II)]के प्रावधानों में संशोधन

1)'संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ होना'पर खंड 1 के उपखंड(2)के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाता है:

योजना के अंतर्गत बिक्री 1अक्तूबर 1998 से बंद की गई और बाद में 08/02/1999 से पुन:प्रारंभ की गई।

2)'योजना किस तरह कार्य करती है'पर खंड VIII के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाता है:

विभिन्न अवरुद्ध अवधियों के लिए परिपक्वता राशि जिसे नीचे सारणी III व IV में दर्शाया गया है,उन निवेशकों के लिए लागू होगी,जिन्होंने प्लान के 08/02/1999 को पुन:प्रारंभ होने के बाद प्रवेश किया है।

सारणी III

प्रवेश आयु (वर्ष में)	न्यूनतम राशि	अवरुद्ध अवधि (वर्ष में)	अवरुद्ध अवधि समाप्त होने के बाद देय परिपक्वता राशि
1तक और सहित	रु.1500/-	20	रु.15,000
1से अधिक और 2तक	रु.1500/-	19	रु.13,300
2से अधिक और 3तक	रु.1500/-	18	रु.11,800
3से अधिक और 4तक	रु.1500/-	17	रु.10,500
4से अधिक और 5तक	रु.1500/-	16	रु. 9,300

सारणी IV

अवरुद्ध अवधि	अवरुद्ध अवधि समाप्त होने के बाद देय परिपक्वता राशि
13	रु.6,600/-
14	रु.7,400/-
15	रु.8,300/-
16	रु.9,300/-
17	रु.10,500/-
18	रु.11,800/-

हालांकि, परिपक्वता राशि में संशोधन, जिसे सारणी III में IV में दिया गया है, उन निवेशकों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने 1 अक्तूबर, 1998 से पहले निवेश किया है ।

(3) 'पुनरीक्षा खंड' शीर्षक युक्त खंड IX में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :

पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप योजना के अंतर्गत आय में कमी आने की स्थिति में ट्रस्ट अपरिपक्व पुनर्खरीद का विकल्प प्रदान करेगा । ऐसे अपरिपक्व पुनर्खरीद का मूल्य, यदि कुछ हो, एनएवी आधारित कीमत पर होगा तथा धारिता एवं पुनर्खरीद के समय तक धारिता की अवधि एवं अन्य संबंधित तथ्यों पर निर्भर करेगा । ऐसी स्थिति में भुगतान आदाता बच्चे के पिता / माता / कानूनी अभिभावक को किया जाएगा, यदि बच्चा नाबालिग हो। आदाता द्वारा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, पुनर्खरीद का अधिकार आदाता को होगा ।

(4) 'विकास प्रारक्षित निधि' शीर्षकयुक्त खंड XIX एक नए खंड के रूप में जोड़ा जाता है :

इस बात की गारंटी दी जाती है कि 13 से 20 वर्षों की विभिन्न अवरुद्ध अवधि के लिए परिपक्वता राशि को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, बशर्ते पुनरीक्षा खंड को हटाया नहीं गया हो । ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) इस सुरक्षा की गारंटी देगा ।

राजलक्ष्मी यूनिट प्लान (II) {आरयूपी (II)} के प्रावधानों में संशोधन

1) 'आय वितरण' से संबंधित खंड XVIII के पहले अनुच्छेद में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :

योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का नियमित आय वितरण नहीं होगा । 1 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम निवेश की गई रु. 1500/- की राशि 20 वर्षों की अवधि के बाद रु.15000/- हो जाती है । इस अवरुद्ध अवधि की समाप्ति के उपरांत बच्चा इस संचित राशि को पाने का हकदार होगा । आवर्ती तौर पर किसी प्रकार के बोनस की घोषणा नहीं की जाएगी ।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
मुंबई

यूटी/डीबीडीएम/आर-175/एसपीडी - 55 /98-99 9th APRIL, 1999

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनाई गई बाल उपहार वृद्धि निधि योजना, 1986 (सीजीजीएफ - 86) के प्रावधानों में किए गए संशोधन, जिसे 25 सितंबर, 1998 को संपन्न कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, और जो 1 फरवरी, 1999 से प्रभावी तौर पर लागू किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किए जाते हैं ।

ए जी जोशी
मुख्य महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

परिशिष्ट

बाल उपहार वृद्धि निधि यूनिट योजना - 1986 (सीसीजीएफ-86) के प्रावधानों में संशोधन

1) 'लघु शीर्षक एवं उसका आरंभ' से संबंधित खंड I के उपखंड (ख) के अंत में निम्नलिखित अंश जोड़ा जाता है :

योजना के अंतर्गत बिक्री 1 नवंबर, 1997 से निलंबित की गई थी, इसके बाद इसे 01/02/1999 से फिर से शुरु किया गया।

2) 'आय वितरण' से संबंधित खंड 22 के उपखंड (ख) के अंत में निम्नलिखित अंश जोड़ा जाता है :

01.02.1999 को या उसके बाद खरीदी गई यूनिटों के संदर्भ में, ट्रस्ट प्रति वर्ष योजना के अंतर्गत उपचित आय एवं अन्य कारकों पर निर्भर करते हुए न्यूनतम 12% प्र.व. का आय वितरण प्रदान करेगा।

3) ***'आय वितरण' से संबद्ध खंड 22 में नए उपखंड के रूप में उपखंड 'च' जोड़ा जाए :***

(च) 21 वर्ष के आयु पूरी करने के बाद, यूनिट प्रमाणपत्र को पुनर्खरीद के लिए जमा करना होगा और इसके बाद घोषित आय वितरण बच्चे के खाते में बकाया यूनिटों में उपचित नहीं होगा और प्रत्येक वर्ष नई यूनिटों में इसका पुनर्निवेश किया जाएगा। इसे 01/02/1999 से लागू किया जाएगा।

4) 'बोनस लाभांश की घोषणा' से संबंधित खंड 23 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :

ट्रस्ट किसी बोनस लाभांश की घोषणा नहीं करेगा।

5) 'योजना के अंतर्गत परिपक्वता' से संबंधित खंड 25 के उपखंड (ख) के मद सं. (ii) के अंत में नया अनुच्छेद जोड़ा जाए :

21 वर्ष के आयु पूरी करने के बाद, यूनिट प्रमाणपत्र को पुनर्खरीद के लिए जमा करना होगा और इसके बाद घोषित आय वितरण बच्चे के खाते में बकाया यूनिटों में उपचित नहीं होगा और प्रत्येक वर्ष नई यूनिटों में इसका पुनर्निवेश किया जाएगा। इसे 01/02/1999 से लागू किया जाएगा।

6) 'पुनरीक्षा खंड' शीर्षक युक्त खंड 34 एक नए खंड के रूप में जोड़ा गया है।

34. <u>पुनरीक्षा खंड</u>

01/02/1999 को या उसके बाद खरीदी गई यूनिटों के मामले में, यदि पुनरीक्षा के दौरान योजना के अंतर्गत उत्पाद में कमी आती है, तो ट्रस्ट अपरिपक्व पुनर्खरीद का विकल्प प्रदान करेगा। ऐसे अपरिपक्व पुनर्खरीद का मूल्य, यदि कुछ हो, निवेशक द्वारा किए गए आरंभिक निवेश का संचयी मूल्य और पुनर्खरीद के समय तक इस पर आश्वासित आय दर्शाएगा। ऐसे मामले में, यदि बच्चा नाबालिग है तो भुगतान पिता/माता/विधिक अभिभावक को किया जाएगा। आदाता के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, पुनर्खरीद का अधिकार आदाता को होगा। यदि पुनरीक्षा के क्रम में आश्वासित आय में कमी आती है तो बच्चे के नाबालिग होने पर पुनर्खरीद का अधिकार विधिक अभिभावक को होगा।

7) 'विकास प्रारक्षित निधि' शीर्षक युक्त खंड 35 एक नए खंड के रूप में जोड़ा गया है

35. विकास प्रारक्षित निधि

इस बात की गारंटी दी जाती है कि योजना में निवेश की गई राशि तथा आश्वासित प्रतिलाभ को बच्चे द्वारा 18 वर्ष की आयु से परिपक्वता अर्थात् 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक की गई निकासी पर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि इस सुरक्षा की गारंटी देगा। पूंजी एवं आय के संदर्भ में दिए गए किसी भी आश्वासन को पूरा न कर पाने की स्थिति में परिपक्वता भुगतान के समय इसकी भरपाई डीआरएफ से की जाएगी।

यूटीआई द्वारा शुरु की गई एवं डीआरएफ द्वारा गारंटीशुदा आश्वासित आय वाली 12 योजनाओं की कुल 9237.72 करोड़ रुपए की निवेश योग्य निधि की तुलना में 30-06-98 को डीआरएफ में 649.42 करोड़ रुपए हैं।

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION
CENTRAL OFFICE
CENTRE I, WORLD TRADE CENTRE

Mumbai-400005, the 20th April 1999

No. DNBS. 132/CGM(VSNM)-99—In pursuance to clause(b) of sub--section (1) of section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India, hereby specifies the "net owned fund" to be two hundred lakh of rupees for a non-banking financial company which commences the business of a non-banking financial institution on or after 21st April 1999;

Provided, that this specification of higher "net owned fund" shall not be applicable to such company whose application for certificate of registration under section 45 IA of the said Act is submitted to the Reserve Bank of India on or before 20th April, 1999.

V.S.N. MURTY,
Chief General Manager

STATE BANK OF INDORE
(HEAD OFFICE : INDORE)

Indore, the 19th May 1999

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the Shareholders of the State Bank of Indore will be held at Ravindra Natya Grah, Ravindra Nath Tagore Marg, Indore on Wednesday the 30th June 1999 at 11.30 A.M. (Indian Standard Time) to transact the following business :

"To receive the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 1999 (1-4-98 to 31-3-99), the report of the Board of Directors on the working of the Bank for the period and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts".

By Order of the Board of Directors.

S. S. SRINIVASAN
Managing Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANS OF INDIA
(DECENTRALISED OFFICE)

Chennai-600034, the 3rd May 1999

(Chartered Accountants)

No. 3SCA(8)/4/98-99—In pursuance of Regulation 10(1) (iv) read with Regulation 10(2) (b) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from 01st Oct, 1998 as they had not paid their annual fees for Certificate of Practice.

S. No.	MRN	Member Name	Address
1	2	3	4
1.	002402	Mr. Hariharan Sivaramaier Chittur	Plot No. 1, Krishna Bhawan Colony, A.O.C. Centre Road, West Marredpally, Secunderabad-500026.
2.	003545	Mr. Vaidyanathan K.	164, Baba Nagar, 6th Street, Villivakkam, Chennai-600049.
3.	003909	Mr. Chagkov J.	Chacko & Co, 10, Water Works Avenue, Kilpauk, Chennai-600010.
4.	004209	Mr. Venkataraman K.	Flat No. 11, Sivakumaranilayam, 46, Kalashetra Road, Thiruvanmiyur, Chennai-600041.
5.	004383	Mr. Pattabiraman V.S.	Secretary, Addison & Co. Ltd., 158, Mount Road, Chennai-600002.
6.	004644	Mr. Muthukumar N.	4/1, Rajagopalan St., Valmiki Nagar, Thiruvanmiyur, Chennai-600041.
7.	004998	Mr. Parameswaran A.S.	Asramom T. C. 26/538, Near Central Stadium, Thiruvananthapuram-695001.
8.	006733	Mr. Rama Rao K. S.	P. O. Box 201656, Gaborone, Botswana.
9.	006876	Mr. Shivananda Nyamati Settra	Apt. 301, Greenhall Residency, 50, Cunningham Road, Bangalore-560052.

1	2	3	4
10.	008098	Mr. Meenattoor Joey Joseph	IV-123C, Shanti Nagar, Marottichodu Edapally, Kochi-682024.
11.	011889	Mr. Janardhanan C.	50, West, 34th Street, Apt. #10A/10, New York-10001, U.S.A.
12.	013388	Mr. Raman R.	6/1, Marappa Road, Ulsoor, Bangalore-560008.
13.	018010	Mr. Venkatesh V.S.	K.P.M.G. Public Accountants, P. O. Box 30453, Lilongwe, Malawi.
14.	018213	Mr. Raghupathi K.	410, Sashi Kiran Apartments, 18th Cross, Malleswaram, Bangalore-560055.
15.	019072	Mr. Sherman Nand Kumar	No. 61, # P&T Colony, R. T. Nagar, Bangalore-560032.
16.	019188	Mr. Sohrab E. Rudina	Director, Internal Audit, GTE, INTL 8350N V 52ND Terrace #102, Miami, Flourida-33166, U.S.A.
17.	019799	Mr. Joseph Kuruvilla	C/o Mr. K. A. John, Plot 3547, J-41, 2nd Main Road, Anna Nagar, Chennai-600102.
18.	020354	Mr. Vaitheeswaran R.	141, Kutchery Road, Mylapore, Chennai-600004.
19.	020454	Mr. Sampath V. N.	28/3, Nathan Nagar, Subramaniapuram, R. S. Puram P. O., Coimbatore-641002.
20.	020556	Mr. Vijayaraghavan V. K.	Finance Manager, ALU WHEEL # WLL P.O. Box. 5570, Manama, Baharain.
21.	020878	Mr. Ravi Sankar M. S.	"SNEHA" II Floor, 27, I Main Road, R. A. Puram, Chennai-600028.
22.	021003	Mr. Bagri Shree Mohan	Natwar Textiles, 32, Godown Street, Chennai-600001.
23.	021441	Mr. Balakrishna N.	No. 55, I Floor, 6th Cross, Swimming Pool Extn., Malleswaram, Bangalore-560003.
24.	021504	Mr. Durga Prasad J. V.	12-11-1373, Boudha Nagar, Secunderabad-500361.
25.	021586	Mr. Vijayaraghavan P. K.	S-5, SPL Dasari, 5, United India Colony, 4th Main Road, Kodambakkam, Chennai-600024.
26.	021624	Mr. Jacob Philip	B1-2, 4th Floor, Mather Square # Town, Railway Station Road, Kochi-682018.
27.	021629	Mr. Utukuri Dilip Kumar	1-2-234/13, Domalguda, Hyderabad-500029.
28.	021782	Mr. Kannan S.	P. O. Box No. 3333, Abu Dhabi, U.A.E.
29.	022047	Mr. Ananthakrishanan T.V.	Swaathi, Vidya Nagar, 8/63-1, College Road. Palakkad-678001.
30.	023664	Mr. Narayanan O. K.	CE-11, Thavakkara, Police Club Road, Kannur-670002.
31.	023873	Mr. Subramaniam R.	13, R. V. Layout, Kumarapark West Extension, Bangalore-560020.

1	2	3	4
32.	023968	Mr. Chandrakanth Kini K.	101, I Floor, H. V. S. Court, 21, Cunningham Road, Bangalore-560052.
33.	024381	Mr. Vidya Kumar	24/1, Sri Sabari Complex. II Floor, Residency Road, Bangalore-560025.
34.	024520	Mr. Valsan N.	Fertilizers & Chemicals Ltd., 14, Ademola Street, P. Box No. 53692, S. W. Ikoyi Lagos, Nigeria.
35.	025053	Mr. Giridhar Y.	416, Lingapura House, La Builde Complex, Himayatnagar, Hyderabad-500029.
36.	025575	Mr. Rajiv Krishna	Teragong Raya, # 10A, Cilandak, Jakarta-12430, Indonesia.
37.	025689	Mr. Ramesh Kumar V.	Flat No. 203, Kalanjali Towers, No. 115, Hanumanji Colony, Opp. Bowenpally Sub-Registrar's Office, Secunderabad-500009.
38.	025697	Mr. Srinivasan P. Y.	Danwantre, 128, Cheran Street, Alwar Thiru Nagar, Chennai-600087.
39.	025734	Mr. Samuel Augustus Nirmal	5, II Street, Balaji Nagar, Royapettah, Chennai-600014.
40.	026917	Mr. Koppaka Y. T. V. Srinivas	4-2-157, Srinivas Nagar, Khammam-507003.
41.	027086	Mr. Krishnachandran K. Raja E.	Applications Consultants, M/s. Gulftech India (Pvt.) Ltd., 2008, Indira Nagar, 100 Ft. Road, Bangalore-560008.
42.	027408	Ms. Bharathi Anand	34, Jalan S.S. 21/23, Damansara Utama, 47400, Petaling Jaya Malaysia.
43.	027659	Mr. Praveen Kumar K.	21/1, Neelakanta Mehta Street, T. Nagar, Chennai-600017.
44.	027784	Mr. Sivaraj M.	4/1, Rajagoalan Street, Valmikinagar, Thiruvanmiyur, Chennai-600041.
45.	027909	Mr. Rakesh Kumar K.	"Aashirwad", I Floor, 153, Mint Street, Chennai-600079.
46.	028176	Mr. Venkateswara Rao N.	D. No. 14, III Floor, Unity House, ABIDS, Hyderabad-500001.
47.	028231	Mr. Subbaraya Kama Sastry K. V.	Post Box No. 70330, Nairobi., KENYA.
48.	028291	Mr. Narasimha Murthy	8/57, Bank Colony, Chikkakalla Sandra, Subramanyapuram, Main Road, Uttarahalli Hobali, Bangalore-560061.
49.	028592	Ms. Srilaxmi N.	398, Upper Palace, Orchards, 13th Cross, Sadashiv nagar, Bangalore-560080.
50.	028914	Ms. Jamuna Sivakumar	No. 37, Krishna Nagar, 4th Street, Virugambakkam, Chennai-600092.
51.	028995	Mr. Krishna Kumar G. V.	114/1, Sixth Cross, Lower Palace, Orchards, Bangalore-560003.
52.	029095	Mr. Elisetty Ashok Kumar	C/o Ranga Rao V. H., H. No. 37-29, Defence Colony, Sainikpuri P. O., Secunderabad-500594.

1	2	3	4
53.	029443	Mr. Ramesh E. S.	Flat B. Floor 14, Lai Yin Court 80-86 High Street, Hong Kong.
54.	029457	Mr. Jeyendran N.	No. 2 G. T. N. Road, Dindigul-624005.
55.	029663	Mr Sathis Kumar P. M.	21 Chellappa Gounder Street, Katoor, Coimbatore-641009.
56.	029834	Mr. Narayanan R.	182 East Uthara Street, Srirangam, Tiruchirapalli-620006.
57.	029912	Mr. Chandramouli L.	10 Dandapani Street, T. Nagar, Chennai-600017.
58.	035191	Mr. Jamsheed M. Pandey	140, Luz Church Road, Mylapore, Chennai-600004.
59.	053408	Mr. Pradeep Kumar Shrestha	Post Box No. 12143, Kalimati Kha 1-13, Kathmandu, NEPAL
60.	080143	Mr. Raghunathan K.	Flat No. 107 Sriram Apartments 3-4-531, Narayanaguda, Hyderabad-500027.
61	081370	Mr. Narayanaswamy G.	116, Jal Vayu Vihar, Kukatpally, Hyderabad-500072
62	101418	Ms. Swaminathan Kalpana	C/o Aum S Srinivasan, D-502, Jal Vayu Vihar, Kamanahali-1 Main Kamanahalli, Bangalore-560084
	200065	Mr. Kumara Krishnan S.	Kingsway Motors (K) Ltd. Kampus Towers 5th Floor, University way P. O. Box 49644 Nairobi, Kenyya.
64	200081	Ms. Geeta Ramanathan	23/4, South Beach Apts. I Floor IV Seaward Rd. Valmiki Nagar, Thiruvanmiyur, Chennai-600041
65	200226	Mr. Ravi M.	129 Triplicane High Road, I Floor Triplicane, Chennai-600005
66	200305	Mr. Viswanath P.	28/2 RT Prakasham Nagar, Begumpet Hyderabad-500016
67	200532	Mr. Kasiraman S.	Flat No. 1, Vishal Flats, 11, Moorthy Street, west Mambalam Chennai-600033
68	200672	Mr. Veeraraghavan K.L.	Plot No. 29, 3, Majestic Colony Valasaravakkam Chennai-600087
69	200704	Mr. Seetharaman K.R.	99-B P M Swamy Colony Second Street, Coimbatore-641002
70	200821	Mr. Sudarsan K.	20, Second Street, Parameswari Nagar, Adyar, Chennai-600020
71	201012	Mr. Raghava Rao P. V.	Agri Florat Ltd. P Bag ch 43 Lusaka-O, Zambia
72	201226	Mr. Vishwanathan Ganeshan	6-1-063/B/3 106 Ground Floor Shanti Shikara Apartments Raj Bhavan Road, Somajiguda Hyderabad-500082
73	201389	Mr. Muralidhar H.	24-144-22-1, Vimala Devi Nagar, Cny, Malkajgiri Hyderabad-500047
74	201581	Ms. Duriya S.	W/o Shabbir Yusuf, Energy International P.B No 3662 Sharjah, UAE
75	202051	Mr. Biju T. B.	XLI/1429 Arangath Cross Road, Pulleppady, Kochi-682018
76	202200	Mr. Sudarshan Raj Pandey	15/230 Paknajol, GPO Box No. 2343 Kathmandu, Nepal
77	202259	Mr. Varghese Tharakan P.	No. AH 244/1, Anna Nagar, Chennai-600040

1	2	3	4
78	202436	Mr. Srinivas Gurazada	Opp. Viswasanthi Theatre R R Pet, Eluru-534002
79	202643	Mr. Dharmender Varada	B-6 Geethalaya Apts. 4, Neelakanta South Boag Road, T Nagar, Chennai-600017
80	202736	Mr. Jayaprakash R.	Mak & Associates . P.O. Box29236 Abu Dhabi, UAE
81	202737	Mr. Kongara Sivarama Krishna	H. No. 8-3-960/1/205 I Floor, Sneha Enclave, Srinagar Clny. Adj, to SBI Hyderabad-500873
82	202740	Mr. Dusi Venkata Gopal Krishna	No. 77/11, 2nd Floor, 5th Cross 2nd Main Hanumanth Nagar, Bangalore-560019
83	202845	Mr. Ram Kumar Chilukuri	101, Saketh Apts. Besides Shivam opp. ATI Campus Vidya Nagar, Hyderabad-500044
84	202846	Mr. Venkata Ramana S.V.B.	H. No. 6-3-609/10/8, Ananda Nagar, Khairtabad, Hyderabad-500004
85	202987	Mr. Chellaiah S.J.V.	54/3 Polwells Rd. St. Thomas Mount Chennai-600016
86	203248	Mr. Suresh Kumar H.R.	No. 360 12th Main (New 6th Main) BSK Stage Bangalore-560050
87	203307	Mr. Kuppu Swamy N.R.	231, Nenmeli post Natham Via Chengalpattu-603002
88	203589	Mr. Sridharan R.	No. 36, Thiruvannamalai Road, Krishnagiri-635001
89	203629	Mr. Bala Regan S.	5 Pondu Reganath Street Palayamkottai, Tirunelveli-627002
90	203798	Ms. Usha Venkataramani	Jains Anugraha First Floor 9 Jambulingam Street nungambakkam, Chennai-600034
91	203841	Mr. Sridhar L.	Plot No. 168, S-2, Swarna Apts. Kalyan Nagar, S R Nagar post Hyderabad-500038
92	203860	Ms. Malarvizhi K.	23, Sundarswarar Koil Street Saidapet, Chennai-600015
93	204306	Mr. Sridhar Kumar M A P	106, Seshagiri Apartments 6-1-106, & 107 Padma Rao Nagar, Secunderabad-500025
94	204380	Mr. Gopala Krishna Konda	C/o Rajan U S/S 2-2-1144/11/3/B, New Nallakunta Hyderabad-500044
95	204534	Mr. Suresh M.	Peat Marwick Kpmg, Level City Tower P.O Box 3800 Sheikh Zayed Road, Dubai
96	204541	Mr. Ramji M.	Audit Executive Bhawan Automotive Centre, P.O. Box 3168 Muscat-0 Sultanate of Oman
97	204627	Mr. Shivakumar Hegde R.	6 II Floor, 'C' Type Quarters ESI Hospital, Indira Nagar II Stage Bangalore-560008
98	204715	Ms. Hemalatha G.	1, 1st Street, Perambur High Road Perambur, Chennai-600012
99	204747	Ms. Shubha Chakravarthy B	1620 Norwood Avenue APT 203 Itasca, IL 6 43 U. S. A.
100	204851	Ms. Mathangi R	27 III Main Road Nanganallur, Channai-6000
101	205013	Mr. Raja Sekhar S	2-2-1137/3/1/B/1, New Nallakunta Hyderabad 500044
102	205077	Ms. Guna Thantry K	Hewlett Packard (I) Software operation Ltd. 29, Cunningham Road, Bangalore-560052
103	205092	Mr. Shashidhar T.	H. No. 8-5-18, Under Bridge Road, Varangal-506002
104	205301	Mr. Pothuri Madhu Babu	S/o P. Srimannarayana D No. 5-21-177, 2/9 Brodiepet, Guntur-522002
105	205374	Mr. Sudhir K.S.	Senior Accountant . Oman Chemical Industries Co. (SAOG) P.O. Box 1086 Al Hamriya P. C. 131, Sultanate of Oman
106	205401	Mr. Jerald Peter N.A	No. 55, Station Road, III Floor, Kodambakkam, Chennai-600024
107	205516	Mr. Prashanth Shendy T.	Saudi Arabian Kent Co. Ltd. P.O. Box 3462, Alkhobar-31952, KSA

1	2	3	4
108	205626	Ms. Rachana Rajesh Mootha	555 M K N Road, Alandur, Chennai-600016
109	205679	Ms. Bindu Jose	Assistant Manager Internal Audit Escotel Mobile Communication Ltd., Mercy Estate IV Floor Ravipuram, Kochi-682015
110	205730	Ms. Shanthi M.S.	45, IVth Main Road, Jawahar Nagar, Chennai-600082
111	205790	Mr. Ms. Ratna Reddy Kothireddy	6-63,/1, Bhavani Nagar, Colony post Champapet, Hyderabad-500060
112	205844	Ms. Girija P. K.	P.O. Box 55535, Dubai- UAE
113	205846	Mr. Akkamapragada Sai Prasad	313 Maheshwari Complex, Masab Tank Circle, Hyderabad-500028
114	205898	Mr. Jarard Kishore R.	132, Santhome High Road, Chennai-600004
115	205969	Mr. Prakash K.	4/12 power Appartments, Nerkundram Road, I Cross St. Vadapalani, Chennai-600026
116	206332	Ms. Gongunala Geetha	6-3-609/14, Anand Nagar, Hyderabad
117	206420	Mr. Deepu Mathew Panampunna	Panampunna House Thekkumoodu, Kunnukuzhy P.O. Thiruvananthapuram-695037
118	206467	Mr . Binas P.P.	Surya Sadam Plot No. 287 Chandragiri Colony (East) Ramakrishnapuram post Secunderabad- 5080056
119	206487	Mr. Radhakrishnan T.	Finance Officer Transmission Divn. ITI Ltd. Doorvani Nagar, Bangalore-50056
120	206546	Ms. Kailasam Subramanian	S-3 Shivasundaram Apartments No. 4 patalamma Temple Street Basavanagudi, Bangalore-560004
121	206708	Ms. Sajna S.	Kuruppalil, Alwaye, Kerala Edathal P.O. 683561
122	206715	Mr. Radhakrishnan P.	Navakkode, Palakkad Distt. Chithali- P.O. 678702
123	206750	Mr. George Ninan	Manager Accounts , Prakash Leasing Ltd. 7 (49) II Floor Kodava Samaja Bldg. I Main Road, Vasanth Nagar, Bangalore-560052
124	206848	Mr. Joshy Joseph	Puthuppara House Ernakulam Distt. Kerala, Chowara-683571
125	206861	Mr. Raja Sekhar R.	H. No. 6-3-596/63/8/4 Plot No. 623, Erramanzil Colony Hyderabad-500082
126	206898	Mr. Hari Narayanan M. K.	Ramco Systems, product Executive 5 Sardar Patel Road, Taramani, Chennai-6000113
127	207009	Mr. Thomas Abraham	Auditor, Ernst & Young P.O. JBox 2732, Dubai, UAE
128	207019	Mr. Prakash K.	No. 17, Krishnapuram Street Choolaimedu, Chennai 600098
129	207122	Mr. Krishna Mohan S.	HIG 15 Vikas Nagar, Balacheruvu Road, Gajuwaka Visakhapatnam 530026
130	207240	Mr. Balaji T.	Accounts Manager, Gulf Infotech (India) Pvt. Ltd. Vangapally, Complex Ameerpet Cross Road, Hyderabad.
131	207294	Mr. Jayakrishnan R.V.	Acumen (Pty) Ltd. P.O. Box 1157 Embassy Chambers the Mall Gaborone-Botswana
132	207898	Mr. Prakash Ramath P.	96, 6th Main Road, Tata Silk Farm Basavangudi, Bangalore-560000

ASHOK HALDIA,
Secy.

No. 3 SCA (8)/ 3/98-99—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10 (i) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

Sl. No.	MRN	Member Name & Address	Cancel dt.
1	2	3	4
1.	000523	Mr. Raghavan Nair Kunnath Sreesailam Krishnaswamy Cross Road Kochi-682035.	01-04-98
2.	002738	Mr. Kurpad Gundappa Sriram 244-A 33rd Cross, Jayanagar Block VII Bangalore-560082.	01-04-98
3.	006965	Mr. Ramasami Ayyar, M.A. 68 C.P. Ramaswamy Road, 4th Floor, Abhiramapuram Chennai-600018.	20-08-98
4.	007434	Mr. Cherian K. Vallakkalil, T.C. 4/33, Chittallur Road, Kowdiar Thiruvananthapuram-695003.	01-04-98
5.	018898	Mr. Gurunathan M. 9 Cedar Wood, No. 9 4th Main Road, R.A. Puram, Chennai-600028.	24-11-98
6.	020164	Mr. Somasundaram R. Parsn Residency, 47 Rajaji Road, Ramnagar, Coimbatore-641009.	17-06-98
7.	022383	Mr. Venkatesan S.R. 327 I Floor, Mint Street, Chennai-600003.	13-10-98
8.	022546	Mr. Ranganathan S. 6, Sanjay Gandhi Nagar Virugambakkam Chennai-600092.	14-10-98
9.	022608	Mr. Jayan N.P. Lens & Frames, Shanmugham Road, Ernakulam -682031.	01-04-98
10.	023475	Mr. Jain Prem Prakash P.O. Box 24577, Sharjah U.A.E.-O, U.A.E.	23-07-98
11.	023566	Mr. Nanda Kumar M. Financial Controller Sterling Catering Service P.B. No. 4746, Doha-O Qatar.	04-09-98
12.	025712	Mr. Gopala Krishna N. 716, VI Main, V Block, H.M.T. Layout, Vidyaranyapura, Bangalore-560097.	01-04-98
13.	026358	Mr. Giridharan S. Flat No. 7, 38 Bazar Street, West K.K. Nagar, Chennai-6000078.	01-10-98
14.	027264	Mr. Vinayaka B.S. No. 39/59 I Floor, 1 "E" Cross Remco Lay-out, Vijayanagar, Bangalore-560040.	02-11-98
15.	027790	Mr. Srinivasan G. V Floor, 147 Greams Road, Chennai-600006	19-09-98
16.	029145	Mr. Sivakumar A.R. C-28 Vasantham Apartments No. 6 M.T.H. Road, Villivakkam Chennai-600049.	14-08-98
17.	029212	Mr. Balasubramanian K. Officer Scale II Indian Overseas Bank, Knit City Branch, Avinash Rd., Tiruppur-641602.	30-10-98
18.	038590	Mr. Padmanabhan R. 39/13 Rameswaran Street, T. Nagar, Chennai-600017.	20-08-98
19.	057788	Ms. Kavita Kulshreshtha LF 1/9 BDA Flats, BTM II Stage, Bannerghatta Road Banglore-560076.	01-04-98
20.	201173	Ms. Sowmya V. Sandhya Raagam 31 Bharat Hsg. Co-op. Society, Layout I Main Road Bannerghatta Road, Bangalore-560076.	01-11-98
21.	202295	Mr. Karthik N. 71 Venkatrathnam Nagar, Adyar, Chennai-600020	01-06-98
22.	203507	Mr. Gopinath P. 47 Sastri Street Nehru nagar Ballgramam, Chennai-600093.	01-09-98
23.	204029	Mr. Rama Subba Rao Mithipati Sudarsana, Narayanapeta Road, Amalapuram-533201.	30-10-98
24.	204040	Ms. Santhi Gannapathy 11/2, I Floor, Ramanthan Street, T. Nagar, Chennai-600017.	01-11-98
25.	204231	Mr. Selvaraj G. 30 Rajendra Main Road, Karimedu, Madurai-625016.	01-11-98

1	2	3	4
26	204371	Mr. Anand M 34 College Road Chennai-600006	27-11-1998
27	204722	Mr. Srinivasan K. 57, Cherian Kandath Colony New Siddhapudur (G P Theatre Backside) Coimbatore-641044	16-11-1998
28	204742	Mr. Kiran Kumar N SRT-50 Ameerpet Colony Ameerpet, Hyderabad-500016	01-08-1998
29	205882	Mr. Sriram R. No. 15 21st Street Thillai Ganga Nagar Chennai-600061	24-10-1998
30	206294	Mr. Mahuli Ramachandra Dhirendra Rao Finance Manager C/o Tatyasaheb Kore Warana-Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. Belgaum-590003	03-12-1998
31	206553	Mr. Dharani Kumara K. C/o M. N. Sreedhara No. 1633, Mariyappana Palya Main Road, Srirampury Post Bangalore-560021	26-06-1998
32	206628	Mr. Sreanivasan R. Plot No. 69 Krishna Nagar Ullagaram Chennai-600091	01-12-1998
33	206982	Mr. Ramarathnam V. 18, Gokul Arcade Floor No. 2 Sardar Patel Road Adyar, Chennai-600020	07-08-1998

ASHOK HALDIA
Secy.

MINISTRY OF FOOD & CONSUMER AFFAIRS

(DEPT. OF SUGAR & EDIBLE OILS)

New Delhi, the 12th May, 1999

No. 3-7/93-SDF—In pursuance of Section 7 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982) the Central Government hereby publishes the following report containing an account of the activities financed under the Act during the financial year 1997-98.

2. The Act provides for the setting up of fund consisting of (a) amounts equivalent to the proceeds of duty of excise levied and collected under the Sugar Cess Act, 1982, (3 of 1982) reduced by the cost of collection as determined by the Central Government; and (b) income from investment of the proceeds of the Fund. A sum of Rs. 198,59,39,057.00 (Rupees one hundred ninety eight crores, fifty nine lakhs, thirty nine thousand and fifty seven only) consisting of Rupees one hundred fifty crores by transfer of cess on Sugar and Rupess forty eight crores fifty nine lakhs thirty nine thousand and fifty seven only being credit for repayment of instalments of the principal of loan and interest thereon, was credited to the fund during the financial year. With the credit, the balance in the Fund Rose to Rs. 1243,91,84,662.00 (Rupees twelve hundred forty three crores, ninety one lakhs eighty four thousand, six hundred and sixty two only). Out of this, a total expenditure of Rs. 278,52,38,932.00 (Rupees two hundred seventy eight crores, fifty two lakhs, thirty eight thousand, nine hundred and thirty two only) was incurred as detailed below :—

	Figures in whole Rupees
Major Head 2408	
(a) 02.02.01 & 02. 02.50—Administration of Sugar Development Fund	3,20,32,237
(b) 01.00.33—Subsidy for maintenance of buffer stock of sugar.	177,48,99,503
(c) 02.00.31—Grants-in-aid for development of Sugar Industry.	—
(d) Expenditure on National Institute of Sugarcane and Sugar Technology, Mau.	4,19,05,492
Major Head 6860	
(a) 02.01.55—Loans for Rehabilitation/ Modernisation of Sugar Mills	78,84,13,000
(b) 02.02.55—Loans to Sugar Mills for cane development	14,79,88,700
TOTAL	278,52,38,932

The balance at credit of the fund at the close of the financial year was Rs. 965,39,45,730/- (Rupees nine hundred sixty five crores, thirty nine lakhs, forty five thousand, seven hundred and thirty only).

3. Loans for development of Sugarcane were disbursed to 20 sugar mills during the financial year 1997-98. In addition, loans were disbursed to 23 sugar mills for augmenting the shortfall in the promoter's contribution for rehabilitation/modernisation of the plant and machinery of the mills.

A statement of accounts for the financial year 1997-98 is given below:—

SUGAR DEVELOPMENT FUND

(Figures in whole Rupees)

Sl. No.	Details	Amount	Amount
1	2	3	4
1.	Opening balance on 1-4-1997		1045,32,45,605
2.	Amount credited during 1997-98		
	(a) Transfer from Cess on Sugar	150,00,00,000	

1	2	3	4
	(b) Interest on SDF loans	16,00,26,441	
	(c) Repayment of instalments of loan for cane development & Modernisation/Rehabilitation of Sugar mills.	32,59,12,616	198,59,39,057
3.	Total		1243,91,84,662
4.	Expenditure incurred during 1997-98		
	(a) Administration of SDF	3,20,32,237	
	(b) Subsidy for maintenance of buffer stock of sugar	177,48,90,503	
	(c) Grants-in-aid for development of sugar industry	—	
	(d) Loans for Modernisation/Rehabilitation of Sugar mills	78,84,13,000	
	(e) Loans to Sugar Mills for Cane	14,79,88,700	
	(f) Expn. on National Institute	4,19,05,492	278,52,38,932
5.	Balance as on 31-3-1998		965,39,45,730

S. B. BISWAS
Director (SDF)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION ORISSA

REGIONAL OFFICE

Bhubaneswar-7, the 15 April 1999

No. 44-V-34/12/4/82-Bft.—In partial modification of this office Notification No. 44-V-34/12/4/82-Bft dt. 19-4-96, published in the Gazette of India and in pursuance of the nomination made by the Chairman, Regional Board, E S.I Scheme, Orissa through Govt's letter No. SS-III. 24/96/6328/LE dated 13-11-96 it is hereby notified that the Insurance Medical Officer In-Charge, ESI Dispensary-I. Rajgangpur is substituted as a member of the Local Committee for the purpose of Regulation 10-A(1) (c) of ESI (General) Regulation 1950 constituted for Rajgangpur Area in the district of Sundergarh in place of Superintendent. ESI Dispensary, Rajgangpur, This re-constitution shall take effect from the date of issue of the notification.

U H. RAO
Regional Director.

Bhubaneswar-7, the 19th April 1999

Sub : Reconstitution of Local Committee for Bordol Area under ESI Scheme.

No. 44-V-34/12/10/82/-Bft/BDL.—It is hereby notified that the Local Committee Bardol Area in the district of Bargarh, Orissa, set up under Regulation 10-A of the ESI (General) Regulation, 1950 has been reconstituted consisting of the following members with effect from the date of issue of this Notification.

1. Under Regulation 10-A(1)(a)
Sub-Collector, Bargarh — Chairman

2. Under Regulation 10-A(1)(b)
District Labour Officer, Bargarh — Member

3. Under Regulation 10-A(1)(c)
Insurance Medical Officer-Incharge,
E.S.I Dispensary, Bardol — Member

4 Under Regulation 10-A(1)(d)
(i) Sri K. R. P. Kosala, — Member
Dy. General Manager(F)
IDCOL Cement Ltd.,
Cement Nagar, Bardol,
Distt. Bargarh.

(ii) Sri Pitamber Naik, — Member
Sr. Dy. Manager, (Personnel)
IDCOL Cement Ltd.,
Cement Nagar,
Bardol, Distt. Bargarh.

(iii) Sri Bikramaditya Mishra, — Member
Sr. Dy. Manager (Legal),
IDCOL, Cement Ltd.,
Cement Nagar, Bardol,
Distt. Bargarh — Member

5 Under Regulation 10-A(1)(e)

(i) Sri Balaram Dash, — Member
working President,
Hira Cement Shramik Sangha,
Cement Nagar, Bardol
Distt. Bargarh.

(ii) Sri Loknath Acharya — Member
(Vice President),
Hira Cement Shramik Sangha,
Cement Nagar, Bardol,
Distt. Bargarh.

(iii) Sri Satayanarayan Panda, — Member
Genl. Secretary,
Hira Cement Shramik Sangha,
Cement Nagar, Bardol,
Distt. Bargarh.

6. Under Regulation 10-A(1)(f)
Manager — Member Secretary
Local Office, — (Ex. Officio)
E.S.I. Corporation,
Bargarh.

U. H. RAO,
Regional Director
ESI Corporation, ORISA, BBSR

EMPLOYEES' PROVIDENT ND ORGANISATION
HEAD OFFICE BHAVISHYANIDHI BHAWAN
14-BHIKAJI CAMA PLACE

New Delhi, the 28th April 1999

No. Conf. 5 (1) 95/AP/1916/2/644—In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, hereafter referred as "Scheme", and in supersession of the Notification No. Conf. 5 (1)/88/AP/2714 dated 27-8-1993 issued by Central Provident Fund Commissioner, New Delhi which was published in Part III—Section 4 of the Gazette of India on 9-10-1993, the Chairman, Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund hereby sets up a Regional Committee for the State of Andhra Pradesh consisting of the following persons namely:—

CHAIRMAN

1.	Principal Secretary to the Government of Andhra Pradesh, Labour, Employment, Training and Factories Department, Secretarlat, Hyderabad.	Appointed by Chairman of Central Board [Para 4 (1) (a) of the Scheme].

MEMBERS

2.	Commissioner of Labour, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.	Two Officials appointed by Chairman of Central Board on the recommendation of the State Government [Para 4 (1)(b) of the Scheme]
3.	Deputy Secretary to Government of Andhra Pradesh, Finance and Planning (Finance Wing) Department, Hyderabad.	

EMPLOYERS' REPRESENTATIVES

4.	Shri Shyam Jumani, Managing Director, M/s. Dairy Ice Cream & Frozen Foods Pvt. Ltd., 5-9-38/1, Basheerbagh, Hyderabad.	Two representatives of Employers' appointed by Chairman of Central Board in consultation with the Organisations of employers in the State [Para 4 (1)(c) of the Scheme)
5.	Shri S.L.N. Murthy, General Manager (Personnel), Hyderabad Industries Limited, Sanath Nagar, Hyderabad-500018.	
6.	Shri D. Seetharamaiah, Brahmayya and Co., 920 Tilak Road, Hyderabad-600001,	Two representatives of Employers' appointed by Chairman, Central Board [Proviso to Para 4 (1) of the Scheme]
7.	Chief Personnel Manager, Andhra Pradesh State Road Transport Corporation, Musheerabad, Hyderabad-500020.	

EMPLOYEES' REPRESENTATIVES

8.	Shri K. Bhaskara Sharma, State General Secretary, Bhartiya Mazdoor Sangh, 1-8-565/5, RTC 'X' Roads, Hyderabad	Two representatives of Employees appointed by Chairman of Central Board in consultation with the Organisation of employees in the State [Para 4 (1) (d) of the Scheme]
9.	Shri P.J. Chandrasekhar Rao, Secretary, Andhra Pradesh Council (AITUC) H.No. 8-35, Raju Colony, HAL Post, Hyderabad-500042	
10.	Shri M. Jagdishwar Rao, Rajya Mantri, Bhartiya Mazdoor Sangh, A-20/5, Shipyard Colony, Visakhapatnam-530005.	One representative of Employees' appointed by Chairman Central Board [Proviso to para 4 (1) of the Scheme]
11.	Shri G. Sanjeeva Reddy, President, INTUC 6B/Ligh, Barkatpura, Hyderabad.	One non-official member of Central Board ordinarily resident in the State of Andhra Pradesh. [Para 4 (1) (e) of the Scheme]

Regional Provident Fund Commissioner, In-charge of Andhra Pradesh Region shall be the Secretary of the Regional Committee.

The term of office of the Chairman and every Member of the Regional Committee shall be three years commencing on and from date on which their appointment is notified in the Official Gazette. However, every Member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

This will come into force with immediate effect.

R. S. KAUSHIK
Central Provident Fund Commissioner

No. Conf 5 (3) 93-98/BR/1916/3/645– In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 hereafter referred as 'Scheme', and in supersession of Notification No. Conf. 5(3)/95/Bihar/2897 dated the 24-11-1995 issued by Central Provident Fund Commissioner, the Chairman, Central Board of Trustees, Employees Provident Fund hereby sets up a Regional Board Committee for the State of Bihar consisting of the following persons namely :

CHAIRMAN

1.	Secretary to the Government of Bihar, Labour, Planning & Training Department, Bihar, Patna.	Appointed by the Chairman of the Central Board. [Para 4 (1) (a) of the Scheme]

MEMBERS

2.	Special Secretary to the Government of Bihar, Labour, Planning & Training Department, Bihar, Patna	Two Officials appointed by Chairman of Central Board on the recommendation of the State Government. [Para 4 (1) (b) of the Scheme]
3.	Labour Commissioner, Government of Bihar, Patna	

EMPLOYERS. REPRESENTATIVES

4.	Shri D.P. Lohia,, President, Bihar Chamber of Commerce, Adalatganj, Patna	Two representatives of Employers' appointed by Chairman of Central Board in consultation with the organisation of employers in the State [Para 4 (1)(c) of the Scheme]
5.	Shri K.P. Jhunjhunwala President, The Bihar Industries Association, Sinha Library Road, Patna.	

EMPLOYEES' REPRESENTATIVES

6.	Shri Chander Prakash Singh, Mahamantri, Rashtriya Mazdoor Sangh Bihar Sakha, 5, Chhajju Bagh, Patna	Two representatives of Employees appointed by Chairman of Central Board in consultation with organisations of employees in the State. [Para 4 (1) (d) of the Scheme]
7.	Shri Suresh Prasad Sinha, Organiser, Secretary, Bhartiya Mazdoor Sangh, B-18, Vidhyut Board Colony, New Punaichak, Patna-23	

Regional Provident Fund Commissioner, In-charge of Bihar Region shall be the Secretary to the Regional Committee.

The term of office of the Chairman and every Member of the Regional Committee shall be three years commencing on and from the date on which their appointment is notified in the Official Gazette. However, every Member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

This will come into force with immediate effect.

R. S. KAUSHIK
Central Provident Fund Commissioner

No. Conf. 5 (4) 95/DL/1916/1/646—In pursuance of sub-paragaph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees Provident Funds Scheme, 1952, hereafter referred as 'Scheme', and in supersession of the Notification No. Conf. 5 (4)/87/ DL/135 dated 31-3-1992 issued by Central Provident Fund Commissioner New Delhi, which was published in Part III—Section 4 of the Gazette of India on 18-4-1992, the Chairman, Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund hereby sets up a Regional Committee for the State of National Capital Territory of Delhi consisting of the following persons namely.

CHAIRMAN

1.	Secretary Labour Government of Delhi	Appointed by Chairman of Central Board [Para 4 (1)(a) of the Sehem:]

MEMBERS

2.	Joint Labour Commissioner, Government of Delhi	Two Officials appointed by Chairman of Central Board on the recommendation of the State Government [Para 4(1)(b) of the Scheme.]
3.	To be notified later	

EMPLOYMENT REPRESENTATIVES

4.	Shri Madan Lal Verma, President, Manufacturers welfare Association, "B" Block, B-84, G.T. Karnal Road, Industrial Area, Delhi-110033	Two representatives of Employers' appointed by Chairman of Central Board in consultation with the Organisations of employers in the State [Para 4 (1) (c) of the Scheme]
5.	Shri O.P. Sibbal, Partner, M/s. United Engineering Works, B-20, G.T. Karnal Road, Industrial Area, Delhi-110033	
6.	Shri R. Krishnaswamy, Additional Financial Advisor, Food Corporation of India, 16-20, Barakhamba Lane, New Delhi-110001	Trec non-official members of Central Board ordinarily resident in the National Capital Territory of Delhi. [Para 4 In (c) of the Scheme]
7.	Shri M.A. Hakeem Secretary General, Standing Conference of Public Enterprises, SCOPE Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003	
8.	Shri B.P. Pant, Deputy Secretary, All India Organisation of Employees' Federation House, Tansen Road, New Delhi-110001	

EMPLOYEES REPRESENTATIVES

9.	Shri Balkishan Jaggi, 5239, Ajmeri Gate, Bhartiya Mazdoor Sangh, Delhi-110006	Two representatives of Employees appointed by Chairman of Central Board consultation with the Organisations of 2 employees in the State. [Para 4 (1) d of the Scheme]
10.	Shri J.S. Dara, Chairman, INTUC, Enquiry Office Flat, Sujan Singh Park, New Delhi-110003	
11.	Shri Sukhbir Singh Saini 5239, Ajmeri Gate, Bhartiya Mazdoor Sangh, Delhi-110006.	Three representatatives of Employees' appointed by Chairman Central Board [Proviso to Para 4(1) of the Scheme]
12.	To be notified later.	Do.
13.	To be notified later.	Do.

Regional Provident Fund Commissioner, In-charge of Delhi Region shall be the Secretary of the Regional Committee.

The term of office of the Chairman and every Member of the Regional Committee shall be three years commencing on and from the date on which their appointment is notified in the Official Gazette. However, every Member shall continue to hold office until the appointment his successor is notified in the Official Gazette.

This will come into force with immediate effect.

R.S. KAUSHIK
Central Provident Fund Commissioner

No. Conf. 5 (1795/West Bengal/1916/4/647 In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees Provident Funds Scheme, 1952, hereinafter referred as "Scheme", and in supersession of the Notification No. Conf. 5 (17)/88/West-Bengal 2384 dated the 31-7-1992 issued by Central Provident Fund Commissioner, New Delhi, which was published in Part III Section 4 of the Gazette of India on 22-8-1992, the Chairman, Central Board of Trustees, Employees Provident Fund hereby sets up a Regional Committee for the State of West Bengal consisting of the following persons namely :—

CHAIRMAN

1.	Secretary to the Government of West Bengal, Labour Department, Writers Building, Calcutta-700001.	Appointed by Chairman of Central Board. [Para 4 (1) (a) of the Scheme)].

MEMBERS

2.	Labour Commissioner, Government of West Bengal, New Secretariat Building, Calcutta-700001	Two Officials apponted by Chairman of Central Board on the recommendation of the State Government. [Para 4 (1) (b) of the Scheme]
3.	Joint Secretary, Labour Department, Government of West Bengal, Writers Building, Calcutta-700001.	Do.

EMPLOYERS' REPRESENTATIVES

4.	Shri Sourajit Pal Choudhuri, C/o. M/s. Washabaric Tea Co. Pvt. Ltd., P-17, Ganesh Ch. Avenue, Calcutta-13, Bengal National Chamber of Commerce and Industries 23, R.N. Mukherjee Road, Calcutta-700001.	Two representatives of Employers appointed by Chairman of Central Board in consultation with the Organisation of employers in the State [Para 4 (1) (c) of the Scheme]
5.	Shri R.K. Maheshwari, Hony. Secretary, Indian Tea Planters Association, Jalpaiguri, Post Box No. 74, Jalpaiguri.	Do.
6.	Shri J.P. Chowdhary, Chairman & Managing Director, M/s. Titagarh Steel Ltd., 113, Park Street. Calcutta-700016.	One non-official member of Central Board ordinarily resident in the State of West-Bengal [Para 4 (1) (e) of the Scheme.
7.	Shri Prabir Chakraborty (Bharat Chamber of Commerce)' Shri Annapurna Cotton Mills & Industries Ltd., P-10, New Howrah Bridge, Approach Road, Calcutta-700001.	One representative of Employees appointed by Chairman of Central Board [Proviso to Para 4 (1) of the Scheme].

EMPLOYEES' REPRESENTATIVES

8.	Shri Subhash Ghosh, Mahamantri, Bhartiya Mazdoor Sangh, Kiran Shankar Roy Road, Calcutta, West Bengal.	Two representatives of Employees appointed by Chairman of Central Board in consultation with the Organisations of employees in the State [Para 4 (1) (d) of the Scheme].
9.	To be notified later (Representative of West Bengal State Committee of Centre of Indian Trade Unions (CITU)	
10.	Shri Samar Chakraborty, Joint General Secretary, INTUC, Bengal Branch, 8, Vijay Bose Road, Calcutta-700025.	Two non-official embers of Central Board ordinarily resident in the State of West Bengal [Para 4 (1) (c) of the Scheme]
11.	Shri Sankar Saha, Secretary, All India Committee United Trade Union Centre, Lenin Sarani, 77/2/1, Lenin Sarani (Ist Floor), Calcutta-700013.	Do.

Regional Provident Fund Commissioner. In-charge of West Bengal Region shall be the Secretary of the Regional Committee.

The term of office of the Chairman and every Member of the Regional Committee shall be three years commencing on and from date on which their appointment is notified in the Official Gazette. However, every Member shall continue to hold office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

This will come into force with immediate effect.

R.S. KAUSHIK
Central Provident Fund Commissioner

No. Conf. 5 (14)/95/RJ/1916/5—In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees Provident Funds Scheme, 1952 the Chairman Central Board of Trustees Employees Provident Fund hereby makes the following amendment in Central Provident Fund Commissioner's Notification No.Conf. 5 (17) /95(RJ) /1602, dated 30-10-1996 published in Part-III Section 4 of the Gazette of India dated 3-5-1997.

In notification against Serial Number 2 for the words "Labour Commissioner and Chief Administrative Secretary, Rajasthan Jaipur" the words"Commissioner, Labour & Employment, Rajasthan, Jaipur" shall be substituted.

R.S. KAUSHIK
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/637. — WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And Whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/ C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II Annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. & Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ Extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. The Nizam Sugar Factory Ltd., Fathemaidan Road, Hyderabad and Branches.	AP/158	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt. dated 7-3-97	29-2-96	1-3-96 to 28-2-99 & 1-3-99 to 28-2-2002	2/3903/90/DLI
2.	M/s. The Hyderabad Public School Ramanthapur, Hyderabad-500013.	AP/10745	2/1959/DLI/Exem 89/Pt. dated 13-8-97	28-2-95	1-3-95 to 28-2-98 & 1-3-98 to 28-2-2001	2/23/95/DLI
3.	M/s. Andhra Pradesh Tanneries Ltd., P.B. 127, Vizianagaram-531202 (A.P.)	AP/5498	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. dated 13-5-91	8-6-93	9-6-93 to 8-6-96 & 9-6-96 to 8-6-99	2/1042/84/DLI
4.	M/s. Orchem Industries, Manga Building, 40/11, Sarojini Devi Road, Secunderabad-500003.	AP/17200	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. dated 27-8-97	28-2-99	1-3-99 to 28-2-2002	2/4398/DLI
5.	M/s. Sree Raja Rajeswari Paper Mills Ltd., 3-B-15-212 Mothey & Suryaparkash Rao, Building P.B. No. 18, Eluru West Godavri Distt. A.P. 534001	AP/97/13654	2/1959/DLI/Exem/89/Pt. dated 6-1-94	30-9-95	1-10-95 to 30-9-98 & 1-10-98 to 30-9-2001	2/4455/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submmission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the Nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. A. DWIVEDI
Regional Provident Fund Commissioner

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

New Delhi, the 10th May 1999

S.O. In Exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Regulations on Graduate Medical Education 1997, namely :—

1. Short title and commencement :—(i) These regulations may be called the Regulations on Graduate Medical Education (Amendment), 1999)

(ii) There regulations shall come into effect on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Regulations on Graduate Medical Education, 1997 :—

(a) In regulation 4 for clause (1), the following shall be substituted, namely :—

"(1) He/She shall complete the age of 17 years on or before 31st December of the year of admission to the M.B.B.S. course";

(b) in the regulation 5, for clause (5), the following be substituted, namely :—

"(5) Procedure for selection to M.B.B.S. course shall be as follows :—

(i) in case of admission on the basis of qualifyiny examination under clause (1) based on merit, a candidate for admission to M.B.B.S. course must have passed in the subjects of Physics, Chemistry, Biology & English individually and must have obtained a minimum of 50% marks taken together in Physics, Chemistry and Biology at the qualifying examination as mentioned in clause (2) of regulation 4. In respect of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes, the marks obtained in Physics, Chemistry and Biology taken together in qualifying examination be 40% instead of 50 % as above.

(ii) in case of admission on the basis of competitive entrance examination under clause (2) to (4) of this regulation a candidate must have passed in the subjects of Physics, Chemistry, Biology and English individually and must have obtained a minimum of 50% marks taken together in Physics, Chemistry and Biology at the qualifying examination as mentioned in

clause (2) of regulation 4 and in addition must have come in the merit list prepared as a result of such competitive entrance examination by securing not less than 50 % marks in Physics, Chemistry and Biology taken together in the competitive examination. In respect of candidates belonging to Schedule Castes, Scheduled Tribes or other Backward Classes the marks obtained in Physics, Chemistry and Biology taken together in qualifying examination and competitive enterance examination be 40% instead of 50% as stated above.

Provided that a candidate who has appeared in the qualifying examination the result of which has not been declared, he may be provisionally permitted to take up the competitive entrance examination and in case of selection for admission to the M.B.B.S. course, he shall not be admitted to that course until he fulfils the eligibility criteria under regulation 4.

Dr. M. SACHDEVA.
Secy.
Medical Council of India

Footnote : The Principal regulations, namely, "Regulation on Graduate Medical Education was published in Part III Section 4 of the Gazette of India on 17th May, 1997.

UNIT TRUST OF INDIA

Mumbai, the 7th April 1999

No. UT/DBDM/R/SPD-74G/98-99.—The offer document of the Master Equity Plan 1999 formulated under Section 19(1)(8)(c) of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) in relation to the unit scheme, the Master Equity Plan 1999 made under section 21 of the said Act, approved in the Executive Committee Meeting held on 25-11-1998 is published herebelow.

A. G. JOSHI
Chief General Manager
Business Development & Marketing

UNIT TRUST OF INDIA

Master Equity Plan 1999

OFFER DOCUMENT

Offer open from January 01, 1999 to March 31, 1999

The Master Equity Plan 1999 has been formulated under section 19 (1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act 1963 (52 of 1963), in relation to the unit scheme, the Equity Linked Savings Scheme 1999 made under section 21 of the said Act by the Board of Trustees of UTI. This offer document sets forth concisely the information about the scheme that a prospective investor ought to know before investing. The offer document should be retained for future reference.

The plan particulars have been prepared in accordance with the Government of India notification on ELSS Schemes and also Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, as amended till date, and filed with SEBI, and the units offered for public subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has the SEBI certified on the accuracy or adequacy of the Offer Document.

Objective of the Plan

The plan formulated in accordance with Govt. Guidelines on Equity Linked Savings Scheme, aims at providing unitholders twin benefits of income-tax rebate on amount of investment as well as reasonable growth of the said amount over a period of time.

Highlights

- A ten year close ended plan.
- Open to resident adult individuals/minors/HUFs/Association of Persons or Body of Individuals consisting, in either case, only of husband and wife governed by the system of community of property in force in the state of Goa and Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.
- The face value of a unit is Rs.10/- and units will be sold at par.
- Investment made in the Plan will qualify for income tax rebate 20% on investment upto 10,000/- within overall limit of Rs.60,000/- under Section 88 of the Income Tax Act 1961
- Repurchase allowed after an initial lock-in-period of 3 years from the date of allotment.
- Investors will be paid compensation 3.5%, 2.5% and 1.5% on investments made in January 1999, February 1999 and March 1999 respectively.
- Tax benefits U/S 48 and 112 of income Tax Act, 1961 on capital appreciation.
- Capital gains tax exemption under sections 54EA and 54EB of the Income Tax Act, 1961 subject to availability of repurchase/transfer/pledge only after three/seven years respectively from the date of acceptance. However, investor availing tax exemption under Section 54EA/54EB will not be eligible to get tax rebate under Section 88 of Income Tax Act, 1961.

II. DEFINITIONS

In this scheme and plan made thereunder unless the context otherwise requires:

(a) 'Acceptance date' with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

(b) The 'Act' means the Unit Trust of India Act, 1963;(52 of 1963).

(c) 'Applicant' means a person who is eligible to participate in the scheme and the plan made thereunder who is not a minor and makes an application under Clause IV of the Plan.

(d) 'Lock-in-period' shall be a period of 3 years from the date of allotment of units during which the applicant will be required to keep the units and not tender them for repurchase.

(e) 'Number of units deemed to be in issue' means the aggregate of the number of units sold and remaining outstanding.

(f) 'Registrars' means a person whose services may be retained by the Trust to act as the Registrars under the Scheme from time to time.

(g) 'Regulations' means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43 (1) of the Act.

(h) 'SEBI' means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).

(i) 'Unit' means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital.

(j) 'Unit Capital' means the aggregate of the face value of units sold under the scheme and outstanding for the time being.

(k) 'Unit Trust' or 'Trust' means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.

(l) All other expressions not defined herein but defined in the Act/ Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/ Regulations.

(m) Words importing singular shall include the plural and all reference to masculine gender shall include the feminine and vice versa.

III. RISK FACTORS

- Mutual Funds and securities investments are subject to market risks and the NAV of the units issued under the plan may go up or down depending on the factors and forces affecting the capital markets.
- Performance of previous schemes is not necessarily an indication of future results. There can be no assurance that the objective of the plan will be achieved.
- Master Equity Plan 1999 is only the name of the Plan and does not in any manner indicate the quality of the Plan.
- Like in all close ended schemes there is a risk of infrequent trading and possibility of market price of units being at a discount to NAV.
- Derivatives : Trading in derivative securities like options & futures is a highly specialised activity and entails greater than ordinary investment risks. Even though the Fund intends to use the activity of trading in derivatives only for portfolio hedging purposes, the overall market in these segments could be highly speculative due to the actions of the other participants in this market. The success of trading in derivatives depends upon the ability of the fund manager in predicting the future movement of the market and if the fund manager is incorrect in their prediction the performance of the fund could diminish compared to what it would have been if this investment strategy had not been used.

Investment In Overseas Market : The success of investment in overseas market depends upon the ability of the fund manager in understanding of those market conditions & analysing the information which could be different from Indian markets. As this would involve operations in foreign markets there could be exchange rate fluctuations risk besides market risk.

Stock Lending : It is a means of earning additional income to the fund with least risk. The risk could be in the form of non-availability of ready stock for sale during the period the Scrips remains lent.

IV. UNITS & OFFER

1. This Scheme shall be called the Equity Linked Savings Scheme 1999 (ELSS'99) and the plan formulated under this scheme shall be called Master Equity Plan 1999 .

2. The Scheme and the plan made thereunder shall be for a period of ten years i.e. from April 01, 1999 to March 31, 2009. Units will be allotted as on 31st March 1999.

3. Units will be on sale from 1st January, 1999 to 31st March, 1999 for three months. Provided, however the Executive Committee of the Board of Trustees of the Unit Trust / Chairman may suspend the sale of units under the Scheme at any time in circumstances like war, disruption of trading in Stock Exchanges and other socio-economic factors after giving 7 days notice in newspapers or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.

4. The face value of each unit issued under the scheme shall be ten rupees.

5. The Plan has been drawn up pursuant to the guidelines issued by the Central Government as mentioned in the Equity Linked Savings Scheme 1992 and Section 88 of the Income Tax Act, 1961.

6. **Application for units :**

   Application for units may be made by residents only viz.
   (i) A resident adult individual singly or with another individual on joint/either or survivor basis.
   (ii) a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a resident minor. An application cannot be made by an adult and minor jointly.
   (iii) Hindu Undivided Family (HUF).
   (iv) An Association of Persons (AOP) or a Body of Individuals (BOI) consisting, in either case, only of husband and wife governed by the system of community of property in force in the state of Goa and Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

7. **Minimum amount of Investment**
   Application shall be made for a minimum of 50 units with a face value of Rs.500/- and thereafter in multiples of Rs.500/-. In case of investment of Rs.50,000/- and above, the investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./ G.I.R. number and I T Circle address if he/ she is having so.

8. **Compensation to Investors:**
   Depending on the date of joining the plan, investors will be paid compensation on the amount of investment as given below :

From	To	%
01-01-99	31-01-99	3.5
01-02-99	28-02-99	2.5
01-03-99	31-03-99	1.5

The amount of compensation will be paid by means of cheque which will be despatched alongwith the unit certificate. The compensation paid for early investments is not an incentive or any special benefit offered by UTI to

investors. This compensation will be met within the 'initial issue expenses' and also the income generated by the fund.

9. **Unit Certificate**

The contract for sale of units by the Unit Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date of i.e. date of receipt of application subject to realisation of cheques. The Unit Trust shall thereafter issue a Unit Certificate for the amount invested. A unit certificate is transferable and is a valid evidence of admission of the investor into the plan. The Unit Trust will not incur any liability for the loss, damage, mis-delivery or non-delivery of the unit certificate, so sent.

The Unit Trust shall endeavour to send the unit certificate as soon as possible but not later than six weeks from the date of closure of sale of units under the scheme.

10. **Transfer/Pledge/Assignment of Units :**

Transfer/Pledge/Assignment of units shall be allowed under the scheme after the lock in period of three years from the date of allotment of units. In the event of the division and/or disintegration of unitholding pertaining to HUF,AOP,BOI during the lock-in-period or thereafter but before the termination of the scheme, nothing contained herein above shall be a bar to the applicability for the relevant law with respect to the said division or disintegration except otherwise specifically agreed to or stated and which are not contrary to the said law, if any. The distribution of their income and the division of the unit among the unitholderss of HUF,AOP,BOI shall always be governed by the relevant law, if any, in force from time to time.

All units issued under the Scheme and outstanding are freely transferable after a period of 3 years from the date of allotment (i.e. from 1st April, 2002)

(i) The unit certificate issued in accordance with the provisions of the scheme is negotiable and can be transferred to the individuals, expressed and such other categories as are mentioned under item 6 of 'Units and Offer'

(ii) Transfers may be effected only by and between transferors and transferees who are capable of holding units. The Trust shall not be bound to recognise any other transfer.

(iii) Transfer instruments with the relative unit certificate and accompanied by such fee as may be prescribed from time to time by the Trust shall be lodged with any of the offices of the Registrars appointed for the purpose.

(iv) Any transfer deed lodged with or accepted by any of the offices of the Trust shall be forwarded to the concerned office of the Registrars.

(v) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to hold units until the name of the transferee is entered in the register of unitholders by the Registrars.

(vi) The Registrars may require such evidence as they may consider necessary in support of the title of the transferor or his right to transfer units.

(vii) The Registrars may subject to compliance with such requirements as they deem necessary dispense with the production of the original unit certificate, should it be lost, stolen or destroyed.

(viii) Upon registration of a transfer of units all instruments of transfer and the unit certificate may be retained by the Registrars.

(ix) The Registrars recognising and registering a transfer may issue the original or fresh unit certificate and income distribution warrants, if any, to the transferee upon payment and realisation of such charges as are payable in connection with the transfer and issue a certificate.

(x) If a transferee becomes a holder of units in an official capacity, by operation of law or a scheduled bank upon enforcement of a pledge then the Registrars shall subject to the production of such evidence which in their

opinion is sufficient, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units.

(xi) Subject to the provisions contained hereinabove the Trust shall register the transfer and return the Unit Certificate alongwith income warrants, if any, to the transferee within 30 days from the date of lodgement of Unit Certificate together with the relevant instrument of transfer.

11. Termination of the Scheme and Plan made thereunder

(i) The scheme and the plan made thereunder shall stand finally terminated on 31st March, 2009, the outstanding units of the unitholders shall be repurchased and the unitholders shall be paid the value of their units at the repurchase price fixed for the final repurchase during the above period. Besides receiving the repurchase price determined, no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of income for any subsequent period shall accrue.

(ii) If 90% or more of the units under the Plan are repurchased before completion of 10 years, the Trust may at its discretion terminate the Plan even before the stipulated period of ten years and redeem the outstanding units at the final repurchase price to be fixed by it.
Where the Plan is wound up in pursuance of Sub-clause (ii) the Trust shall given notice thereof to SEBI and in two daily newspapers having all India circulation and in a vernacular newspaper in Mumbai at least a week before the date of termination.

(iii) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall -
(a) cease to carry on any business activities in respect of the scheme.
(b) cease to create and cancel units in the scheme.
(c) cease to issue and redeem units in the scheme.

(iv) The Board of Trustees shall call a meeting of the unitholders to consider and pass necessary resolution by simple majority of the unitholders present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the scheme.

Provided that a meeting shall not be necessary if the scheme is wound up at the end of the maturity period of the scheme.

(v) (a) The Board of Trustees or the person authorised under clause (XV) shall dispose of the assets of the scheme in the best interest of the unitholders of the scheme.

(b) The proceeds of sale made in pursuance of sub clause (v) (a) above, shall, in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the unitholders in proportion to their respective interest in the assets of the scheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(vi) On completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the unitholders a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up, net assets available for distribution to the unitholders and a certificate from the auditors of the scheme.

(vii) Notwithstanding anything contained hereinabove, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue until winding up is completed or the scheme ceases to exist.

(viii) After the receipt of the report referred to in item (vi) above, if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the scheme have been completed, the scheme shall cease to exist.

(ix) The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the Unit Certificate duly discharged has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with. The Unit Certificate, the request letter for repurchase and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

V. EXPENSES

a) Units will be sold at par during the period of offer.

b) (i) Initial issue expenses shall not exceed 6% of the funds raised under the plan. Initial issue expenses of the plan is estimated to be as under :

Expenses	Percent
Printing & Postage	1.50
Publicity & Marketing	1.75
Commission to agents	1.50
Registrars Charges	0.50
Bank Charges	0.25
Stamp duty	0.50
Total	6.00

Thus for every Rupee invested by an investor not less than 94 paise will be invested in the Scheme.

(ii) Initial issue expenses for the schemes launched during the last fiscal year are as follows :

Scheme	Expenses (% of funds collected)
IISFUS97	0.10
IEF 97	5.75
MIP-97(II)	2.45
MIP-97(III)	3.44
MIP-97 IV)	1.87
MIP97(V)	2.60
MIP98	1.33
IISFUS97(II)	0.09
MEP98	6 00
IISFUS-98	0.05
NRI FUND	2.90

The expenses borne by the Trust (by charge to DRF) in respect of schemes launched during the last fiscal year are:

Scheme	Expense (% of funds collected)
MMMF	0.50
MEP98	7.22

c) In addition to the initial issue expenses, the following expenses will be charged to the scheme on a recurring basis Estimated recurring expenses are as under:

Expenses	%
Administrative Expenses	0.90
Custodial Fees	0.50
Development Reserve Fund	0.25
Staff Welfare Fund	0.10
Registrars Fees	0.50
Total	2.25

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 6% of the funds collected for initial issue expenses, in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

The total annual recurring expenses of the scheme excluding initial issue expenses and redemption expenses but including administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and Staff Welfare Fund shall be subject to the following limits :

(i)On the first Rs.100 crores of the average weekly net assets - 2.50%

(ii)On the next Rs.300 crores of the average weekly net assets - 2.25%

(iii)On the next Rs.300 crores of the average weekly net assets - 2.00%

(iv)On the balance of the assets - 1.75%

Administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Fund will not exceed the limits specified under clause 2 of regulation 52 of SEBI (MFs) Regulations, 1996, namely:

(i) One and quarter of one percent of the monthly average net assets outstanding in each accounting year for the scheme as long as the net assets do not exceed Rs.100 crores, and

(ii) One percent of the excess amount over Rs.100 crores, where net assets so calculated exceed Rs. 100 crores.

UTI does not charge any investment management and advisory fees as provided in the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996. However, UTI will ensure that the initial issue expenses and the annual recurring expenses shall remain within the limits specified under regulation 52 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

d) **Development Reserve Fund (DRF) contribution**

0.25% p.a.of the weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year. DRF contribution will be part of recurring expenses.

The Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new Schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional & developmental work not related to or linked with any particular Scheme itself. Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training, Surveys and Market Research for the Trust, Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific Scheme, Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities and for meeting the shortfall, if any, in the assured rate of return of any of the schemes of the Trust as well as the issue expenses for no-load schemes.

The following schemes have shortfalls as on 30.6.98: MIP 97 [Rs. 119.70 crore]; MIP 97(II) [Rs. 125.96 crore] and MIP 97 (III) [Rs. 54.75 crore]; MIP 97(IV) [Rs.39.53 crores]; MIP97(V) [Rs. 15.02 crores]; IISFUS 97 [Rs. 34.89 crores] IISFUS 97(II) [Rs. 17.58 crores] MIP98 [Rs. 36.68 crores] mainly due to sluggish stock market conditions resulting in notional depreciation in the equity portfolio of these schemes.
Management's perception : The above schemes will mature on various dates from the years 1999 to 2003. With improvement in market conditions the underlying scrips are expected to discover their fair prices reversing the notional depreciation. Further, active trading in debt and equity is expected to add value before the schemes become due for redemption.

e) **Staff Welfare Fund Contribution**

0.10% p.a.of weekly average Net Asset Value shall be set aside every year as contribution to the Staff Welfare Fund. The Trust has instituted the Staff Welfare Fund for the welfare of its employees which shall include relief in distress, medical relief, health relief or for similar other purposes.

VI. SALE OF UNITS

1. The sale price of units during the period of offer shall be at par. The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall as soon thereafter as possible, issue to the applicant Unit Certificate evidencing that he has been admitted as a unitholder in the scheme and the plan made thereunder. The Trust shall not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the Unit Certificate so sent.

   The Trust shall send the Unit Certificate not later than 6 weeks from the date of closure of sale of units under the Plan.

2. **Mode of Payment**

   (i) The payment for units by an applicant shall be made by him alongwith the application in cash, cheque or draft. Where applications are submitted at UTI branch offices, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the UTI branch office at which the application is tendered is situated.

   Provided, however, that the applicant who applies from a place other than where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office may do so by sending the application to the branch office of the Trust along with the bank draft after deducting therefrom charges payable for bank draft as per guidelines of Indian Banks Association. The collection centres/franchise offices are authorised to accept applications alongwith cheque payable locally or demand draft payable at places upto which the scheme is decentralised in which case the applicant may deduct charges as per the guidelines of Indian Banks Association. e.g. if the application amount is Rs.10,000/- the bank draft charges for this amount is Rs.20/-. Thus the draft can be prepared for Rs.9,980/-(i.e. Rs.10,000 less Rs.20/-). The draft commission charges will form a part of the initial issue expenses of the Plan.

   However, in case of applications received along with local bank draft where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office bank draft commission will have to be borne by the investor.

   (ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre.

   If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre within 7 days from the date of issue of draft. If the application amount is less than the minimum investment under the plan, the entire amount shall be refunded to the applicant at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

3. **Applicant to comply with requirements under the Scheme before being issued units:**

   Persons applying for units under the scheme and the plan made thereunder shall satisfy the Trust about their eligibility to made an application and comply with all requirements of the Trust such as Affidavit in case of AOP/HUF.

   An adult, being a parent, step-parent or other lawful guardian of a minor may hold units and deal with them in accordance with and to the extent provided, in sub-section (2A) of Section 21 of the Act. Such adult if so required shall furnish to the Trust, in such manner as may be specified, proof of the age of the minor and the capacity to hold and deal with units on behalf of the minor. The Trust shall be entitled to act on the statements made by such adult in the application form without any further proof.

   Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the unitholdingship cancelled and the name deleted from the register of unitholders.

The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance.

The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

4. **Right of the Trust to accept or reject application:**
The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the Scheme and the Plan made thereunder. The Trust shall reject an application for issue of units in the following circumstances:

(i) the application is received with less than the minimum investment of Rs.500/- and in multiples of Rs.500 thereafter.

(ii) the application has not been signed by the first applicant and

(iii) the applicant is not eligible to invest in the scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the Scheme and the Plan made thereunder shall be final.

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum. Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities.

5. **Nomination by unitholders**

(i) Nomination facility is available only for individuals applying on their own behalf i.e. singly or jointly. Applicants can nominate one person. Minors and Non-Resident Indians can also be nominated. Non-Resident Indians can be nominated as per the guidelines issued by the RBI from time to time. Applicants can change the nomination at any time during the currency of the plan.

(ii) Applicant being either parent or lawful guardian on behalf of a minor HUF/AOP and Body of Individual shall have no right to make any nomination. Other provisions will be to the extent provided in the regulations.

(iii) Legal validity of nomination: the facility of the statutory nomination is available to a unitholder under Section 39A of the Unit Trust of India Act, 1963. Accordingly, where a nomination in respect of any unit has been made in accordance with the UTI General Regulations, 1964, the amount payable to the unitholder in respect of the said unit shall on the death of the unitholder vest in, and be payable to the nominee in any case subject to any right, title, claim or other interest of any other person to or in respect of the said units as provided in such regulations and subject to any charge or encumberance over the said units.
Payment made by the Trust as aforesaid shall be a full discharge to the Trust from all liability in respect of the said units.

VII. INCOME & DISTRIBUTION

This is a growth scheme. Consistent with this objective, normally there may not be any distribution of income. However the Trust reserves the right to declare income distribution/bonus.

Bank particulars of investors:
As a matter of precaution against possible fraudulent encashment of Income Distribution Warrants due to loss/ misplacement, applicants are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. nature of account, account number and name of bank) at the appropriate space in the application form as well as on the acknowledgment receipt portion for record. Compensation to investors in the form of incentive for early investments will then be made out in favour of the bank for crediting their account so specified and sent to them. In case the complete bank particulars are not given, incentive cheques will be issued in the name of the unitholders.

In order to avoid fraudulent encashment of Income Distribution Warrants/ Maturity cheques investors are advised, in their own interest to give bank particulars at the appropriate place in the application form.

VIII. REPURCHASE OF UNITS

1) Repurchase of Units :

(1) The Trust shall announce the repurchase price one year after the date of allotment of units (i.e. from 1st April, 2000 and thereafter on a weekly basis.

(2) After lock-in-period of 3 years from the date of allotment of units i.e. from 1st April 2002, when the repurchase of units shall commence the Trust shall declare a repurchase price every week or as frequently as may be decided by it.

(3) Repurchase will be open throughout the year except during book closure not exceeing 45 days in a year.

(4) The repurchase price at which a unit will be repurchased will be NAV based (historic) declared from time to time. While calculating the repurchase price the Trust shall be at liberty to deduct administrative cost and other charges not exceeding 3% of the NAV of the unit under the Plan.

(5) Repurchase shall be effected on receipt of the Unit Certificate duly discharged.

(6) The contract for repurchase shall be deemed to have been concluded on the acceptance date.

(7) The unitholder shall be under no obligation to offer its units for repurchase as provided in sub- clause (1) above and he will be free to hold them as long as he desires during the currency of the Scheme.

(8) The repurchased units will not be reissued.

(9) In the event of the death of the unitholder, the nominee or legal heir, as the case may be, shll be able to withdraw the investment only after the completion of one year from the date of allotment of the units to the unitholder or anytime thereafter i.e. 1st April, 2000.

(10) Payments for units repurchased by the Unit Trust shall be made not later than 10 working days after the acceptance date. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant, and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Unit Trust shall be borne by the applicant.

2) Restrictions on repurchase of units :

Notwithstanding anything contained in any provision of the Plan, the Trust shall not be under any obligation to repurchase units :

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period (as notified by the Trust) when the register of unitholders is closed for any purpose as notified by the Trust.

Explanation :

For the purpose of this scheme and the plan made thereunder the term 'working day' shall mean a day which has not been either

(i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Trust has its offices; or

(ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will be closed.

IX. INVESTMENT OBJECTIVES , POLICIES & STOCK LENDING

1. Investment Objective and policies :

(a) The funds collected under the Scheme shall be invested in equities, cumulative convertible preference shares and fully convertible debentures and bonds and warrants of companies. Investment may also be made in partly convertible issues of debentures and bonds including those issued on rights basis will be made subject to the condition that as far as possible the non-convertible portion of the debentures so acquired or subscribed shall be disinvested within a period of twelve months.

(i) **Trading in derivatives :** Subject to authorisation from SEBI and the Government of India, UTI , in appropriate circumstances, may use techniques and instruments, such as futures and options and other derivatives subject to applicable regulations and counter-party risk assessment, as and when they become permissible in the Indian market, for the purposes of achieving the investment policy, hedging or minimising the risk. In addition, subject to applicable regulations and counter-party risk assessment, the scheme may borrow or lend stock.

(ii) **Stock lending :** The Scheme may, from time to time , give on loan securities in which it has invested, for a temporary period as per securities lending scheme of SEBI.

(iv) **Overseas Investment :** The scheme may invest in securities issued by overseas/foreign companies and listed abroad or securities issued by Indian corporates to foreign/overseas investors and listed on foreign stock exchange directly by subscribing to such issues or purchasing on foreign stock exchanges as per SEBI guidelines issued from time to time.

The Trust retains the option to alter the asset allocation for a short term period on defensive consideration.

Pending deployment of funds of the scheme in securities in terms of the investment objective stated above the Trust may invest the funds of the scheme in money market instruments.

(b) It shall be ensured that funds of Scheme shall remain invested to the extent of at least 80% in securities specified in clause (a). The Unit Trust shall strive to invest the funds in the manner stated above within a period of six months from the date of closure of sales of units. In exceptional circumstances, this requirement may be dispensed with by the Trust in order that the interests of the unitholders are protected.

(c) Pending investment of funds in the above required manner, the Trust shall invest the funds in short term money market instruments or other liquid instruments or both.

(d) After three years of the date of allotment of the units, the Trust may hold upto 20% of net assets of the Scheme in short term money market instruments and other liquid instruments to enable them to repurchase units of those unitholders who could be seeking to tender the units for repurchase.

2. Investment Policies

(i) No term loans will be advanced by this scheme.

(ii) The Trust shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in all cases of purchases, take delivery of relative securities and in all cases of sale, deliver the securities and shall in no case put itself in a position whereby it has to make short sale or carry forward transaction or engage in badla finance.

(iii) The Trust shall, get the securities purchased or transferred in the name of the Trust .

(iv) The scheme may consider to lend securities in accordance with the stock lending scheme of SEBI

(v) The scheme shall not make any investment in;
a) any unlisted security of an associate or group company of the Trust; or
b) any security issued by way of private placement by an associate or group company of the Trust; or
c) the listed securities of group companies of the Trust which is in excess of 25% of the net assets of all the schemes of the Trust.

(vi) The services of UTI Securities Exchange Limited (UTI SEL) a stock-broking firm and subsidiary of UTI may be utilised for securities transactions of the plan as per the policies and subject to the limits laid down by the Board of Trustees of the Trust. UTI SEL was set up in 1994. It is a high technology company offering fair transparent and efficient services to suit investors requirements. Its registered office is at Mumbai.

3. (i) List of schemes wherein companies have invested more than 5% of the net asset value of a scheme as on 30/06/98

Sr. No.	Scheme Name	Name of Company holding X 5% of scheme assets
1	US 95	State Bank of Mysore
2	IISFUS' 97	Hindustan Lever Ltd HDFC
3	UTI-MMF	SHCIL BOI MF UTI Bank Ltd. Bennet Coleman Co. Ltd.
4	UTI-IEF	IDBI ICICI ICRA
5	MIP 97 (IV)	Oriental Bank of Commerce HP State Co-op. Bank Ltd.
6	IISFUS 97(II)	State Bank of India
7	IISFUS 98	Union Bank of India State Bank of India The Peerless General Finance & Investment Co. Ltd.
8	UTI Bond Fund	Maharashtra Road Development Corporation Ltd. HDFC Bennet Coleman Co. Ltd.
9	Master Value Unit Plan	Bank of Maharashtra State Bank of Hyderabad Bank of Baroda State Bank of India IDBI
10	Master Index Fund	Bank of India Industrial Investment Bank of India Bank of Baroda Oriental Bank of Commerce State Bank of India IDBI

(ii) Investment made by that scheme or any other scheme of UTI in that company or its subsidiaries on an aggregate basis as on 30/06/98

Rs. crores

Company Name	Equity (Cost)	Debt (Cost)	Term Loan	Deposits	Total
Bank of Maharashtra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bennet Coleman Co. Ltd.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bank of Baroda	22.31	0.00	0.00	0.00	22.31
Bank of India	11.62	0.00	0.00	0.00	11.62
BOI MF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HDFC	276.27	150.00	0.00	60.00	486.27
Hindustan Lever Ltd.	961.35	5.73	0.88	0.00	967.96
HP State Co-op. Bank Ltd.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ICICI	249.89	1711.43	885.00	0.00	2846.32
ICICI Banking Corp. Ltd.(ICICI Subsidiary)	15.57	0.00	0.00	0.00	15.57
ICICI Securities & Finance Company Ltd. (ICICI Subsidiary)	0.00	34.70	0.00	67.00	101.70
ICRA	2.92	0.00	0.00	0.00	2.92
IDBI	361.02	1599.15	0.00	0.00	1960.17
Industrial Investment Bank of India	0.00	99.05	0.00	0.00	99.05
J & K Bank	2.63	0.00	0.00	0.00	2.63
Oriental Bank of Commerce	28.78	0.00	0.00	0.00	28.78
SHCIL	7.52	0.00	2.50	0.00	10.02
SIDBI (IDBI Subsidiary)	0.00	74.99	0.00	0.00	74.99
State Bank of Hyderabad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
State Bank of India	783.38	52.09	0.00	0.00	835.47
SBI Gilts. (SBI Subsidiary) $	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
State Bank of Mysore	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
State Bank of Travancore	0.62	10.17	0.00	0.00	10.79
The Peerless General Finance & Investment Co. Ltd.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Union Bank of India	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTI Bank Ltd.	111.40	0.00	0.00	0.00	111.40
TOTAL	2835.46	3737.31	888.38	227.00	7688.15

$ Investment in call deposit

4. However, notwithstanding anything contained in respect of clauses VIII and XI above, the valuation of assets, computation of NAV and their frequency of disclosure would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines/ Directives issued by SEBI from time to time.

3. Fundamental Attributes

'Fundamental attributes' mean the following.

a) Type of scheme : Master Equity Plan 1999 is a closed-end plan.

b) Investment objective : as provided under clause IX of this offer document.

c) Terms of issue : provisions in this offer document in respect of repurchase/redemption of units and expenses.

Any change in the fundamental attributes of the scheme will be carried out only with the consent of not less than three-fourths of the unitholders. Further in the event of a change in the fundamental attributes those who do not give their consent will be allowed to redeem their unitholdings in the scheme.

The Board may from time to time add to or otherwise amend this Scheme and the Plan made thereunder and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained.

Any amendment which is not amendment to fundamental attributes and which does not affect the interests of unitholders may be made, with the prior approval of SEBI.

X. INTER-SCHEME TRANSFERS

1. Transfer of investments from/to this scheme to/from another Scheme/Plan of the Trust shall be done only if–

   a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis.
   Explanation : 'spot basis' shall have the same meaning as specified by stock exchange for spot transactions.

   b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the Scheme/ Plan to which such transfer has been made.

   c) Transfer of unlisted or unquoted investments from/to the Plan to/from another Scheme/Plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

XI. ASSOCIATE TRANSACTIONS & BORROWINGS

1. The scheme may invest in another Scheme/Plan of the Trust or any other mutual fund without charging any fees, provided that aggregate interscheme investment made by all schemes of the Trust or in schemes under the management of any other asset management company shall not exceed 5% of the net asset value of the Trust.

2. The scheme shall not borrow except to meet temporary liquidity needs of the scheme for the purpose of repurchase, redemption of units or payment of interest or income to the unitholders.
   Provided that the scheme shall not borrow more than 20% of the net asset of the scheme and the duration of such a borrowing shall not exceed a period of six months.

3. As per clause 20 of the Unit Trust of India Act 1963 the Trust has the following borrowing powers :

   (i) The Trust may borrow, whether in India or outside India from any authority or person, not being Government or the Reserve Bank, against such security and on such terms and conditions as may be agreed upon.

   (ii) The Trust may borrow money from the Reserve Bank-
   (a) repayable on demand or on the expiry of a fixed period not exceeding ninety days from the date on which the money is so borrowed, against stocks, funds and securities (other than immovable property) in which a trustee is authorised to invest trust money by any law for the time being in force in India;

   (b) repayable on demand or within a period of eighteen months from the date on which the money is so borrowed, against the security of the bonds which the Trust may issue with the approval of the Central Government;

   (c) on such terms and conditions and against the security of such other property of the Trust as may be specified in this behalf by the Reserve Bank for the purposes of any scheme other than the first unit scheme :

   Provided that any amount borrowed under this clause and outstanding at any one time shall not exceed–
   (a) five crores of rupees in respect of each such scheme; and
   (b) ten crores of rupees in respect of all such schemes in the aggregate.

   (iii) The bonds issued by the Trust under sub-section (ii) shall be guaranteed by the Central Government as to the repayment of principal and the payment of interest at such rate as may be fixed by the Central Government at the time the bonds are issued.

XII. NAV DETERMINATION & VALUATION OF ASSETS

1. **Computation and disclosure of Net Asset Value (NAV) :**
The Net Asset Value of termining the value of the scheme's assets and subtracting the liabilities of the scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. The NAV (on historic basis) shall be issued to the press for publication six months from the commencement of the scheme i.e. on 1st October 1999 and thereafter on a weekly basis.

2. **Valuation of assets pertaining to this Scheme**

(a) Quoted investments including those under lock-in period but except government securities are valued at the closing market rates on the valuation date and in its absence, at the latest available quote within a period of sixty days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of sixty days prior to the valuation date, the same is treated as unquoted investment. Quoted government securities are valued at closing NSE market rates on the valuation date and in its absence the latest available quote within a period of seven days prior to the valuation date is considered for valuation. If no quotes are available for a period of seven days prior to the valuation date the same are treated as unquoted government securities.

(b) In case of quoted debentures and bonds, the market rate, being cum-interest, the same is adjusted for the interest element, if any.

(c) Right entitlements for shares are valued at market rates, discounted for dividend element, wherever applicable.

(d) Unquoted preference shares are taken at cost.

(e) Unquoted equity shares are valued on fair valuation basis as determined by the Board of Trustees.

(f) Unquoted debentures, bonds, term loans and transferable notes are valued at yield to maturity at the rates approved by the Board of Trustees.

(g) Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying equity shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil.

(h) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at the market rate relevant to equity shares, discounted for dividend element, if any. The non-convertible portion if any, of such debentures and bonds is valued as in (f) above. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is taken at cost.

(i) Money Market instruments and other assets are taken at book value.

(j) Unquoted Government Securities are valued at yield to maturity based on the prevailing interest rates.

(k) **Valuation policies for investments under Money Market Fund :-**

(i) The money invested in inter bank call market is taken at cost.

(ii) The money invested in discount/interest earning instruments is valued at the yield at which the instrument was last traded. For this purpose, a quote which is not more than two working days old is to be considered as valid. When there are no quotes available in the last two working days, the instrument is valued at cost plus the difference between the face value and the cost, applied uniformly over the remaining maturity of the instrument.

(iii) Other money market instruments, including unquoted debentures are valued at cost plus the difference between the face value and cost, applied uniformly over the remaining maturity of the instrument.

XIII. ACCOUNTING POLICIES

1. Income recognition

(a) Dividend Income on listed equity shares is accrued on the ex-dividend date. Dividend Income on unlisted equity shares and preference shares is accounted on receipt basis.

(b) Interest on investments and commitment charges is accounted for on accrual basis.

(c) Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost. Profit or loss and premium on redemption of debenture/bonds are recognised on the due date.

(e) Underwriting commission is recognised as revenue on receipt basis when there is no devolvement. In case of devolvement, the full underwriting commission is reduced from the cost of such investments.

(f) Front-end fee on investments in shares and debentures is reduced from the cost of such investments. Front-end fee on loans is recognised as income in the first year of disbursement.

(g) Other Income is accounted for on receipt basis.

(h) Please refer sub-clause 5. on 'Provisions and Depreciation'

2. Expenses

a. Expenses are accounted for on accrual basis.

b. Certain common expenses incurred under Unit Scheme 1964, are allocated to the other schemes as per the provisions of Sec 25 (4) of UTI Act 1963.

c. Unit Scheme 1964 which owns the fixed assets, recovers lease rent, on an approved basis, from other schemes for their usage of the said assets.

3. Deferred revenue expenditure

In accordance the provisions of Section 25 (3) of the Unit Trust of India Act, 1963, certain expenses are deferred as under :

Close Ended Schemes :

(i) The initial/rights issue expenses and commission to agents, incurred by the close ended schemes are written off equally over the tenure of the schemes.

(ii) Common expenses allocated to close ended equity oriented schemes in the year of launch, are written off equally over the tenure of the schemes.

(iii) When units are repurchased / bought-back, the deferred revenue expenses to be charged in that year, as also for the unexpired period, is suitably adjusted.

4. Investments

a. Investments are stated at cost or written down cost.

b. In case of secondary market transactions investments are recognised on trade dates.

c. Subscription to primary market issues is accounted as investments, on allotment.

d. Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ex-right dates.

e. Investment viz., debenture /bonds, loans and deposits are transferred to current assets on the redemption / due date.

f. The cost of investments include brokerage and service tax but does not include stamp fees which is charged to revenue.

5. Provisions and Depreciation :

(A) **Provisions against the income considered doubtful :**
Provision is made in respect of interest income remaining past due for two quarter or more. Provision is made at the immediately succeeding year end in case dividend remains outstanding for more than one year from the ex- dividend date.

(B) **Depreciation in the value of investments**

(i) The aggregate value of investments as computed in accordance with clause XII(2) above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to General Reserve / Unit Premium Reserve.

(ii) Where, in the opinion of the Board of Trustees, there is substantial impairment in the value of unquoted equity or preference shares, the cost of such shares is written off against Unit Premium/General Reserve/ Revenue Account as the case may be.

In cases, where in the opinion of the Board of Trustees, there is a substantial improvement in the quality of an investment written off in earlier years, the cost of same is written back to its original book value.

(iii) In respect of other investments viz., debentures and bonds, secured / unsecured transferable notes, term loans and deposits, if the interest payment thereon is past due for 180 days or more, the same are classified as non performing assets and provisions are made by charging to revenue account. These provisions are made for each non performing assets individually and not for other performing assets of the same company.

(iv) Provisions for non-performing assets are made on the basis of the period for which the assets remain non-performing, as under :-

Period for which asset remains non-performing	**Percentage of Provision**	
	Secured Asset	**Unsecured Asset**
Upto two years	10%	10%
Exceeding two years but upto three years	20%	100%
Exceeding three years but upto five years	30%	100%
Exceeding five years	50%	100%

(v) Where principal repayment remains outstanding (i) for 180 days beyond the past due period in respect of the debt instruments with a duration of not more than 3 years and (ii) for 365 days beyond the past due period in respect of debt instruments with a duration of more than 3 years, provision is made for such outstanding instalments. The overall provision for such assets is limited to the percentage mentioned in the above table (upto 50% for secured and 100% for unsecured assets) or the amount in default which ever is higher.
Any subsequent instalments in such cases where the original default continues, shall be provided after 30 days from the respective due dates.

(vi) In case of funding of interest by way of capitalisation of outstanding interest dues, the same is provided irrespective of the period of default.

(vii) Provisions for non performing assets are charged to unit premium reserve/general reserve/revenue account as the case may be.

(viii) Provisions made under paragraph 5(A) and 5(B) (vi) are written back on receipt basis. Provisions under 5(B) (v) are written back to the extent of receipt of instalment.

6. Buy-back of units :

The units of schemes, listed on stock exchanges which are bought back for redemption through open market operations are accounted for on trade dates. The difference between the acquisition cost and the face value is charged to the Revenue Appropriation Account.

7. Income Distribution :

Provision for income distribution is made at approved rates.
Provision for Income Distribution is also made on application money pending capitalisation under all schemes, except in respect of schemes where units are sold at a premium or discount to its face value. The income distribution on these schemes is charged to the Revenue Appropriation A/c in the year of capitalisation.

In respect of monthly income plans launched after 1st January 1997, where the income distribution is assured, the liability pertaining to cumulative option is provided for the period from April to March each year in the books of accounts.

8. Publication of Financial Results :

The unaudited financial results as on 31st December will be published within 2 months and audited annual results as on 30th June will be published within six months of finalisation of accounts in one English daily and one Marathi daily.

XIV. TAX TREATMENT OF INVESTMENTS

Under Section 88 of the Income Tax Act, 1961 investment made in the units of MEP'99 will qualify for tax reba e of 20% of the amount invested (subject to a maximum of Rs.10,000/-). In other words, 20% of the amount invested (subject to maximum of Rs.10,000/-) will be deductible from the tax payable, if any, by the investor. However, in case of an investor, whose income, derived from the exercise of his profession as a author, playwright, artist, musician, actor or sports person (including an athlete) is 25% or more of his total income, 25% of the amount invested not exceeding Rs.10,000/-, (i.e. upto Rs.2500) is eligible for deduction from the tax liability of the investor.

Any other income or capital gain from the units will be chargeable to tax as per prevalent tax laws. Currently, Income from units under all schemes of the Trust including MEP'99 will enjoy deduction from income upto an overall limit of Rs.15,000/- under section 80L of Income Tax Act 1961 and long term capital gains arising out of the Plan will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of Income Tax Act 1961.
Value of Investment in the scheme is fully exempt from Wealth Tax.
Deduction of Tax at Source, if any, will be as per the prevalent Tax laws.

Capital Gains Tax Exemption under Section 54EA

Investment of entire or part of net consideration arising out of transfer of long term capital assets in MEP'99 will be eligible for capital gains tax exemption under Section 54EA of the Income Tax Act, 1961 subject to availability of repurchase/transfer/pledge only after three years from the date of acceptance of the application.

Capital Gains Tax Exemption under Section 54EB

Investment of entire or part of capital gains arising out of transfer of long term capital assets in MEP'99 will be eligible for capital gains tax exemption under section 54EB of the Income Tax Act, 1961, subject to availability of repurchase/transfer/pledge only after seven years from the date of acceptance of the application.

However, investor availing tax exemption under Section 54EA/54EB will not be eligible to get tax rebate under Section 88 of Income Tax Act, 1961.

Gift Tax :

The Gift Tax Act 1958 has abolished the levy of Gift Tax in respect of Gifts made on or after 1st October 1998. Thus, Gifts of units of UTI are fully exempt from levy of Gift Tax without any upper limit. Accordingly, value of gifts of units under this plan after lock in period of three years, will be exempt from Gift Tax.

XV. INVESTORS' RIGHTS & SERVICES

1. Unitholders under the Plan have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of and to the income declared by the Plan.

2. The Unitholders have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the Unitholders.

3. The Unitholders have the right to have the unit certificates issued to them not later than 6 weeks from the date of closure of sale of units.

4. The Unitholders have the right to have the repurchase/redemption proceeds despatched to them within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of the application at the office where the repurchase requests are processed.

5. In the case of income declaration the unitholders have the right to have income worrants despatched within 42 days from the date of declaration of the income.

6. An abridged annual report in respect of the Master Equity Plan 1999 shall be mailed to all unitholders not later than six months from the date of closure of the relevant accounting year and the full annual report shall be available for inspection at the Central Investors' Relations Cell and a copy shall be made available to the unitholders on request on payment of nominal fee, if any.

7. The Unitholders have the right to inspect the following documents at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No.1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai 400020.
   - The UTI Act
   - The General Regulations
   - The agreements with the custodians, registrars and collecting banks.
   - Copy of Offer Document of Master Equity Plan 99.

8. Approval of unitholders shall be sought through a Postal Ballot in specified circumstances.

XVI. CONSTITUTION & MANAGEMENT OF UNIT TRUST OF INDIA

Constitution of UTI

Unit Trust of India was set up as a statutory body under Unit Trust of India Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

Management of UTI

The Management of the affairs and business of the Trust are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India.

Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman, the Executive Trustee and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

Board of Trustees

1.	Shri P S Subramanyam	Chairman, Unit Trust of India
2.	Dr. P J Nayak	Executive Trustee, Unit Trust of India
3.	Shri S Gurumurthy	Executive Director, RBI
4.	Shri G P Gupta	Chairman and Managing Director, Industrial Development Bank of India
5.	Shri N S. Sekhsaria	Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.
6.	Shri P R Khanna	Chartered Accountant
7.	Shri G Krishnamurthy	Chairman, L I.C.
8.	Shri N Vaghul	Chairman, ICICI Ltd
9.	Shri Rashid Jilani	Chairman & Managing Director, Punjab National Bank

* The other current directorships of the Trustees are as follows :

1. **Shri P S Subramanyam**–(i) Chairman–India Fund, (ii) Chairman–India Growth Fund, (iii) Chairman–UTI Investor Services Ltd., (iv) Chairman of Governing Council–Unit Trust of India–Institute of Capital Markets, (v) Chairman–UTI Securities Exchange Ltd., (vi) Chairman & Director–Over the Counter (OTC) Exchange of India (vii) Director–UTI Bank Ltd.

2. **Dr. P J Nayak**–(i) Member Governing Council–UTI–Institute of Capital Markets (ii) Director–Unit Trust of India Investor Services Ltd., Unit Trust of India Investment Advisory Services Ltd., Association of Mutual Funds of India & National Securities Depository Ltd.

3. **Shri G P Gupta**–(i) Chairman–Small Industries Development Bank of India, (ii) Director–The India Fund (iii) Director–India Growth Fund, (iv) Director–Discount and Finance House of India Ltd. (v) Director–Export–Import Bank of India, (vi) Director–Securities Trading Corpn.of India Ltd. , (vii) Director–Infrastructure Development Finance Co.Ltd., (viii) Member–Life Insurance Corpn.of India, (ix) Member– General Insurance Corpn.of India (x) Trustee–Unit Trust of India, (xi) Director–South Asia Regional Fund, (xii) Chairman–South Asia Development Fund, (xiii) Council Member–Indian Institute of Bankers, (xiv) Member–Bankers Training College (RBI), (xv) Member–Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (xvi) Member–Institute of Banking Personnel Selection (xvii) Member–The Institute of Company Secretaries of India

4. **Shri N S Sekhsaria**–Director–Shri Arbuda Mills Ltd., Gujarat Venture Finance Ltd., Radha Madhav Investments Ltd. & Gruh Finance Ltd.

5. **Shri P R Khanna**–Director–SBI Capital Markets Ltd., Modi Rubber Ltd., Telemecanique & Controls (India) Ltd., DCM Shriram Industries Ltd., Godfrey Phillips India Ltd., Indag Rubber Ltd., Toyo Mirrors Pvt. Ltd., Marketing Research Group Pvt. Ltd. & Sita Holidays Resorts Ltd.

6. **Shri G Krishnamurthy**–(i) Chairman–LIC (International) EC, LIC Housing Finance Ltd. & Jeevan Bima Sahayog Asset Management Company. (ii) Director–General Insurance Corporation of India, Kenindia Assurance Co. Ltd., Discount & Finance House of India, Indian Railway Finance Corporation, Industrial Credit and Investment Corporation of India & National Housing Bank.

7. **Shri N Vaghul**–(i) Chairman–Technology Development Information Company of India Ltd., Bangalore, Credit Rating Information Services of India Ltd., Indian Institute For Foreign Training, Kansbahal & 20th Century Venture Capital Corporation (ii) Director–Industrial Development Bank of India, Industrial Reconstruction Bank of India, Calcutta, Housing Development Finance Corpn. & Discount and Finance House of India Ltd.

8. **Shri Rashid Jilani**–(i) Director–Industrial Finance Corporation of India Ltd., Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation of India, Exim Bank of India, Agricultural Finance Corporation of India Ltd., Punjab State Industrial Development Corporation Ltd., Oriental Insurance Co Ltd , Small Industries Development Bank of India. Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi, National Institute of Bank Management, Pune, Indian Institute of Bankers & Indian Investment Centre, New Delhi (ii) Chairman–Indian Banks' Association (iii) Chairperson– Swift User Group–India (iv) Member–Swift–Asia Pacific Advisory Council.

Management of fund : *Shri B G Daga, Executive Director will be the fund manager.*
Qualifications : (i) M. Com, (ii) Govt.Commercial Diploma of Government of Maharashtra, (iii) Certified Corporate Secretary, Corporation of Secretaries, London, (iv) Associate International Accountant, Association of International Accountants, London, (v) Diploma in Cooperation, Indian Institute of Bankers, Mumbai and (vi) CAIIB.

Experience and Background–last 10 years : Executive Director (Department of Funds Management–Equity and market operations thereof. Department of International Finance and Equity Research Cell). Primary responsibility–Management of Equity/Growth oriented funds both domestic and offshore. Other responsibilities are Equity Research and Offshore fund structuring.

Designation/Department/Period	Responsibilities
Chief General Manager/ Operations/ April'95–Oct'97.	Management of domestic growth oriented Dept. of Market schemes
Chief General Manager/	Setting up of joint venture with State Street Dept.of Policty Planning/ Bank & Trust Co., Boston and an AMC In Oct.'94-March'95 Egypt.
Joint General Manager/ Chief General Manager/ Finance/February'91-Sep.'94	Fund Management and other related activities of India Fund and India Growth Dept.of International Fund. Servicing International Investors. Negotiation and Structuring of new offshore products/joint ventures. Setting up an Asset Management Company in Sri Lanka and guiding its Fund Management and Operations systems etc.
Deputy General Manager/ Investments/October'87-January'91 Exchange/Assistant Manager,	Primary Market Investment Finance & Assistant Controller of Foreign Administration of Foreign Exchange Regulation Act in all aspects with particular RBI/21-06-62 to 30-06-87 reference to foreign investment in India.

Prepared a Comprehensive report on impact of dilution of foreign equity in multinational companies in India. Participated in deliberations of the Informal Committee on valuation of shares for fixing premium for new issues and fixation of price for equity disinvestments by foreign investors (1997-1982)

XVII. OTHER SERVICE PROVIDERS FOR THE SCHEME

1. Custodians

Stock Holding Corporation of India situated at Mittal Court, B-Wing, Nariman Point, Mumbai 400 021, have been functioning as custodian for all our Schemes and Plans as per the agreement entered into with them on January 17, 1994.

The custodians are required to take delivery of all securities belonging to Schemes/Funds/Plans of the Trust and hold them in custody. The custodians will deliver the securities only as per instructions from the Trust and on receipt of the consideration. The custodian shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for discharge of normal custodial functions in connection with the sale, purchase, transfer and other dealings with the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust.

Custodians shall provide all information, reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliation of Securities belonging to the Schemes/ Funds / Plans of the Trust.

The SHCIL has applied for registration number.

The custody charges are as under :

Market operations at the rate of Rs.100/- per transaction (sales, purchase and primary markets)

The slabs for custody fees are as under :

Value of assets held	Basis point
Upto Rs.2000 crs.	12
between Rs.2000 crs. to Rs. 3000 crs.	11
between Rs.3000 crs. to Rs.4000 crs.	10
between Rs.4000 crs. to Rs. 5000 crs.	9
Above Rs. 5000 crs.	8

The effective rate for UTI since its holding falls above Rs.5000 crores is 8 basis points per annum. The total service charges payable on account of the transaction and custody with a ceiling of Rs.35 crores.

2. Auditors

M/s S.K. Kapoor & Co.,16/98 LIC Bldg., The Mall, Kanpur 208 001 and M/s. Chaturvedi & Company, Chartered Accountants, 60, Bentik Street, Calcutta 700 069. The auditors of the Scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.

3. Registrar and transfer agent

M/s MCS Ltd. - SEBI Registration No. INR000000056 have been appointed as the Registrar and Transfer agent.

It has ben ascertained that the Registrars have adequate capacity to discharge it responsibilities with regard to processing of applications, transfer forms, despatch of unit certificates within the prescribed time frame and also handle investor complaints.

Proceesing of applications and after sales services will be handled from the following office of the Registrars:

West Zone : (1) Sri Padmavathy Bhavan, Plot No.93, Road No.16, MIDC Area, Andheri (E) Mumbai 400 093 Tel. No. 820 1785, 820 1783.

(2) 101, Shatdal Complex, 1st floor, Ashram Road, Navrangpura, Ahmedabad- 380 009. Tel No. 658 2878/658 4027

East Zone : Sri Venkatesh Mangalam, 24/26 Hemant Basu Sarani, Calcutta 700 001. Tel No. 210 2805/06

South Zone : Sri Venkatesh Bhavan, 35 Armenian Street, Chennai 600 001, Tel. No. 524 0121/5223306

North Zone : Shree Venkatesh Bhavan, 212A, Shahpur jat, New Delhi 110 049. Tel. No. 649 4830/6494152.

4. Paying Bankers

State Bank of India will act as paying bankers on all India basis. UTI Bank will also act as a paying banker where ever the bank branch is available. Applications will be accepted by UTI Branch Offices, CR Collection Centres and Franchise Offices. Addresses of UTI branch offices is given on the last page. Addresses of CR Collection Centres and Franchise Offices are given in the application form.

Principal Business Addresses of the Banks :

Paying bankers	Addresses of the paying bankers
1. State Bank of India	Local Head Office, Bhadra Main Branch, Ahmedabad–380 001
2. State Bank of India	Calcutta Main Branch, 1, Strand Raod, Calcutta 700 001
3. State Bank of India	Chennai Main Branch, 22, Rajaji Salai, Chennai–600 001
4. State Bank of India	Mumbai Main Branch, Horniman Circle, Mumbai Samachar Marg, Mumbai 400 001
5. State Bank of India	New Delhi Main Branch, 11, Sansad Marg, New Dephi–110 001
6. UTI Bank Ltd.	'Sakar' Ground floor, Opp Gandhi Gram Rly Station, Off Ashram Road, Ahmedabad–380 009
7. UTI Bank Ltd.	"Lords", Ground floor, 7/1, Lord Sinha Road, Calcutta 700 071
8. UTI Bank Ltd.	No. 82, Dr. Radhakrishnan Salai, Chennai–600 004
9. UTI Bank Ltd.	Universal Bldg., P M Road, Mumbai–400 001
10. UTI Bank Ltd.	Kanchenjunga Bldg; Upper Ground Floor, 18, Barakhamba Raod, New Delhi–110 001

XVIII. INVESTOR GRIEVANCES REDRESSAL

1. All investors could refer their grievances giving full particulars of investment to concerned Investors' Relation Cell at the following addresses:

WESTERN ZONE :
Ms. Tanvi Upadhye
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Commerce Centre I, 28th Floor,
World Trade Centre, G D Somani Marg,
Cuffe Parade, Mumbai 400 005
Tel: 2180172/2153846

EASTERN ZONE :
Shri S L Chakrabarti
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
4, Fairlie Place
Calcutta 700 001
Tel: 2203045

SOUTHERN ZONE :
Ms. Shirin Ramprasad/Ms.Hari Priya S.
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
UTI-House, 29, Rajaji Salai,
Chennai 600 001
Tel: 5260146

NORTHERN ZONE :
Mr. B. Chakrabortty
Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Herald House,
IInd floor,
5A, Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi 110 002.
Tel.: 3315574/3329860

2. **Investor Complaints redressal record**
Complaints received, redressed and pending for the period the last three years are :

Period Received	No of Complaints	Redressed	Pending	Pending to Total Received
01-7-95 to 30-04-96	685997	651813	34184	4.98%
01-04-96 to 31-03-97	470169	447495	22675	4.82%
01-04-97 to 31-03-98	551929	539318	12611	2.28%

Schemewise details of complaints received, redressed and pending for the period 01/12/97 to 30/11/98 are given below :

PERIOD	NO. OF COMPLAINTS			PENDING TO
	RECEIVED	REDRESSED	PENDING	TOTAL RECD.
CCCF	887	843	44	4.96%
CGGF	5762	4307	1455	25.25%
CGS-83	129	100	29	22.48%
CGUS-91	1947	1914	33	1.69%
CRTS	190	184	6	3.16%
DIP-91	1707	1667	40	2.34%
DIUP-93	1122	687	435	38.77%
DIUP-95	750	742	8	1.07%
DIUS-90	549	534	15	2.73%
DIUS-91	502	473	29	5.78%
DIUS-92	888	849	39	4.39%
E.O.F	140	135	5	3.57%
GCGI	562	541	21	3.74%
GMIS-91	1681	1622	59	3.51%
GMIS-92	1834	1720	114	6.22%
GMIS-92(II)	1183	1013	170	14.37%

PERIOD	NO. OF COMPLAINTS			PENDING TO
	RECEIVED	REDRESSED	PENDING	TOTAL RECD.
GMIS-B-92	1755	1606	149	8.49%
GMIS-B-92(II)	1276	1185	91	7.13%
GRANDMASTER-93	935	914	21	2.25%
GRIHALAXMI UNIT PLAN	1951	1882	69	3.54%
HOUSING UNIT SCHEME	244	205	39	15.98%
IEF-97	182	180	2	1.10%
IISFUS-95/96/97	10	8	2	20.00%
MASTER INDEX FUND	31	30	1	3.23%
MASTERGAIN-92	41983	41687	296	0.71%
MASTERGROWTH-93	2705	2607	98	3.62%
MASTERPLUS-91	12544	11440	1104	8.80%
MASTERSHARE-86	19118	17567	1551	8.11%
MEP-91	2132	2063	69	3.24%
MEP-92	12722	12338	384	3.02%
MEP-93	14644	14429	215	1.47%
MEP-94	15974	15789	185	1.16%
MEP-95	8833	8541	292	3.31%
MEP-96	718	708	10	1.39%
MEP-97	397	384	13	3.27%
MEP-98	408	408	0	0.00%
MIP-93	1646	1343	303	18.41%
MIP-94(I)	1903	1842	61	3.21%
MIP-94(II)	1909	1777	132	6.91%
MIP-94(III)	2691	2667	24	0.89%
MIP-95	1062	1028	34	3.20%
MIP-95(II)	1595	1561	34	2.13%
MIP-95(III)	927	916	11	1.19%
MIP-96	850	835	15	1.76%
MIP-96(II)	793	763	30	3.78%
MIP-96(III)	1766	1746	20	1.13%
MIP-96(IV)	8317	8110	207	2.49%
MIP-97	3839	3766	73	1.90%
MIP-97(II)	5628	5482	146	2.59%
MIP-97(III)	2183	2097	86	3.94%
MIP-97(IV)	1949	1918	31	1.59%
MIP-97(V)	947	939	8	0.84%
MIP-98	1732	1599	133	7.68%
MIP98(II)	1348	1238	110	8.16%
MIP98(III)	324	244	80	24.69%
MIS-B-93	2958	2849	109	3.68%
MISG-90(I)	2826	2583	243	8.60%
MISG-90(II)	5598	5136	462	8.25%

PERIOD	NO. OF COMPLAINTS			PENDING TO
	RECEIVED	REDRESSED	PENDING	TOTAL RECD.
MISG-91	4072	3249	823	20.21%
UTI-NRI FUND	125	111	14	11.20%
OMNI-PLAN	66	62	4	6.06%
PRIMARY EQUITY FUND	1449	1406	43	2.97%
RAJLAKSHMI UNIT PLAN	3469	3407	62	1.79%
RETIREMENT BENEFIT PLAN	1505	1402	103	6.84%
SENIOR CITIZEN UNIT PLAN	1269	1226	43	3.39%
UGS 10000	431	417	14	3.25%
UGS-2000	5860	5675	185	3.16%
UGS-5000	2957	2840	117	3.96%
ULIP	12997	12079	918	7.06%
US-64	62909	57366	5543	8.81%
US-92	3630	3530	100	2.75%
UTI-BOND FUND	74	71	3	4.05%
TOTAL	311999	294582	17417	5.58%

Reasons for complaints are :

(i) Non-receipt of application/funds from the collecting banks.
(ii) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor.
(iii) Change of address of investor not informed/not updated.
(iv) Loss in transit.
(v) Postal delay.
(vi) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase.
(vii) Incomplete details while forwarding the complaints.
(viii) Non-receipt/ Delayed receipt of commission.
(ix) Letters/Documents sent to the wrong office/Registrars.

XIX. PENALTIES, PENDING LITIGATIONS, MATERIAL FINDINGS OF INSPECTIONS/ INVESTIGATION

1. There are no cases relating to penalties awarded by SEBI under the SEBI Act or any of its regulations or by any Stock Exchanges (where the units of the schemes of UTI are listed) against the Unit Trust of India/Board of Trustees, or any of the Trustees or key personnel (specifically the fund managers).

2. There are no pending material litigation proceedings incidental to the business of the Unit Trust of India including the Board of Trustees or any of the trustees or key personnel.

3. There are no enquiry/adjudication proceedings under the SEBI Act and the Regulations made thereunder, against Unit Trust of India, Board of Trustees/Trustee or key personnel.

XX. CONDENSED FINANCIAL INFORMATION

(i) Unit Scheme 1964 had an outstanding unit capital of Rs. 15629.70 crore as on 30th June, 1998. The total investible funds of the scheme on the same date stood at Rs. 21371.96 crore. During the year 1997-98 the scheme earned gross income of Rs. 3340.51 crore and net income of Rs. 3221.59 crore. Income distribution at 20% amounting to Rs. 3125.94 crore was made out of net income earned during the year. As on 30th June, 98 after providing Rs. 3566.04 crore towards portfolio depreciation, the Unit Premium Reserve/General Reserve showed a debit balance of Rs. 1098.49 crore.

Management's Perception : The Reserves Account of US64 has shown a notional negative balance as on 30th June, 1998 due to the sharp and sudden notional depreciation in the value of the investments which were charged off to the Reserves Account. The fall in the equity values is attributable to the sluggish stock market conditions and other adverse external events, including US sanctions. The Trust feels that the sudden and sharp fall is a market aberration and that the current market prices of several shares are far below their long-term worth. As market corrections take place in due course, the position of the Reserves Account would improve

(ii) The following schemes have shortfalls as on 30-06-1998 : CGGF [Rs. 116.22 Crs.] ; RUS [Rs. 198.30 Crs.]; and RUP(II) [Rs. 58.40 Crs.] mainly due to sluggish stock market conditions resulting in notional depreciation in the equity portfolio of these schemes.

Management's Perception : With improvement in market conditions the underlying scrips are expected to discover their fair prices reversing the notional depreciation. Further, active trading in debt and equity is expected to add value.

(iii) HISTORICAL PER UNIT STATISTICS

Scheme (Date of Allotment)	RUP(II) (01.07.94) @@				GUP (06.08.94) @@				MIP-94(III) (01.01.95)			
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	9.86	11.10	12.35	10.00	10.16	10.70	10.05	10.00	9.47	9.61	9.69
2. Net Income Per Unit	-0.14	1.04	0.84	1.07	0.16	0.99	0.47	1.33	0.10	1.17	1.17	1.10
3. Dividends (%) p.a	-	-	-	-	-	14.00	10.00	12.00	★ 12.00	★ 13.00	13.00	★ 12.50
4. Transfer to Reserves (if any)	-	-	-	2.24	-	-	-	0.20	-0.53	0.13	0.09	0.04
5. NAV At The End Of The Year	9.86	11.10	12.35	11.87	10.16	10.70	10.05	9.67	9.47	9.61	9.69	*13.97 ~ 8.51
6. Annualised Return (%)	-1.35	5.52	7.82	4.68	1.74	11.03	8.44	8.37	1.46	5.75	8.97	*11.36% ~ 9.33%
7. Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	104.07	220.09	307.50	406.26	100.08	135.45	132.38	115.73	697.94	693.10	682.38	655.78
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.036	0.022	0.011	0.012	0.034	0.037	0.005	0.005	0.007	0.007	0.120	0.008

★ 12% upto 31.12.95; 13% 01.01.96 - 31.03.98 * Cumulative Option ~ Non Cumulative Option @@ Date of launch

Scheme (Date of Allotment)	RBUP (26.12.94) @@				MEP-95 (31.03.95)				US-95 (02.01.95)@@			
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	9.71	11.63	13.90	10.00	9.61	11.57	11.34	100.00	99.96	102.75	98.70
2. Net Income Per Unit	-0.03	1.17	1.42	1.86	-0.39	0.68	0.14	0.29	2.62	15.94	9.36	15.15
3. Dividends: (%) p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	13.50	12.50	13.50
4. Transfer to Reserves (if any)	-	-	-	3.80	-	-	-	0.71	-	-	-	1.68
5. NAV At The End Of The Year	9.71	11.63	13.90	14.32	9.61	11.57	11.34	8.98	99.66	102.75	98.70	96.11
6. Annualised Return (%)	-5.62	10.78	15.52	12.31	-15.64	12.51	5.97	-3.15	11.54	14.90	12.31	10.19
7. Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	24.42	72.73	122.43	152.55	1114.09	1339.13	1312.78	883.63	173.42	209.19	119.70	96.11
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.034	0.009	0.007	0.010	0.003	0.005	0.004	0.013	0.005	0.002	0.002	0.0017

@@ Date of launch

Scheme (Date of Allotment)	PEF-95 (01.08.95) @@				MIP-95 (01.07.95)			
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	9.95	12.28	12.45	10.00	10.05	10.35	10.74
2. Net Income Per Unit	-0.14	0.67	0.35	0.15	0.05	1.33	1.12	1.11
3. Dividends: (%) p.a.	-	-	-	-	-	13.00	14.00	★ 12.50
4. Transfer to Reserves (if any)	-	-	-	1.42	0.05	0.24	0.11	0.18
5. NAV At The End Of The Year	9.95	12.28	12.45	9.40	10.05	10.35	10.74	*13.80 ~ 8.98
6. Annualised Return (%)	-	24.87	12.79	-2.06	-	16.54	17.18	*12.67 ~ 11.18
7. Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	174.23	223.40	227.61	117.49	539.45	577.74	574.73	539.53
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.028	0.012	0.004	0.017	0.001	0.007	0.008	0.008

★ 14.00% upto 31.03.98 * Cumulatve Option ~ Non Cumulative Option @@ Date of launch

Scheme (Date of Allotment)	MIP-95 (II) (01.09.95)			IISFUS-95 (01.10.95)			DIP-95 (01.10.95)			MEP-96 (31.03.96)		
	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	10.89	11.42	10.00	11.00	10.59	10.00	12.06	13.70	10.00	12.00	12.59
2. Net Income Per Unit	1.22	1.30	1.45	1.42	1.58	1.20	1.24	1.43	1.25	0.13	0.14	0.02
3. Dividends: (%) p.a.	★ 13.50	★ 14.00	★ 12.50	15.00	15.00	15.00	–	–	26.00	–	–	-
4. Transfer to Reserves (if any)	0.35	0.31	0.48	–	–	0.07	1.24	1.43	0.51	–	–	0.31
5 NAV At The End Of The Year	10.89	11.42	* 14.42 ~ 9.71	11.00	10.59	10.77	12.06	13.70	$ 11.12 * 14.64	12.00	12.59	10.94
6. Annualised Return (%)	24.27	21.53	* 15.62 ~ 13.79	28.40	18.38	17.81	27.48	21.16	$ 13.54 * 16.89	80.20	20.70	4.20
7. Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	365.24	366.14	346.75	195.45	182.60	188.93	120.82	134.87	130.07	235.94	247.35	214.70
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.008	0.011	0.011	0.005	0.006	0.005	0.009	0.008	0.010	0.006	0.007	0.009

★13.50% upto 31.08.96; 14.00% 01.09.96 - 31.03.98 ; 14.00% upto 31.03.98 * Cumulative Option ~ Non Cumulative Option $ Defered Income Option

Scheme (Date of Allotment)	MIP-95(III) (01.01.96)			MIP-96 (01-05-96)			MIP-96(II) (01.07.96)			EOF (01.07.96)		
	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	10.98	11.80	10.00	10.29	11.05	10.00	9.96	11.23	10.00	9.98	10.66
2. Net Income Per Unit	0.79	1.44	1.60	0.24	1.35	1.17	0.02	1.24	1.56	-0.02	0.46	0.28
3. Dividends: (%) p.a.	14.00	14.00	★ 12.50	14.50	14.50	^ 13.00	15.00	15.00	↔ 13.00	-	-	-
4. Transfer to Reserves (if any)	0.15	0.43	0.63	-0.14	0.28	0.12	-0.11	0.13	0.50	-	-	0.89
5. NAV At The End Of The Year	10.98	11.80	*14.88 ~ 10.04	10.29	11.05	* 14.09 ~ 9.77	9.96	11.23	* 13.94 ~ 10.19	9.98	10.66	8.64
6. Annualised Return (%)	33.81	26.39	* 19.55 ~ 15.29	32.37	23.49	* 18.90 ~ 14.78	-	27.34	* 19.73 ~ 17.35	-	6.62	-6.83
7. Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	443.59	458.39	442.31	238.24	250.67	235.46	385.61	417.80	415.79	33.34	26.10	19.38
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.006	0.010	0.010	0.004	0.011	0.011	0.003	0.010	0.010	0.003	0.015	0.002

Cumulative Option ~ Non Cumulative Option ★ 14% upto 31.03.98. ^ 14.50% upto 31.03.98 ↔ 15% upto 31.03.98.

Scheme (Date of Allotment)	MMMF (23.04.97)		MIP-96(III) (01.10.96)		DIP-91 (15.10.96)		IISFUS-96 (01.01.97)		MIP-96(IV) (01.01.97)		MEP-97 (31.03.97)	
	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98
1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	10.17	10.00	11.04	10.00	11.52	10.00	11.09	10.00	10.71	10.00	12.09
2. Net Income Per Unit	0.14	0.74	0.90	1.44	1.18	1.41	1.01	1.42	0.67	1.31	0.11	0.71
3. Dividends: (%) p.a.	-	-	15.00	* 13.00	15.00	15.00	16.00	16.00	15.00	* 13.00	-	-
4. Transfer to Reserves (if any)	-	0.79	-0.08	0.37	0.75	1.17	0.05	-0.16	0.02	0.27	-	0.82
5. NAV At The End Of The Year	10.17	11.2316	11.04	* 13.30 ~ 10.13	11.52	@ 9.23 $ 12.65 & 13.17	11.09	10.60	10.71	* 12.01 ~ 13.46	12.09	9.70
6. Annualised Return (%)	9.17	10.41	29.06	* 18.91 ~ 17.36	36.57	@ 12.12 $ 15.53 & 18.57	38.25	19.42	29.61	* 9.45 ~ 13.23	83.99	-2.37
7. Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	37.99	105.39	416.50	413.56	241.41	254.44	206.50	174.06	891.29	841.61	88.69	71.14
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.001	0.002	0.008	0.010	0.007	0.009	0.003	0.003	0.007	0.011	0.006	0.011

* Cumulative Option ~ Non Cumulative Option $ Defered Income Option @Dividend Option & Capital Growth Option
* 15% upto 31.03.98 ~ 15% upto 31.03.98

Scheme (Date of Allotment)	MIP-97 (01.05.97)		MIP-97(II) (01.07.97)		IISFUS-97 (01.07.97)		IEF (01.08.97)		MIP-97(III) (01.09.97)	MIP-97 IV) (01.11.97)
	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98	1996-97	1997-98	1997-98	1997-98
1. NAV At The Beginning Of The Year	10.00	10.32	10.00	10.09	10.00	10.14	10.00	10.00		
2. Net Income Per Unit	0.25	1.02	0.11	1.08	0.12	1.07	0.00	0.10	0.84	0.81
3. Dividends: (%) p.a.	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00	-	-	13.00	12.50
4. Transfer to Reserves (if any)	-0.06	-0.29	0.03	-0.08	-	-0.49	-	0.10	- 0.26	0.01
5. NAV At The End Of The Year	10.32	* 9.31 ~ 9.06	10.09	* 9.50 ~ 9.25	10.14	9.48	10.00	9.33	* 9.70 ~ 9.38	* 9.99 ~ 9.53
6. Annualised Return (%)	33.44	* 5.09 ~ 8.96	-	* 5.52 ~ 10.03	-	9.83	-	-07.30	* 5.54 ~ 9.52	* 7.74 ~ 10.24
7. Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	1195.73	1118.75	1462.16	1478.46	685.15	640.48	31.28	30.91	829.79	924.40
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.006	0.012	0.001	0.011	0.000	0.005	0.001	0.017	0.011	0.007

* Cumulative Option ~ Non Cumulative Option

Scheme (Date of Allotment)	MIP-97 (V) (01.01.98)	MEP-98 (31.03.98)	IISFUS-97 (II) (01.02.98)	MIP 98 (01.04.98)	MIP 98 (II) (01.06.98)	NRI FUND (01.06.98)	IISFUS 98 (01.06.98)	UGS 10000 (01.06.98)	UBF (01.07.98)
	1997-98	1997-98	1997-98	1997-98	1997-98	1997-98	1997-98	1997-98	1997-98
1. NAV At The Beginning Of The Year									
2. Net Income Per Unit	0.70	0.23	0.60	0.31	0.03	0.04	0.08	-0.41	-0.07
3. Dividends: (%) p.a.	11.75	–	12.75	12.50	12.50	13.50	13.50	–	–
4. Transfer to Reserves (if any)	0.27	0.23	-0.07	-0.02	-0.07	-0.06	-0.18	-0.41	-0.07
5. NAV At The End Of The Year	* 9.98 $$ 10.27 ~ 9.71	8.35	9.74	*9.95 $$ 9.89 ~ 9.30	9.75	9.97	9.64	9.57	9.93
6. Annualised Return (%)	* 5.56 $$ 5.47 ~ 11.96	-66.95	5.14	*-2.03 $$ -4.46 ~ -3.04	–	–	–	–	–
7. Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	475.12	18.06	656.31	928.05	770.12	63.45	944.49	67.40	136.39
8. Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.008	0.012	0.004	0.01	0.00	0.01	0.00	0.05	0.01

* Cumulative Option ~ Non Cumulatve Option $$Annual option **@@ For open ended schemes date of launch is given.**

iv) There are no instances of borrowing by schemes of the Trust.

Historical per unit statistics contd.

Scheme	NAV as on 30.11.98	Annualised Return (%)
GUP *	9.93	8.20
RUP(II)	11 95	4.41
MIP-94(III)	*14.28	* 10.93
	~ 8.15	~ 7.94
RBUP *	14.73	12.07
MEP-95 *	8 25	-5.12
US-95 *	100.59	10.28
PEF-95 *	8.62	-3.98
MIP-95	*14.36	* 12 75
	~ 8.80	~ 9.89
MIP-95 (II)	*14.81	* 14.80
	~ 9.43	~ 11.79
IISFUS-95 *	11.32	17.27
DIP-95	$11 21	$ 13.92
	* 14 81	* 15.19
MEP-96 *	10.19	0.71
MIP-95(III)	* 14 92	* 16.88
	~ 9.85	~ 13.15
MIP-96	* 14 03	* 15.60
	~ 9 49	~ 12.14
MIP-96(II)	* 14.15	*17.17
	~ 9 76	~13.46
EOF *	7.75	-10.07
MMMF &&	11.4437	11.12
MIP-96(III)	* 13 02	*13.95
	~ 9 34	~ 11.35
DIP-91	@ 9.68	@ 13.84
	$ 12.67	$ 15.30
	& 13.21	& 15.10
IISFUS-96 *	11 03	17.54
MIP-96(IV)	* 12.26	* 11.82
	~ 9.08	~ 9 53
MEP-97 *	8 68	-8.20
MIP-97	* 9.47	* 4.76
	~ 8.60	~ 5.16
MIP-97(II)	* 9.71	* 5 37
	~ 8 85	~ 5.88
IISFUS-97 *	9 72	8.70
IEF *	10 30	2.13
MIP97(III)	* 10 17	* 7.44
	~ 9 28	~ 7.26
MIP97(IV)	* 10.32	* 7.79
	~ 9 30	~ 6.06
IISFUS-97(II) *	10.09	6.88
MIP97(V)	* 10 15	* 4.87
	≈ 10.44	≈ 4.82
	** 9.39	** 5.12
MEP98 *	7 92	-29.96
MIP98	* 10.31	* 4.66
	≈ 10 25	≈ 3 76
	** 9 43	**3.95

* Cumulative Option ~ Non-Cumulative Option @ Dividend Option
≈ Deferred Option & Capital Growth Option ≈ Annual Option
** Monthly Option * NAV as on 25.11 98 && NAV as on 2.12 98

XXI. DUE DILIGENCE

Due Diligence Certificate submitted to SEBI for MEP 99

It is confirmed that :

I. the draft offer document forwarded to Securities and Exchange Board of India is in accordance with the SEBI (Mutual Funds)Regulations, 1996 and the guidelines and directives issued by SEBI from time to time;

II. all legal requirements connected with the launching of the scheme as also the guidelines, instructions, etc. issued by the Government and any other competent authority in this behalf, have been duly complied with.

III. the disclosures made in the offer document are true, fair and adequate to enable the investors to make a well informed decision regarding investment in the proposed scheme;

IV. all the intermediaries named in the offer document are registered with SEBI and till date such registration is valid.

Date: 30-11-1998 Name: B.S. PANDIT

sd/-

Place : Mumbai Signature Compliance Officer

With seal:

For and on behalf of the Board of Trustees of the Unit Trust of India

sd/-
(A.N.Palwankar)
Executive Director
Business Development & Mktg.
1-12-1998
Mumbai

CORPORATE OFFICE

13, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai - 400 020. (206 8468

ZONAL OFFICES

Western Zone : Commerce Centre-1, 28th Flr., World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai - 400 005. ☎ 218 1600. **Eastern Zone :** 4, Fairlie Place, Calcutta - 700 001. ☎ 220 3045/46. **Southern Zone :** UTI-House, 29, Rajaji Salai, Chennai - 600 001. ☎ 517 101. **Northern Zone :** Jeevan Bharati, 13th Flr., Tower II, Connought Circus, New Delhi - 110 001. ☎ 332 9860.

BRANCH OFFICES UNDER WESTERN ZONE JURISDICTION

Ahemedabad : B.J.House, 2nd, 3rd & 4th Flr., Ashram Marg, Ahemedabad - 380 009. ☎ 6583043. Baroda : 'Meghdhanush', 4th & 5th Flr., Transpek Circle, Race Course Marg, Baroda - 390 015. ☎ 336962. Bhopal : 1st Flr., Ganga Jamuna Commercial Complex, Plot No.202, Maharana Pratap Nagar, Zone - 1, Scheme - 13, Habeeb Ganj, Bhopal - 462 001. ☎ 558 308. Indore : City Centre, 2nd Flr., 570, M.G.Marg, Indore - 452 001. ☎ 535607. Mumbai : (1) Unit No.2, Block 'B', Gulmohor Cross Marg No.9, Andheri (W), Mumbai - 400 049. ☎ 6201995 Mumbai : (2) Persepolis Bldg., 3rd Flr., Above Andhra Bank, Sector - 17, Vashi, Navi Mumbai - 400 703. ☎ 7-672607. Mumbai : (3) Lotus Court Bldg., 196, Jamashedji Tata Marg, Backbay Reclamation, Mumbai - 400 020. ☎ 285 0821. Mumbai : (4) Shraddha Shopping Arcade, 1st Flr., S.V.Marg, Borivili (W), Mumbai - 400 092. ☎ 898 0521. Mumbai : (5) Sagar Bonanza, 1st Flr., Khot Lane, Ghatkopar (W), Mumbai - 400 086. ☎ 516 2256. Kolhapur : Ayodhya Towers, C.S.No.511, KH-1/2 'E' Ward, Dabholkar Corner, Station Marg, Kolhapur - 416 001. ☎ 657 315. Nagpur : Shree Mohini Complex, 3rd Flr., 345, Sardar Vallabhbhai Patel Marg, Nagpur - 440 001. ☎ 536 893. Nasik : Sarda Sankul, 2nd Flr., M.G.Marg, Nasik - 422 001. ☎ 572166. Panaji : E.D.C.House, Ground Flr., Dr. A.B.Marg, Panaji, Goa, 403 001. ☎ 222 472. Pune : Sadashiv Vilas, 3rd Flr., 1183, Fergusson College Marg, Shivajl Nagar, Pune - 411 005. ☎ 325 954. Rajkot : Lallubhai Centre, 3rd Flr., Lakhaji Raj Marg, Rajkot - 360 001. ☎ 235112. Surat : Saifee Bldg., Dutch Marg, Nanpura, Surat - 395 001. ☎ 474 550. Thane : UTI House, Station Marg, Thane (W) - 400 601. ☎ 540 0905.

BRANCH OFFICES UNDER EASTERN ZONE JURISDICTION

Bhubaneshwar : QCHC Bldg., 1st & 2nd Flr., 24, Janpath, Kharvela Nagar, Nr. Ram Mandir, Bhubaneshwar - 751 001. ☎ 410 995. Calcutta : 4, Fairlie Place, Calcutta - 700 001. ☎ 220 3045/46. Durgapur : 3rd Administrative Bldg., 2nd Flr., Asansol Durgapur Dev. Authority, City Centre, Durgapur - 713 216. ☎ 546831. Guwahati : Hindustan Bldg., 1st Flr., M.L.Nehru Marg, Panbazar, Guwahati - 781 001. ☎ 543131. Jamshedpur : 1-A, Ram Mandir Area, Gr. & 2nd Flr., Bistupur, Jamshedpur - 831 001. ☎ 425 508. Patna : Jeevan Deep Bldg., Gr. & 5th Flr., Exhibition Marg, Patna - 800 001. ☎ 235 001. Siliguri : Jeevan Deep, Ground Flr., Gurunanak Sarani, Siliguri - 734 401. ☎ 424671

BRANCH OFFICES UNDER SOUTHERN ZONE JURISDICTION

Bangalore : Raheja Towers, 26-27, 12th Flr., West Wing, MG.Marg, Bangalore - 560 001. ☎ 5595691. Cochin : Jeevan Prakash, 5th Flr., M.G.Marg, Ernakulam - 682 011. ☎ 362 354. Coimbatore : Cheran Towers, 3rd Flr., 6/25 Arts College Marg, Coimbatore - 641 018. ☎ 214 973. Hubli : Kalburgi Mansion, 4th Flr., Lamington Marg, Hubli - 580 020. ☎ 363 963. Hyderabad : 1st Flr., Surabhi Arcade, 5-1-664, 665, 669, Bank Street, Hyderabad - 500 195. ☎ 4611 095. Chennai : UTI House, 29, Rajajl Salai, Chennai - 600 001. ☎ 517 101. Madural : Tamil Nadu Sarvodaya Sangh Bldg., 108, Thirupparakundram Marg, Madurai - 625 001. ☎ 738186. Mangalore : Siddhartha Bldg., 1st Flr., Bal-Matta Marg, Mangalore - 575 001. ☎ 426 290 Thiruvananthapuram : Swastik Centre, 3rd Flr., M.G.Marg, Thiruvananthapuram - 695 001. ☎ 331415. Trichy : 104, Salai Marg, Woraiyur, Tiruchirapalli - 620 003. ☎ 760060 Trichur : 28/700 West Pallithamam Bldg., Karunakaran Nambiar Marg, Round North, Trichur - 680 020. ☎ 331259. Vijaywada : 27-37-156, Bunder Marg, Next to Hotel Manorama, Vijaywada - 520 002. ☎ 571134. Vishakhapatnam : Ratna Arcade, 3rd Flr., 47/15/3, Station Marg, Dwarkanagar, Vishakhapatnam - 530 016. ☎ 548121.

BRANCH OFFICES UNDER NORTHERN ZONE JURISDICTION

Agra : Ground Flr., Jeevan Prakash, Sanjay Place, Mahatma Gandhi Marg, Agra - 282 002. ☎ 54408. Allahabad : United Towers, 3rd Flr., 53, Leader Marg, Allahabad - 211 003. ☎ 400521 Amritsar : Shri Dwarkadhish Complex, 2nd Flr., Queen's Marg, Amritsar - 143 001. ☎ 64388. Chandigarh : Jeevan Prakash, LIC Bldg., Sector 17-B, Chandigarh - 160 017. ☎ 703683. Dehradun : 2nd Flr., 59/3, Rajpur Marg, Dehradun 248 001. ☎ 746720 Faridabad : B-614-617, Nehru Ground, NIT, Faridabad - 121 001. ☎ 219156 Ghaziabad : 41, Navyug Market, Near Singhani Gate, Ghaziabad - 201 001. ☎ 790366. Jaipur : Anand Bhavan 3rd Flr., Sansar Chandra Marg, Jaipur - 302 001. ☎ 365 212. Kanpur : 16/79-E, Civil Lines, Kanpur - 208 001. ☎ 317 278 Lucknow : Regency Plaza Building, 5, Park Marg, Lucknow - 226 001. ☎ 238502. Ludhiana : Surya Kiran Phase II,92,The Mall, Ludhiana - 141 001. ☎ 441264 New Delhi : Daily Tej , 3rd floor, 8 Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110 002. ☎ 331 8638. Shimla : Flat No 401,402,403,405 Mukesh Apts,Fingask Estate,Near Hotel Sheel,Shimla - 171 002. ☎ 257803 Varanasi : 1st Flr., D-58/ 2A-1, Bhawani Market Rathyatra, Varanasi - 221 001. ☎ 358306.

UNIT TRUST OF INDIA

UT/DBDM/R-1 /2 /SPD-[illegible]/98-99 **31 MARCH, 1999**

The Offer Document of Institutional Investor's Special Fund Unit Scheme 1998(II) [IISFUS 98(II)] formulated under section 21 of the Unit Trust of India Act 1963, (52 of 1963) approved in the Executive Committee Meeting held on 24th July, 1998 is published herebelow.

A G JOSHI
CHIEF GENERAL MANAGER
BUSINESS DEVELOPMENT AND MARKETING

UNIT TRUST OF INDIA

INSTITUTIONAL INVESTORS' SPECIAL FUND UNIT SCHEME 1998 (II) [IISFUS '98(II)]

OFFER DOCUMENT

OFFER OPEN FROM NOVEMBER, 2 1998 TO DECEMBER 12, 1998

This unit scheme has been formulated in accordance with section 21 of the Unit Trust of India Act 1963, (52 of 1963) by the Board of Trustees of UTI. This offer document sets forth concisely the information about the scheme that a prospective investor ought to know before investing. The offer document should be retained for future reference.

The scheme particulars have been prepared in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, as amended till date, and filed with SEBI and the units offered for subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has SEBI certified on the accuracy or adequacy of the Offer Document.

OBJECTIVE OF THE SCHEME

This is a five year close ended income oriented scheme which allows exit after three years at NAV based price. The scheme is for institutional investors who want to invest large amounts in an exclusive scheme.

HIGHLIGHTS

★ Minimum investment is Rupees Ten Lakhs with no maximum limit. Face value of units is Rs. 10/-.

★ Open to eligible Trusts including Charitable and Religious Trusts, Societies registered under Societies Registration Act, 1860, Any other body either established or controlled by or under a State or Central Act, Army/Air force/Navy/ Paramilitary Fund, Any other Institution/Corporate Body (including companies)/ Public Sector Undertakings, Regional Rural Banks, Urban Co-operative banks and Other Commercial Banks/Partnership Firms.

★ The Scheme offers two options 1) Annual Income Option 2) Cumulative Option

★ Under Annual Income option the Trust shall pay an assured income of 14 % p.a. payable annually for all the five years of the scheme. In the event of any shortfall in meeting the assured return the same will be met out of the Development Reserve Fund.

★ Under cumulative option income will be cumulated at 14% per annum. However, the maturity amount will depend upon the tax deductible at source, wherever applicable, as stipulated by the Income Tax Act 1961 in respect of income declared and accumulated each year on the cumulated amount.

★ The units of the scheme shall be listed on wholesale debt segment of NSE within six months from the date of closure of the subscription.

★ Repurchase allowed after three years, from 1st January 2002 at NAV based price.

★ It is guaranteed that the capital invested in the scheme will be protected on maturity i.e. units will not be redeemed below par. The Development Reserve Fund (DRF) of the Trust will guarantee this capital protection. There is no such guarantee for premature repurchase(i.e. before maturity of the scheme) and the re, rchase price in such cases will be as per prevailing NAV. There is scope for capital appreciation as a part of investment will be in equities.

★ Capital gains tax exemption under section 54 EA of the Income Tax Act, 1961.

II. DEFINITIONS

In the Scheme, unless the context otherwise requires :-

(a) "Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Unit Trust for repurchase of units by the Unit Trust means the day on which the Unit Trust after being satisfied that such application is in order, accepts the same; the contract for sale of units by the Unit Trust shall be deemed to have been concluded on acceptance date i. e. date of realisation of cheque

(b) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963);

(c) "Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and who makes an application under Clause IV of the scheme.

(d) "Eligible Trust" means a Trust as defined in the Unit Trust of India General Regulations 1964.

(e) "Firm", "partner" and "partnership" have the meanings assigned to them in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932), but the expression partner shall also include any person who being a minor is admitted to the benefits of the partnership.

(f) "Listed" means the listing of units issued under the scheme for the purpose of trading on the whole sale debt segment of NSE.

(g) "Number of units in issue" means the aggregate of the number of units sold and remaining outstanding.

(h) "Person" shall include an eligible trust as defined above.

(i) "Regulations" means the Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43(1) of the Act;

(j) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).

(k) "Society" means a society established under the Societies Registration Act of 1860 or any other society established under any State or Central law for the time being in force.

(l) "Trading" means the dealing in by buying or selling units through the stock exchange after the first allotment of units.

(m) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees Ten in the unit capital pertaining to this Scheme;

(o) "Unit Capital" means the aggregate of the face value of units sold under the scheme and outstanding for the time being.

(p) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.

(q) All other expressions not defined herein but defined in the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/Regulations

III. RISK FACTORS

- Mutual Funds and securities investments are subject to market risks. The guarantee of capital protection is not available to investors who repurchase prematurely before the maturity of the scheme and repurchase price in such cases will depend on the NAV.
- As with any investment in securities, the NAV of the units issued under the scheme can go up or down depending on the factors and forces affecting the capital markets.
- Performance of previous schemes is not necessarily an indication of future results.
- Institutional Investors Special Fund Unit Scheme 1998(II) is only the name of the scheme and does not in any manner indicate the quality of the scheme.
- Like in all close ended schemes there is a risk of infrequent trading and possibility of market price of units being at a discount to NAV.
- Derivatives: Trading in derivative securities like options & futures is a highly specialised activity and entails greater than ordinary investment risks. Even though the Fund intends to use the activity of trading in derivatives only for portfolio hedging purposes, the overall market in these segments could be highly speculative due to the actions of the other participants in this market. The success of trading in derivatives depends upon the ability of the fund manager in predicting the future movement of the market and if the fund manager is incorrect in their prediction the performance of the fund could be inferior compared to what it would have been if this investment strategy had not been used.
- Investment in overseas market: The success of investment in overseas market depends upon the ability of the fund manager in understanding of those market conditions & analysing the information which could be different from Indian markets. As this would involve operations in foreign markets there could be exchange rate fluctuations risk besides market risk.
- Stock Lending: It is a means of earning additional income to the fund with least risk. The risk could be in the form of non availability of ready stock for sale during the period the shares remains lent.
- The assurance of returns under this scheme is given on the basis of the guarantee provided by the Development Reserve Fund (DRF) of the Trust. The size of the DRF as on 30-06-98 was Rs. 649.42 crores as against investible funds of Rs. 9237.74 crores under 12 schemes that have assured returns with the guarantee of DRF. About 64% of the assets of DRF are in equities while 9% of the assets are in Money Market instruments and the balance is in debt instruments

IV. UNITS & OFFER

(1) This Scheme shall be called the Institutional Investors' Special Fund Unit Scheme 1998 (II) [IISFUS '98(II)].

(2) The scheme shall be for a period of five years i.e. from 1st January 1999 to 31st December 2003.

(3) Units will be on sale from 2nd November 1998 to 12th December 1998 for 41 days. Provided, however the Executive Committee of Board of Trustees of the Trust/Chairman may suspend the sale of units under the scheme at any time in circumstances like war, disruption of trading in Stock Exchanges and other socio-economic factors after giving 7 days notice in newspapers or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.

(4) *The face value of each unit issued under the scheme shall be ten rupees.

(5) Application for units:

(A) (I) All Eligible Trusts including Charitable and Religious Trusts.

(II) Societies registered under Societies Registration Act, 1860.

(III) Any other body either established or controlled by or under a State or Central Act.

(iv) Army/Air force/Navy/Paramilitary Fund.

(v) Any other Institution/ Corporate body (including companies).

(vi) Public Sector Undertakings.

(vii) Regional Rural Banks and Urban Co-operative banks.

(viii) Other Commercial banks

(Ix) Partnership Firms.

(B) An application by a partnership firm shall be made by not more than two members of the firm and the first named person shall be recognised by the Trust for all practical purposes as the member.

(C) Eligible Institutions, bodies corporate, partnership firms or societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant documents showing the applicants' competence to invest in units, such as Trust deed, Memorandum and Articles of Association, certified copy of partnership deed in case of application on behalf of partnership firms, Bye-laws etc. an authorised copy of the resolution by the managing body etc. authorising investment in units and a certified copy of the requisite Power of Attorney.

6. Minimum amount of investment

The minimum investment under the scheme is Rupees Ten lakhs with no maximum limit. For investments not in multiples of Rs.10 units will be allotted in fractions upto three places after the decimal.

The investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and I.T. Circle Office address if they are having so.

7. Minimum target amount to be raised

Amount of Rs. 200 crores is targeted to be to be raised under the scheme. The maximum target amount is Rs. 1000 crores. Oversubscription above Rs. 1000 crores will be refunded in terms of Regulation 35 of SEBI(Mutual Funds) Regulations, 1996. The Trust shall by A/c payee cheque/refund order, refund not later than six weeks from the date of closure of the sale of units under the scheme, the entire amount collected under the scheme, if the said targeted amount of Rs.200 crores is not subscribed.

In the event of failure to refund the amount within the period stipulated above, the Trust shall be liable to pay interest @ 15% p.a. on the expiry of six weeks from the date of closure of the sale of units under the scheme.

8. Listing:

The units issued under the scheme shall be listed on the whole sale debt segment of NSE within six months from the date of closure of the subscription. An application for listing shall be made to NSE immediately on receipt of the approval of the scheme from SEBI as per Regulation 32 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

9. Transfer/Pledge/Assignment of units:

Transfer/pledge/assignment shall be allowed subject to the following terms:

(I) Every unit holder shall be entitled to transfer the units or any of the units held by it by an instrument in writing in a form approved by the Chairman of the Trust provided that no transfer shall be registered if the registration thereof would result in the transferor or the transferee having an investment of less than Rupees Ten Lakhs (face value) in the Scheme.

Provided that no transfer shall be made except to the persons in the classes mentioned in Clause IV.

(ii) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to remain the holder of the units transferred until the name of the transferee is entered in the register in respect thereof.

(iii) Transfers may be effected only by and between transferors and transferees who are capable of holding units. The Trust shall not be bound to recognise any other transfer.

(iv) Transfer instruments with the Unit certificate shall be lodged with any of the branches of Unit Trust.

(v) Every instrument of transfer shall be duly stamped (if under the law it requires to be stamped) and left with the Trust for registration along with the Unit Certificate and such other evidence as the Unit Trust may require in support of the title of the transferor or its right to transfer the units. The Trust may dispense with the production of any Unit Certificate which shall have become lost, stolen or destroyed, upon compliance by the transferor with the like requirements to those arising in the case of an application by him for the replacement thereof.

(vi) If a transferee becomes a holder of units in an official capacity or by operation of law then the Trust, shall subject to production of such evidence which in their opinion is sufficient, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units.

(vii) When the units are issued in the official name, they shall be deemed to be transferred without any instrument of transfer from each holder of the office to the succeeding holder of the office on and from the date on which the latter takes charge of the office.

(viii) When the holder of the office transfers the units so held to a person not being his successor in office the transfer shall be made by an instrument of transfer signed by the holder of the office and in the name of the office.

(ix) All instruments of transfer, which may be registered, shall be retained by the Trust for such period as may be necessary keeping in view procedural and operational requirements.

(x) The Trust shall endorse the details of the transferee on the reverse of the Unit Certificate in the space provided for the purpose.

(xi) Subject to the provisions contained hereinabove the Trust shall register the transfer and return the Unit Certificate to the transferee within 30 days from the date of lodgment of the Unit Certificate together with the relevant instrument of transfer.

10. **Consolidation/Subdivision:** Two or more unit certificates could be consolidated into one Unit certificate. Further, a unit holder having a single certificate can split the same subject to a minimum of one lakh units per unit certificate. For this the necessary operational procedures would have to be complied with by the investor.

11. **Termination of the Scheme:**

(i) The scheme shall stand finally terminated on 31st December 2003, the outstanding units of the unitholders shall be repurchased and the unitholders shall be paid the value of their units at the repurchase price fixed for the final repurchase during the above period.

Besides receiving the repurchase price determined, no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of income distribution for any subsequent period shall accrue. However the Trust reserves the right, with the prior approval of SEBI in writing, to extend the scheme beyond five years. In such an event the unitholder will be given an option to either sell back the units to the Trust or to continue in the scheme. The Trust could also give the investor the option to automatically convert the repurchase proceeds into any other scheme launched or in operation at that time.

The extension of the period of the scheme beyond 5 years shall be in conformity with sub regulation 4 of regulation 33. The provisions of the sub regulation are:

A close ended scheme shall be fully redeemed at the end of the maturity period.

Provided that a close ended scheme may be allowed to be rolled over if the purpose, period and other terms of the roll over and all other material details of the scheme including the likely composition of assets immediately before the roll over, the net assets and net asset value of the scheme, are disclosed to the unitholders and a copy of the same has been filed with SEBI.

Provided further, that such roll over will be permitted only in case of those unitholders who express their consent in writing and the unitholders who do not opt for the roll over or have not given written consent shall be allowed to redeem their holdings in full at net asset value based price.

(ii) The Trust may wind up the scheme under the following circumstances:

(a) on the expiry of five years of the scheme i.e. on 31st December 2003 or on the expiry of such date as may be decided by the Trust.

(b) on the happening of any event which in the opinion of the Trust requires the Scheme to be wound up, or

(c) if 75% of the unitholders pass a resolution that the scheme be wound up or

(d) if the SEBI so directs in the interest of the Unitholders.

(iii) Where the scheme is wound up in pursuance of sub clause (ii) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Mumbai at least a week before the termination is effected.

(iv) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall -

(a) cease to carry on any business activities in respect of the scheme.

(b) cease to create and cancel units in the scheme.

(c) cease to issue and redeem units in the scheme.

(v) The Board of Trustees shall call a meeting of the unitholders to consider and pass necessary resolutions by simple majority of the unitholders present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the Scheme.

(vi) (a) The Board of Trustees shall dispose of the assets of the Scheme in the best interest of the Unitholders of the Scheme.

(b) The proceeds of sale made in pursuance of sub clause (vi) (a) above, shall, in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the Scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the Unitholders in proportion to their respective interest in the assets of the Scheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(vii) On the completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the unitholders a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up, net assets available for distribution to the unitholders and a certificate from the auditors of the Scheme.

(viii) Notwithstanding anything contained hereinabove, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue until winding up is completed or the scheme ceases to exist.

(ix) After the receipt of the report referred to in item(vii) above, if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the Scheme have been completed, the Scheme shall cease to exist.

(x) The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the Unit Certificate along with the form of repurchase duly completed has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with. The Unit Certificate and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

V. EXPENSES

a) Units will be sold at par during the period of offer.

For repurchases there will be a load not exceeding 5% of the NAV.

b) Initial issue expenses may not exceed 3.5% of the funds raised under the scheme. Initial issue expenses of the Scheme are estimated to be as under:

Expenses	%
Printing and postage	0.75
Publicity	0.75
Marketing expenses	1.00
Stamp fees	0.50
Processing charges	0.50
TOTAL	3.50

Thus for every rupee invested by an investor not less than 96.5 paise will be invested in the scheme.

(ii) Initial issue expenses for the schemes launched during the last fiscal year are as follows:

Scheme	Expenses (% of funds collected)
IISFUS97	0.10
IEF 97	5.75
MIP-97(II)	2.45
MIP-97(III)	3.44
MIP-97 (IV)	1.87
MIP97(V)	2.60
MIP98	1.33
IISFUS97(II)	0.09
MEP98	6.00
IISFUS-98	0.05
NRI FUND	2.90

The expenses borne by the Trust (by charge to DRF) in respect of schemes launched during the last fiscal year are:

Scheme	Expense (of funds collected)
MMMF	0.50
MEP98	7.22

In addition to the initial issue expenses the following expenses will be charged to the Scheme on a recurring basis which shall not exceed 2 % of the average weekly net asset value during any accounting year. Estimated recurring expenses are as under:

Expense	%
Administrative Expenses	0.90
Custodial Fees	0.50
Development Reserve Fund	0.25
Staff Welfare Fund	0.10
Audit Fees, Fees & Expenses of Trustees, brokerage & Transaction cost etc.	0.25
Total	2.00

The above expenses are estimates and are subject to change inter- se as per actual expenses incurred. However, the total expenses would be within the limit of 3.5% of the funds collected for initial issue expenses and 2% of the weekly average net asset value during any accounting year for recurring expenses, in accordance with the SEBI (Mutual Funds) Regulations,1996.

The total recurring expenses of the scheme excluding initial issue expenses and redemption expenses but including administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and Staff Welfare Fund shall be subject to the following limits:

(I) On the first Rs.100 crores of the average weekly net assets - 2.25%

(II) On the next Rs.300 crores of the average weekly net assets - 2.00%

(iii) On the next Rs.300 crores of the average weekly net assets - 1.75%

(iv) On the balance of the assets - 1.50%

Administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Fund will not exceed the limits specified under clause 2 of regulation 52 of SEBI (MFs) Regulations, 1996, namely:

(I) One and a quarter of one percent of the weekly average net assets outstanding in each accounting year for the Scheme as long as the net assets do not exceed Rs.100 crores, and

(ii) One percent of the excess amount over Rs.100 crores, where net assets so calculated exceed Rs.100 crores.

UTI does not charge any investment management and advisory fees as provided in the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996. However, UTI will ensure that the initial issue expenses and the annual recurring expenses shall remain within the limits specified under regulation 52 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

d) Development Reserve Fund (DRF) contribution:

0.25% of the weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards DRF of the Trust every year. DRF contribution will be part of recurring expenses.

The quantum of DRF as on 30th June 1998 is Rs. 649.42 crores as against the investible funds of Rs. 9237.72 crores of schemes launched with the assured returns. The size of DRF is considered adequate to meet shortfall of IISFUS-98(II) and other such assured return schemes. The details of assured return schemes are given on page 26.

The following schemes have negative reserves as on 30.6.98: MIP'94(III) [Rs. 37.2 crore]; IISFUS'97 [Rs. 34.9 crore]; MIP'97 [Rs. 101.7 crore]; MIP'97(II) [Rs. 98.0 crore] and MIP'97(III) [Rs. 45.9 crore] mainly due to sluggish stock market conditions resulting in notional depreciation in the equity portfolio of these schemes.

Management Preception: The above schemes will mature on dates from the years 1999 to 2002. With improvement in market conditions the underlying scrips are expected to discover their fair prices reversing the notional depreciation. Further, active trading in debt and equity is expected to add value before the schemes become due for redemption.

The Unit Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional and developmental work not related to or linked with any particular scheme itself. The Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training, Surveys and Market Research for the Trust, Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific scheme and Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities and for meeting the shortfall, if any, in the assured rate of return of any of the schemes of the Trust as well as the issue expenses for no-load scheme.

e) Staff Welfare Fund Contribution

0.10% of the weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution to the Staff Welfare Fund every year.

The Trust has instituted the staff welfare Fund for the welfare of its employees which shall include relief in any distress, medical relief, health relief or for similar other purposes.

VI. SALE OF UNITS

1. Unit Certificate

The contract for sale of units by the Unit Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date of i.e. date of realisation of cheque. The Unit Trust shall thereafter issue a Unit Certificate for the amount invested. The Unit Trust will not incur any liability for the loss, damage , mis-delivery or non-delivery of the unit certificate, so sent.

A unit certificate issued by the Unit Trust to a Trust/Society/Body Corporate shall be made out in the name of such Trust/Society/Body Corporate.

The Unit Trust shall endeavour to send the unit certificate as soon as possible but not later than six weeks from the date of closure of sale of units under the scheme.

2. Mode of Payment

(i) All payments shall be made by the applicant along with the application by way of draft (bank draft commission to be borne by the investor), cheque, inclusive of the cost of realising the cheque or draft. Cheques and drafts should be drawn only on branches of banks within the city where the branch Office of the Trust at which the application is tendered is situated.

(ii) If payment is made by cheque, the acceptance date will be the date of realisation of the cheque. If payment is made by draft, the acceptance date will subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the branch office of the Trust within 7 days from the date of issue of the draft. If the amount tendered is not sufficient to cover the minimum amount payable under the scheme and other charges payable, the entire amount shall be refunded to the applicant at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

3. Right of the Trust to accept or reject application:

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the Scheme. The Trust shall reject an application for issue of units in the following circumstances:

i. the application is received with less than the minimum investment of Rs. Ten lakhs.

ii. the application has not been signed by the authorised signatories and

iii. the applicant is not eligible to invest in the scheme.

Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the Scheme shall be final.

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum. Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities.

Any application without the applicants bank particulars will not be accepted

4. Applicant to comply with requirements under the scheme before being issued units:

Institutions applying for units under the scheme shall satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust such as Trust deed, Resolution by the Managing Body to buy units in case of application from Trusts, Bye-Laws, resolution by the Managing Committee etc. In case of application by societies and certified copy of partnership deed in case of application on behalf of partnership firms Memorandum and Articles of Association, resolution in case of companies etc. depending on the category of the investors. The compliance or otherwise to the satisfaction of the Trust of such requirements shall be at the sole discretion of the Trust.

An institution which holds units under a false declaration shall be liable to have the unitholding cancelled and the name deleted from the register of Unitholders.

The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance.

The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

VII. REPURCHASE OF UNITS

(1) (i) There shall be no repurchase of units during the first three years of the scheme i.e. upto 31st December 2001. Repurchase price shall be at a discount not exceeding 5% to the historic weekly NAV. The repurchase price shall be declared once every week commencing from 1st January 2002. It is guaranteed that the capital invested in the scheme will be protected on maturity i.e. units will not be redeemed below par. There is no such guarantee for premature repurchases and the repurchase price in such cases will be based on the prevailing NAV

Partial repurchase shall be allowed provided that the unitholder maintains a minimum balance of Rupees Ten Lakhs (face value).

(ii) The unitholder shall be under no obligation to offer its units for repurchase as provided in sub-clause 1(i) above and it will be free to hold them as long as it desires during the currency of the Scheme.

Please also read clause (4) in this regard.

(2) The contract for repurchase shall be deemed to have been concluded on the acceptance date.

(3) Repurchase shall be effected on receipt of the Unit Certificate with the form of repurchase duly filled in. Repurchase proceeds shall be despatched within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of the application at the Mumbai Main Branch Office of the Trust where the repurchase requests are processed and in such manner as the applicant may indicate in the application. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant, and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Unit Trust shall be borne by the applicant.

(4) Restrictions on sale and repurchase of units:

Notwithstanding anything contained in any provision of this Scheme, the Unit Trust shall not be under an obligation to sell or repurchase units-

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period (as notified by the Unit Trust) when the register of unitholders is closed for any purpose as notified by the Trust.

Explanation: For the purposes of this Scheme, the term "working day" shall mean a day which has not been either (i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Unit Trust has its Offices; or (ii) notified by the Unit Trust in the Gazette of India as a day on which the Office of the Unit Trust will be closed.

Sale or repurchase to be as on the acceptance date:

Every sale or repurchase of units by the Unit Trust shall be as on the acceptance date at the respective prices prevailing on that day.

VIII. INCOME DISTRIBUTION

1. Rate of income distribution:

The Trust proposes to pay an assured return of 14 % p.a. payable annually, for all the five years of the scheme. In the event of any shortfall in meeting the assured return the same shall be met out of Development Reserve Fund. The income for the first year will be calculated on a day to day basis depending on the date of acceptance as mentioned in clause VI(2) (ii) and paid in July 1999. The income distribution for the subsequent years will be paid in July each year and for the balance period from 1st July 2003 to 31st December 2003 the income distribution will be paid in December 2003.

2. Payment to unitholders:

a) ANNUAL INCOME OPTION:

(1) The Trust shall pay income @ 14 % p.a payable annually for all the five years of the scheme. For the first year (year- ending June 30,1999) income is payable on a pro rata basis in July 1999. The income for the subsequent years will be paid in July each year and for the balance period from July 2003 to December 2003 it will be paid in December 2003. Income distribution warrants will be despatched within 42 days of closure of the year for which it is due.

Based on low marketing and servicing costs and the investment objective and policies of the Scheme as also prevailing and likely yields from the instruments in which funds of the scheme will be invested, the scheme would generate sufficient returns to pay the assured return of 14% for all the five years of the scheme.

(2) It shall be lawful for a unit holder to receive and retain any income declared by the Trust in respect of units of which it is such holder, notwithstanding that the units have already been transferred by it for consideration unless the transferee who claims the income from the transferor has within fifteen days of the date on which the income became due, lodged the Certificate and all other documents relating to the transfer which may, under the provisions or otherwise, be required by the Trust, for being registered in its name.

Explanation: The period specified in this sub- clause shall be extended -

i) in case of loss of the transfer deed by theft or any other cause beyond the control of the transferee by the actual period taken for the replacement thereof; and

ii) in case of delay in the lodging of any Certificate and other documents relating to the transfer connected with the transit through the post, by the actual period of the delay.

(3) Nothing contained hereinabove shall affect the right of the Trust to pay to the unit holder any income which has become due, in respect of units of which it is such a holder.

(4) No interest shall be payable by the Trust on such income distributable among the unit holders. However, the Trust, depending upon the reserves built under the Scheme and if circumstances permit, shall compensate the unitholder to the extent possible in such form and manner as approved by the Executive Committee on any delayed claim of income by the unit holder.

(5) The income distributable among the unitholders shall be paid by cheque or warrant drawn on the Unit Trusts' bankers, or, at the option of the unitholder, by a bank draft, the charges for such bank draft being borne by the unitholder.

As a matter of precaution against possible fraudulent encashment of Income Distribution Warrants due to loss/ misplacement, applicants are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. nature and number of account, name of bank) at the appropriate space in the application form as well as on the acknowledgement receipt portion for record. Income Distribution Warrants will then be made out in favour of the bank for crediting their account so specified and sent to them. Unitholders may deposit the Income Distribution Warrants in the said bank for credit of their account.

In order to avoid fraudulent encashment of Income Distribution Warrants/ Repurchase cheques/ Maturity cheques SEBI has made it mandatory for investors , in their own interest to give bank particulars at the appropriate place in the application form.

Any application without bank particulars will not be accepted.

b) CUMULATIVE OPTION

(I) No income will be distributed under this option. Income will be cumulated at the rate of 14 % p.a. such that Rs.10,00,000/- will become at least Rs. 19,25,415/- at the time of redemption after five years.

However, the maturity amount will depend upon the tax deductible at source, wherever applicable, as stipulated by the Income Tax Act 1961 in respect of income declared and accumulated each year on the cumulated amount.

(II) The income accrued under the cumulative option will be compounded as of every June. The first such income statement for the period, depending on the date of investment, will be calculated as of 30th June 1999 and despatched during July / August 1999.

The statement issued upto 30th June of a year will be valid till 30th June of the next year.

Justification of the return of 14% p.a. payable annually under IISFUS 98 (II)

Assume the scheme collects Rs. 100 crores. The initial expenses are 0.5% and are written off over a period of 3 years (this is because repurchase opens after 3 years). The investible funds available in the first year would be Rs.99.5 crores.

The fund will invest 90% in debt and MMI instruments and 10% in equity. The scheme will invest in debentures/bonds with risk profile low to medium. The YTM on these instruments are in the range of 14.25% to 16.50%. This means the weighted average yield on debt instruments would be 15.36%.

The annualised return on equity by way of dividend yield, appreciation/depreciation and profits booked would be around 12%.

Instruments	% of Portfolio	Investible Funds	Return %
Debentures	90	89.55	15.36
Equity	10	9.95	12.00

$$\text{Weighted Average Yield on Portfolio} = \frac{89.55^{*}\ 15.36 + 9.95^{*}\ 12}{100.00} = 14.95\%$$

Taking annual expenses and provisions as 0.75%, the income available for distribution would be 14.20%. This would be sufficient to pay dividend @ 14.00% p.a. payable annually.

The above is illustrative and based on market conditions at the time of launch of the plan and the following assumptions:

I) There would be enough opportunities to deploy the entire funds mobilised in the shortest possible time say 1 month.

II) The equity portfolio will be managed actively to book profits.

IX. INVESTMENT OBJECTIVES, POLICIES & STOCK LENDING

1. Investment Objective:

Investment objectives of the Scheme is to primarily provide regular income to subscribers and also to endeavour providing capital appreciation to the subscriber on maturity of the Scheme.

Funds collected under the scheme shall after providing for all initial preoperative and operational expenses generally be invested as follows:

(I) Not less than 70% of the funds will be invested in debt instruments. The risk profile of investment will be low to medium.

(II) Not more than 30% of the funds will be invested in equities and equity related instruments. The risk profile of equity investments could be high.

Minimum and maximum asset allocation:
Debt – Minimum 70% Maximum 100%
Equity – Maximum 30%

No fixed allocation will normally be made for money market instruments.

Investment in money market instruments will be kept to the minimum so as to be able to meet the liquidity needs of the plan.

(III) Trading in derivatives:- Subject to authorisation from SEBI and the Government of India, UTI , in appropriate circumstances, may use techniques and instruments, such as futures and options and other derivatives subject to applicable regulations and counter-party risk assessment, as and when they become permissible in the Indian market, for the purposes of achieving the investment policy, hedging or minimising the risk. In addition, subject to applicable regulations and counter-party risk assessment, the scheme may borrow or lend stock.

(iv) Stock lending : - The Scheme may, from time to time , give on loan securities in which it has invested, for a temporary period as per securities lending scheme of SEBI.

(v) Overseas Investment :- The scheme may invest in securities issued by overseas / foreign companies and listed abroad or securities issued by Indian corporates to foreign / overseas investors and listed on foreign stock exchange directly by subscribing to such issues or purchasing on foreign stock exchanges as per SEBI guidelines issued from time to time.

The Trust retains the option to alter the asset allocation for a short term period on defensive consideration.

Pending deployment of funds of the scheme in securities in terms of the investment objective stated above the Trust may invest the funds of the scheme in short term deposits of scheduled commercial banks.

2. Fundamental Attributes

"Fundamental attributes" mean the following.

a) Type of scheme: Institutional Investors' Special Fund Unit Scheme 1998(II) is a closed-end income fund.

b) Investment objective: as provided under clause IX of this offer document.

c) Terms of issue: provisions in this offer document in respect of listing, repurchase/ redemption of units, expenses and guarantee provided.

Any change in the fundamental attributes of the scheme will be carried out only with the consent of not less than three-fourths of the unitholders. Further in the event of a change in the fundamental attributes those who do not give their consent will be allowed to redeem their unitholdings in the scheme

The Board may from time to time add to or otherwise amend this Scheme and the Plan made thereunder and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained.

Any amendment which is not amendment to fundamental attributes and which does not affect the interests of unitholders may be made, with the prior approval of SEBI.

(3) Investment Policies

(i) All debt instruments in which investments are made by the scheme should have been rated as investment grade by a credit rating agency which may be recognised from time to time:

Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

(ii) No term loans will be advanced by this scheme.

(iii) the Trust shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in all cases of purchases, take delivery of relative securities and in all cases of sale, deliver the securities and shall in no case put itself in a position whereby it has to make short sale or carry forward transaction or engage in badla finance.

(iv) The Trust shall, get the securities purchased or transferred in the name of the Trust.

(v) The scheme may consider to lend securities in accordance with the stock lending scheme of SEBI.

(vi) The scheme shall not make any investment in;

(a) any unlisted security of an associate or group company of the Trust; or

(b) any security issued by way of private placement by an associate or group company of the Trust; or

(c) the listed securities of group companies of the Trust which is in excess of 25% of the net assets of all the schemes of the Trust.

(vii) The services of UTI Securities Exchange Limited (UTI SEL) a stock broking firm and subsidiary of UTI may be utilised for securities transactions of the scheme as per the policies and subject to the limits laid down by the Board of Trustees of the Trust. UTI SEL was set up in 1994. It is a high technology company offering fair, transparent and efficient services to suit investors requirements. Its registered office is at Mumbai.

(viii) Investment in non publicly offered debt: Depending upon the available yield the scheme would be investing in non-publicly offered debt securities.

The depth of Indian Debt Market is still to be considered as not fully developed. UTI is managing number of debt oriented / balanced schemes. These schemes are at different stages of maturity. Some of them are open ended and some of them are closed ended. There are plenty of opportunities to trade on the debts between one scheme to another depending upon their requirements to raise or deploy resources. The quoted/ listed debts are transferred at the prevailing market rates, while unquoted debts are transferred at a value determined on the basis of yield to maturity as determined by the Board of Trustees of Unit Trust of India. Thus the impact of investment in non- publicly offered debt is not significant on the performance / liquidity of the funds.

(ix) There is no restriction on the extent to which the scheme can invest in government securities. Based upon the liquidity needs, the scheme may invest in Government of India/State Government Securities.

4. Table I contains a list of schemes wherein companies have invested more than 5% of the net asset value of a scheme and Table II pertains to the investment made by that scheme or any other scheme of UTI in that company or its subsidiaries on an aggregate basis as on 31/12/97.

Table I

Sr. No.	Scheme Name	Name of Company holding more than 5% of scheme assets
1.	PEF'95	Bank of Baroda
2.	Grand Master	Bank of Baroda
3.	IISFUS'96	The Surat Peoples Co.op. Bank Ltd. Surat
4.	IISFUS'97	HDFC Hindustan Lever Ltd.
5.	.UTI-MMF	SHCIL UTI-Bank Ltd. BOI Mutual Fund Arvind Mills Britannia Industries
6.	UTI-IEF	IDBI ICICI ICRA
7.	MIP'97(IV)	Oriental Bank of Commerce HP State Co-op Bank Ltd.

(II) Investment made by that scheme or any other scheme of UTI in that company or its subsidiaries on an aggregate basis as on 31/12/97.

(Rs. Crores)

Company Name	Equity (Cost)	Debt (Cost)	Term Loan	Deposits	Total
Arivind Mills	100.05	8.27	0.1	0.00%	108.42
Bank of Baroda	20.12	0	0	0.00%	20.12
BOI Mutual Fund	0	0	0	0.00%	0
Britannia Industries	32.09	0	0	0.00%	32.09
HDFC	299.72	0	0	14500.00%	444.72
HDFC Bank Ltd.	0.83	0	0	0.00%	0.83
Hindustan Lever Ltd.	648.47	5.85	0		654.32
HP State Co-op Bank Ltd.	0	0	0	0.00%	0
ICICI	307.5	1193.18	885	4500.00%	2430.68
ICICI Banking Corporation Ltd.	7.05	0	0	0.00%	7.05
ICICI Securities & Finance Company Ltd.	0	33	0		33
ICRA	2.92	0	0	0.00%	2.92
IDBI	374.5	1097.56	0	0.00%	1472 06
SIDBI (IDBI Subsidiary)	0	17.86	0	0.00%	17.86
SHCIL	4.96	0	6.25	0.00%	11.21
Oriental Bank of Commerce	10.67	0	0	0.00%	10.67
The Surat Peoples Co-op Bank Ltd. Surat	0	0	0	0.00%	0
UTI-Bank Ltd.	111.4	0	0	0.00%	111.4

However, notwithstanding anything contained in respect of clauses IX(3) XII(1) and XII(2) above, the valuation of assets, computation of NAV, repurchase price and their frequency of disclosure would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time.

X. INTER-SCHEME TRANSFER

Transfers of investments from/to this scheme to/from another scheme/plan of the Trust shall be done only if -

(a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis.

Explanation - spot basis shall have the same meaning as specified by stock exchange for spot transactions.

(b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the Scheme/Plan to which such transfer has been made.

(c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the scheme to another scheme/plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust

XI. ASSOCIATE TRANSACTIONS & BORROWINGS

1. The scheme may invest in another scheme/plan of the Trust or any other mutual fund without charging any fees, provided that aggregate inter scheme investment made by all schemes of the Trust or in schemes under the management of any other asset management company shall not exceed 5% of the net asset value of the Trust.

2. The scheme shall not borrow except to meet temporary liquidity needs of the scheme for the purpose of repurchase, redemption of units or payment of interest or income to the unitholders. Provided that the scheme shall not borrow more than 20% of the net assets of the scheme and the duration of such a borrowing shall not exceed a period of six months.

3. As per section 20 of the Unit Trust of India Act 1963 the Trust has the following borrowing powers:

(I) The Trust may borrow, whether in India or outside India from any authority or person, not being Government or the Reserve Bank, against such security and on such terms and conditions as may be agreed upon.

(Ii) The Trust may borrow money from the Reserve Bank-

(a) repayable on demand or on the expiry of a fixed period not exceeding ninety days from the date on which the money is so borrowed, against stocks, funds and securities (other than immovable property) in which a trustee is authorised to invest trust money by any law for the time being in force in India;

(b) repayable on demand or within a period of eighteen months from the date on which the money is so borrowed, against the security of the bonds which the Trust may issue with the approval of the Central Government;

(c) on such terms and conditions and against the security of such other property of the Trust as may be specified in this behalf by the Reserve Bank for the purposes of any scheme other than the first unit scheme:

Provided that any amount borrowed under this clause and outstanding at any one time shall not exceed-

(a) five crores of rupees in respect of each such scheme; and

(b) ten crores of rupees in respect of all such schemes in the aggregate.

(Iii) The bonds issued by the Trust under sub-section (ii) shall be guaranteed by the Central Government as to the repayment of principal and the payment of interest at such rate as may be fixed by the Central Government at the time the bonds are issued.

XII. NAV DETERMINATION & VALUATION OF ASSETS

1. Computation and disclosure of Net Asset Value (NAV):

The Net Asset Value of the units issued under the Scheme shall be calculated by determining the value of the Scheme's assets and subtracting the liabilities of the Scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the Scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. The NAV of the scheme shall be determined separately for the Annual Income option and the Cumulative option. This NAV (on historic basis) shall be issued to the press for publication within six months from the commencement of the scheme and on a weekly basis thereafter.

2. Valuation of assets pertaining to this Scheme:

(i) Quoted investments including those under lock-in-period are valued at the closing market rates on the valuation date or the latest available quote within a period of sixty days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of sixty days prior to the valuation date, the same is treated as unquoted investment.

(ii) In case of quoted debentures and bonds, the market rate, being cum-interest, the same is adjusted for the interest element, if any.

(iii) Unquoted/non-traded equity shares are valued at the average of capitalisation of earning and the book value(break-up value) minus 10%

(iv) Unquoted debentures, bonds and transferable notes are valued at yield to maturity, based on the rating of the instrument as determined by the Board of Trustees of the Trust.

(v) Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil.

(vi) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at the market rate relevant to equity shares, discounted for dividend element, if any. The non-convertible portion if any, of such debentures and bonds are valued at yield to maturity, as determined by the Board of Trustees of the Trust. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is valued at cost.

(vii) Investments in call money, bills purchased under rediscounting scheme and short term deposits with banks shall be valued at cost plus accrual; other money market instruments shall be valued at the yield at which they are currently traded. For this purpose, non-traded instruments that is instruments not traded for a period of seven days will be valued at cost plus interest accrued till the beginning of the day plus the difference between the redemption value and the cost spread uniformly over the remaining maturity period of the instruments.

(viii) The following policy is adopted for valuation/inter- scheme transfer of government securities:

(a) The Government securities quoted in NSE, are valued at their closing prices on the date of valuation. If the security is not quoted on that day, quotations within a period of 7 days prior to the valuation date is considered. If the security is not quoted for a period of 7 days, then the same is treated as unquoted.

(b) The unquoted government securities are valued at yield to maturity (YTM) taken from the yield curve.

(ix) The aggregate value of investments as computed in accordance with (1) to (8) above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to revenue account.

XIII. ACCOUNTING POLICIES

1. Income recognition

(i) Dividend income on listed equity shares is accrued on the ex-dividend date. Dividend income on unlisted equity shares and preference shares is accounted on receipt basis.

(ii) Interest on investments in accounted for on accrual basis.

(iii) Profit or loss on sale of investments is recognised on the trade dates on the basis of weighted average cost.

(iv) Commitment charges are accounted for on accrual basis.

(v) Underwriting commission is recognised as revenue on cash basis when there is no devolvement. In case of devolvement, the full underwriting commission is reduced from the cost of such investments.

(vi) Front-end fee received on investments in shares and debentures is reduced from the cost of such investments Front- end fee received on loans is recognised as income in the first year of disbursement.

(vii) Premium/profit on redemption of debentures/bonds and other miscellaneous income are accounted for on receipt basis.

(viii) Provision is made in respect of interest income remaining past due for two quarters or more. Dividend outstanding for more than one accounting year is provided for in full.

2. Expenses

(i) Expenses are accounted for on accrual basis.

(ii) Certain common expenses incurred under Unit Scheme 1964, are allocated to the other schemes on a basis determined by the Board of Trustees under the power vested as per the provisions of Section 25(4) of the Unit Trust of India Act, 1963.

(iii) Unit Scheme 1964 which owns the fixed assets, recovers lease rent as decided by the Board of Trustees from other schemes for their usage of the said assets.

3. Deferred revenue expenditure

In accordance with the powers vested under the provisions of Section 25 (3) of the Unit Trust of India Act, 1963, certain expenses are deferred as decided by the Board of Trustees as under -

Close Ended Schemes:

(i) The initial/rights issue expenses and commission to agents, incurred by the close ended schemes are written off equally over the tenure of the respective schemes.

(ii) When units are repurchased/bought-back, the deferred revenue expenses to be charged in that year, as also for the unexpired period, is suitably adjusted.

4. Investments

(i) Investments are stated at cost or written down cost.

(ii) In case of secondary market transactions investments are recognised on trade dates.

(iii) Subscription to primary market issues is accounted as investments, on allotment.

(iv) Bonus/right entitlements are recognised on ex-bonus/ex- right dates.

(v) The cost of investments include brokerage and service tax but does not include stamp fees which is charged to revenue.

5. Depreciation in the value of investments

(I) Where, in the opinion of the Board of Trustees, there is substantial impairment in the value of unquoted equity or preference shares, the cost of such shares is written off against Unit Premium/General reserve/Revenue Account as the case may be.

In cases, where in the opinion of the Board of Trustees, there is a substantial improvement in the quality of an investment written off in earlier years, the same is written back to its original book value.

(ii) Provisions are made by charging Revenue Account in respect of all other investments viz. debentures and bonds, secured/unsecured transferable notes, term loans and deposits classified as non-performing, if interest payment thereon is past due for 180 days or more. These provisions are made for each non- performing asset individually and not for other performing assets of the same company.

(iii) Provisions for non-performing assets are made on the basis of period for which the assets remain non-performing as under:

Period for which asset remains non-performing	Percentage of Provision	
	Secured Asset	Unsecured Asset
Upto two years	10%	10%
Exceeding two years but upto three years	20%	100%
Exceeding three years but upto five years	30%	100%
Exceeding five years	50%	100%

(iv) Where principle repayment remains past due in respect of:-

1. debt portfolios where the duration of the investment or instrument is less than 3 years, provision may be made against any instalment in default, if such installment is outstanding for 180 days beyond the past due periods.
2. debt portfolio where the duration of the investment or instrument is more than 3 years provision may be made against any installment is outstanding for 365 days beyond the past due period.

The provisions as above will be subject to an overall ceiling of 50% in respect of secured investment and to the extent of 100% in case of unsecured investment. Besides, any subsequent instalment, in such cases where the original default continues, shall be provided 30 days from the respective due dates.

(v) In case of funding of interest, by way of capitalisation of outstanding interest dues, the funded interest is provided in full irrespective of the period of default.

(vi) Provisions for non-performing assets in respect of (iii), (iv) and (v) above, are made by charging to Unit Premium/General Reserve/Revenue Accounts as the case may be.

6. Fixed assets:

(i) Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation.

(II) Depreciation is provided on the written down value method at the under mentioned rates except those assets held for less than six months in the accounting year, where depreciation is provided at half the said rates:-

(a)	Building and premises	5%
(b)	Furniture and Fixtures	10%
(c)	Office equipments, Building improvements, Computers and Motor Vehicles	33.33%

(d) Leasehold land is amortised equally over the period of lease.

(e) Building improvements in premises taken on lease for a period not more than 8 years are amortised equally over the unexpired period of lease and in other cases depreciated at 33.33 %.

Fixed assets, which are installed and put to use, pending final settlement of liabilities are stated on an estimated basis. On final settlement depreciation is adjusted, from the date the asset is put to use.

7. Buy-back of units:

The units of schemes, listed on Stock Exchanges which are bought back for redemption through open market operations are accounted for on trade dates. The difference between the acquisition cost and the face value is charged to the Revenue Appropriation Account. The face value of units redeemed is reduced from Unit Capital on receipt of advices from Registrars.

8. Income distribution:

Provisions for income distribution is made as determined by the Board of Trustees.

Provision for Income Distribution is also made on application money pending capitalisation under all schemes, except in respect of schemes where units are sold at a premium or discount to its face value. The income distribution on these schemes is charged to the Revenue Appropriation A/c in the year of capitalisation

9. Publication of Financial Results:

The unaudited financial results as on 31st December will be published within 2 months and audited annual results as on 30th June will be published within six months of finalisation of accounts in one English daily and one Marathi daily.

XIV. TAX TREATMENT OF INVESTMENT

TAX GUIDE:

Tax Exemption

Under the present taxation laws in those cases where the investing institutions are:

(i) Charitable and Religious Trusts:
The income of Charitable and Religious Trust in any year is totally exempt from tax if atleast 75% of the Trust's income is spent towards any of the objectives of the Trust in the year in which it is earned (Section 11 of Income Tax Act). Thus a Charitable and Religious Trust can set apart upto 25% of a year's income for application to charitable and religious purposes in future years, without attracting income tax. If the income so set apart in a year is in excess of 25% of that year's income, such excess would attract income tax. However, such excess income will be exempt from income tax if it is invested in "approved securities" mentioned in Section 11(2)(b) of the Income Tax Act. Units of UTI are one of the approved securities. A Charitable and Religious Trust investing its "excess" funds in units qualifies for exemption from Income Tax.

In terms of Section 13 of the Income Tax Act, one of the conditions of eligibility for exemption under Section 11 of Income Tax Act is that the corpus and other funds of the Trust should be invested in approved securities. Units of UTI are one of the approved securities.

(ii) Any Regimental Fund referred to in Section 23AA / Other Institutions: It will be in accordance with prevalent tax laws.

No deduction of Tax at source

No deduction of tax will be made for institutions which are covered under Section 11 or 12 or 10(22) or 10(22A) or 10(23) or 10(23AA) or 10(23C) of Income Tax Act, 1961 on the basis of a simple declaration in the format provided in the application form.

In respect of Institutions other than above deduction of income tax at source from the income will be in accordance with prevalent tax laws.

Wealth Tax Financial Assets like shares and units of Unit Trust of India and Mutual Funds are excluded for the purpose of assessing wealth tax liability.

NOTE: In respect of Statutory Corporations viz. IDBI and similar other organisations, the tax benefits/exemptions under the Income Tax Act and Wealth Tax Act may be governed, inter alia, in accordance with the provisions of their Special Acts, if any, governing them.

Any long term capital gains arising out of investment in the scheme will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the Income Tax Act, 1961.

Capital Gains Tax Exemption under Section 54 EA

Investment of entire or part of net consideration arising out of transfer of long term assets in IISFUS '98 (II) will be eligible for capital gains tax exemption under Section 54 EA of the Income Tax Act, 1961 subject to availability of repurchase/ transfer/ pledge only after three years from the date of acceptance of the application.

Disclosures regarding income tax/wealth tax/capital gains tax are in conformity with the prevalent Income Tax Act.

XV. INVESTORS RIGHTS & SERVICES

1. Unit holders under the Plan have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of and to the income declared by the Plan.

2. The Unit holders have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the unitholders.

3. The Unit holders have the right to have the unit certificate issued to them not later than 6 weeks from the date of closure of sale of units.

4. The Unit holders have the right to have the repurchase/redemption proceeds despatched to them within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of the application at the office where the repurchase requests are processed.

5. An abridged annual report in respect of the Institutional Investors Special Unit Scheme 1998(II) shall be mailed to all Unit holders not later than six months from the date of closure of the relevant accounting year and made available for inspection at the Central Investors Relation Cell and a copy shall also be made available to the members on request on payment of nominal fee, if any.

6. Under specified circumstances the approval of Unit holders will be sought by a Postal Ballot.

7. The Unit holders have the right to inspect the following documents at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No.1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai 400020.

- The UTI Act
- The General Regulations

- The agreements with the custodians, registrars and collecting banks.
- Copy of Offer Document of Institutional Investors Special Unit Scheme 1998 (II)

XVI. CONSTITUTION & MANAGEMENT OF UNIT TRUST OF INDIA

Constitution of UTI

Unit Trust of India was set up as a statutory body under Unit Trust of India Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

Management of UTI

The Management of the affairs and business of the Trust are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India.

Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman, the Executive Trustee and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

Board of Trustees*

1.	Shri P S Subramanyam	*Chairman,* Unit Trust of India
2.	Dr. P J Nayak	*Executive Trustee,* Unit Trust of India
3.	Shri S Gurumurthy	*Executive Director,* RBI
4.	Shri N.S. Sekhsaria	*Managing Director,* Gujarat Ambuja Cements Ltd.
5.	Shri P R Khanna	*Chartered Accountant*
6.	Shri G Krishnamurthy	*Chairman,* L.I.C.
7.	Shri M S Verma	*Chairman & Managing Director,* S.B.I.
8.	Shri N Vaghul	Chairman, ICICI Ltd.
9.	Shri Rashid Jilani	*Chairman & Managing Director,* Punjab National Bank

*** The other current directorships of the Trustees are as follows:**

1. **Dr. P J Nayak** – (i) Member Governing Council - UTI- Institute of Capital Markets (ii) Director - Unit Trust of India Investor Services Ltd., Unit Trust of India Investment Advisory Services Ltd., Association of Mutual Funds of India & National Securities Depository Ltd.
2. **Shri N S Sekhsaria** – Director - Shri Arbuda Mills Ltd., Gujarat Venture Finance Ltd., Radha Madhav Investments Ltd. & Gluh Finance Ltd.
3. **Shri P R Khanna** – Director - SBI Capital Markets Ltd., Modi Rubber Ltd., Telemecanique & Controls (India) Ltd., DCM Shriram Industries Ltd., Godfrey Phillips India Ltd., Indag Rubber Ltd., Toyo Mirrors Pvt. Ltd., Marketing Research Group Pvt. Ltd. & Sita Holidays Resorts Ltd.
4. **Shri G Krishnamurthy** – (i) Chairman - LIC (International) EC, LIC Housing Finance Ltd. & Jeevan Bima Sahayog Asset Management Company. (ii) Director - General Insurance Corporation of India, KenIndia Assurance Co. Ltd., Discount & Finance House of India, Indian Railway Finance Corporation, Industrial Credit and Investment Corporation of India & National Housing Bank.
5. **Shri M S Verma** – (i) Chairman - SBI Capital Markets Ltd., SBI Fund Management (P) Ltd., SBI Gilts Ltd., SBI Securities Ltd., SBI European Bank Ltd., SBI Factors and Commercial Services Pvt. Ltd., State Bank of Indore, State Bank of Saurashtra, State Bank of Patiala, State Bank of Bikaner & Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Mysore, State Bank of Travancore, State Bank of India (California) & State Bank of India (Canada) (ii) Vice-President - Indian Institute of Bankers (Governing Council) (iii) Director - National Bank for Agriculture and Rural Development, Industrial Investment Bank of India & General Insurance Corporation (iii) Member - National Institute of Bank Management (Member of the Governing Board & Chairman of Campus Committee & Finance Committee), Institute of Banking Personnel Selection (Member of the Governing Board, Chairman of the Finance Committee) & Indian Banks Association (Member of the Managing Committee).
6. **Shri N Vaghul** – (i) Chairman - Technology Development Information Company of India Ltd., Bangalore, Credit Rating Information Services of India Ltd., Indian Institute For Foreign Training, Kansbahal & 20th Century Venture Capital Corporation (ii) Director - Industrial Development Bank of India, Industrial Reconstruction Bank of India, Calcutta, Housing Development Finance Corpn. & Discount and Finance House of India Ltd.
7. **Shri Rashid Jilani** – (i) Director - Industrial Finance Corporation of India Ltd., Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation of India, Exim Bank of India, Agricultural Finance Corporation of India Ltd., Punjab State Industrial Development Corporation Ltd., Oriental

Insurance Co. Ltd., Small Industries Development Bank of India, Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi, National Institute of Bank Management, Pune, Indian Institute of Bankers & Indian Investment Centre, New Delhi (ii) Chairman - Indian Banks Association (iii) Chairperson - Swift User Group-India (iv) Member - Swift-Asia Pacific Advisory Council.

Management of fund

Shri Manish Bhatia, Assistant General Manager will be the fund Manager.

Qualifications: BE, PGDM

Experience and Background: Presently working in the Department of Funds Management, looking after the fund management of some of the domestic income oriented schemes.

Designation / Department/Period	Responsibilities
Manager / Equity Research Cell / March 96 to Sept. 97	Equity Analyst
Manager / Dept. of International Finance August 94 to March 96	Provide equity research support to offshore funds of the Trust

XVII. OTHER SERVICE PROVIDERS FOR THE SCHEME

1. Custodians

Stock Holding Corporation of India situated at Mittal Court, B- Wing, Nariman Point, Mumbai 400 021, have been functioning as custodian for all our Schemes and Plans as per the agreement entered into with them on January 17, 1994.

The custodians are required to take delivery of all securities belonging to Schemes/Funds/Plans of the Trust and hold them in custody. The custodians will deliver the securities only as per instructions from the Trust and on receipt of the consideration. The custodians shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for discharge of normal custodial functions in connection with the sale, purchase, transfer and other dealings with the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust.

Custodians shall provide all information, reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliation of Securities belonging to the Schemes/ Funds / Plans of the Trust.

The SHCIL has applied for registration number.

The custody charges are as under:

Market operations at the rate of Rs.100/- per transaction (sales, purchase and primary markets)

The slabs for custody fees are as under

Value of assets held	Basis point
upto Rs.2000 crs.	12
between Rs.2000 crs. to Rs. 3000 crs.	11
between Rs.3000 crs. to Rs.4000 crs.	10
between Rs.4000 crs. to Rs. 5000 crs.	9
Above Rs. 5000 crs.	8

The effective rate for UTI since its holding falls above Rs.5000 crores is @ 8 basis points per annum. The total service charges payable on account of the transaction and custody with a ceiling of Rs.35 crores.

2. Auditors

M/s S.K. Kapoor & Co., 16/98 LIC Bldg., The Mall, Kanpur 208 001 and M/s Chaturvedi & Company Chartered Accountants, 60, Bentik Street, Calcutta 700 069. The auditors of the Scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year

3. Registrars

The processing of applications and after sales services will be handled by the Mumbai Main Branch Office of the Trust at Commerce Centre -1, 29th Floor, World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai 400 005. The Trust has adequate capacity to discharge its responsibilities with regard to processing of applications, despatch of certificates, handling of after sales services within the prescribed time frame and also handling of investor complaints

XVIII. INVESTOR GRIEVANCES REDRESSAL

1. All investors could refer their grievances giving full particulars of Investment to concerned Investors' Relation Cell at the following addresses:

WESTERN ZONE

Ms. Tanvi Upadhye/Shri Mridul Mukhopadhyay
Unit Trust of India Investors' Relation Cell Commerce Centre,
1, 28th Floor, World Trade Centre, G.D. Somani Marg,
Cuffe Parade, Mumbai-400 005.
Tel.: 218 0172/215 3846

SOUTHERN ZONE

Ms. Shirin Ramprasad/Ms. Hari Priya S.
Unit Trust of India Investors' Relation Cell,
UTI-House, 29, Rajaji Salai,
Chennai-600 001.
Tel.: 526 0146

EASTERN ZONE

Shri S L Chakrabarti
Unit Trust of India Investors' Relation Cell
2, Fairlie Place, 2nd Floor,
Calcutta 700 001.
Tel.: 243 4575/82

NORTHERN ZONE

Shri B. Chakrabortty
Unit Trust of India Investors' Relation Cell
Herald House, IInd Floor,
5A, Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi-110 002.
Tel.: 332 9860/331 1225

2. Investor Complaints redressal record

Complaints received, redressed and pending for the last three years are:

Period	Received	No. of Complaints Redressed	Pending	Pending to Total Received
01-7-95 to 30-04-96	685997	651813	34184	4.98%
01-04-96 to 31-03-97	47016900	447495	22675	4.82%
01-04-97 to 31-03-98	55192900	539318	12611	2.28%

Schemewise details of complaints received, redressed and pending for the period 01/10/97 to 30/09/98 are given below :

SCHEME NAME	No. of Complaints			Pending to Total Recd.
	Received	Redressed	Pending	
CCCF	910	947	24	2.64%
CGGF	5917	6134	143	2.42%
CGS-83	179	234	23	12.85%
CGUS-91	2126	2102	47	2 21%
CRTS	196	199	6	3 06%
DIP-91	2024	2027	50	2.47%
DIUP-93	318	302	26	8 18%
DIUP-95	1028	1053	5	0.49%
DIUS-90	985	999	14	1.42%
DIUS-91	683	691	35	5.12%
DIUS-92	1309	1308	46	3.51%
E O F	199	199	7	3 52%
GCGI	2692	3979	26	0 97%
GMIS-91	2081	2293	85	4 08%
GMIS-92(I)	3012	4231	117	3 88%
GMIS-92(II)	1216	1193	173	14.23%
GMIS-B-92	1723	1626	120	6.96%
GMIS-B-92(II)	1430	1397	80	5.59%

SCHEME NAME	No. of Complaints			Pending to Total Recd.
	Received	Redressed	Pending	
GRANDMASTER-93	914	908	11	1.20%
GRIHALAXMI UNIT PLAN	2090	2120	41	1.96%
HOUSING UNIT SCHEME	317	308	31	9 78%
IEF-97	168	168	0	0.00%
IISFUS-95,96,97	13	10	3	23 08%
MASTERGAIN-92	50437	52039	407	0 81%
MASTERGROWTH-93	2899	2868	57	1.97%
MASTERPLUS-91	10971	11134	415	3 78%
MASTERSHARE-86	21282	22518	419	1 97%
MEP-91	2365	2489	65	2 75%
MEP-92	13972	14301	545	3 90%
MEP-93	21345	21850	200	0 94%
MEP-94	21721	22909	127	0 58%
MEP-95	7476	7245	249	3 33%
MEP-96	865	874	14	1.62%
MEP-97	747	773	15	2 01%
MEP-98	280	251	29	10.36%
MIP-93	1302	1268	38	2 92%

SCHEME NAME	No. of Complaints			Pending to Total Recd.
	Received	Redressed	Pending	
MIP-94(I)	1953	1922	88	4.51%
MIP-94(II)	1700	1550	214	12.59%
MIP-94(III)	2960	2981	23	0.78%
MIP-95	1395	1450	41	2.94%
MIP-95(II)	1828	1891	30	1.64%
MIP-95(III)	1438	1543	11	0.76%
MIP-96	1173	1264	22	1.88%
MIP-96(II)	1253	1336	27	2.15%
MIP-96(III)	2075	2194	24	1.16%
MIP-96(IV)	9979	10524	214	2.14%
MIP-97	5785	6722	81	1.40%
MIP-97(II)	8013	8474	183	2.28%
MIP-97(III)	4312	4292	51	1.18%
MIP-97(IV)	1767	1729	38	2.15%
MIP-97(V)	882	871	11	1.25%
MIP-98	1492	1358	134	8.98%
MIP-98(II)	870	155	715	82.18%
MIP-98(III)	12	8	4	33.33%
MIS-B-93	3103	2994	166	5.35%

SCHEME NAME	No. of Complaints			Pending to Total Recd.
	Received	Redressed	Pending	
MISG-90(I)	3628	4639	247	6.81%
MISG-90(II)	5361	5083	368	6.86%
MISG-91	3324	2540	805	24.22%
OMNI-PLAN	73	77	4	5.48%
PRIMARY EQUITY FUND	2012	2035	54	2.68%
RAJLAKSHMI	3624	3682	79	2.18%
RETIREMENT BENEFIT PLAN	1948	2046	78	4.00%
SENIOR CITIZEN U.P.	1487	1563	39	2.62%
UGS-10000	334	325	9	2.69%
UGS-2000	7424	7699	186	2.51%
UGS-5000	3444	3545	111	3.22%
ULIP	14187	14282	890	6.27%
US-64	69801	72050	2950	4.23%
US-92	4715	4690	158	3.35%
UTI BOND FUND	25	24	1	4.00%
TOTAL	360569	372485	11749	3.26%

Reasons for pending complaints are :

(i) Non-receipt of application/funds from the collecting banks.

(ii) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor.

(iii) Change of address of investor not informed/not updated.

(iv) Loss in transit.

(v) Postal delay.

(vi) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase.

(vii) Incomplete details while forwarding the complaints.

(viii) Non-receipt/ Delayed receipt of commission.

(ix) Letters/Documents sent to the wrong office/Registrars.

XIX. PENALTIES, PENDING LITIGATIONS, MATERIAL FINDINGS OF INSPECTIONS/ INVESTIGATIONS

1. There are no cases relating to penalties awarded by SEBI under the SEBI Act or any of its regulations or by any Stock Exchanges (where the units of the schemes of UTI are listed) against the Unit Trust of India/Board of Trustees, or any of the Trustees or key personnel (specifically the fund managers).

2. There are no pending material litigation proceedings incidental to the business of the Unit Trust of India including the Board of Trustees or any of the trustees or key personnel.

3. There are no enquiry/adjudication proceedings under the SEBI Act and the Regulations made thereunder, against Unit Trust of India, Board of Trustees/Trustee or key personnel.

XX. CONDENSED FINANCIAL INFORMATION

(i) Unit Scheme 1964 had an outstanding unit capital of Rs. 15629.70 crore as on 30th June, 1998 The total investible funds of the scheme on the same date stood at Rs. 21371.96 crore During the year 1997-98 the scheme earned gross income of Rs. 3340.51 crore and net income of Rs. 3221 59 crore. Income distribution at 20 % amounting to Rs. 3125.94 crore was made out of net income earned during the year. As on 30th June, 98 after providing Rs. 3566.04 crore towards portfolio depreciation, the Unit Premium Reserve/General Reserve showed a debit balance of Rs. 1098.49 crore.

(ii) HISTORICAL PER UNIT STATISTICS

Scheme (Date of Allotment)		RUP(II) (01.07.94) @@				GUP (06.08.94) @@				MIP-94(III) (01.01.95)			
		1994-95	1995-96	1996-97	1997-98**	1994-95	1995-96	1996- 97	1997-98**	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98**
1.	NAV At The Beginning Of The Year	10 00	9.86	11.10	12 35	10.00	10.16	10.70	10.05	10.00	9.47	9.61	9.69
2.	Net Income Per Unit	–0 14	1.04	0.84	1.25	0.16	0.99	0.47	0.19	0.10	1.17	1.17	1.15
3.	Dividends: (%) p.a.	–	–	–	–	–	14.00	10.00	12.00	# 12.00	#13.00	13.00	# 12.50
4.	Transfer to Reserves (if any)	–	–	–	–	–	–	–	–	–0.53	0.13	0.09	–
5.	NAV At The End Of The Year	9 86	11.10	12.35	13.07	10.16	10.70	10.05	10.80	9.47	9.61	9.69	*14.01 ^8.53
6.	Annualised Return (%)	–1.35	5.52	7.82	7.91%	1.74	11.03	8.44	8.04	1.46	5.75	8.97	*11.54% ,^8.52%
7.	Net Assets End Of The Period (Rs Crs.)	104.07	220.09	307.50	339.84	100.08	135.45	132.38	128.60	697.94	693.10	682.38	657.31
8.	Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0 036	0 022	0 011	0 013	0.034	0.037	0.005	0.004	0.007	0.007	0.120	0 073

12% upto 31.12 95; 13% 01.01 96-31.03 98 * Cumulative Option ^ Non Cumulative Option ** Provisional unaudited figures for the year 1997-98 @@ Date of launch.

Scheme (Date of Allotment)		RBUP (26.12.94) @@				MEP-95 (31.03.95)				US-95 (02.01.95) @@			
		1994-95	1995-96	1996-97	1997-98**	1994-95	1995-96	1996- 97	1997-98**	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98**
1.	NAV At The Beginning Of The Year	10 00	9.71	11.63	13.90	10.00	9.61	11.57	11.10	10.00	99.86	102.75	98.70
2.	Net Income Per Unit	–0.03	1.17	1.42	0.48	–0.39	0.68	0.14	0.28	2.62	15.94	9.36	4.88
3.	Dividends: (%) p a	–	–	–	–	–	–	–	–	12.00	13.50	12.50	13.50
4.	Transfer to Reserves (if any)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	NAV At The End Of The Year	9.71	11.63	13.90	14.50	9.61	11.57	11.34	8.61	99.66	102.75	98.70	112.28
6.	Annualised Return (%)	–5.62	10.78	15.52	12.89	–15.64	12.51	5.97	–4.52	11.54	14.90	12.31	14.48
7.	Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	24.42	72.73	122.43	151.42	1114.09	1339.13	1312.78	882.04	173.42	209.19	119.70	100.54
8.	Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.034	0.009	0.007	0.009	0.003	0.005	0.004	0.010	0.005	0.002	0.002	0.001

** Provisional unaudited figures for the year 1997-98. @@ Date of launch

Scheme (Date of Allotment)		PEF-95 (01.08.95) @@				MIP-95 (01.07.95)			
		1994-95	1995-96	1996-97	1997-98**	1994-95	1995-96	1996- 97	1997-98**
1.	NAV At The Beginning Of The Year	10.00	9.95	12.28	12.02	10.00	10.05	10.35	10.74
2.	Net Income Per Unit	–0.14	0.67	0.35	0.65	0.05	1.33	1.12	1.08
3.	Dividends: (%) p.a.	–	–	–	–	–	13.00	14.00	# 12.50
4.	Transfer to Reserves (if any)	–	–	–	–	0.05	0.24	0.11	–
5.	NAV At The End Of The Year	9.95	12.28	12.45	9.17	10.05	10.35	10.74	*13.82 ^9.01
6.	Annualised Return (%)	–	24.87	12.79	–3.64	–	16.54	17.18	*12.83 ^10.31
7.	Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	174.23	223.40	227.61	115.28	539.45	577.74	574.73	542.07
8.	Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.028	0.012	0.004	0.023	0.001	0.007	0.008	0.007

14.00% upto 31.03.98 * Cumulative Option ^ Non Cumulative Option ** Provisional unaudited figures for the year 1997-98 @@ Date of launch.

Scheme (Date of Allotment)		MIP-95 (II) (01.09.95)			IISFUS-95 (01.10.95)			DIP-95 (01.10.95)			MEP-96 (31.03.96)		
		1995-96	1996-97	1997-98**	1995-96	1996-97	1997-98**	1995-96	1996-97	1997-98**	1995-96	1996-97	1997-98**
1	NAV At The Beginning Of The Year	10.00	10.89	11.42	10.00	11.00	10.59	10.00	12.06	13.70	10.00	12.00	12.07
2	Net Income Per Unit	1.22	1.30	1.44	1.42	1.58	–0.28	1.24	1.43	1.37	0.13	0.14	–0.03
3	Dividends: (%) p.a.	# 13.50	# 14.00	# 12.50	15.00	15.00	15.00	–	–	26.00	–	–	–
4.	Transfer to Reserves (if any)	0.35	0.31	–	–	–	–	1.24	1.43	–	–	–	–
5.	NAV At The End Of The Year	10.89	11.42	*14.36 ^9.67	11.00	10.59	11.52	12.06	13.70	$14.45 *11.59	12.00	12.59	10.40
6.	Annualised Return (%)	24.27	21.53	15.53 ^15.03	28.40	18.38	17.96	27.48	21.16	$16.32 *10.97	80.20	20.70	1.77
7	Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	365.24	366.14	345.81	195.45	182.60	196.42	120.82	134.87	129.37	235.94	247.35	204.10
8	*Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets*	0.008	0.011	0.011	0.005	0.006	0.002	0.009	0.008	0.009	0.006	0.007	0.010

13.50% upto 31.08.96; 14.00% 01.09.96 - 31.03.98 : 14.00% upto 31.03.98 * Cumulative Option ^ Non Cumulative Option $ Defered Income Option
** Provisional unaudited figures for the year 1997-98

Scheme (Date of Allotment)		MIP-95(III) (01.01.96)			MIP-96 (01-05-96)			MIP-96(II) (01.07.96)			EOF (01.07.96)		
		1995-96	1996-97	1997-98**	1995-96	1996-97	1997-98**	1995-96	1996-97	1997-98**	1995-96	1996-97	1997-98**
1	NAV At The Beginning Of The Year	10.00	10.98	11.80	10.00	10.29	11.05	10.00	9.96	11.23	10.00	9.98	10.35
2	Net Income Per Unit	0.79	1.44	1.73	0.24	1.35	1.39	0.02	1.24	1.69	–0.02	0.46	0.25
3	Dividends: (%) p.a.	14.00	14.00	#12.50	14.50	14.50	##13.00	15.00	15.00	###13.00	–	–	–
4.	Transfer to Reserves (if any)	0.16	0.43	–	–0.14	0.28	–	–0.11	0.13	–	–	–	–
5.	NAV At The End Of The Year	10.98	11.80	*14.53 ^10.12	10.29	11.05	*13.63 ^9.79	9.96	11.23	*13.78 ^10.07	9.98	10.66	7.85
6.	Annualised Return (%)	33.81	26.09	*18.31 ^14.11	32.37	23.49	*16.94 ^13.02	–	27.34	19.14 ^14.78	–	6.62	–11.50
7	Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	443.59	458.39	432.36	238.24	250.67	239.25	385.61	417.80	411.35	23.34	26.10	17.71
8.	Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.006	0.010	0.010	0.004	0.011	0.010	0.003	0.010	0.009	0.003	0.016	0.023

*Cumulative Option ^ Non Cumulative Option ** Provisional unaudited figures for the year 1997-98 # 14% upto 31.03.98. ## 14.50% upto 31.03.98 ### 15% upto 31.03.98.

Scheme (Date of Allotment)@@		MMMF (23.04.97) @@		MIP-96(III) (01.10.96)		DIP-91 (15.10.96)		IISFUS-96 (01.01.97)		MIP-96(IV) (01.01.97)		MEP-97 (31.03.97)	
		1996-97	1997-98**	1996-97	1997-98**	1996-97	1997-98**	1996-97	1997-98**	1996-97	1997-98**	1996-97	1997-98**
1.	NAV At The Beginning Of The Year	10.00	10.17	10.00	11.04	10.00	11.52	10.00	11.09	10.00	10.71	10.00	11.71
2.	Net Income Per Unit	0.14	N.A.	0.90	1.43	1.18	1.66	1.01	–0.02	0.67	1.30	0.11	0.65
3.	Dividends: (%) p.a.	–	–	15.00	#13.00	15.00	15.00	16.00	16.00	15.00	##13.00	–	–
4.	Transfer to Reserves (if any)	–	6.93	–0.08	–	0.75	–	0.05	–	0.02	–	–	–
5.	NAV At The End Of The Year	10.17	11.2316	11.04	*12.83 ^9.79	11.52	@8.94 $12.41 & 12.36	11.09	11.04	10.71	*11.85 ^9.42	12.09	9.25
6	Annualised Return (%)	9.17	10.99	29.06	*16.42 ^13.11	36.57	@6.32 $14.30 &14.01	38.25	17.94	29.61	*12.57 ^10.33	83.99	–6.13
7.	Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	37.99	105.39	416.50	399.31	241.41	240.42	206.50	166.38	891.29	868.38	88.69	67.83
8.	*Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets*	0.001	0.324	0.008	0.010	0.007	0.009	0.003	0.003	0.007	0.005	0.006	0.012

*Cumulative Option ^ Non Cumulative Option $ Defered Income Option @ Dividend Option & Capital Growth Option
** Provisional unaudited figures for the year 1997-98 # 15% upto 31.03.98 ## 15% upto 31.03.98 @@ Date of launch

Scheme (Date of Allotment)		MIP-97 (01.05.97)		MIP-97(II) (01.07.97)		IISFUS-97 (01.07.97)		IEF (01.08.97)		MIP-97(III) (01.09.97)	MIP-97 IV) (01.11.97)
		1996-97	1997-98**	1996-97	1997-98**	1996-97	1997-98**	1996-97	1997-98**	1997-98**	1997-98**
1.	NAV At The Beginning Of The Year	10 00	10 32	10.00	10.09	10.00	10.14	10.00	N.A	10.00	10.00
2.	Net Income Per Unit	0.25	1 06	0.11	1.09	0.12	0.22	0.00	–0.54	0.81	0.91
3	Dividends. (%) p a	14.00	14 00	14.00	14.00	15 00	15.00	–	–	13.00	12.50
4	Transfer to Reserves (if any)	–0.06	–	0.03	–	–	–	–	–	–	–
5	NAV At The End Of The Year	10.32	*9 51 ^9.26	10.09	*9.56 ^9.11	10.14	10.87	10.00	8.07	*9.47 ^9.03	*9.76 ^9.66
6	Annualised Return (%)	33.44	*7.73 ^5.60	–	*7.48 ^5.23	–	7.62	–	–19.64	*2.86 ^1.37	*(– 2.93) ^ 0.05
7	Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	1195.73	1142.48	1462.16	1473.39	685.15	622.83	31.28	26.66	800.74	800 05
8	Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.006	0.011	0.001	0.011	0.000	0.005	0.001	0.021	0.013	0.008

*Cumulative Option ^ Non Cumulative Option
** Provisional unaudited figures for the year 1997–98.

Scheme (Date of Allotment)		MIP-97 (V) (01.01.98)	MEP-98 (31.03.98)	IISFUS-97(II) (01 02.98)
		1997-98**	1997-98**	1997-98**
1.	NAV At The Beginning Of The Year	10.00	N A	10.00
2	Net Income Per Unit	0.70	0.19	0 06
3.	Dividends: (%) p.a.	11.75	–	12.75
4	Transfer to Reserves (if any)	–	–	–
5	NAV At The End Of The Year	*9.95 $$10.23 ^9.63	8.53	9.90
6.	Annualised Return (%)	*4.97 $$4.66 ^4.46	–	17.09
7.	Net Assets End Of The Period (Rs. Crs.)	444.55	22 66	638.68
8.	Ratio Of Recurring Exp. To Net Assets	0.004	0.005	0.004

* Cumulative Option ^ Non Cumulative Option $$ Annual option
** Provisional unaudited figures for the year 1997-98 .

(b) There are no instances of borrowing by schemes of the Trust.

Historical per unit statistics contd....

Scheme	NAV as on 30.09.98	Annualised Return (%)
RUP(II)	11.92	4.62
GUP	10.00	8.47
MIP-94(III)	*14.24 ^8.35	*11.31 ^8.27
RBUP	15.15	13.68
MEP-95	8.67	– 3.99
US-95	97.08	9.77
PEF-95	9.22	– 2.29
MIP-95	*13.86 ^8.72	*11.87 ^9.52
MIP-95 (II)	*14.44 ^9.40	*14.41 ^11.65
IISFUS-95	11.30	18.08
DIP-95	$11.12 *14.64	$12.40 *15.47
MEP-96	10.46	1.81
MIP-95(III)	*14.88 ^10.04	*17.76 ^13.88
MIP-96	*14.09 ^9.77	*16.93 ^13.24
MIP-96(II)	*14.21 ^10.04	*18.72 ^14.74
EOF	7.88	– 10.05
MMMF &&	11.5776	11.24

Scheme	NAV as on 30.09.98	Annualised Return (%)
MIP-96(III)	*13.06 ^9.62	*15.32 ^12.62
DIP-91	@9.23 $12.65 &13.17	@10.56 $13.53 &16.18
IISFUS-96	11.03	19.08
MIP-96(IV)	*11.99 ^9.20	*11.40 ^9.88
MEP-97	9.02	– 6.64
MIP-97	*9.73 ^9.11	*7.15 ^7.72
MIP-97(II)	*9.80 ^8.97	*6.80 ^5.76
IISFUS-97	9 71	9.69
IEF	10.30	2.39
MIP97(III)	*9.95 ^9.15	*6.56 ^5.17
MIP97(IV)	*10.28 ^9.60	*8.78 ^8.18
IISFUS-97(II)	9.95	6.36
MIP97(V)	*10.09 ^^10.37 **9.51	*5.15 ^^4.97 **5.23
MIP98	*9.95 ^^9.89 **9.30	*(–)1.00 ^^(–)2.21 **(–)1.50

&& NAV as on 12.10.98, *Cumulative Option, ^ Non-Cumulative Option, @ Dividend Option, $ Deferred Option, & Capital Growth Option, ^^ Annual Option, **Monthly Option

XXI. DUE DILIGENCE

Due Diligence Certificate submitted to SEBI for IISFUS'98(II)

It is confirmed that:

I. the draft offer document forwarded to Securities and Exchange Board of India is in accordance with the SEBI (Mutual Funds)Regulations, 1996 and the guidelines and directives issued by SEBI from time to time;

II. all legal requirements connected with the launching of the scheme as also the guidelines, instructions, etc. issued by the Government and any other competent authority in this behalf, have been duly complied with.

III. the disclosures made in the offer document are true, fair and adequate to enable the investors to make a well informed decision regarding investment in the proposed scheme;

IV. all the intermediaries named in the offer document are registered with SEBI and till date such registration is valid.

Date: 11.8.98
Place : Mumbai

Signature

Sd/-

Name: **B.S. PANDIT**
Compliance Officer
With seal:

XXII. DETAILS REGARDING SCHEMES WHEREIN RETURNS GUARANTEED BY DRF

	PERIOD		NET INCOME	@ INCOME DISTRIBUTION	INVESTIBLE FUND AS ON 30-06-98	RETURNS ASSURED
	FROM	TO	Rs. in CRS.	Rs. in CRS.	Rs. in CRS.	(P.A.)
MIP-97	1/7/96	30/06/97	28.95	35.37		14.00%
	1/7/97	30/06/98	124.48	153.57	1192.51	
MIP-97 (II)	1/7/96	30/06/97	15.29	19.54		14.00%
	1/7/97	30/06/98	170.34	184.34	1468.65	
MIP-97 (III)	1/7/96	30/06/97	0.0029	0.21		14.00%
	1/7/97	30/06/98	73.40	96.86	887.64	
MIP-97(IV)	1/7/97	30/06/98	76.69	75.57	964.25	12.50%
MIP-97(V)	1/7/97	30/06/98	33.33	20.53	499.23	11.75%
IISFUS-97	1/7/96	30/06/97	7.91	14.77		15.00%
	1/7/97	30/06/98	72.57	98.89	771.94	
IISFUS-97(II)	1/7/97	30/06/98	40.69	45.58	682.43	12.75%
IEF-97	1/7/96	30/06/97	-0.0046	0.00		CAPITAL ASSURED
	1/7/97	30/06/98	0.33	0.00	31.39	
MIP-98	1/7/97	30/06/98	30.02	31.59	1042.92	12.50%
IISFUS-98	1/7/97	30/06/98	8.16	25.85	969.57	13.50%
MIP-98(II)	1/7/97	30/06/98	2.42	8.19	655.84	12.50%
NRI FUND(UNF)	1/7/97	30/06/98	0.25	0.65	71.36	13.50%
TOTAL					9237.72	

@ Income distribution is considered at assured rate for monthly income optees.

For and on behalf of the Board of Trustees of the Unit Trust of India

sd/-
(A N PALWANKAR)
Executive Director
Business Development and Marketing

Place : Mumbai
Date : 02.09.1998

25-8961/29

UNIT TRUST OF INDIA

CORPORATE OFFICE

13, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-400 020. Tel.: 206 8468

ZONAL OFFICES

- **Western Zone:** Commerce Centre-1, 28th Flr., World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005. Tel.: 218 1600. **Eastern Zone:** 2, Fairlie Place, 2nd Flr., Calcutta-700 001. Tel.: 220 9391.
- **Southern Zone:** UTI-House, 29, Rajaji Salai, Chennai-600 001. Tel.: 517 101.
- **Northern Zone:** Jeevan Bharati, 13th Flr., Tower II, Connought Circus, New Delhi-110 001. Tel.: 332 9860.

BRANCH OFFICES UNDER WESTERN ZONE JURISDICTION

- **Ahemedabad:** B.J. House, 2nd, 3rd & 4th Flr., Ashram Marg, Ahemedabad-380 009. Tel.: 642 3043.
- **Baroda:** 'Meghdhanush', 4th & 5th Flr., Transpek Circle, Race Course Marg, Baroda-390 015. Tel.: 332 481.
- **Bhopal:** 1st Flr., Ganga Jamuna Commercial Complex, Plot No.202, Maharana Pratap Nagar, Zone-1, Scheme-13, Habeeb Ganj, Bhopal-462 001. Tel.: 558 308.
- **Indore:** City Centre, 2nd Flr., 570, M.G. Marg, Indore-452 001. Tel.: 22796.
- **Mumbai:** (1) Unit No.2, Block 'B', Gulmohor Cross Marg No.9, Andheri (W), Mumbai-400 049. Tel.: 620 1995.
- **Mumbai:** (2) Persepolis Bldg., 3rd Flr., Above Andhra Bank, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai-400 703. Tel.: 7-672507.
- **Mumbai:** (3) Lotus Court Bldg., 196, Jamashedji Tata Marg, Backbay Reclamation, Mumbai-400 020. Tel.: 285 0821.
- **Mumbai:** (4) Shraddha Shopping Arcade, 1st Flr., S.V. Marg, Borivili (W), Mumbai-400 092. Tel.: 898 0521.
- **Mumbai:** (5) Sagar Bonanza, 1st Flr., Khot Lane, Ghatkopar (W), Mumbai-400 086. Tel.: 516 2256.
- **Kolhapur:** Ayodhya Towers, C.S. No. 511, KH-1/2 'E' Ward, Dabholkar Corner, Station Marg, Kolhapur-416 001. Tel.: 657 315.
- **Nagpur:** Shree Mohini Complex, 3rd Flr., 345, Sardar Vallabhbhai Patel Marg, Nagpur-440 001. Tel.: 536 893.
- **Nasik:** Sarda Sankul, 2nd Flr., M.G. Marg, Nasik-422 001. Tel.: 572166.
- **Panaji:** E.D.C. House, Ground Flr., Dr. A.B. Marg, Panaji, Goa, 403 001. Tel.: 222 472.
- **Pune:** Sadashiv Vilas, 3rd Flr., 1183, Fergusson College Marg, Shivaji Nagar, Pune-411 005. Tel.: 325 954.
- **Rajkot:** Lallubhai Centre, 4th Flr., Lakhaji Raj Marg, Rajkot-360 001. Tel.: 35112.
- **Surat:** Saifee Bldg., Dutch Marg, Nanpura, Surat-395 001. Tel.: 434 550.
- **Thane:** UTI House, Station Marg, Thane (W)-400 601. Tel.: 540 0905.

BRANCH OFFICES UNDER EASTERN ZONE JURISDICTION

- **Bhubaneshwar:** OCHC Bldg., 1st & 2nd Flr., 24, Janpath, Kharvela Nagar, Nr. Ram Mandir, Bhubaneshwar-751 001. Tel.: 410 995.
- **Calcutta:** 2, Fairlie Place, Calcutta-700 001. Tel.: 220 9391.
- **Durgapur:** 3rd Administrative Bldg., 2nd Flr., Asansol Durgapur Development Authority, City Centre, Durgapur-713 216. Tel.: 546136.
- **Guwahati:** Hindustan Bldg., 1st Flr., M.L. Nehru Marg, Pan Bazar, Guwahati-781 001. Tel.: 543131.
- **Jamshedpur:** 1-A, Ram Mandir Area, Gr. & 2nd Flr., Bistupur, Jamshedpur-831 001. Tel.: 425 508.
- **Patna:** Jeevan Deep Bldg., Gr. & 5th Flr., Exhibition Marg, Patna-800 001. Tel.: 235 001
- **Siliguri:** Jeevan Deep, Ground Flr., Gurunanak Sarani, Siliguri-734 401. Tel.: 424671.

BRANCH OFFICES UNDER SOUTHERN ZONE JURISDICTION

- **Bangalore:** Raheja Towers, 26-27, 12th Flr., West Wing, M.G. Marg, Bangalore-560 001. Tel.: 5595691.
- **Cochin:** Jeevan Prakash, 5th Flr., M.G. Marg, Ernakulam-682 011. Tel.: 362 354.
- **Coimbatore:** Cheran Towers, 3rd Flr., 6/25 Arts College Marg, Coimbatore-641 018. Tel.: 214 973.
- **Hubli:** Kalburgi Mansion, 4th Flr., Lamington Marg, Hubli-580 020. Tel.: 363 963.
- **Hyderabad:** 1st Flr., Surabhi Arcade, 5-1-664, 665, 669, Bank Street, Hyderabad-500 195. Tel.: 461 1095.
- **Chennai:** UTI House, 29, Rajaji Salai, Chennai-600 001. Tel.: 517 101.
- **Madurai:** Tamil Nadu Sarvodaya Sangh Bldg., 108, Thirupparakundram Marg, Madurai-625 001. Tel.: 38186.
- **Mangalore:** Siddhartha Bldg., 1st Flr., Bal-Matta Marg, Mangalore-575 001. Tel.: 426 258.
- **Thiruvananthapuram:** Swastik Centre, 3rd Flr., M.G. Marg, Thiruvananthapuram-695 001. Tel.: 331415.
- **Trichy:** 104, Salai Marg, Woraiyur, Tiruchirapalli-620 003. Tel.: 760060.
- **Trichur:** 28/700 West Pallithamam Bldg., Karunakaran Nambiar Marg, Round North, Trichur-680 020 Tel.: 331259.
- **Vijaywada:** 27-37-156, Bunder Marg, Next to Hotel Manorama, Vijaywada-520 002. Tel.:74434.
- **Vishakhapatnam:** Ratna Arcade, 3rd Flr., 47/15/6, Station Marg, Dwarkanagar, Vishakhapatnam-530 016. Tel.: 548121.

BRANCH OFFICES UNDER NORTHERN ZONE JURISDICTION

- **Agra:** Ground Flr., Jeevan Prakash, Sanjay Place, Mahatma Gandhi Marg, Agra-282 002. Tel.: 54408.
- **Allahabad:** United Towers, 3rd Flr., 53, Leader Marg, Allahabad-211 003. Tel.: 400521.
- **Amritsar:** Shri Dwarkadhish Complex, 2nd Flr., Queen's Marg, Amritsar-143 001. Tel.: 210367.
- **Chandigarh:** Jeevan Prakash, LIC Bldg., Sector 17-B, Chandigarh-160 017. Tel.: 703[illegible]
- **Dehradun:** 2nd Flr., 59/3, Raipur Marg, Dehradun-248 001. Tel.: 746720.
- **Faridabad:** B-614-617, Nehru Ground, NIT, Faridabad-121 001. Tel.: 219156.
- **Ghaziabad:** 41, Navyug Market, Near Singhani Gate, Ghaziabad-201 001. Tel.: 790366.
- **Jaipur:** Anand Bhavan, 3rd Flr., Sansar Chandra Marg, Jaipur-302 001. Tel.: 365 212.
- **Kanpur:** 16/79-E, Civil Lines, Kanpur-208 001. Tel.: 317 278.
- **Lucknow:** Regency Plaza Building, 5, Park Marg, Lucknow-226 001. Tel.: 238591.
- **Ludhiana:** Surya Kiran Phase II, 92, The Mall, Ludhiana-141 001. Tel.: 441264.
- **New Delhi:** Gulab Bhavan, 2nd Flr., 6, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002. Tel.: 3318638.
- **Shimla:** Flat No. 401,402,403,405 Mukesh Apts., Fingask Estate, Near Hotel Sheel, Shimla-171 002. Tel.: 257803.
- **Varanasi:** 1st Flr., D-58/ 2A-1, Bhawani Market Rathyatra, Varanasi-221 001. Tel.: 358606.

UNIT TRUST OF INDIA

MUMBAI

UTI/DPDM/R-87/SPD-55/98-99 9th APRIL, 1999

The amendments to the provisions of the Children's Gift Growth Fund Unit Scheme 1986 (CGGF-86) formulated under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) and approved in the Executive Committee Meeting held on 25th September, 1998 to come into effect from 1st February, 1999 are published herebelow.

A. S. JOSHI
CHIEF GENERAL MANAGER
BUSINESS DEVELOPMENT AND MARKETING

ANNEXURE

Amendments to the provisions of Children's Gift Growth Fund Unit Scheme- 1986 (CGGF-86)

1) The following is added at the end of sub-clause (b) of clause I on 'Short title and commencement' :

The sales under the scheme was suspended with effect from 1st November 1997 and subsequently re-launched on 01.02.1999.

2) Following is added at the end of sub-clause (b) of clause 22 on 'Income Distribution'

In respect of units purchased on or after 01.02.1999, the Trust shall, depending upon the income accruing under the scheme each year and on various other limiting factors pay an income distribution not less than 12% p.a.

3) Sub-clause (f) may be inserted as a new sub-clause in clause 22 on 'Income Distribution'

(f) On completion of 21 years of age, the unit certificate shall have to be surrendered for repurchase and income distribution declared thereafter shall not accrue to the units outstanding to the credit of the child and reinvested every year in further units. This will come into force from 01.02.1999.

4) Clause 23 on 'Declaration of Bonus Dividend' is amended as :

The Trust will not declare any Bonus Dividend.

5) Following is to be inserted as a new paragraph at the end of item (ii) of sub-clause (b) of clause 25 on 'Maturity under the Scheme'

On completion of 21 years of age, the unit certificate shall have to be surrendered for repurchase and income distribution declared thereafter shall not accrue to the units outstanding to the credit of the child and re-invested every year in further units. This will come into force from 01.02.1999.

6) Clause no. 34 titled 'Review Clause' is added as a new clause

34. Review Clause

In the case of units purchased on or after 01.02.1999, if the yield under the scheme is lowered consequent to the review, the Trust shall provide an option for premature repurchase. The value of such premature repurchase, if any, will be at a price which reflects cumulatively the value of initial investment made by the investor and the returns assured on it upto the point of repurchase.

The payment in such case would be made to the Father/Mother/lawful guardian of the donee child, if the child continues to be a minor. When the donee reaches the age of 18 years, the repurchase rights will devolve on the donee. If the assured return is lowered subsequent to a review, the repurchase right will be exercised by the lawful guardian if the child continues to be a minor.

7) Clause no. 35 titled 'Development Reserve Fund' is added as a new clause'

35. Development Reserve Fund

It is guaranteed that the capital invested in the scheme as well as the returns assured will be protected on withdrawals made by the child on completing 18 years of age till maturity, i.e. on completing 21 years of age. The Development Reserve Fund (DRF) of the Trust will guarantee this protection. Any shortfall in assured commitments towards capital and returns will be met from DRF at the time of such maturity payment.

The quantum of DRF as on 30.06.98 is Rs. 649.42 crore as against the investible funds of Rs.9237.72 crores under 12 schemes launched with the assured returns and guaranteed by DRF.

UT/DBDM/R- 195 **/SPD- 59A/98-99** 9th **APRIL, 1999**

The amendments to the provisions of Rajlakshmi Unit Plan(II) [RUP(II)], formulated under Section 19(1)(8)(c) of the Unit Trust of India Act, 1963(52 of 1963) in relation to the unit scheme, the Rajlakshmi Unit Scheme (II), made under section 21 of the said Act and approved in the Executive Committee Meeting held on 24th December, 1998 to come into effect from 8th February, 1999 is published herebelow.

A G JOSHI
CHIEF GENERAL MANAGER
BUSINESS DEVELOPMENT AND MARKETING

ANNEXURE

Amendments to the provisions of Rajlakshmi Unit Scheme(II) [RUS (II)]

1) The following is added at the end of sub-clause (2) of clause I on 'Short title and commencement' :

The sales under the scheme was suspended with effect from 1st October 1998 and subsequently re-launched on 08.02.1999.

2) Following is added at the end of clause VIII on 'How the scheme works'

The maturity amounts for the different lock-in-periods given in Tables III & IV below will be applicable to those investors who have joined the plan after it has been relaunched on 08.02.1999.

Table III

Entry Age (in years)	Minimum Amount	Lock-in period (in years)	Maturity amount payable after completion of lock-in-period
Upto & including 1	Rs. 1500	20	Rs.15,000
Above 1 to 2	Rs. 1500	19	Rs. 13,300
Above 2 to 3	Rs. 1500	18	Rs.11,800
Above 3 to 4	Rs. 1500	17	Rs.10,500
Above 4 to 5	Rs.1500	16	Rs. 9,300

Table IV

Lock-in-period	Maturity amount payable after completion of lock-in-period
13	Rs. 6,600/-
14	Rs. 7,400/-
15	Rs. 8,300/-
16	Rs. 9,300/-
17	Rs.10,500/-
18	Rs.11,800/-

However, this revision in maturity amounts as given in Table III and IV shall not binding on those investors who had invested before October 1, 1998.

3) Clause IX titled 'Review Clause' is amended as:

In case the yield under the scheme is lowered consequent to the review, the Trust shall provide an option for premature repurchase. The value of such premature repurchase, if any, will be at NAV based price and will depend on the period of holding and other connected factors upto the point of repurchase. The payment in such case would be made to the Father/mother/lawful guardian of the donee child, if the child continues to be a minor. When the donee reaches the age of 18 years, the repurchase rights will devolve on the donee.

4) Clause XIX titled 'Development Reserve Fund' is added as a new clause:

It is guaranteed that the maturity amounts for various lock-in-periods ranging from 13 to 20 years will be protected provided the review clause is not invoked. The Development Reserve Fund (DRF) of the Trust will guarantee this protection.

The quantum of DRF as on 30.6.98 is Rs.649.42 crore as against the investible funds of Rs.9237.72 crore under 12 schemes launched with the assured returns and guaranteed by DRF.

Amendment to the provisions of Rajlakshmi Unit Plan(II) [RUP (II)]

1) The first paragraph of clause XVIII on 'Income Distribution' is amended as:

There shall be no distribution of regular income under the scheme. The amount of Rs.1500/- invested in favour of the girl child who is less than one year old becomes Rs.15,000/- after a period of 20 years. The child after completion of lock in period will be entitled to avail of this cumulative amount. No bonus will be declared periodically.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1999
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1999